IFCI LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

अट्ठाईसवीं वार्षिक महासभा

दिनांक	:	17 दिसम्बर, 2021
दिन	:	शुक्रवार
समय	:	प्रातः 11:30 बजे
स्थान	:	सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/
अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम)
के द्वारा

विषय-वस्तु

निदेशक बोर्ड व प्रमुख अधिकारी 2

वित्तीय विशेषताएं 3

वार्षिक कार्य निष्पादन रूझान........ 4

सूचना 5

बोर्ड की रिपोर्ट........ 12

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां (स्टेण्डअलोन व समेकित) व प्रबन्धन के उत्तर .. 32

निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट 45

कारोबार दायित्व रिपोर्ट........ 55

एओसी-1 प्रपत्र 61

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट 63

तुलन-पत्र........ 72

लाभ एवं हानि का विवरण 73

नकद-प्रवाह विवरण 74

लेखांकन नीतियां तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 76

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट (समेकित) 135

समेकित तुलन-पत्र........ 143

समेकित लाभ एवं हानि का विवरण 144

समेकित नकद-प्रवाह विवरण........ 145

लेखांकन नीतियां तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 147

(11.11.2021 की स्थिति अनुसार)

निदेशक बोर्ड

श्री मनोज मित्तल	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री सुनील कुमार बंसल	उप प्रबन्ध निदेशक
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	
सुश्री आनन्दिता सिन्हारे	
प्रो. एन बालाकृष्णन	
प्रो. अरविन्द सहाय	
श्री एमएमएल वर्मा	

(22.11.2021 की स्थिति अनुसार)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री दिनेश कुमार नामदेव

प्रमुख अधिकारी

मुख्य महाप्रबंधक

श्री प्रसून
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

श्री सचिकान्त मिश्रा

महाप्रबंधक

श्री शिवेन्द्र तोमर
(आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. के प्रबन्ध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार)

श्री सुनीत शुक्ला

सुश्री पूजा एस महाजन
(आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व न्यासी के रूप में अतिरिक्त प्रभार)

श्री पवन कुमार

श्री बिकाश कान्ति रॉय
(आईएफएल में प्रबन्ध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त)

श्री अतुल सक्सेना
(बोर्ड के सचिव)

श्री विजय पाल

सुश्री रीता जान

श्री हरजीत सिंह
(मुख्य तकनीकी अधिकारी व मुख्य सूचना अधिकारी)

श्री राजीव आहलूवालिया
(मुख्य जोखिम अधिकारी)

श्री दीपक मिश्रा

श्री शमीक दासगुप्त
(आईआईएफसीएल में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री वी अनीश बाबू
(आईएलडी में कार्यपालक निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार)

श्री राजेश कुमार गुप्ता
(आईबीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर)

श्री आलोक सभरवाल

सुश्री सी सैंति

श्री शक्ति कुमार

श्री वी के देशराज

श्री मनोज कुमार परिदा

श्री देबाशीष गुप्ता
(प्रबन्ध निदेशक के रूप में एमपीकॉन लि. में प्रतिनियुक्ति पर, प्रबन्ध निदेशक के रूप में, आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. का अतिरिक्त प्रभार)

श्री वी श्रीकुमारन नायर

श्री बी. बी. साहू

सांविधिक लेखा-परीक्षक

एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल

वित्तीय विशेषताएं

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार
देयताएं तथा इक्विटी			
वित्तीय देयताएं	**12,764.68**	14,195.64	17,945.78
गैर-वित्तीय देयताएं	**82.60**	125.87	84.47
शेयर पूंजी	**1,895.99**	1,695.99	1,695.99
अन्य इक्विटी	**476.11**	2,411.78	2,529.31
	15,219.38	18,429.28	22,255.55
परिसम्पत्तियां			
गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	**4,470.59**	4366.44	4,522.63
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**10,748.75**	14062.84	17,687.46
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	**0.04**	-	45.46
	15,219.38	18,429.28	22,255.55

	2020-2021	2019-2020	2018-2019
अर्जन			
कुल आय (करोड़ रुपए)	**1,396.92**	2,264.06	2,466.20
क्षति पूर्व लाभ	**124.40**	281.05	393.54
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	**(2,147.23)**	(140.91)	(691.29)
कर-पश्चात् लाभ/(हानि)	**(1,957.81)**	(277.88)	(443.83)
कुल समग्र आय	**(1,935.68)**	(317.53)	(483.18)
अनुपात			
जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी	**-10.8%**	13.5%	8.0%
ऋण-इक्विटी अनुपात	**4.6**	3.0	3.8

वार्षिक कार्य-निष्पादन रूझान

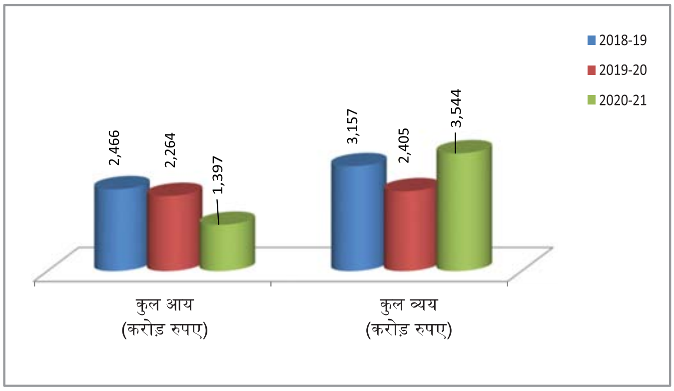

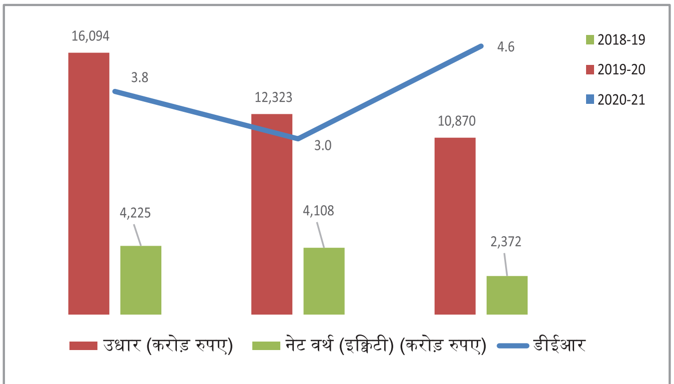

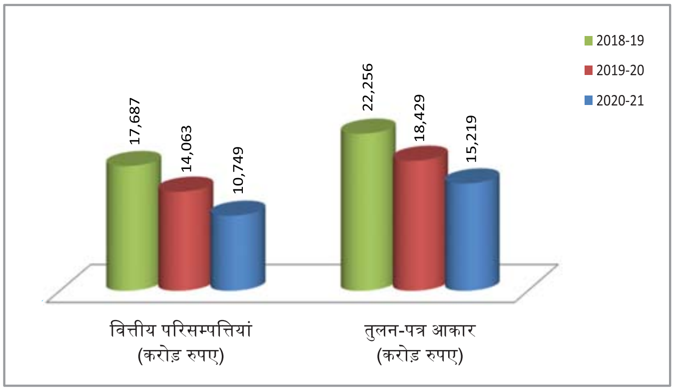

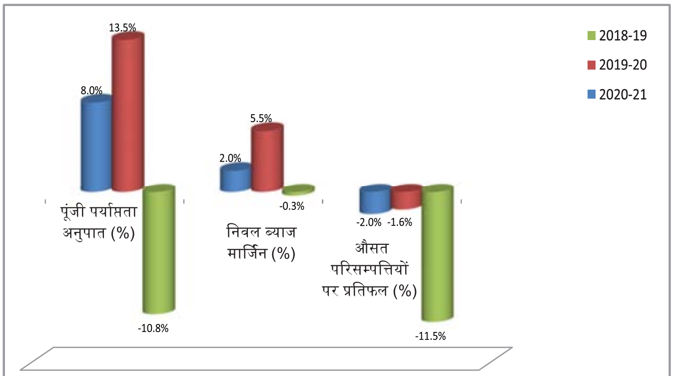

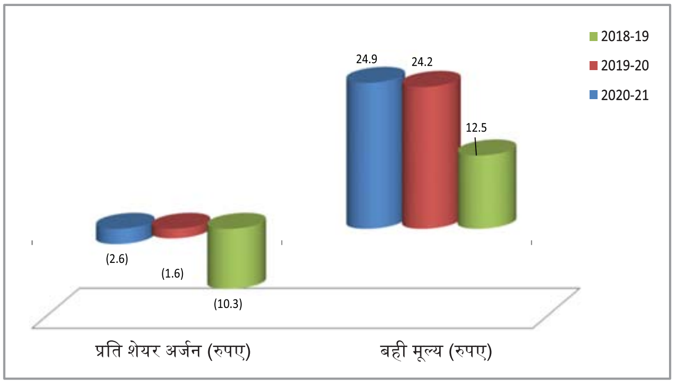

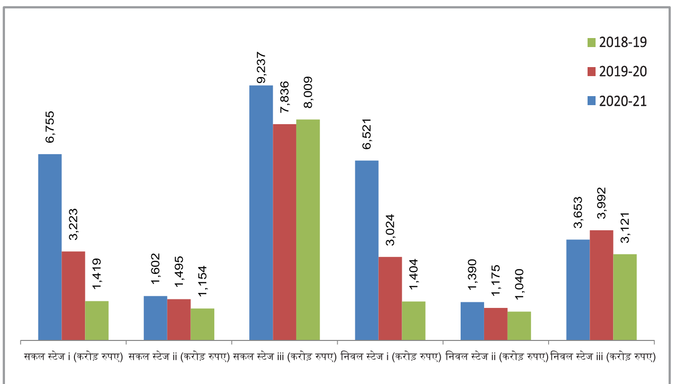

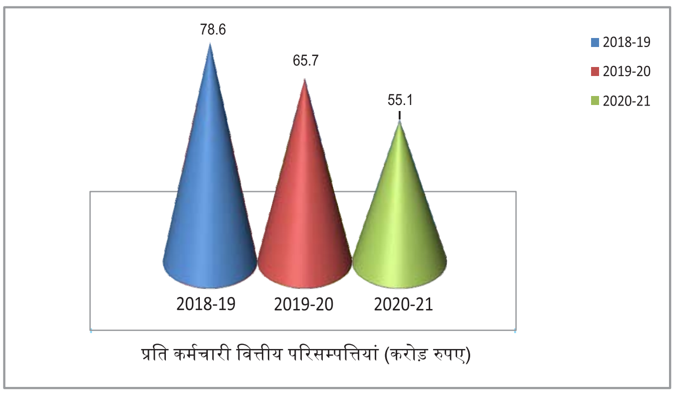

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईएफसीआई लिमिटेड** के सदस्यों की अट्ठाइसवीं (28वीं) वार्षिक महासभा **शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11:30 (आईएसटी) बजे** सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 में विडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य-संव्यवहार

1. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा-परीक्षकों और बोर्ड की रिपोर्टों पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. प्रो. एन. बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक महासभा पर रोटेशन से सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पात्रता के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 142 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक (कों) का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

   "संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 142 तथा लागू अन्य सभी उपबन्धों, यदि कोई हों, और कम्पनी (लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 [समय-समय पर लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या पुन: अधिनियमन(नों) सहित] के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक (कों) का पारिश्रमिक, जो भी उचित समझा जाए, निर्धारित और निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य-संव्यवहार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ अथवा उनके बिना, एक **विशेष संकल्प (पों)** के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 के उपबन्धों तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार (उस समय लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उसके अधिनियमन (अधिनियमनों) तथा अन्य किन्हीं प्रयोज्य विधियों, जिसमें सेबी (गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का निर्गम व सूचीकरण) विनियमावली, 2021, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और लागू अन्य सेबी विनियम और मार्गनिर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों/निदेशों/मार्गनिर्देशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित लागू अन्य कोई नियम/विनियम, कम्पनी के संगम-ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के उपबन्ध शामिल हैं तथा यथालागू, यथापेक्षित, आवश्यक अनुमोदन लेने की शर्त, जिसमें करार/विलेख की शर्तों के अधीन, यदि अपेक्षित हो, डिबेंचरधारकों के ऋणदाताओं/न्यासियों का अनुमोदन भी शामिल है और ऐसा अनुमोदन, अनुमति/मंजूरियां, जिस पर बोर्ड (बोर्ड में इस संकल्प द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाली उस समय कार्य कर रही कोई विधिवत् गठित कोई समिति भी शामिल है), द्वारा सहमति दी जाए, कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, सूचीबद्ध/गैर सूचीबद्ध, अनवरत/विमोच्य, असंपरिवर्तनीय संचयी/गैर संचयी/कर योग्य/कर मुक्त, वरिष्ठ/अधीनस्थ बॉन्ड/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड/जीरो कूपन बॉन्ड/मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड/डिबेंचर/नोट भारत में और या भारत में और/या भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियों बाह्य वाणिज्यिक उधारों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, अन्य ऋण प्रतिभूतियों आदि के माध्यम से एक या एक से अधिक सीरीज में कम्पनी द्वारा जारी किए जा सकने वाले पेशकश पत्र/प्रकटन प्रलेखों की एक या एक से अधिक ट्रांचिस/सीरीज/संयोजन (ग्रीन शू ऑप्शन के उपयोग सहित) के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है। सहमति प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित या लगाई जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित ऐसे व्यक्तियों, जो कम्पनी के मौजूदा बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेक से निर्धारित किया जाए, जिसमें पात्र निवेशक (चाहे वे निवासी और/या अनिवासी और/या संस्थान/निगमित निकाय और/या कोई व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक और/या घरेलू और/या एक या एक से अधिक अन्तरर्राष्ट्रीय बाजारों में से अन्य कोई हो) सहित, जिसमें गैर निवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईज) उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कम्पनियां, भविष्य निधियां, अधिवर्षिता एवं पेंशन निधियां, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, प्राइमरी/राज्य/जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्युचुअल फंड्स, निगमित निकाय, कम्पनियां, प्राइवेट या सरकारी न्यास या अन्य कोई संस्था प्राधिकरण और चालू प्रयोज्य नियमों, अधिनियमों, विधियों आदि के अन्तर्गत ऊपर दिए गए अनुसार (1,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के अन्तर्गत) ग्रीन शू ऑप्शन का प्रयोग करने सहित एक या एक से अधिक ट्रांचिस में निजी धारण के माध्यम से एक या एक से अधिक संयोजन से निवेश करने की पात्र श्रेणी के निवेशक, यदि कोई हों, जो लागू मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित ऐसी शर्तों और बोर्ड द्वारा निर्णीत ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर कुल मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए की राशि के अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचरों के एक या एक से अधिक ट्रांचिस के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए सदस्यों को सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

   यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत में और भारत से बाहर अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी निजी धारण को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को निर्गम की शर्तों का निर्धारण/अनुमोदन/परिवर्तन/या आशोधन, जिसमें निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें बांडों/डिबेंचरों का आबंटन किया जाएगा, प्रत्येक ट्रेंच में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, उस समय प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार प्रीमियम, छूट, निर्गम की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की एक श्रेणी को निर्गम मूल्य में छूट, सूचीकरण, निजी धारण प्रस्ताव पत्र में शामिल की जाने वाली कोई घोषणा/वचनपत्र आदि जारी करना शामिल है, करने और किसी प्रस्ताव, निर्गम, उपर्युक्त अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित, परंतु सीमित नहीं, के आबंटन के लिए अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने के लिए और उपर्युक्त असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों की प्रस्तावित पेशकश, निर्गम और आबंटन में आने वाली पूछताछ या कठिनाई का समाधान करने या सुलझाने एवं उससे प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित ऐसे सभी कार्य या कृत्य, जो भी बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर कम्पनी के सदस्यों का आगे और अनुमोदन या सहमति लेने की जरूरत के बिना उचित समझे जाएं, या अन्यथा इस आशय और उद्देश्य से कि उन्हें इस संकल्प के प्राधिकरण से स्पष्ट रूप से इसके प्रति उनका अनुमोदन दिया हुआ माना जाएगा, करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड स्वयं को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति को बोर्ड की किसी समिति या ऐसे किसी व्यक्ति, जो भी इसके पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, को प्रत्यायोजित करने, ऐसे प्रयासों को करने की शक्ति सहित, और निर्गम, आबंटन और निर्गम के सम्बन्ध में किसी प्रश्न या कठिनाई का समाधान करने के प्रयोजन से उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले ऐसे सभी कार्य, विलेख, कृत्य और मामले करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और उन्हें प्राधिकृत किया जाता है।"

पंजीकृत कार्यालय: | **निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार**

आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन: 91-11-4173 2000
फैक्स: +91-11-2623 0201
वेबसाइट: www.ifciltd.com
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com
दिनांक : 11 नवम्बर, 2021

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

टिप्पणियां:

1. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020, जो 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 और 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या 02/2021 के साथ पठित है तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों के अनुसरण में कम्पनी की 28वीं वार्षिक महासभा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी ।

2. कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के उपबन्धों और सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) (यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार और एमसीए के दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसार कम्पनी वार्षिक महासभा में किए जाने वाले कारोबार के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य से, कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा (वेन्यू वोटिंग) की तारीख को रिमोट मतदान पद्धति का उपयोग करने वाले सदस्य को मतदान की सुविधा (दूर-दराज से ई-वोटिंग) सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के परिपत्र के अनुसार सदस्यों के लिए बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

4. निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर अपलोड कर दी गई है। यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजो अर्थात् बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है । एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है ।

5. 28वीं वार्षिक महासभा के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110 019 को बैठक का स्थान माना जाएगा।

6. निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना या वित्तीय वर्ष 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति भौतिक रूप से नहीं भेजी जाएगी। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, 28वीं एजीएम बुलाने की सूचना उन सदस्यों को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके सम्बन्धित डिपोजेटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है।

7. जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@ mcsregistrars.com के पास पंजीकृत करायें जिसके साथ नाम, जो कि रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास यथा पंजीकृत हैं, पता, ई-मेल आईडी, पैन, डीपीआईडी, क्लांयट आईडी या फोलियो नम्बर और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या जैसे विवरण भी दें।

8. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा पहले आओं पहले पाओ के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

   इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक सम्बन्ध समिति, लेखा-परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रतिबन्ध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

9. संस्थागत शेयरधारकों को कम्पनी की 28वीं एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अनुरोध और प्रोत्साहित किया जाता है।

10. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा ।

11. सदस्यों को बैठक के दौरान सवाल पूछने की अनुमति होगी। सवालों को complianceofficer@ifciltd.com पर पहले से भेजा जा सकता है।

12. कम्पनी अधिनियम, 2012 की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण मद संख्या 4 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों सहित इसके साथ संलग्न हैं।

13. एजीएम बुलाने की सूचना में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज और व्याख्यात्मक विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

14. सदस्यों का रजिस्टर और इक्विटी शेयरों की शेयर-अन्तरण बहियां शनिवार, 11 दिसम्बर, 2021 से शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2021 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

15. पुन:नियुक्त किए जा रहे निदेशक का संक्षिप्त विवरण "सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली के विनियम 36(3) तथा अधिनियम के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसार इसके साथ संलग्न है।

16. सेबी अपेक्षाओं के अनुसार डी-मैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन उस डिपाजिटरी भागीदार के पास जमा कराएं जो उनके डी-मैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं। भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अपने पैन के विवरण कम्पनी या आरएण्डएसटीए को भेज सकते हैं।

17. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में वोट देने का पात्र होगा।

18. 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, कम्पनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां डिपाजिटरी के पास डीमैट रूप में धारित नहीं की जाती। तद्नुसार भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करें।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों के अनुदेश निम्नानुसार हैं:

(i) वोटिंग अवधि मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर, 2021 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख शुक्रवार 10 दिसम्बर, 2021 को कम्पनी के या तो भौतिक रूप से या डी-मैट रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपना वोट इलैक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) जो शेयरधारक वोटिंग की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके हैं उन्हें बैठक के स्थान पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा दी गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले अलग-अलग शेयरधारकों को भागीदारों और डिपाजिटरी भागीदारों के पास रखे गए उनके डी-मैट खातों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी गई है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग सुविधा लेने के लिए अपने डी-मैट खातों में अपना मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी को अपडेट करें।

ऊपर निर्दिष्ट सेबी परिपत्र के अनुसरण में डी-मैट रूप से प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉग-इन करने की पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	लॉग-इन पद्धति
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी/ईजीएस्ट सुविधा का विकल्प दिया है वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर सकते है। आगे किसी प्रमाणिकता के बिना ई वोटिंग वाले पेज पर पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉगइन करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और लॉगइन आईकॉन पर क्लिक करें और न्यूसिस्टम माईईजी को स्लेक्ट करें। 2) ईजी/ईजीएस्ट पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद प्रयोक्ता ईवोटिंग मैन्यू को देख सकेंगे। निर्गमकर्ता/कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईवोटिंग मैन्यू पर क्लिक करने पर प्रयोक्ता सम्बन्धित ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर अर्थात सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंक इनटाइम के लिंक सहित अपनी धारिता को देख सकेंगे। तद्नुसार हम ईएसपी को लिंक उपलब्ध करा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता ईवोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की साइट पर सीधे ही पहुंच सकें। 3) यदि प्रयोक्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://web.cdslindia.com/myeasi./registration/easiregistgration पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। 4) वैकल्पिक रूप से, प्रयोक्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डी-मैट खाता नं. और पैन नं. देते हुए ईवोटिंग वाले पेज पर सीधे ही पहुंच सकता है। यह सिस्टम डी-मैट खाते में रिकार्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोक्ता को प्रमाणित करेगा। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद प्रयोक्ता को सम्बन्धित ईएसपी, जहां एजीएम के दौरान या उससे पूर्व ई-वोटिंग होती है, के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) यदि आप एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसस वेबसाइट पर जाएं। या तो निजी कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdlindia.com टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोल सकते हैं। ई-सर्विसस का होम पेज खुल जाने पर "लॉगइन", जो आईडीईएएस सेक्शन के अधीन उपलब्ध है के अन्तर्गत बेनिफिशयल ऑनर आईकॉन पर क्लिक करें, जिससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफलतापूर्व प्रमाणीकरण होने के बाद आप ई-वोटिंग सर्विसिज को देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसिज के अधीन "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा। 2) यदि प्रयोक्ता आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdlindia.com पर पंजीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध है। "रेजिस्टर ऑनलाईन फॉर आईडीइएएस" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/secureweb/ideasdirectreg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ईवोटिंग वेबसाइट पर जाएं। या तो अपने पर्सनल कम्प्युटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोले। ईवोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर "लॉगइन" आईकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहा अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 अंकों वाला डीमैट अकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलता प्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। कम्पनी के नाम या ईवोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।

अपने **डिपाजिटरी भागीदार** के माध्यम से लॉगइन करने वाले शेयरधारक (डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपाजिटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी-मैट खाते की लॉगइन साख का उपयोग करते हुए भी लॉगइन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगइन होने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल भागीदार की साइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग के फीचर्स देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ईएसपी नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए ईएसपी की वेबसाइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हैल्पडैस्क।

लॉगइन का प्रकार	**हैल्पडैस्क के विवरण**
सीडीएसएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या 022-23058738 तथा 023058542-43 पर संपर्क कर सकते है।
एनएसडीएल के पास डी-मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	लॉगइन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर संपर्क कर सकते है।

(iv) **अलग-अलग शेयरधारकों को छोड़ कर, शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों** के लिए ईवोटिंग और वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए लॉगइन पद्धति।

1) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।

2) "शेयरहोल्डर्स" मॉड्यूल्स पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी डालें

   क. सीडीएसएल के लिए : शेयरधारक अपना 16 डिजिट का आईडी डालें;

   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 वर्णो का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें;

   ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।

4) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ईवोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।

6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	अलग-अलग शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों को छोड़कर, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नं. डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)। • जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि	लॉगइन करने के लिए आपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि डालें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया ऊपर निर्दिष्ट अनुदेश (iii) में यथानिर्दिष्ट लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

(v) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

(vi) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

(vii) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।

(viii) आईएफसीआई के लिए के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(ix) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(x) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

(xi) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

(xii) एक बार संकल्प पर अपने वोट की 'पुष्टि' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

(xiii) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xiv) यदि डीमैट खाताधारक अपना बदला हुआ लॉग-इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xv) **व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए रिमोट वोटिंग सुविधा**

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर)तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और ''कॉरपोरेट'' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी।
- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल से भेजनी होगी और जिससे वे खातों के अनुमोदन के बाद अपना वोट डाल सकेंगे।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि साथ में विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, जो वोट देने के लिए अधिकृत है, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई-मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifciltd.com पर भेजनी होगी, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से इसे अपलोड नहीं किया है, तो पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए भेजा जाएगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग (वैन्यू वोटिंग) के लिए एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुरोध

1. एजीएम के दिन बैठक तथा ई-वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।
2. रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्त दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वह बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे बैठक में लैपटॉप/आईपैड की मार्फत भाग लें।
5. इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।
6. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइसिस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्पाट के माध्यम से जुड़े हुए लैपटाप की मार्फत अपने सम्बन्धित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो वीडियो में रूकावट का सामना करना पड़ सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।
7. जो शेयरधारक एजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **एजीएम से कम से कम सात दिन पूर्व** स्पीकर के रूप में अपना अनुरोध complianceofficer@ifciltd.com को भेजकर स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं, जिसके साथ उन्हें अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. भी देना होगा।
8. जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है केवल वे ही एजीएम के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए पर्याप्त समय हो।
9. जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं परन्तु उनके कुछ प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डी-मैट खाता संख्या/फोलियो नं., ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. देते हुए **एजीएम से सात दिन पूर्व** अपने प्रश्न complianceofficer@ifciltd.com पर भेज सकते हैं। यदि आवश्यक समझा गया तो इन प्रश्नों का उत्तर कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिया जाएगा।
10. केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
11. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम पद्धति के माध्यम से एजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल एजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए पद्धति, जिनके ई-मेल आईडी इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगइन साख प्राप्त करने के लिए भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं हैं

भौतिक शेयरधाारकों के लिए	कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ईमेल के द्वारा कम्पनी की ईमेल आईडी complianceofficer@ifciltd.com पर या आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी admin@mcsregistrars.com, helpdeskdelhi@mcsregistraras.com पर भेजें।
डीमैट शेयरधाारकों के लिऐ	कृपया डीमैट खाते के विवरण (सीडीएसएल का 16 अंकों वाला हितोपभोगी का आईडी या एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डीपी आईडी व क्लाईंट आईडी), नाम, क्लाईंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) कम्पनी की ईमेल आईडी complianceofficer@ifciltd.com पर या आरएण्डएसटीए की ईमेल आईडी admin@mcsregistrars.com, helpdeskdelhi@mcsregistraras.com पर भेजें।

यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई-वोटिंग पद्धति से ईवोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर सर्म्पक कर सकते है। ईवोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें निम्नलिखित को सम्बोधित की जाएं:

श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई - 400 013
ई-मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com
फोन नं. 022-23058542/43

अन्य सूचनाः

1) कट ऑफ तारीख तक अर्थात् (शुक्रवार, 10 दिसम्बर, 2021) भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के शेयरधारक ही रिमोट ईवोटिंग या एजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत, जो भी मामला हो, स्थल वोटिंग से अपना वोट डालने के पात्र होगें। यदि कोई व्यक्ति कट ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है तो उसे इस नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजन से ही माना जाएगा।
2) रिमोट ईवोटिंग की अवधि मंगलवार, 14 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर, 2021 को सायं

5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा।

3) जो सदस्य वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट दे चुके हैं, वे केवल वीसी/ओएवीएम की मार्फत वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं परंतु वे अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे।

4) शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक ही तरीका अपना सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में वीसी/ओएवीएम की मार्फत स्थल मतदान। दोनों तरीकों से वोट देने के मामले में रिमोट ई-वोटिंग की मार्फत दिए गए वोट को अन्तिम वोट माना जाएगा और एजीएम में वीसी/ओएवीएम की मार्फत ईवोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

5) निदेशक बोर्ड ने श्री देवेश वशिष्ठ (सदस्यता संख्या एफ8488 व सीओपी-13700), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है और उनके अनुपस्थित रहने पर मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट की सुश्री प्रियंका (सदस्यता संख्या ए41459 व सीओपी-16187), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को रिमोट ई-वोटिंग की समीक्षा, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतदान करवाने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

6) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इन परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. को प्रेषित कर दिया जाएगा।

7) आईएफसीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्टेण्ड-अलोन आधार पर अपनी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को शामिल नहीं किया है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के इन कम्पनियों के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध होंगे। इन कम्पनियों के वार्षिक लेखे इस वार्षिक महासभा होने की तारीख तक किसी भी कार्य दिवस में आईएफसीआई के पंजीकृत कार्यालय तथा सम्बन्धित कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। कम्पनी प्रत्येक सहायक कम्पनी के सम्बन्ध में उनके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति कम्पनी के उस शेयरधारक को उपलब्ध कराएगी, जो इसकी मांग करेगा।

8) जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर भौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020 को अपना पंजीकृत फोलियो नम्बर बताते हुए शीघ्र सूचित करें। डी-मैट रूप में धारित शेयरों के सम्बन्ध में पते में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार को दी जानी अपेक्षित है।

9) जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को भेजें ताकि उनकी धारिता को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

10) लेखों अथवा परिचालनों के सम्बन्ध में सदस्यों को यदि कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी को शीघ्र, अधिमानतः **वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले** लिखें, ताकि प्रबन्धन सूचना तैयार रख सके।

11) एमसीए के दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पठित दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार एजीएम की सूचना इलैक्ट्रोनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपोजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त कोई अद्यतन, सूचना यदि कोई हो, कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर दी जाएगी।

12) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए के अनुसरण में, कम्पनी ने 31 मार्च, 1994 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक के लिए घोषित समग्र अदावाकृत लाभांश को अप्रदत लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरण) नियमावली, 1978 द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरित कर दिया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए में संशोधन होने तथा 205सी के जुड़ जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 1994-95 से 1998-99 के अदावाकृत लाभांश को निवशेक शिक्षा व संरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया गया है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के उपबन्धों के साथ पठित इस सम्बन्ध में अन्य लागू विधियों/नियमों/विनियमों के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अन्तरित कर दिया गया है।

13) वित्तीय वर्ष 2014-15 (अन्तरिम व अन्तिम) और 2015-16 (अन्तरिम) का लाभांश, जो इसके घोषित होने की तारीख से 30 दिन बाद अदावाकृत रहा, को आईएफसीआई लि. के अप्रदत्त लाभांश [2014-15 (अन्तरिम व अन्तिम)] और 2015-16 (अन्तरिम) खाते में अन्तरित कर दिया गया है। ऊपर निर्दिष्ट खातों में अन्तरण की तारीख से सात वर्ष के लिए अदावाकृत रहे लाभांश को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। इन वर्षों के लिए अप्रदत्त लाभांश राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अन्तरित करने की देय तारीखें इस प्रकार हैं:

वर्ष	देय तिथि
2014-15 (अन्तरिम)	30.03.2022
2014-15 (अन्तिम)	27.10.2022
2015-16 (अन्तरिम)	16.03.2023

14) जिन सदस्यों ने अभी तक लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है या जिन्हें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे आईएफसीआई को डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का अनुरोध करें। यह नोट किया जाए कि यदि अदावाकृत लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में एक बार अन्तरित कर दिया जाता है तो उसके सम्बन्ध में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। वर्ष 2014-15 (अन्तरिम) के लिए घोषित किए गए लाभांश के लिए जिन सदस्यों ने अभी तक अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं करवाया है या उन्हें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे समय रहते अर्थात् ऊपर दिए गए अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अन्तरण की देय तारीख से पूर्व कम्पनी/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट से सम्पर्क करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से ही अन्तरित की गई लाभांश राशि और इक्विटी शेयरों के लिए निवेशक आईईपीएफ की वेबसाइट www.iepf.gov.in. पर उपलब्ध आईईपीएफ-5 प्रपत्र में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

कम्पनी (प्रतिभूतियों का प्रविवरण तथा आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कम्पनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और उसके अधीन बनाए गए प्रयोज्य अन्य नियमों के अनुसार निजी धारण आधार पर असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों में अभिदान की पेशकश या आमंत्रण करने वाली किसी कम्पनी को एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपयुक्त उपबन्धों में भी यह व्यवस्था है कि वर्ष के दौरान ऐसे असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों के सभी निर्गमों, प्रस्तावों और आमंत्रणों के लिए वर्ष में एक बार विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। 22 दिसम्बर, 2020 को आयोजित 27वीं वार्षिक महासभा में कम्पनी के सदस्यों ने 22 दिसम्बर, 2020 अर्थात् शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख से आरम्भ होने वाले वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए से अनधिक राशि के लिए

निजी धारण आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गम का विशेष संकल्प के द्वारा अनुमोदन दिया था। लेकिन शेयरधारकों का उक्त अनुमोदन एक वर्ष, जो 21 दिसम्बर 2021 को समाप्त हो रहा है, तक की अवधि के लिए वैध है।

अगले उधार क्रियाकलापों, मौजूदा उधारों के मूलधन की पुन: अदायगी/समय-पूर्व अदायगी और/या सामान्य निगमित प्रयोजनों के लिए दीर्घकालीन संसाधन जुटाने के लिए सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है, इसके बाद उपर्युक्त सांविधिक उपबन्धों के अनुसार, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिभूत/अप्रतिभूत/असंपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के निजी धारण की मार्फत निधियां जुटाने के लिए इस वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

निदेशक बोर्ड ने इसकी बैठक दिनांक 10 अगस्त, 2021 में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्ताधीन, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कम्पनी के बॉन्ड/डिबैन्चरधारक हों या नहों, उन्हें निजी धारण के आधार पर एक या अधिक किस्तों (टैंचिस) में, 1000 करोड़ रुपए तक के भारत में और भारत से बाहर अप्रतिभूत/प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बान्डों/डिबैंचरों को अभिहस्तांकित करने के माध्यम से निधियों के जुटाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

अत: अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 42 और 71 के अधीन विशेष संकल्प के रूप में सदस्यों का अनुमोदन लिया जा रहा है ताकि कम्पनी समय-समय पर सदस्यों द्वारा यथानुमोदित, कम्पनी की समग्र उध ार सीमाओं के अन्तर्गत मद संख्या 4 के संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान एक या एकाधिक ट्रांचिस में निजी धारण आधार पर 1,000 करोड़ रुपए के बांडों और असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों, परंतु सीमित नहीं, सहित प्रतिभूतियों के लिए अभिदान का प्रस्ताव या आमंत्रण कर सके।

कम्पनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

पंजीकृत कार्यालय: **निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार**
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस **(प्रियंका शर्मा)**
नई दिल्ली-110019 कम्पनी सचिव
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन: 91-11-4173 2000
फैक्स: +91-11-2623 0201
वेबसाइट: www.ifciltd.com
ई-मेल: complianceofficer@ifciltd.com
दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36 के अन्तर्गत यथा-आदेशित नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

प्रो. एन बालाकृष्णन

प्रो. एन बालाकृष्णन ने 1972 में मद्रास विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रोनिक एण्ड कम्युनिकेशन में बी.ई. (आनर्स) तथा 1979 में भारतीय विज्ञान संस्थान से पीएचडी की थी। उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यग्रहण किया। वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर और सुपर कम्प्यूटर एड्यूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर में जुलाई, 2015 तक रहे। इसके बाद वे सुपर कम्प्यूटर एड्यूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, भारतीय विज्ञान संस्थान में मानद प्रोफेसर भी रहे। वह सितम्बर, 2005 से मार्च, 2014 तक भारतीय विज्ञान संस्थान में असोसिएट निदेशक, 1999-2005 के दौरान सूचना विज्ञान प्रभाग में अध्यक्ष, 1994-2001 के दौरान सुपर कम्प्यूटर एड्यूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर में अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं।

अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अन्तरराष्ट्रीय जर्नलों और अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में कई लेख प्रकाशित हुए जिसमें न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, हाई परफारमेंस कम्प्यूटिंग एण्ड नेटवर्क्स, पोलरीमैट्रिक्स राडार्स, एरोस्पेस इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम, इनफारमेशन सिक्युरिटी काम्प्लेक्स सोशल नेटवर्क्स एण्ड डिजिटल लाएब्रेरी शामिल है।

वह सीडीएसी परिषद, कांऊसिल ऑफ दि इण्डियन सेटेटीस्टिकल इन्स्ट्ीट्यूट, कोलकाता, ज्वाइंट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कारनेगी, मेलन यूनिवर्सटी, कतर तथा आईआईटी खडगपुर के गर्वनर बोर्ड तथा इन्टरनेशनल नॉलेज सेन्टर फार इंजीनियरिंग साईंसिस एण्ड टेक्नोलॉजी, बीजिंग, चीन की सलाहकारी समिति के सदस्य भी रहे हैं।

अतीत में वह नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजरी बोर्ड तथा आईआईटी, दिल्ली और आईआईटी, मद्रास के गवर्नर बोर्ड के सदस्य तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में निदेशक तथा सीडीओटी-अलकाटेल रिसर्च सेन्टर, चेन्नई के निदेशक भी रहे। वह भारत इलेक्ट्रोनिक लि. में निदेशक तथा टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथारिटी ऑफ इण्डिया में अंशकालिक सदस्य भी रहे।

आईएफसीआई के अतिरिक्त, प्रो. एन बालाकृष्णन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन संस्थान, केरल तथा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के बोर्ड में भी हैं। इससे पहले वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारी बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। वह भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि. (बीईएल) के बोर्ड में और भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण के अल्पकालिक सदस्य भी थे।

प्रो. एन. बालाकृष्णन आईएफसीआई लि. की निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्य भी हैं :

1. लेखा-परीक्षा समिति
2. नामांकन व पारिश्रमिक समिति
3. जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति
4. चूक करने वालों की समीक्षा समिति
5. कार्यकारी समिति
6. आईटी कार्य-नीति समिति

इसके अतिरिक्त प्रो. एन. बालाकृष्णन इक्विटाज स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. की निम्नलिखित बोर्ड स्तरीय समितियों के सदस्य भी है:

1. नामांकन व पारिश्रमिक समिति
2. जोखिम प्रबंधन समिति

प्रो. एन बालाकृष्णन 30 अक्तूबर, 2017 से कम्पनी के बोर्ड में हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सभी बोर्ड बैठकों में भाग लिया।

प्रो. बालाकृष्णन उक्त संकल्प से हितबद्ध हैं, क्योंकि यह उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में है। कम्पनी का अन्य कोई निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी कम्पनी के बोर्ड में प्रो. बालाकृष्णन की नियुक्ति में वित्तीय रूप से या अन्यथा किसी भी प्रकार से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं है। उनके पास आईएफसीआई लि. में कोई शेयरधारिता (बेनिफिशियल ओनरशिप सहित) नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कम्पनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी के बांड/डिबेंचर भी बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम भी बीएसई लिमिटेड तथा एनएसई दोनों में सूचीबद्ध है।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया है।

बैठक स्थल का मार्ग मानचित्र

एजीएम स्थल का मार्ग मानचित्र तथा प्रमुख लैंडमार्क और उपस्थिति पर्ची

देश में फैली कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, एमसीए ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 तथा परिपत्र संख्या 20/2020 द्वारा स्पष्ट किया है कि चालू परिदृश्य में सामाजिक दूरी बनाए रखना एक पूर्व-अपेक्षा है तथा दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को महासभाओं (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरणों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में कम्पनी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में वीसी/ओएवीएम की मार्फत एजीएम आयोजित कर रही है। एमसीए के दिशानिर्देशों को देखते हुए, बैठक वीसी/ओएवीएम की मार्फत आयोजित की जा रही है तथा सदस्यों की स्थल पर भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है तथा एजीएम की कार्रवाई स्थल पर की जाने वाली मानी जाएगी। अत: मार्ग मानचित्र तथा उपस्थिति पर्ची इस सूचना का भाग नहीं है।

बोर्ड की रिपोर्ट

सदस्यगण

आपकी कम्पनी (''आपकी कम्पनी'' या ''आईएफसीआई'') के निदेशक बोर्ड को आईएफसीआई लिमिटेड की 28वीं (अट्‌ठाइसवीं) वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय सारांश एवं कम्पनी के कार्यों का विवरण

इस वर्ष व पिछले वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सारांश निम्न प्रकार रहा :

(करोड़ रुपए)

विवरण	स्टेण्डअलोन		समेकित	
	2020-21	2019-20	**2020-21**	2019-20
कुल आय	**1,397**	2,264	**2,094**	2,906
घटाएं:				
क्षति हानि भत्ता, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन से पूर्व कुल व्यय	**1,243**	1,952	**1,803**	2,441
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	**2,272**	422	**2,305**	473
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	**29**	31	**72**	81
कुल व्यय	**3,544**	2,405	**4,181**	2,996
अपवादात्मक मदें	**–**	–	**(2)**	4
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	**(2,147)**	(141)	**(2,085)**	(94)
कर व्यय	**(189)**	137	**(173)**	129
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में हिस्से से पूर्व लाभ/(हानि)	**(1,958)**	(278)	**(1,912)**	(223)
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में हिस्सा	**–**	–	**–**	–
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(1,958)**	(278)	**(1,912)**	(223)
अन्य समग्र आय (कर घटा कर)	**22**	(40)	**416**	(116)
कुल समग्र आय	**(1,936)**	(318)	**(1,495)**	(339)
निवल लाभ/(हानि) के कारण -				
कम्पनी के मालिक	**लागू नहीं**	लागू नहीं	**(1,942)**	(230)
अनियंत्रित ब्याज	**लागू नहीं**	लागू नहीं	**30**	7
कुल समग्र आय के कारण -				
कम्पनी के मालिक	**लागू नहीं**	लागू नहीं	**(1,711)**	(311)
अनियंत्रित ब्याज	**लागू नहीं**	लागू नहीं	**216**	(29)
प्रति शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर बेसिक अर्जन	**(10.33)**	(1.64)	**(10.24)**	(1.36)
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर डाईल्यूटिड अर्जन	**(10.33)**	(1.64)	**(10.24)**	(1.36)

उपर्युक्त आंकड़ें यथा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 और लेखांकन मानकों के अनुपालन में, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार तैयार की गई वित्तीय विवरणियों से उद्धृत हैं। भारत सरकार, भारिबैंक या किसी अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए आवेदन मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों, जब भी उन्हें जारी किया जाएगा या लागू होंगे, तो उन्हें आपकी कम्पनी द्वारा लागू किया जाएगा।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समग्र आर्थिक परिदृश्य, विशेषकर क्रेडिट उठान में मंदी रही, इस कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र के अनुरूप आईएफसीआई के कार्य निष्पादन भी प्रभावित हुए।

वर्ष के दौरान कुछ ऋणों की समयपूर्व अदायगी और स्टेज-3 परीसम्पत्तियों मं वृद्धि और चालू वित्तीय वर्ष में उचित मुल्य परिवर्तनों पर निमल लाभ न होने के कारण ऋण परिसम्पत्तियों के कारण परिचालन आय में कमी हुई और चालू वर्ष के दौरान कुछ मामलों में स्टेज-3 आय को बट्‌टे खाते डाला गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के सामान्य रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

मंजूरियाँ, संवितरण और वसूली

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, व्यापक आर्थिक स्थिति और कोविड महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, आपकी कम्पनी ने सतर्क रुख अपनाया और कोई नया ऋण मंजूर नहीं किया। साथ ही, कम्पनी की नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरण बहुत कम रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 772 करोड़ रुपए के संवितरण की तुलना में 77 करोड़ रुपए था।

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा पोर्टफोलियो को स्थिर बनाए रखने और परिसम्पत्तियों को अलाभप्रद बनने से रोकने की दृष्टि से अनुचित दबाव से बचने के लिए भारिबैंक की कोविड सम्बन्धित विभिन्न राहत योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए।

आपकी कम्पनी ने निपटानों और पुनर्संरचना का कार्य सक्रिय रूप से किया, क्योंकि कोविड महामारी के कारण कानूनी तरीकों से वसूली में विलम्ब हुआ और लगभग 209 करोड़ रुपए की वसूली हुई। चूक करने के साथ कड़ी अनुवर्ती कार्यवाई करने से लगभग 162 करोड़ रुपए की वसूली हुई। जबकि एनसीएलटी मामलों से लगभग 72 करोड़ रुपए की वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डीआरटी, शासकीय परिसमापक, निवेशक परिवर्तन, सरफाइसी जैसे वसूली के अन्य माध्यमों से 520 करोड़ रुपए की समग्र वसूली में सहयोग मिला।

यद्यपि मौजूदा महामारी के कारण समग्र आर्थिक विकास और नकद प्रवाह निरन्तर कम रहने की उम्मीद है।

आपकी कम्पनी बहुआयामी समाधान माध्यमों और कार्य-नीतियों की मार्फत अलाभप्रद परिसम्पत्तियों और दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों के वसूली के लिए अपने आकरामक दृष्टिकोण जारी रखने के लिए निरन्तर प्रतिबद्ध है।

खजाना, निवेश और विदेशी मुद्रा परिचालन

आपकी कम्पनी तरलता प्रबंधन के अनुरूप अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने की दिशा में हर सम्भव प्रयास करते हुए सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध प्रलेखों में अधिशेष निधियों का निवेश करने में सतर्क रही है।

आपकी कम्पनी ने खजाना बिलों, सरकारी प्रतिभूतियों, निक्षेप प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्रों, अन्तर निगमित निक्षेपों/अल्पावधि जमा (एसटीडी), सावधि जमा/बांड और म्युचुअल फण्ड योजनाओं में निवेश किया है। वर्ष के दौरान औसत नियोजन 851.70 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह 546.97 करोड़ रुपए था और नियोजित निधि पर वार्षिक प्रतिफल 5.42 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, खजाना परिचालनों से प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा, क्योंकि परिसम्पत्ति देयता का विवेकपूर्ण प्रबन्धन करने के लिए सावधि जमा, लिक्विड म्युचुअल फंड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित पोर्टफोलियों में निधियों का निवेश किया गया। इसका उद्देश्य सुरक्षा और तरलता का सुनिश्चित करना था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष के 84.45 करोड़ रुपए की तुलना में निवेशों से 79.83 करोड़ रुपए की आय अर्जित की।

वैश्विक विकास में कमी और वर्ष के उत्तरार्ध में कोविड-19 के प्रभाव के कारण, अनिश्चितताओं से बाजार में विद्यमान कमजोर भावनाओं को देखते हुए आपकी कम्पनी ने धीमी गति से बढ़ने वाले/तरल शेयरों में विवेकपूर्ण चयनात्मक विनिवेश करने की नीति जारी रखी और ब्लू चिप स्टॉकों में निवेश से मुनाफा कमाया। 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी का निवल निवेश पोर्टफोलियो 4,294 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह 3,235 करोड़ रुपए था। विदेशी मुद्रा (एफसी) परिचालन, एफसी देनदारियों के भुगतान तक ही सीमित थे और एफसी परिसम्पत्तियों और देयताओं की बकाया राशि में असमानता होने के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम तक सीमित थे।

संसाधन जुटाना तथा उधार प्रोफाइल:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने डिबेंचरों के रूप में गैर-संपरिवर्तनीय बांडों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर 200 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी की बकाया मूलधन देयताएं 10,869.78 करोड़ रुपए थीं, जिसमें 10,459.95 करोड़ रुपए के रुपया उधार और 409.83 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा ऋण शामिल था। 31 मार्च, 2021 को वार्षिक और संचयी ब्याज सहित बकाया ब्याज देयता 1,061.12 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधारों का मोटे तौर पर   प्रलेख-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

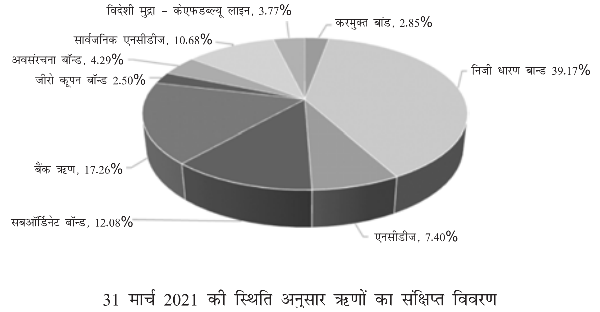

31 मार्च 2021 की स्थिति अनुसार ऋणों का संक्षिप्त विवरण

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण - कम्पनी के परिचालनों में कोई विनिर्माण अथवा प्रोसैसिंग क्रियाकलाप शामिल नहीं है। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है, जिसके लिए कम्पनी को बिजली की सामान्य खपत की आवश्यकता होती है। तद्नुसार इस पर कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के उपबन्ध लागू नहीं होते।

प्रौद्योगिकी समावेशन - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, मौजूदा साफ्टवेयर एप्लीकेशनों को परिवर्धित/अतिरिक्त विशेषताओं से अद्यतन किया गया था। नए माड्यूलों को विभिन्न प्रकार्यों के लिए आंतरिक रूप से विकसित किया गया। आपकी कम्पनी ने समुचित डेटा बैकअप रखे हुए हैं और डेटा एवं व्यावसायिक सूचना प्रणाली की सुरक्षा करने हेतु डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा/वेबेक्स बैठक व्यवस्था भी स्ट्रीमलाइन्ड वीडियो कम्युनिकेशन को उपलब्ध कराने और लाइव कन्टेन्ट को साझा करने के लिए संवर्धित की गई है।

आपकी कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली कर्मचारियों को महामारी के दौरान घर से काम करने और कोलेबारेशन टूल्स का उपयोग करते हुए नियमित बैठकों में भाग लेने और उनका संचालन करने की सुविधा के लिए समर्थ बनाती है। आपकी कम्पनी शेयरधारकों को वेबेक्स की मार्फत ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है।

विदेशी मुद्रा अर्जन

विदेशी मुद्रा व्यय तथा अर्जन से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
विदेशी मुद्राओं में व्यय:		
उधारों पर ब्याज	3.43	3.32
अन्य मामले	0.00	0.00
जोड़	3.43	3.32
विदेशी मुद्राओं में आय:		
विदेशी मुद्रा में आय	**शून्य**	शून्य

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कम्पनी में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धान्तों के अनुसरण में, कम्पनी से बाहर के प्रयोजनों से वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गई नीतियों और कार्यपद्धति मैनुअलों के माध्यम से वित्तीय रिपोर्ट देने के लिए एक सुदृढ़ आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था है। शुरुआती वर्षों में बनाया और लागू किया गया आरम्भिक स्तर का नियंत्रण ढांचा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बारम्बार समानान्तर आन्तरिक लेखा-परीक्षा सहित आपकी कम्पनी के अत्यन्त अनुभवी लेखा-परीक्षा दल के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में नमूना परिक्षण के अध्याधीन था। कुछेक आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित मुद्दे थे, जो इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, जिनका समाधान समीक्षाधीन अवधि के बाद कर लिया गया और सुधारात्मक कार्यवाहियां की गईं। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की कार्यात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में संतुष्टि के आधार पर, निदेशक बोर्ड को विश्वास है कि कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

सतर्कता

आपकी कम्पनी में एक निष्ठावान सतर्कता विभाग है, जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, जिनकी नियुक्ति वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2020 में की गई थी। प्रधान कार्यालय का सतर्कता विभाग आईएफसीआई, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कम्पनियों के समग्र सतर्कता मामलों का ध्यान रखता है। विभाग के समग्र कार्य को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जैसे निवारक सतर्कता, दण्डात्मक सतर्कता और निगरानी व जांच।

निवारक सतर्कता को पर्याप्त महत्व देते हुए विभाग समय-समय पर सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है। ये अधिकारी ऐसे दौरों/निरीक्षणों की रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं। यदि इनमें कोई अनियमितताएं/चूक पाई जाती है तो सुधारात्मक उपाय शुरू करने या मामले के स्वरूप के अनुसार प्रणालीगत सुधार या दण्डात्मक कार्रवाई आदि करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए क्षेत्रीय प्रभारियों तथा प्रधान कार्यालय के सम्बन्धित विभागों के साथ इसे साझा किया जाता है। सतर्कता विभाग जांच के निष्कर्षों के अनुसार प्रणालीगत सुधार के लिए प्रबन्धन को संवेदनशील बनाता है और अगली कार्रवाई भी शुरू करता है। सतर्कता विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले पर निर्णय लेने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई को पूरा करना सुनिश्चित करता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न शिकायतों और संदर्भित अन्य मामलों की जांच करता है।

सतर्कता विभाग ने विभिन्न संवेदनशील मामलों में बैठकें आयोजित करके संचार के उपयुक्त साधनों के माध्यम से प्रधान कार्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों को भी संवेदनशील बनाया है। आईएफसीआई लि. सतर्कता विभाग की सहायता से सतर्कता मामलों, गैर सतर्कता मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित करता है। सतर्कता विभाग प्रशिक्षण, सतर्कता जागरूकता सप्ताह आदि के माध्यम से नैतिक प्रथाओं और संवेदीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रधान कार्यालय में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें महाप्रबन्धक और उप महाप्रबन्धक हैं, जो अलाभप्रद परिसम्पत्ति मामलों, धोखाधड़ी के मामलों और प्राप्त शिकायतों की जांच करती है और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा ऐसे सभी मामलों को आन्तरिक सलाहकारी समिति (आईएसी) को भेजती है। 2020-21 के दौरान सतर्कता विभाग ने आईएफसीआई लि. के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए आचार प्रणाली/सतर्कता मामलों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक आचरण पर ऑनलाइन कार्यशाला/प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

आईएफसीआई में एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है और उक्त समिति के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार हैं :

1. सुश्री वीनू कक्कड़-बाह्य सदस्य
2. सुश्री सी सैंति, महाप्रबंधक
3. महाप्रबंधक (मानव संसाधन) - पीठासीन अधिकारी
4. सुश्री तृणा तेजस्विनी, उप-महाप्रबंधक (विधि)
5. श्री राहुल अग्रवाल, उप महाप्रबंधक

उपर्युक्त में से किसी भी आन्तरिक सदस्य की अनुपस्थिति में सुश्री छवि सिंघल, उप महाप्रबंधक वैकल्पिक सदस्य होंगी। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	1
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1 (5 अप्रैल, 2021 को इसका निपटान कर दिया गया।)
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	3
नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013 के अधीन आन्तरिक समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने शिकायतों का निपटान कर दिया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईएफसीआई के सम्बन्ध में आईएफसीआई की एक सहायक कम्पनी के द्वारा भेजी गई एक शिकायत का भी निपटान कर दिया गया।

प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

1. उद्योग संरचना एवं विकास

भारतीय अर्थव्यवस्था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में संकुचित हो गई थी, में वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में उछाल आया और वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी और चौथी छमाही में क्रमश: 0.5 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में 22.4 प्रतिशत के भारी संकुचन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (-)7.3 प्रतिशत कम हो गई। अर्थव्यवस्था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में धीरे-धीरे वृद्धि होनी शुरू हुई थी, में महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल और मई 2021 में पुन: औद्योगिक क्रियाकलापों में कमी आई। सरकारी खपत और निवल निर्यात ने भी अर्थव्यवस्था को और नीचे जाने से रोक दिया।

मई 2021 में जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैंक) के मासिक बुलेटिन के अनुसार 31 जनवरी, 2021 तक भारिबैंक के पास 9,507 एनबीएफसीज पंजीकृत थे। कम्पनियों की संख्या के वितरण के अनुसरण में, 500 करोड़ से कम की परिसम्पत्ति आकार वाली नॉन सिस्टमीकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपोजिट टेकिंग एनबीएफसीज का एक प्रमुख हिस्सा है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की परिसम्पत्ति आकार वाली नॉन डिपोजिट टेकिंग एनबीएफसीज को सिस्टमीकली इम्पोर्टेंट (एनबीएफसीज-एनडी-एसआई) माना जाता है। कुल परिसम्पत्तियों के संदर्भ में एनबीएफसीज-एनडी-एसआई का इस क्षेत्र में हिस्सा मार्च 2020 के अंत में 83 प्रतिशत था।

मासिक बुलेटिन के अनुसार भारती की एनबीएफसीज कोविड-19 महामारी के कारण आई रूकावटों से वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही में धीमी गति से आगे बढ़ी और मांग कम रही परन्तु इसने ऋण लेना जारी रखा। महामारी के घने दौर से गुजरना इस क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।

2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 के तत्काल बाद एनबीएफसीज की लाभप्रदत: में कमी आई क्योंकि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कारोबार को आर्थिक हानियां हुई। 2020-21 की पहली तिमाही में परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) दोनो में 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में कमी आई। लेकिन 2020-21 की दूसरी तिमाही में इस स्थिति में मामूली सुधार हुआ क्योंकि एनबीएफसीज के व्यय में आय की तुलना में भारी गिरावट दर्ज हुई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में तीसरी तिमाही तक एनबीएफसीज की परिसम्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार देखा गया, फिर भी इस क्षेत्र में अलाभकारी परिसम्पत्ति की वास्तविक सीमा का अनुमान आगामी तिमाहियों में ही लगाया जा सकता है, क्योंकि मार्च, 2021 में परिसम्पत्ति वर्गीकरण स्थिरता पर उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश को हटा लिया गया था। कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर के दौरान जहां एनबीएफसी क्षेत्र निरंतर विकास करता रहा, वहीं दूसरी लहर का असर भविष्य में ही दिखेगा।

2. अवसर व चुनौतियां

01 फरवरी, 2021 को पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री राष्ट्रीय विनिर्माण चैम्पियन बनाने और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 13 प्रमुख क्षेत्रों हेतु उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की। ये विशेष रूप से उभरते और कार्य नीतिगत क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयातों पर अंकुश लगाने और आयात बिलों में कमी लाने, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्द्धा में सुधार लाने और घरेलू क्षमता एवं निर्यातों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं।

आईएफसीआई को निम्नलिखित पीएलआई योजनाओं के अधीन नोडल एजेंसी/परियोजना प्रबन्धन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है:

क्र.सं.	पीएलआई योजना के विवरण
1.	इलैक्ट्रॉनिक संघटक एवं सेमीकन्डक्टर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)
2.	बड़े पैमाने पर इलैक्ट्रॉनिक उत्पादन (पीएलआई-एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)
3.	क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटिरियल्स (केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडियेट्स (डीआईएस)/एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रिडिएन्टस (एपीआई) के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-बल्क ड्रग्स)
4.	चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई (पीएलआई-एमडी)
5.	बल्क ड्रग्स पार्को को बढ़ावा देने की योजना
6.	चिकित्सा यंत्रों पार्को को बढ़ावा देने की योजना
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई)
8.	सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए पीएलआई (पीएलआई-आईटीएचडब्ल्यूजी)
9.	वाइट गुड्स के लिए पीएलआई (पीएलआई-डब्ल्यूजी)

अपने अस्तित्व में आने के बाद आपकी कम्पनी ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय सहायता को प्रणाली बनाई है और अवस्थापना, भू-सम्पदा, विनिर्माण, सेवाओं और एनबीएफसी क्षेत्रों में एक सुविशाखित पोर्टफोलियो का निर्माण किया है। भारत सरकार आपकी कम्पनी की प्रर्वतक है और सबसे बड़ी इक्विटी शेयरधारक है और यह अपने स्टेकहोल्डर्स को पर्याप्त सुविधा और आत्मविश्वास प्रदान करती है। भारत सरकार ने इक्विटी भागीदारी की मार्फत आपकी कम्पनी में निरंतर निधियां डाली हैं।

आपकी कम्पनी उच्च अलाभकारी परिसम्पत्ति, दबाव ग्रस्त पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर परिणामी दबाव एवं क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के साथ संघर्ष कर रही है। आपकी कम्पनी का तात्कालीन उद्देश्य आक्रामक वसूली प्रयासों की मार्फत अलाभकारी परिसम्पत्तियों के स्तर में कमी लाना और परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार करना है। आपकी कम्पनी दिवालिया और शोधन क्षमता संहिता, 2016 के अधीन समयबद्ध और कुशल समाधान प्रक्रिया पर विचार करते हुए अलाभकारी खतों के त्वरित समाधान के प्रति भी आशावादी है।

3. खण्ड-वार या उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

आपकी कम्पनी का मुख्य कार्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और सह एकल खण्ड रिपोर्टिंग ढांचे के अन्तर्गत कार्य करती है।

4. दृष्टिकोण

31 मई, 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अन्तिम अनुमान में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संकुचन (-) 7.3 प्रतिशत और वर्ष दर वर्ष आधार पर चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 1.6 प्रतिशत दर्शाई गई। यह संकुचन कोविड-19 महामारी के कठिन प्रभाव के कारण था। यद्यपि मार्च, 2020 के बाद की आगामी तिमाहियों में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों से तीव्र गति से उच्च विकास की संभावनाएं काफी आशाजनक हैं। आगे चलकर, निरन्तर आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुदृढ़ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होने की उम्मीद है। कुछ समय पहले तक लोगों के बाहर निकलने और खर्च करने में अधिक आत्मविश्वास के प्रदर्शन से आर्थिक क्रियाकलाप स्थिर गति पकड़ रहे थे। तथापि, दूसरी लहर ने औद्योगिक और शहरी क्षेत्र के विकास की गति को धीमा कर दिया है। ग्रामीण मांग निरन्तर मजबूत बनी हुई है और आशा है कि सामान्य मानसून की भविष्यवाणी आगे चलकर इस स्थिरता के लिए अच्छी रहेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वृद्धि हालांकि नकारात्मक जोखिम पैदा करती है। दूसरी लहर से शहरी मांग में कमी आई है, लेकिन उपयुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कारोबारों द्वारा नए कोविड संगत व्यावसायिक मॉडल को अपनाने से आर्थिक क्रियाकलापों, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों, जो सम्पर्क गहन नहीं हैं, पर असर पड़ सकता है।

भारत सरकार के राहत उपायों में समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ देना शामिल है, ऋण और गारंटी विस्तार, भारिबैंक के उदार तरलता उपायों, लेकिन ऋण स्थगन तक सीमित नहीं, से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र दोनों की वसूली में प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रभाव पड़ा है।

5. जोखिम और चिन्ताएं

जोखिम आपकी कम्पनी सहित किसी भी वित्तीय संस्थान के कारोबार का अभिन्न अंग है, जो इसे ऐसे क्रेडिट जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाता है जो उस समय उत्पन्न होते हैं जब कोई ऋणी चालू ऋण की अदायगी के लिए भावी नकद प्रवाह की आशा कर रहा हो। क्रेडिट जोखिम का प्रभावी प्रबंधन व्यापक जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण संघटक है और किसी वित्तीय संस्थान की दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य पैरामीटरों में ही क्रेडिट जोखिम स्तर बनाए रखते हुए वित्तीय संस्थान की जोखिम समायोजित आय दर में अधिकतम वृद्धि करना है। इन जोखिमों को दूर करने के लिए आपकी कम्पनी ने समेकित जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) बनाई है जो क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिमों को दूर करती है और व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे के रूप में परिसम्पत्ति-दायित्व प्रबंधन इसके कारोबारी मॉडल का एक अभिन्न अंग है।

आईएफसीआई में जोखिम प्रबन्धन दृष्टिकोण विवरण और गुणात्मक जोखिम एपिटाइट विवरण भी बनाए गए हैं। गुणात्मक जोखिम एपिटाइट विवरणों में निर्दिष्ट मानदण्डों की आवधिक रूप से जांच की जाती है।

कार्यपालकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबन्धन समिति (आरएएलएमसीई) गतिशील तरलता स्थिति का विश्लेषण करती है। मौजूदा नियामक निर्धारणों के आधार पर संरचनात्मक तरलता अंतरालों और ब्याज दर संवेदी स्थितियों की आवधिक रूप से जांच की जाती है। परिचालनात्मक जोखिमों के प्रबन्धन के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण और प्रणाली नियंत्रण हैं, जिसे आन्तरिक लेखा-परीक्षा, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों, रिमोट बैक अप ऑफ डेटा, आपदा प्रबन्धन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, आपकी कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा आपकी कम्पनी को बंधक रखी गई परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष सुरक्षा और उपयुक्त बीमा आदि से सहयोग और समर्थन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सीआरएआर लाभप्रदता और तरलता पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए ऋण पोर्टफोलियो के दबाव की जांच करने और तरलता स्थिति के मूल्यांकन करने की भी कार्य प्रणाली है।

उद्योग की सर्वोत्तम कार्य-विधियों के अनुरूप तथा समुचित केडिट मूल्यांकन एवं अनुवर्तन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आपकी कम्पनी सभी मानक जोखिमों की क्रेडिट लेखा-परीक्षा और मामलों का अनुवर्तन करती है, जो परिसम्पत्ति गुणवत्ता सुधार के निरंतर प्रयास से पोर्टफोलियो की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए एक साधन के रूप में करती है। मौजूदा प्रणालियों को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न जोखिम प्रबन्धन प्रक्रियाओं के लिए मानक परिचालन पद्धतियां भी हैं।

वित्तीय बाजारों के निरंतर उदारीकरण, अविनियमन और वैश्विक समेकन के कारण बैंकों और एनबीएफसीज़ के द्वारा झेले जा रहे जोखिम में नए आयामों के जुड़ने के कारण जोखिम प्रबंधन के द्वारा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की संभावनाएं हैं। विभिन्न जोखिमों की श्रेणियों के बीच आपसी सह-संबंध और जुड़ाव तथा नए प्रकार के जोखिमों के सामने आने से जोखिमों के अधिक सक्रिय और कुशल प्रबंधनों की जरूरत पड़ेगी व इसी से वित्तीय संस्थाओं की सामर्थ्य और लचीलेपन की पहचान होगी। आपकी कम्पनी अपने ऋण पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले किसी भी विपरीत असर से निपटने के लिए पोर्टफोलियो के मंजूरी पश्चात् अनुवर्तन, ऋण जोखिम मानकों को सुदृढ़

बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रीत विभिन्न प्रयासों पर लगातार काम करती रहेगी। आपकी कम्पनी संगठन के भीतर जोखिम प्रबंधन और जागरूकता की एक सुदृढ़ संस्कृति को विकसित करने का प्रयास भी करती रहेगी।

6. आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां और आन्तरिक लेखा-परिक्षा

आपकी कम्पनी में इसके कारोबार और उससे जुड़े परिचालनों के आकार, विस्तार और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां है। इन आन्तरिक प्रणालियों का सत्यापन आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा नियमित आधार पर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से आन्तरिक लेखा-परीक्षा का कार्य अनुभवी कार्मिक दल द्वारा आन्तरिक रूप से किया जा रहा है। ऐसी लेखा-परीक्षणों की आवधिकता लेखा निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित दायरे के आधार पर लेन-देनों की जटिलता और महत्त्व के अनुसार तिमाही से वार्षिक आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखा-परीक्षा के अनुरूप आवधिकता से आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने का कार्य भी आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। आन्तरिक लेखा-परीक्षा विभाग के टिप्पणियों के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा निवारक उपाय किए जाते हैं, जिससे नियंत्रण प्रणालियां मजबूत बनती हैं।

आपकी कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप 01 अप्रैल, 2022 से आरम्भ की गई जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा अपनाने का भी कार्य कर रही है।

7. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण विकास

आईएफसीआई की मानव संसाधन नीतियों और पद्धतियों का मुख्य केंन्द्र अपने मानव संसाधन समूह का विकास करना है। संस्थान के निरंतर कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारक होते है। अत: आपकी कम्पनी एक ऐसी संगठनात्मक संस्कृति का सृजन करने पर बल देती है जिससे अपने कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास करके उनसे लाभान्वित हो सके। वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण सुरक्षा में कोई समझौता किए बिना कर्मचारियों की उत्पादकता सूनिश्चत करने के लिए विशेष मानव संसाधन उपाय करने अपेक्षित थे। इसलिए कार्यालय के कार्य घंटों में 'घर से काम करना', तीव्रगति वाले सूचना प्रौद्योगिकी सहायता, उत्पादकता अनुवर्तन प्रणालियां, चिकित्सा सलाहकारी सुविधाओं, कोविड आइसोलेशन केन्द्र, सेनेटाइजेशन उपाय, कोविड के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कर्मचारी सेनेटाइजेशन आदि जैसे व्यवस्था की गई। कर्मचारियों के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण व विकास के हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाया गया। तदनुसार, कर्मचारियों को अग्रणी संस्थानों/एजेन्सियों द्वारा आयोजित वर्चुअल/ऑनलाइन प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया। कर्मचारियों को उद्योग द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, वेबिनार्स, चर्चा मंचों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया ताकि उन्हें नवीनतम विकास कार्यों के प्रति जागरूक बनाने लिए मंच प्रदान किया जा सके और वे नए व्यावसायिक अवसरों को भी तलाश सकें। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कम्पनी अपने लगभग 90% कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण/सम्मेलनों/सेमिनारों आदि में भेज चुकी है। कुल मिलाकर, कार्यात्मक और व्यावहारिक प्रकृति के विषयों को शामिल करने वाली, आंतरिक प्रशिक्षण/कार्यशालाओं और बाहरी प्रशिक्षणों में 255 नामांकन भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी अपने कर्मचारियों के विकास के लिए उन्हें विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तैयार करती है।

आपकी कम्पनी अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर निरन्तर ध्यान देती है, कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए नए अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है। आपकी कम्पनी एक सुस्थापित प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान में भी तत्परता दर्शाती है। आपकी कम्पनी ने इस अवधि के दौरान प्राप्त कर्मचारियों के विभिन्न मामलों को सुलझाया है। 31 मार्च, 2021 को आपके कम्पनी के स्थाई कर्मचारियों की संख्या 195 थी। आपकी कम्पनी नए सलाहकारी दत्त कार्य आरम्भ करने के बावजूद मानव संसाधन की संख्या में कमी करके भी अपने परिचालन कार्य करने में समर्थ रही।

कमजोर वर्गों को आरक्षण

भारत सरकार द्वारा जारी की गई समय-समय पर लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों आदि जैसी कुछ श्रेणियों के उत्थान से सम्बन्धित नीतियों का आपकी कम्पनी द्वारा अनुसरण किया जाता है। इन श्रेणियों को आरक्षण/छूट से सम्बन्धित मार्गनिर्देशों का पालन भारत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पदोन्नति आदि जैसे विभिन्न कार्यों में ऐसी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी में कुल 195 कर्मचारी थे, जिसमें से 25 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों, 17 अनुसूचित जातियों और 01 अनुसूचित जनजाति के थे।

01 जनवरी, 2021 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी निम्नानुसार है:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा	अ. ज. जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	-	-	-	-							-	-				
4	डी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/ संविदा पर	8		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

01 जनवरी, 2021 को विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ.जा.	अ. ज. जा.	जोड़	अ.जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	26	2	-	2							-	-				
4	डी	35	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	70	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	50	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	9	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/संविदा पर	10		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**206**	**18**	**1**	**26**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2020 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2020 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2020 (अर्थात् 01.01.2020 से 30.12.2020) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																				
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां								
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी:
(i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

8. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2020	टिप्पणी	महत्वपूर्ण परिवर्तन*
ब्याज कवरेज अनुपात	–0.92	0.90	ब्याज और करों से पूर्व आय/ कुल ब्याज व्यय (कर-पूर्व लाभ + वित्त लागत)/वित्त लागत	जी हाँ (>25%)
चालू अनुपात	0.81	1.23	चालू परिसम्पत्ति/चालू देयता	जी हाँ (>25%)
ऋण इक्विटी अनुपात	4.58	3.00	कुल उधार/निवल मूल्य	जी हाँ (>25%)
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	8.91%	12.41%	परिचालन लाभ /कुल राजस्व (कर-पूर्व लाभ + क्षति)/ कुल राजस्व	जी हाँ (>25%)
निवल लाभ मार्जिन(%)	-138.57%	-14.02%	कुल समग्र आय/कुल राजस्व	जी हाँ (>25%)
निवल मूल्य पर प्रतिफल	-59.74%	-7.62	कुल समग्र आय/औसत निवल मूल्य	जी हाँ (>25%)

* स्पष्टीकरण: अनुपातों में परिवर्तन का कारण परिचालन आय में कमी होना है, जिस पर ऋणों की समय-पूर्व अदायगी, मानक ऋणों में कमी और स्टेज 3 आय के रिवर्सल कारण असर पड़ा। इसके अतिरिक्त, चूंकि कम्पनी पर डेटर टर्नओवर अनुपात या इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात लागू नहीं होते हैं, अत: इसे उक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया।

9. निगमित सामाजिक दायित्व

निदेशकों की निगमित सामाजिक दायित्व समिति, सीएसआर नीति बनाती है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 में यथानिर्दिष्ट कम्पनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की निदेशक बोर्ड को सिफारिश करती है। किसी वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के दृष्टिकोण के अनुसार इन क्रियाकलापों पर खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करती है और निहित प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए निधियां अलग से रखती है। आईएफसीआई तथा इसकी सहायक व सहयोगी कम्पनियों के निगमित सामाजिक क्रियाकलापों को सहयोजित करने के लिए ''आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन'' नामक एक न्यास भी बनाया गया है। सीएसआर क्रियाकलापों में निवेश परियोजना आधारित होता है और प्रत्येक परियोजना के लिए आरम्भ में ही समय-सीमा, आवधिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व नीति के विषय-वस्तु का प्रकटन अनुबन्ध-I के रूप में संलग्न है। कम्पनी की मौजूदा सीएसआर नीति कम्पनी की वेबसाइट http://www.ifciltd.com/?q=content/our-csr-policy पर भी उपलब्ध है।

सचेतक विवरण

प्रबन्धन विचार-विमर्श और विश्लेषण में कम्पनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्रत्याशाओं के बारे में किए गए कथन प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अभिप्राय से 'भविष्योन्मुखी' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित परिणामों से किसी हद तक भिन्न हो सकते हैं।

वर्ष के दौरान नियुक्त और त्यागपत्र देने वाले निदेशकों व प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान और इस बोर्ड रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक निदेशकों और प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

क) डा. ईमांदी संकरा राव (डीआईएन: 05184747), प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी निदेशक अपना कार्यकाल पूर्ण करने पर 17 अगस्त, 2020 से कम्पनी के बोर्ड में नहीं रहे।

ख) श्री सुनील कुमार बंसल (डीआईएन: 06922373) को 4 जून, 2020 से उप प्रबन्ध निदेशक के रूप में पदनामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

ग) श्री एमएमएल वर्मा (डीआईएन: 07610648) को 31 जुलाई, 2020 से आपकी कम्पनी के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

घ) श्री आनन्द मधुकर (डीआईएन: 08563286), भारत सरकार द्वारा नामांकन वापस लेने पर 15 दिसम्बर, 2020 से कम्पनी के बोर्ड में नहीं रहे।

ड.) भारत सरकार ने सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (डीआईएन: 07724555) को आपकी कम्पनी के निदेशक बोर्ड में नामित किया। तद्नुसार उन्हें 5 जनवरी, 2021 से गैर कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

च) प्रो. एन बालाकृष्णन (डीआईएन: 00181842) आगामी वार्षिक महासभा के समापन पर रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो जाएंगे और पात्र होने पर उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

छ) श्री मनोज मित्तल (डीआईएन: 01400076) को 12 जून, 2021 से आपकी कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

ज) सुश्री रूपा देब, कम्पनी सचिव द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2021 से कम्पनी की सेवा में न रहने के परिणामस्वरूप, सुश्री प्रियंका शर्मा को निदेशक बोर्ड की दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को हुई बैठक में दिनांक 16 सितम्बर, 2021 से कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बोर्ड ने 16 सितम्बर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में सुश्री झुम्मी मंत्री के स्थान पर श्री प्रसून, मुख्य महाप्रबंधक को 16 सितम्बर, 2021 से मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में भी नियुक्त किया गया।

निगमित शासन प्रणाली व अनुपालन

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन यथानिर्धारित, निगमित शासन प्रणाली पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। निगमित शासन प्रणाली में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं/प्रलेखों को दी गई क्रेडिट रेटिंग इस रिपोर्ट के भाग के रूप में निगमित शासन प्रणाली रिपोर्ट में दी गई है।

ख) निदेशक बोर्ड और लेखा-परीक्षा समिति के बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दी गई निगमित शासन प्रणाली रिपोर्ट में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कोई और घटना नहीं हुई।

ग) गठन के विवरण इस रिपोर्ट के भाग के रूप में निगमित शासन प्रणाली रिपोर्ट में अलग से दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था, बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार न किया हो।

घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी की वेबसाईट पर विभिन्न नीतियां/प्रलेख/विवरण डालने अपेक्षित है। कम्पनी की कार्यात्मक वेबसाइट www.ifciltd.com है और सभी अपेक्षित सूचनाएं इसमें अपलोड की जाती हैं।

ङ) 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी की बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

च) सूचीकरण विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित कारोबार दायित्व रिपोर्ट बनाई गई है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इस रिपोर्ट में आपकी कम्पनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रणाली से सम्बन्धित प्रयासों को दर्शाया गया है।

छ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान न तो सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा और न ही सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टों में किसी धोखाधड़ी की सूचना दी गई है।

ज) कम्पनी भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संबन्धित विभागों द्वारा सभी विवरणियां/आंकड़ें/विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य प्राधिकरणों को भेजी गई है।

अन्य प्रकटन:

क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हुई हानि के कारण इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई। सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी ने एक लाभांश वितरण नीति बनाई है जो आपकी कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसी कोई कम्पनी नहीं थी, जो आईएफसीआई की सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी या बन्द हो गई। 31 मार्च, 2021 को कम्पनी की दो महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनियां अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. और आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट लि. थी। महत्त्वपूर्ण सहायक कम्पनी निर्धारण करने की नीति कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के कार्यों और वित्तीय स्थिति के विवरण **एओसी-1 प्रपत्र** से देखे जा सकते है, जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य वाले 20 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया। इक्विटी शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता कम्पनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 56.42 प्रतिशत से बढ़कर 61.02 प्रतिशत हो गई (21 मई, 2020 को)।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार ने कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 200 करोड़ रुपए दिए। तद्नुसार 23 अप्रैल, 2021 को भारत सरकार को 14,59,85,401 इक्विटी शेयरों का आबंटन किया गया। इस आबंटन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की शेयरधारिता कम्पनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 63.81 प्रतिशत हो गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कम्पनी की ऋण संरचना में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

वर्ष के आरम्भ में प्रतिभूतियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान मोचित	वर्ष के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल संख्या
420,32,82,418	2,000	38,05,379	419,94,79,039

घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कम्पनी ने आईईपीएफ में 11,55,340 इक्विटी शेयर अन्तरित किए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अदावाकृत लाभांश के सम्बन्ध में 2,44,75,504 रुपए की राशि भी आईईपीएफ में अन्तरित की गई इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आपकी कम्पनी ने 978386 इक्विटी शेयर भी आईईपीएफ में अन्तरित किए और बोर्ड की रिपोर्ट की स्थिति अनुसार और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अदावाकृत लाभांश से सम्बन्धित 2,28,92,262 रुपए की राशि भी आईईपीएफ में अन्तरित की गई। शेयरधारक, जिनका अदावाकृत लाभांश/शेयर आईईपीएफ में अन्तरित किए गए हैं, वे प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करके इसके लिए दावा कर सकते हैं। यह प्रपत्र www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

ङ) चूंकि कम्पनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कम्पनी होने के नाते मुख्य रूप से कम्पनियों के वित्तपोषण का कार्य करती है, अत: कम्पनी पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(उप धारा (1) के सिवाय) के उपबन्ध लागू नहीं होते।

च) आपकी कम्पनी नॉन डिपाजिट टेकिंग एनबीएफसी है, अत: वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप जुटाया नहीं गया।

छ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियामक या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण या ठोस आदेश पारित नहीं किया गया, जिससे कम्पनी की चालू संस्था स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता हो। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कम्पनी के कारोबार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस वर्ष में कोई महत्वपूर्ण या प्रतिबद्धताएं नहीं थीं, जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि में इसकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ता हो।

ज) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रकटन अपेक्षाओं से छूट मिली हुई है, अत: ऐसे विवरणों को बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कम्पनी के किसी भी निदेशक को आपकी कम्पनी, जिनके बोर्डों में वे आपकी कम्पनी के नामितों के रूप में निदेशक थे, की किसी भी सहायक कम्पनी से किसी कमीशन की अदायगी नहीं की गई।

झ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (प्रयोज्य सीमा तक) तथा सूचीकरण विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी ने नामांकन व पारिश्रमिक समिति बनाई है, तथापि निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ संख्या 1/2/2014-सीएल.V के द्वारा सरकारी कम्पनियों को मिली छूट के अनुसरण में इस नीति को बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया।

ञ) कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी की वार्षिक विवरणी कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर भी उपलब्ध है।

ट) वर्ष के दौरान किए गए सभी सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार सामान्य कारोबार के दौरान आर्म्स लैंथ आधार पर किए गए। आपकी कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार अर्थात् पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10 प्रतिशत से अधिक के संव्यवहार, नहीं किए गए। तद्नुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एच) के अधीन सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का एओसी-2 प्रपत्र में प्रकटन लागू नहीं होता, अत: यह बोर्ड रिपोर्ट का भाग नहीं है।

ठ) बोर्ड, इसकी समितियों और अलग-अलग निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड द्वारा किया गया। चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, अत: स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी को पत्र भेजे गए और नियुक्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

ड) आपकी कम्पनी द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर न्यासियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क विवरण
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड	दि रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर वेस्ट मुंबई-400 028 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.com वेबसाइट : www.axistrustee.com
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर कमानी मार्ग, बेल्लार्ड इस्टेट, मुंबई-400 001 ई-मेल : itsl@idbitrustee.com वेबसाइट : www.idbitrustee.in
सेन्टबैंक फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड	तृतीय तल, (ईस्ट विंग), सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमओ बिल्डिंग, 55 एमजी रोड, मुंबई-400 001 ई-मेल : info@cfsl.in वेबसाइट : www. cfsl.in

लेखा-परीक्षक

भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा मैसर्स एम के अग्रवाल एंड कम्पनी (डीई0500) (फर्म पंजीकरण संख्या 001411एन) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सीएंडएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी कम्पनी अधि नियम, 2013 की धारा 148 की अपेक्षा के अनुसार लागत लेखा-परीक्षक की नियुक्ति की अपेक्षा कम्पनी पर लागू नहीं होती।

सचिवीय लेखा-परीक्षक की अर्हताएं, आरक्षण या उनके द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी या डिस्कलेमर

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा कम्पनी के स्टेण्डअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को अर्हक नहीं बनाया गया। तथापि, सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने कतिपय 'इम्फेसिस ऑफ मैटर' बताए हैं। टेण्डअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर पूरी लेखा-परीक्षक रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सचिवीय लेखा-परीक्षक की अर्हताएं, आरक्षण या उनके द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी या डिस्कलेमर

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मैसर्स अग्रवाल एस एण्ड एसोसिएट्स को कम्पनी के सचिवीय लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों और प्रबन्धन द्वारा उनका उत्तर नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सचिवीय लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
क.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के द्वितीय परन्तुक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(क) का अनुपालन न करना, कम्पनी को 01 अप्रैल, 2020 से 04 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक तथा 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होना चाहिए।	सेबी सूचीकरण विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रयोज्य उपबन्ध के अनुसार निदेशक बोर्ड में सदैव एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होनी चाहिए। इस संबध में निवेदन है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (6) (क) के उपबंधों के अनुसार महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की शक्ति कम्पनी के प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी अर्थात् वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पास है। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कर दिए जाने पर ऊपर दिए गए उपबंध का पालन हो जाएगा।

ख.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के द्वितीय परन्तुक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम, 17(1) का अनुपालन न करना, कम्पनी को 01 अप्रैल, 2020 से 04 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न होने से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के उपबंधों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) का अनुपालन नहीं कर रही थी। जैसा कि ऊपर बिन्दु (क) में बताया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6)(क) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी हाने के नाते स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी अर्थात् वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), के पास है। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पास पहले ही भेजा जा चुका है। स्वतंत्र निदेश की नियुक्ति की प्रतिक्षा की जा रही है। अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति हो जाने पर उपबंधों का पालन हो जाएगा।
ग.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम, 17(10) और 25(4) का अनुपालन न करना, वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण किसी अलग बैठक का आयोजन नहीं किया गया। तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए/द्वारा कार्य -निष्पादन मूल्यांकन का कार्य नहीं किया गया।	कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) के अधीन यथावर्णित स्वतंत्र निदेशकों के लिए और उनके द्वारा कार्य निष्पादन-मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
घ.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), 177(2) और 178(1) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 18(1)(ख), 19(1)(ख) व (ग) तथा 20(2क) का अनुपालन न करना, 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व समिति, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति का गठन में सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया।	कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण निगमित सामाजिक दायित्व समिति, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति का गठन स्वतंत्र निदेशक के बिना किया गया और कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), 177(2) और 178(1) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 18(1)(ख), 19(1)(ख) व (ग) तथा 20(2क) के अनुपालन के अनुरूप नहीं थी। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दिए जाने के बाद समितियों का तद्नुसार गठन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों अर्थात् मैसर्स आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. और मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्टों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट **अनुबन्ध-II** के रूप में संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।

निदेशक-दायित्व विवरण

निदेशक-दायित्व विवरण के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अपेक्षानुसार, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में, किसी भी विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन तथा निरंतर उपयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं प्राक्कलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकसम्मत हैं, ताकि उस अवधि के ए कम्पनी के कार्यों की तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ या हानि की सत्य एवं निष्पक्ष सूचना दी जा सके;

(iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों की देखरेख हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान रखा है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "चालू संस्था आधार" पर तैयार किए हैं;

(v) निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्धारण किया है और कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे;

(vi) निदेशकों ने प्रयोज्य सभी विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्य पद्धतियां बनाई हैं और ऐसी कार्य-पद्धतियां पर्याप्त थी और ये प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

आभार

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों, अन्य नियामक निकायों, भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक तथा राज्य सरकारों से प्राप्त सहयोग, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपके निदेशक सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विदेशी अनुषंगी बैंकों, बैंकिंग समुदाय के अन्य सदस्यों व निवेशकों से प्राप्त मूल्यवान सहायता और निरंतर सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक आपकी कम्पनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और की गई निष्ठापूर्ण सेवा के लिए उनकी भी सराहना करते हैं।

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 06922373
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

मनोज मित्तल
प्रबन्ध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

अनुबंध-I

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :**

(i) आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) 1948 में अपनी स्थापना के आरंभ से ही देश भर में सामाजिक-आर्थिक विकास की मार्फत समाज को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण रखता है। आईएफसीआई सीएसआर नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

- बेहतर निगरानी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक संरचना/परिसम्पत्तियां (जिनमें आईएसएफ को सौंपी गई इसकी कुल निधियों का कम से कम 70 प्रतिशत शामिल है) सृजित करने के लिए वित्तीय सहयोग से सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- जिस समुदाय के साथ हम कार्य करते हैं उनके सुधार के लिए परिवर्तन लाने हेतु सहायक क्रियाकलाप करना जैसे भूख तथा कुपोषण, निर्धनता, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी उद्भवन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और प्रौढ़ों की देखभाल संबंधी हमारे प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव का सृजन करने का प्रयास करना।

(ii) चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा। अत: आईएफसीआई द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन) सीएसआर क्रियाकलापों हेतु कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन महामारी के दौरान, आवश्यकता को देखते हुए आईएफसीआई द्वारा 0.15 करोड़ रुपए की राशि चिन्हित की गई और इसे आईएसएफ में अंशदान के रूप में प्रधानमंत्री राहत निधि को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष से आगे लाए गए 0.055 करोड़ रुपए की न ली गई राशि को किसी अन्य सीएसआर परियोजना को आबंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 की सीएसआर नीति का वित्तीय वर्ष 2020-21 में निरंतर पालन किया गया, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था। 2020-21 में कोई अलग नीति नहीं बनाई गई।

2. सीएसआर समिति का गठन (31 मार्च, 2021 को):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशिता का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समितियों की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समितियों की बैठकों की संख्या, जिनमें ये उपस्थित हुए
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	उप प्रबन्ध निदेशक	शून्य	लागू नहीं
2.	प्रो. एन बालाकृष्णन	गैर कार्यकारी निदेशक	शून्य	लागू नहीं
3.	श्री एमएमएल वर्मा	गैर कार्यकारी निदेशक	शून्य	लागू नहीं

3. वेब-लिंक, जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	वेब-लिंक
1.	सीएसआर समिति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) और 135 (9) के अनुसार तथा पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हानियों तथा कम्पनी के नाममात्र सीएसआर व्यय को देखते हुए निदेशकों की सीएसआर समिति को 23 जून, 2021 से समाप्त कर दिया गया और समिति के दायित्व निदेशक बोर्ड को निहित कर दिए गए। तद्नुसार सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबन्ध निदेशक और समिति के अध्यक्ष तथा श्री मनोज मित्तल, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
2.	सीएसआर नीति	https://www.ifciltd.com/?=en/content/our-csr-policy
3.	सीएसआर परियोजनाएं	https://www.ifciltd.com/?=en/content/our-csr-policy

4. कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, के नियम 8 के उप-नियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव निर्धारण के विवरण उपलब्ध कराएं। (रिपोर्ट संलग्न करें)

लागू नहीं

5. कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि के विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित

राशि, यदि कोई हो:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (रुपए)	वित्तीय वर्ष में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि, यदि कोई हो (रुपए)
1.	2020-21	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ - (1140.35 करोड़ रुपए)

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों/क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि - शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग) - शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की गई कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपए)*				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अन्तरित राशि		
	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख	निधि का नाम	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख
29,59,424/-	92,53,283/- (नीचे टिप्पणी देखें)	28-04-2021	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

* टिप्पणी: खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तरित कुल राशि का विवरण

वित्तीय वर्ष	राशि (रुपए)
2018-19	45,70,533/-
2019-20	41,32,750/-
2020-21	5,50,000/-
जोड़	92,53,283/-

(ख) वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण:- लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपए)	चालू वि. व. में खर्च की गई राशि (रुपए)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका -प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी की मार्फत	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	सुन्दरबन क्षेत्र में सागर ब्लॉक के अम्फान साइक्लोन क्षेत्र में सुरक्षित पेय जल के लिए ट्यूबवैल लगाना	जल संरक्षण	नहीं	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	08 माह	5,50,000	शून्य	5,50,000	नहीं	आईएसएफ	सीएसआर00005110

(ग) वित्तीय वर्ष हेतु चालू परियोजनाओं को छोड़ कर अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में क्रियाकलापों की सूची से मदें	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपए)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयन एजेंसी की मार्फत	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री राहत निधि - कोविड-19 के लिए राहत	स्वास्थ्य	नहीं	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	15,25,000/-	हां	आईएसएफ	सीएसआर00005110

(घ) ऊपरि प्रशासनिक खर्चों के लिए खर्च की गई राशि - शून्य

(ङ) प्रभाव निर्धारण पर खर्च की गई राशि, यदि कोई हो, - शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) - 15,25,000/- रुपए (0.15 करोड़ रुपए)

(छ) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, - शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए)
1.	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	29,59,734*
3.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (2-1)	15,25,000
4.	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	शून्य
5.	पिछले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (3-4)	शून्य

* उपर्युक्त में से, 14,34,734/- रुपए वर्ष 2019-20 के दौरान मंजूर की गई सीएसआर परियोजनाओं तथा परियोजनाओं के पूरा होने पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में खर्च की गई राशि से सम्बन्धित हैं, जैसा कि 9ख में विवरण दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में मंजूर की गई 15,25,000/- रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत निधि के लिए है और वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च की गई है।

9. (क) पिछले तीन वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि के विवरण:

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन खर्च न की गई सीएसआर राशि में अन्तरित राशि (रुपए)	सूचनाधीन वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अन्तरीत राशि, यदि कोई हो			पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रुपए)
				निधि का नाम	राशि (रुपए)	अन्तरण की तारीख	
1.	2018-19	45,70,533/-	–	–	–	–	45,70,533/-
2.	2019-20	41,32,750/-	–	–	–	–	41,32,750/-
3.	2020-21	5,50,000/-	–	–	–	–	5,50,000/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण:

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वि.व., जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना की अवधि*	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपए)	सूचनाधीन वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपए)	सूचनाधीन वर्ष के अन्त में खर्च की गई संचयी राशि (रुपए)	परियोजना की स्थिति (पूरी हो गई/चालू)
1.	–	एक अलग नींव बनाना-विक्रमगढ़ महाराष्ट्र - विक्रमगढ़ महाराष्ट्र में स्वप्न श्रुष्टि शेल्टर होम के दूसरे तल पर शौचालय ब्लॉक के निर्माण के लिए सहायता	2019-2020	3 माह	12,500/-	12,500/-	12,500/-	पूरी हो गई
2.	–	इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्लड कैंसर एण्ड एलाइड डिसीजिस, कोलकाता - 5 सीटों वाली नई एसी मारूति ईको वैन की खरीद के लिए सहायता	2019-2020	2 माह	4,81,560/-	96,560/-	4,81,560/-	पूरी हो गई
3.	–	नवश्रुष्टि इन्टरनेशनल ट्रस्ट - धर्म भारती मिशन - देवनार, मुंबई में डीबीएस एण्ड टीआईएसएस लाइब्रेरी कम स्टडी सेंटर को अवस्थापना सहायता	2019-2020	1 वर्ष	7,05,000/-	7,05,000/-	7,05,000/-	पूरी हो गई
4.	–	रामाकृष्णा टेंपल ट्रस्ट (आरटीटी) - गॉव टुंडा, जिला कटक, उड़ीसा के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना और सिलाई की कक्षाओं के लिए सहायता	2019-2020	1 वर्ष	2,65,000/-	2,65,000/-	2,65,000/-	पूरी हो गई
5.	–	रूरल इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन (आरआईडीएफ) - नौगढ़ तहसील, जिला 0020 चंदौली, उत्तर प्रदेश में आरआईडीएफ द्वारा चलाए गए 3 वनांचल विद्यालयों को सहायता	2019-2020	1 वर्ष	3,15,500/-	1,57,750/-	1,57,750/-	चालू
6.	–	कोविड-19 राहत - आईएफसीआई समूह के कर्मचारियों/अन्य न्यासों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की मार्फत कोविड-19 द्वारा प्रभावित लगभग 400 गरीब और जरूरतमंद परिवारों/वृद्ध लोगों को सहायता	2019-2020		1,97,924/-	1,97,924/-	1,97,924/-	पूरी हो गई

* उपर्युक्त परियोजनाओं की परियोजना अवधि मंजूरी की तारीख से वितरण की अंतिम तारीख तक से ली गई है।

10. पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि की मार्फत सृजित या अधिगृहित परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विवरण दें (परिसम्पत्ति-वार विवरण)

    (क) पूंजीगत परिसम्पत्ति (परिसम्पत्तियों) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख - शून्य

    (ख) पूंजीगत परिसम्पत्ति (परिसम्पत्तियों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि - शून्य

    (ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या हितोपभोगी के विवरण, जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसम्पत्ति का पंजीकरण हुआ है, उनका पता आदि - शून्य

    (घ) सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसम्पत्ति (परिसम्पत्तियों) के विवरण दें (पूंजीगत परिसम्पत्ति का पूरा पता व स्थिति सहित) - शून्य

11. यदि कम्पनी धारा, 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असमर्थ रही तो इसके कारण बताए -

    चूंकि लगातार पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत निवन लाभ नकारात्मक रहा था अत: कम्पनी द्वारा कोई सीएसआर बजट का आबंटन करना अपेक्षित नहीं था अत: लागू नहीं

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन: 0692373
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

मनोज मित्तल
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076
पता: आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110 019

दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

अनुबंध-II

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय, आईएफसीआई टावर,
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

हमने प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईएफसीआई लिमिटेड, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' या 'आईएफसीआई' कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा-परीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उप-विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) यथाप्रयोज्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:
   (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011;
   (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;
   (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;
   (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2014
   (ड.) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008;
   (च) कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों से लेन-देन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993;
   (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2009;
   (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

(vi) कम्पनी पर लागू (उद्योग पर यथा लागू) अन्य विशिष्ट विधियों के अधीन अनुपालन/प्रक्रियाओं/पद्धतियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई आन्तरिक अनुपालन पद्धति के अधीन आवधिक प्रमाणपत्र के आधार पर किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - सामान्यतया पालन किया गया।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. के साथ भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानको आदि के उपबंधों का पालन किया है:

(क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के वित्तीय परंतुक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(क) का अनुपालन न करना, कम्पनी को 01 अप्रैल, 2020 से 04 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए और 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) का अनुपालन न करना, 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं।

(ग) *भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) का अनुपालन न करना, वित्तीय वर्ष के दौरान अलग से कोई बैठक आयोजि नहीं की गई। तद्नुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए/के द्वारा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया।*

(घ) *कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1), 177(2) और 178(1) और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1) (ख), 19(1) (ख) व (ग) तथा 20(2क) का अनुपालन न करना, 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप निगमित सामाजिक दायित्व समिति, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति का गठन नहीं किया गया।*

हम यह भी सूचित करते हैं कि कम्पनी के बोर्ड का कम्पनी अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबन्धों के अनुसार गठन किया जाना अपेक्षित था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। चूंकि कम्पनी बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्षस्थ 1000 सूचीबद्ध कम्पनियों के अन्तर्गत आती है, अतः इसके बोर्ड में कम से कम छः निदेशक होने चाहिएं। लेकिन 16 दिसम्बर, 2020 से 04 जनवरी, 2021 की अन्तरिम अवधि के दौरान इसमें केवल 5 निदेशक ही थे और निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप थे।

प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार, कम्पनी पर डीपीई मार्गनिर्देश लागू नहीं होते, क्योंकि आईएफसीआई का नाम सीपीएसई की सूची में दिखाई नहीं देता जो कि dipam.gov.in पर उपलब्ध है।

सामान्यतया सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के आयोजन की सूचना पर्याप्त समय रहते दी जाती है। कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत टिप्पणियां सामान्यतया बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी गई और बैठक से पूर्व कार्य-सूची मदों पर अतिरिक्त सूचना मांगने और प्राप्त करने और स्पष्टीकरणों एवं निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी करने हेतु एक पद्धति उपलब्ध है।

बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और असहमति/अस्वीकृति यदि कोई थी, को कार्यवृत्त में विधिवत् शामिल किया गया।

हम यह भी सूचित करते हैं कि कम्पनी में कम्पनी के आकार के अनुरूप और परिचालनों के अनुवर्तन तथा प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने की पर्याप्त पद्धतियां और प्रक्रियाएं हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. ने भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17/17(2क), 18, 19 व 20 का अनुपालन न करने के कारण मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके विरुद्ध कम्पनी ने कम्पनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के अनुरोध सहित जवाब प्रस्तुत किया है। कम्पनी के अनुरोध पर विचार करते हुए बीएसई ने दिसम्बर, 2020 तक समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माने को माफ करने की सूचना दे दी है।

हम सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कोई ऐसी विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ऊपर निर्दिष्ट विधियों के अनुसरण में कम्पनी के कार्यों पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ता हो।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोडः पी2003डीई049100
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्याः 626/2019

सीएस अनुराधा जैन
साझेदार
एसीएस : 36639, सीपी संख्याः 14180

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जून, 2021
यूडीआईएनः ए036639सी000492875

(टिप्पणीः इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबन्ध-'क' के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

अनुबंध-क

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टावर
61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019

इस पत्र के साथ इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ी जाए :

(1) सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमारा दायित्व लेखा-परीक्षा के लिए हमें दिए गए रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(2) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

(3) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों/अभ्युक्तियों और कमजोरियों को शामिल नहीं करती है।

(4) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।

(5) निगमन के उपबंधों तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन करने का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने और उन पर अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कम्पनी में उचित बोर्ड कार्य-विधियां और अनुपालन प्रणाली है अथवा नहीं।

(6) सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

(7) लॉकडाउन/आने जाने पर रोक तथा कोविड-19 के कारण देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कम्पनी के रिकार्डों/प्रलेखों की भौतिक जांच पर असर पड़ा है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड: पी2003डीई049100
पियर रिव्यू प्रमाणन संख्या: 626/2019

सीएस अनुराधा जैन
साझेदार
एसीएस : 36639, सीपी संख्या: 14180

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जून, 2021

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
सीआईएनः यू45400डीएल2007जीओआई169232
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा **आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड,** (जिसे इसमें आगे **'कम्पनी'** कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें **31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष** (लेखा-परीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हम सूचित करते है कि हमने निम्नलिखित उपबंधों (यथासंशोधित) के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डो की जांच की है।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसकी अधिसूचनाओं, छूटों और स्पष्टीकरणों के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उप-विधियां;
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम")के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देशः
   (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2014 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (ड.) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2009 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
   (झ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);

हम यह भी सूचित करते हैं कि हमने कम्पनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित विधियों के अनुसार, कम्पनी द्वारा रखे गए उपयुक्त प्रलेखों और रिकार्डो की परीक्षण जांच आधार पर भी जांच की है।

   (i) भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016;
   (ii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013;
   (iii) कर्मचारी भविष्य निधि व विविध उपबंध अधिनियम, 1952;
   (iv) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961;

ऐसी जांच के आधार पर और कम्पनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को देखते हुए, कम्पनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त विधियों के उपबंधों का अनुपालन किया है।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

1. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक - पालन किया गया।
2. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं)। सूचनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने सामान्यतया ऊपर दिए गए प्रयोज्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, सचिवीय मानकों आदि के उपबंधों का पालन किया है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान:

1. कम्पनी के निदेशक बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशक के उपयुक्त संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड के गठन में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिनियम के उपबंधों का पालन किया गया।
2. बहुत कम समय पर सूचना देकर आयोजित की गई बैठकों के मामले को छोड़कर, बोर्ड बैठकों के आयोजन की सूचना सभी निदेशकों को समय रहते दी गई और कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजी गईं। तथापि कम्पनी में अतिरिक्त सूचना मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण मांगने तथा बैठक में सक्रिय भागीदारी करने की एक प्रक्रिया मौजूद है।
3. बोर्ड/समिति की बैठक (बैठकों) में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और असहमति, यदि कोई थी, को कार्य-विवरण में विधिवत् रिकार्ड किया गया।
4. कम्पनी में इसके आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जिससे प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन और अनुवर्तन सुनिश्चित हो सके।
5. ऊपर निर्दिष्ट को छोड़कर, कम्पनी में ऊपर संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी के कार्यों पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाली कोई ऐसी घटना/कार्यवाही नहीं की गई है।

कृते **वीएपीएन एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: पी2015डीई045500

प्रभाकर कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या: एफ5781
सीपी संख्या: 10630
यूडीआईएन: एफ005781सी000703038

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2021

(टिप्पणी : यह रिपोर्ट सचिवीय लेखा-परीक्षक के इसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो **"अनुबंध-क"** के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

अनुबंध-"क

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
सीआईएन: यू45400डीएल2007जीओआई169232
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली-110019

इस पत्र और इसी तारीख की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ पढ़ी जाए:

प्रबंधन का दायित्व:

(1) सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव करना और सभी प्रयोज्य विधियों और विनियमो के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां बनाने तथा यह सुनिश्चित करना कि यह प्रणालियां पर्याप्त है और सक्रियरूप से काम कर रही हैं, कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व:

(2) हमारा दायित्व सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कम्पनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकार्डों, मानको और प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(3) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और प्रक्रिया अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

(4) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है।

(5) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन के प्रतिनिधियों की राय ली है।

(6) हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

अस्वीकरण

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते वीएपीएन एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या: पी2015डीई045500

प्रभाकर कुमार
साझेदार
सदस्यता संख्या: एफ5781
सीपी संख्या: 10630
यूडीआईएन: एफ005781सी000703038

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2021

प्रपत्र संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर पाइंट, यूनिट नं. 301
तीसरा तल, डॉ. बी. अम्बेडकर रोड
परेल, मुम्बई-400012

हमने प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कम्पनी की खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा-परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता-बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम तथा उप-विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार[1];

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:
  - (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011[2];
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009[3] - (समीक्षाधीन लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी पर लागू नहीं);
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) मार्गनिर्देश, 1999[4];
  - (ड.) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम व सूचीकरण) विनियम, 2008[5];
  - (च) कम्पनी अधिनियम तथा ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993;
  - (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2009[6];
  - (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998[7];
  - (झ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015[8]; और

(vi) अन्य विधियां, जो कम्पनी पर लागू हो सकती हैं, निम्नानुसार हैं:
  - (i) सेबी (मध्यस्थता) विनियम, 2008
  - (ii) सेबी (डिपॉजिटरीज एवं डिपॉजिटरीज भागीदार) विनियम, 2021
  - (iii) सेबी (अनुसंधान विश्लेषण) विनियम, 2014
  - (iv) सेबी (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 1996
  - (v) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी की गई उप-विधियां, नियम, विनियम और परिपत्र
  - (vi) डिपॉजिटरीज द्वारा जारी की गई उप-विधियां, नियम, विनियम और परिपत्र
  - (vii) एएमएफआई की अपेक्षाओं के अनुसार म्युचुअल फंड एडवाइजर के लिए आचार-संहिता
  - (viii) परिचालनात्मक क्रियाकलापों के लिए मार्गनिर्देश - जिनका अनुपालन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पांइट ऑफ प्रेजेंस द्वारा किया जाना है।
  - (ix) पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम 2014
  - (x) पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016

---

1 लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं।

2 पूर्वोक्त

3 पूर्वोक्त

4 पूर्वोक्त

5 पूर्वोक्त

6 पूर्वोक्त

7 पूर्वोक्त

8 पूर्वोक्त

(xi) इरडा (निगमित एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

(xii) भारत सरकार के राहत बांडों के वितरण के सम्बन्ध में भारिबैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश

(xiii) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

(ii) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)[9] के साथ कम्पनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार

सूचनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी ने ऊपर दिए गए अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के उपबंधों का अनुपालन किया है।

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत् रूप से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक बोर्ड के गठन में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया में अधिनियम के उपबंधों का पालन किया गया।

बोर्ड बैठकों के आयोजन की सूचना सभी निदेशकों को समय रहते दी गई और कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां भी बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजी गई और कम्पनी में अतिरिक्त सूचना मांगने और प्राप्त करने तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण मांगने तथा बैठक में सक्रिय भागीदारी करने की एक प्रक्रिया मौजूद है।

अधिकांश निर्णय असहमत सदस्यों की राय लेने के बाद लिए गए और उसे कार्य विवरण[10] के भाग के रूप में रिकार्ड किया गया।

हम यह भी सूचित करते है कि कम्पनी में इसके आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जिससे प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और मार्गनिर्देशों के अनुपालन और अनुवर्तन सुनिश्चित हो सकें **(कृपया अनुबंध ख देखें)**।

हम यह भी सूचित करते है कि कम्पनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई विशेष घटना या कार्यवाही नहीं की है जिससे ऊपर संदर्भित विधियों, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी के कार्यों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता हो।

सीएस. सुरेश विश्वनाथन
पदनामित साझेदार
यूडीआईएन: एफ004453सी000728022
एफसीएस: 4453
सीपी संख्या: 11745

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 04 अगस्त, 2021

(टिप्पणी : यह रिपोर्ट इसी तारीख के हमारे पत्र और प्रयोज्य विधियों की सूची के साथ पढ़ी जाए, जो क्रमश: **अनुबंध-क** और **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।)

अनुबंध-"क"

सेवा में,
सदस्यगण
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सेंटर पाइंट, यूनिट नं. 301
तीसरा तल, डॉ. बी. अम्बेडकर रोड
परेल, मुम्बई-400012

इस पत्र के साथ इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ी जाए:

(1) सचिवीय रिकार्डो का रखरखाव करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कम्पनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकार्डो, मानको और प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करना है।

(2) हमने ऐसी लेखा-परीक्षा पद्धतियां और प्रक्रिया अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डो की विषय-वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डो में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

(3) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डो और खाता-बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है।

(4) वित्त और कराधान विधियों के अनुपालन में कोई लेखा-परीक्षा नहीं की गई, क्योंकि ये कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक और आन्तरिक लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के अधीन हैं और उन पर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, इस लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से अच्छी मानी जाएंगी।

(5) जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन के प्रतिनिधियों की राय ली है।

(6) निगमित और अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों के अनुबंधों के अनुपालन में प्रबन्धन का दायित्व के अनुपालन में हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

9 लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं।

10 सभी संकल्प सर्वसम्मति से लाए गए।

(7) सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबन्धन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

(8) लेखा-परीक्षा का अनुपालन अन्य विधियों सहित लेखा-परीक्षा के दायरे तथा कम्पनी द्वारा यथानिर्धारित ऐसी निधियों की प्रयोज्यता और हमें दी गई सूचना के आधार पर किया गया है।

(9) हमने, हमें उपलब्ध कराई गई सीमा तक आन्तरिक लेखा-परीक्षा, विनियामक निरीक्षण/लेखा-परीक्षा की रिपोर्टों पर विश्वास किया है और ऐसी रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से अच्छी मानी जाएंगी।

(10) हमें सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों/डिपाजिटरी ने कम्पनी की खाता बहियों का निरीक्षण किया है और उनकी सिफारिशों तथा टिप्पणियों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया।

सीएस. सुरेश विश्वनाथन
पदनामित साझेदार
यूडीआईएन: एफ004453सी000728022
एफसीएस: 4453
सीपी संख्या: 11745

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 04 अगस्त, 2021

अनुबंध-"ख''

यह सत्यापन करने कि कम्पनी में कम्पनी के आकार और परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जिससे अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित हो सके, के लिए निम्नलिखित विधियों को ध्यान में रखा गया है:

सं. **कम्पनी पर लागू विधियां**

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए प्रयोज्य नियम
(2) सेबी (मध्यस्थता) विनियम, 2008
(3) सेबी (डिपॉजिटरीज एवं डिपॉजिटरीज भागीदार) विनियम, 2020
(4) सेबी (अनुसंधान विश्लेषण) विनियम, 2014
(5) सेबी (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 1996
(6) सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2020
(7) सेबी (एफपीआई) विनियम, 2020
(8) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी की गई उप-विधियां, नियम, विनियम और परिपत्र
(9) डिपॉजिटरीज द्वारा जारी की गई उप-विधियां, नियम, विनियम और परिपत्र
(10) एएमएफआई की अपेक्षाओं के अनुसार म्युचुअल फंड एडवाइजर के लिए आचार-संहिता
(11) परिचालनात्मक क्रियाकलापों के लिए मार्गनिर्देश - जिनका अनुपालन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पांइट ऑफ प्रेजेंस द्वारा किया जाना है।
(12) पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम 2014
(13) पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016
(14) इरडा (निगमित एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
(15) भारत सरकार के राहत बांडों के वितरण के सम्बन्ध में भारिबैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश
(16) प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002
(17) प्रसुति लाभ अधिनियम, 1961
(18) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965
(19) महाराष्ट्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953
(20) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952
(21) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972
(22) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और निस्तारण) अधिनियम, 2013
(23) महाराष्ट्र सुरक्षा गार्ड्स बोर्ड (रोजगार व कल्याण विनियम) अधिनियम, 1981 और महाराष्ट्र सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम, 2005
(24) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
(25) दुकानें व स्थापना अधिनियम

परिशिष्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2021 की उनकी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तक और कतिपय लेखांकन रिकार्डो की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आएं हैं और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य हैं जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क1. परिसम्पत्तियां:

वित्तीय परिसम्पत्तियां ऋण (नोट 7) 6479.71 करोड़ रुपए

ऋण अधिक बताया गया है और वर्ष के लिए हानि 415.88 करोड़ रुपए कम बताई गयी है जिसके विवरण इस प्रकार हैं :

(i) मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) ने जुलाई, 2019 बकाया मूलधन (165 करोड़ रुपए के लिए) पर 70 करोड़ रुपए की राशि का एकमुश्त निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कम्पनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर 31.43 करोड़ रुपए की ही अधिकतम वसूलनीय राशि का हिसाब लगाया है। तद्नुसार, कम्पनी (जनवरी, 2020) 70 करोड़ रुपए के एकमुश्त निपटान के लिए सहमत हो गई। एमआईएल 10.50 करोड़ रुपए की अदायगी करने के बाद ओटीएस को पूरा करने में असमर्थ रही और इसलिए कम्पनी ने (दिसम्बर, 2020) ओटीएस को प्रभावी किया और कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी। तथापि इसने 154.50 करोड़ रुपए की समग्र मूलधन राशि को ऋण परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया और 57.59 प्रतिशत की दर से हानि भत्ते का सृजन किया। एमआईएल ने पुन: (जनवरी, 2021 में) 7.30 करोड़ रुपए के ओटीएस का प्रस्ताव किया, जिसे कम्पनी द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि एमआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि केवल 31.43 करोड़ रुपए ही है, 123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि (154.50 करोड़ रुपए - 31.43 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप, 52.19 करोड़ रुपए (70.88 करोड़ रुपए के क्षति भत्ते को समायोजित करने के बाद) तक हानि कम दर्शाई गई है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(ii) ग्रेन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) से सम्पर्क करने पर एनसीएलटी ने (फरवरी, 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। तद्नुसार, परिसमापन मूल्य का निर्धारण 10.37 करोड़ रुपए किया गया था। लेकिन आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य की बजाय मूलधन के रूप में 135.81 करोड़ रुपए की राशि को मान्यता दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय राशि 135.81 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 10.37 करोड़ रुपए है, शेष 125.44 करोड़ रुपए की राशि (135.81 करोड़ रुपए - 10.37 करोड़ रुपए) को ही बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

125.44 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 53.20 करोड़ रुपए (72.24 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(iii) एनसीएलटी के निर्णय और समाधान योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि. (वीआईएल) से आईएफसीआई का दावा 650.36 करोड़ रुपए (1.03 प्रतिशत) की बकाया देय राशि (383.50 करोड़ रुपए का मूलधन और 266.86 करोड़ रुपए का ब्याज) के मद्दे अधिकतम 70.31 करोड़ रुपए तक सीमित था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन की जानकारी के अनुसार, सावधि जमा के रूप में 125 करोड़ रुपए की राशि पर लेनदारों के बीच वितरण के लिए विचार नहीं किया गया था और 302 करोड़ रुपए की राशि को प्रतिभूत दावों की बजाय अप्रतिभूत दावों के अधीन गलत वर्गीकृत किया गया था। कम्पनी के पक्ष में इस पर विचार करते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रुपए (427 करोड़ रुपए का 1.03 प्रतिशत) निकाली गई थी। इस प्रकार 650.36 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे वीआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि 74.71 करोड़ रुपए (70.31 करोड़ रुपए + 4.40 करोड़ रुपए) ही निकाली गई थी। अत: शेष 575.65 करोड़ रुपए (650.36 करोड़ रुपए - 74.71 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

575.65 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 244.13 करोड़ रुपए (331.52 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(iv) सी एण्ड सी प्रोजेक्ट्स लि. को 79.90 करोड़ रुपए की ऋण राशि के सम्बन्ध में समाधान योजना की अवधि समाप्त हो गई और इस मामले को परिसमापन हेतु भेजा गया। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रुपए निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था। तथापि आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य में कम्पनी के हिस्से की बजाय मूलधन के रूप में 75.90 करोड़ रुपए की समग्र ऋण राशि को मान्यता दे दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय मूल्य 75.90 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था, अत: 75.73 करोड़ रुपए (75.90 करोड़ रुपए - 01.17 करोड़ रुपए) की शेष राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

75.73 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 32.12 करोड़ रुपए (43.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(v) खेड सिन्नार एक्सप्रैस वे लि. (केएसईएल), जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आईयूएण्डएफएस ग्रुप के अधीन गठित एसपीवी है, से 31.03.2021 को 105.58 करोड़ रुपए (78.21 करोड़ रुपए का मूलधन और 27.37 करोड़ रुपए की स्टेज-3 ब्याज आय) की ऋण राशि को वसूलनीय राशि के रूप में मान्य किया गया है। परियोजना एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दी गई। आईएलएफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दाखिल की और मार्च, 2020 में इसे अनुमोदन प्राप्त हो गया। अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आईएफसीआई का हिस्सा 63 करोड़ रुपए निकाला गया, लेकिन समूह के अन्य लेनदारों ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक राशि की वसूली करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि मामले का निर्णय समूह के अन्य लेनदारों के पक्ष में दिया जाता है तो आईएफसीआई की वसूली लगभग 75 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। चूंकि अनुमानित अधिकतम वसूली 75 करोड़ रुपए है, शेष 30.58 करोड़ रुपए (105.58 करोड़ रुपए - 75 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

30.58 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 12.97 करोड़ रुपए (17.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(vi) वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए आईएफसीआई के खातों पर सीएण्डएजी की टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और टिप्पणी संख्या क1 (v) (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया था आईएलएण्डएफएस ट्रांसपोरटेशन नेटवर्क लि. के सम्बन्ध में प्रतिभूति द्वारा समाहित न की गई समग्र बकाया राशि को बट्टे खाते डालने की बजाय ऋण परिसम्पत्तियों के रूप में समग्र बकाया राशि (हानि भत्ते के पश्चात्) को मान्य करने के कारण हानि कम दर्शाई गई है।

यह बताए जाने के बावजूद भी कम्पनी ने किसी प्रतिभूति के द्वारा समाहित न करके 24.62 करोड़ रुपए (33.75 करोड़ रुपए - 9.13 करोड़ रुपए) की बकाया राशि को बट्टे खाते नहीं डाला।

इसके परिणामस्वरूप ऋण को 10.44 करोड़ रुपए (24.62 करोड़ रुपए - क्षति भत्ते के लिए 14.18 करोड़ रुपए) तक अधिक दर्शाया गया है और इसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को कम दर्शाया गया है।

(vii) मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से 45 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए कम्पनी एनसीएलटी के पास गई। अपने निगमित ऋणी अर्थात् वीएस लिग्नाइट पावर प्रा. लि. से केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. द्वारा प्राप्त तीन समाधान योजनाओं के आधार पर आईएफसीआई अधिकतम 15.45 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. की परिसमापन आय से परिसमापक द्वारा आईएफसीआई को 3.71 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए। इस प्रकार केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से अधिकतम वसूलनीय राशि 19.46 करोड़ रुपए निकाली गई। तदनुसार शेष 25.54 करोड़ रुपए (45 करोड़ रुपए - 19.46 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

25.54 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 10.83 करोड़ रुपए (14.71 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(viii) अक्तूबर, 2013 में मैसर्स आरकॉम लिमिटेड को मंजूर किए गए 300 करोड़ रुपए (31.03.2021 को बकाया 135.05 करोड़ रुपए) के ऋण को 31 मार्च, 2018 को अलाभकारी खाते के रूप में घोषित किया गया। आरकॉम द्वारा आईएफसीआई तथा अन्य लेनदारों को ऋण की पुन: अदायगी के लिए की गई चूक के कारण एसबीआई (ऋणियों में से एक) ने मई, 2019 में बीडीओ लि. को आरकॉम की फोरेंसिक लेखा-परीक्षा का कार्य सौंपा। अक्तूबर, 2020 में प्रस्तुत किए गए बीडीओ लि. के निर्णय के आधार पर ऋणदाताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि उधार दी गई निधियों का आरकॉम द्वारा अन्यत्र उपयोग किया गया है।

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार निधियों का अन्यत्र प्रयोग करना खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के लिए एक मानदण्ड है। इस प्रकार आरकॉम के खाते को एसबीआई सहित कई लेनदारों द्वारा (दिसम्बर, 2020 में) धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया। आईएफसीआई की धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन समिति ने भी (मई, 2021 में) आरकॉम को दिए गए ऋण को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

तथापि कम्पनी ने आरकॉम को दिए गए ऋण को स्टेज-3 ऋण के रूप में दर्शाया और ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता मानने की बजाय इस पर 57.59 प्रतिशत की दर से ईसीएल का प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप भारिबैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ, जो यह निर्धारित करते हैं कि सूचित किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या, ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में समाहित राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा और वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए असमाशोधित प्रावधानों की मात्रा जैसे उपयुक्त प्रकटन किए जाने चाहिएं।

क.2 परिसम्पत्तियां: निवेश (टिप्पणी 8) 2950.34 करोड़ रुपए

लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 52 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो यह निर्धारित करती है कि "सम्बन्धित परिचालनात्मक विभागों को रिपोर्टिंग अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए या तो बाह्य रूप से या आन्तरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए।"

तथापि चार मामलों[1] में निवेश मूल्य 340.75 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। यह 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 को उचित मूल्यांकन पर आधारित था और न की सूचित करने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2021।

ख. नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

ख.1 निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह

भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" के पैरा 21 यह सुझाव देता है कि "किसी संस्था को निवेश और वित्तपोषण और क्रियाकलापों से होने वाले सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद अदायगियों की मुख्य श्रणियों की सूचना अलग से देनी चाहिए"। लेकिन लेखा परीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला है:

(क) मूल्यह्रास के लिए 4.58 करोड़ रुपए की राशि, जिसे सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की खरीद/के लिए अग्रिम से घटाया जाना था, को नकद प्रवाह विवरण में निवेश क्रियाकलापों के अधीन निवेश सम्पत्ति के बिक्री से प्राप्त आय के रूप में गलत दर्शाया गया है इसके परिणामस्वरूप निवेश सम्पत्ति की बिक्री अधिक दर्शाई गई है और सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) के लिए 1 अग्रिम की खरीद को 4.58 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

(ख) सहायक कम्पनियों में निवेश में क्षति की 11.34 करोड़ रुपए की राशि को नकद प्रवाह विवरण में निवेश क्रियाकलापों के अधीन निवेश की बिक्री को दर्शाते हुए 'सहायक कम्पनियों में निवेश' के रूप गलत दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश क्रियालापों से नकद प्रवाह अधिक दर्शाया गया है और परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह 11.34 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

(ग) कम्पनी में शेयरों/प्रतिभूतियों की बिकी से लाभ के लिए एक नीति है जिसकी सूचना पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन दी जानी है और तद्नुसार दो सामान्य खाता बही शीर्षों (57012004 और 82015013) से आय की सूचना आयकर विवरणी (फाइल की जाने वाली) में पूंजीगत लाभ से आय के अधीन दी जानी है। लेकिन कम्पनी ने निवेश क्रियालापों के अधीन दर्शाने की बजाय परिचालन क्रियाकलापों के अधीन उपर्युक्त खाता बही शीर्षों से (-) 101.73 करोड़ रुपए की आय को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन क्रियालापों से नकद प्रवाह कम दर्शाया गया है और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह 101.73 करोड़ रुपए अधिक दर्शाया गया है।

ग. प्रकटन पर टिप्पणियां

ग.1 लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां

(क) कम्पनी ने पांच वर्ष की बजाय सात वर्ष की रेटिंग बदलते हुए चूक की संभावना के परिकलन हेतु मानदण्ड अनुमान में परिवर्तन किया है। तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार इसके प्रभाव की मात्रा बताई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पनी ने कोविड के अनिश्चित प्रभाव के कारण चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 15 प्रतिशत का आधात दिया है और अत्यन्त विकट परिस्थिति में जीडीपी का (-)15 प्रतिशत पर ईसीएल को अपनाया है, जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी ने चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 10 प्रतिशत का आघात दिया था और मूल/सर्वोत्तम/खराब परिस्थिति के भारित औसत पर जीडीपी का +(-) 10 प्रतिशत ईसीएल अपनाया था।

तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार 47.18 करोड़ रुपए के समग्र प्रभाव की मात्रा बताई है।

1 कोस्टल एनर्जन प्रा. लि. (31 मार्च, 2019), गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. (31 मार्च, 2020) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (31 मार्च, 2020) और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (31 मार्च, 2019)

ग.2 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 6(क)(i) में यह निर्दिष्ट है कि कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है, जिससे स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को 1 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी।

लेकिन लेखांकन मानक 109 के पैरा संख्या 5.4.1(बी) और 5.4.2 के अनुसार कम्पनी क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता देगी। इस प्रकार कम्पनी द्वारा बनाई गई लेखांकन नीति भारतीय लेखांकन मानक 109 के उपबन्धों का पालन नहीं करती।

ग.3 वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि कम्पनी ने आय मान्यता और परिसम्पत्ति वर्गीकरण मानदण्डों के अनुसार सी3 और डी के रूप में मान्यता प्राप्त मामलों पर स्टेज-3 आय कों मान्यता नहीं दी है। तद्नुसार, 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए के ईसीएल क्षति भत्ते को घटा कर) की राशि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष के लिए हानि 613.71 करोड़ रुपए उच्चतर हैं और सकल ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए निम्नतर हैं।

तथापि कम्पनी ने समग्र वर्ष 2020-21 के दौरान सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर 2535.84 करोड़ रुपए की स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डाल दिया है। 1447.08 करोड़ रुपए की राशि (उपर्युक्त टिप्पणी में प्रकट की गई) वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि से ही सम्बन्धित है। उपर्युक्त राशि के अतिरिक्त, कुछ धोखाधड़ी और एनसीएलटी मामलों पर भी स्टेज-3 आय को मान्यता नहीं दी गई, जिसके लिए खातों पर टिप्पणियों में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

अत: वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियां इस सीमा तक अपर्याप्त हैं।

घ. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

घ.1 दिनांक 28 जून, 2021 की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के अनुबंध-I की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सीएआरओ) के अधीन नियामक अपेक्षा से सम्बन्धित है। लेखा-परीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:

1. बिन्दु संख्या (vii) (ख) में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई:
   - निर्धारण वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित (41.23 करोड़ रुपए) के जुर्माने का एक विवादग्रस्त मामला आईटीएटी, नई दिल्ली की बजाय सीआईटी (ए) में लम्बित है।
   - निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आय कर मांग के मामले में विवादग्रस्त राशि 2.61 करोड़ रुपए की बजाय 43.40 करोड़ रुपए है।
2. बिन्दु संख्या (xiv) में यह बताया गया है कि कम्पनी ने 21 मई, 2020 को अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 20 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है। तथापि रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुपालन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और क्या जुटाई गई राशि को उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है, जिनके लिए निधियां जुटाई गई थीं।
3. बिन्दु संख्या (i) (ख) में लेखा परीक्षक ने यह बताया है कि प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है और उन्हें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। तथापि वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

अत: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।

घ.2 इम्फेसिस ऑफ मेटर पैरा के अधीन बिन्दु संख्या 3 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने यह बताया है कि कुछ स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता न देने की लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष की हानि 613.71 करोड़ रुपए अधिक है। तथापि लेखांकन नीति में परिवर्तन वर्ष 2021 के लिए नहीं था। वास्तव में, सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत कुछ मामलों, ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिभूति पर्याप्त है, में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने के कारण वर्ष के लिए कम्पनी की हानि 1180.36 करोड़ रुपए अधिक है। अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

घ.3 कम्पनी ने वर्ष के दौरान 3038.03 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाता डाला है जबकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग-क -निदेशन (अनुबंध ख) की क्रम संख्या 02 में यह बताया है कि कम्पनी ने 1424.07 करोड़ रुपए कि ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाते डाला है। अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

घ.4 स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग ख - उप निदेशन (अनुबंध ख) की क्रम संख्या 01 में यह बताया है कि प्रबंधन के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर, 94 कम्पनियों के शेयर या तो डीमेट या भौतिक रूप में है, जिन्हें अतीत में कम्पनी द्वारा अंतरित कर दिया गया है और किसी कारणवश हितोपभोगियों को ये शेयर अंतरित नहीं किए जा सके। तथापि कम्पनी द्वारा शेयरों के अंतरण को दर्शाने वाले कोई प्रलेख कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

(विधु सूद)
मुख्य लेखा-परीक्षा निदेशक
(उद्योग व निगमित कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.10.2021

परिशिष्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षक, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2021 की उनकी लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा कर ली है। हमने आईएफसीआई लि. (कम्पनी) और इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा की है जैसा कि अनुबन्ध-क में दिया गया है, परंतु हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एमपीकॉन लि. (सहायक कम्पनी) की अनुपूरक लेखा-परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा-परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तक और कतिपय लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखा-परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो मेरे ध्यान में आएं हैं और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य हैं जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझा जा सके:

क. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क1. परिसम्पत्तियां:

वित्तीय परिसम्पत्तियां ऋण (नोट 7) 6840.83 करोड़ रुपए

ऋण अधिक बताया गया है और वर्ष के लिए हानि 415.88 करोड़ रुपए कम बताई गयी है जिसके विवरण इस प्रकार हैं :

(i) मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) ने जुलाई, 2019 बकाया मूलधन (165 करोड़ रुपए के लिए) पर 70 करोड़ रुपए की राशि का एकमुश्त निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कम्पनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर 31.43 करोड़ रुपए की ही अधिकतम वसूलनीय राशि का हिसाब लगाया है। तद्नुसार, कम्पनी (जनवरी, 2020) 70 करोड़ रुपए के एकमुश्त निपटान के लिए सहमत हो गई। एमआईएल 10.50 करोड़ रुपए की अदायगी करने के बाद ओटीएस को पूरा करने में असमर्थ रही और इसलिए कम्पनी ने (दिसम्बर, 2020) ओटीएस को प्रभावी किया और कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी। तथापि इसने 154.50 करोड़ रुपए की समग्र मूलधन राशि को ऋण परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया और 57.59 प्रतिशत की दर से हानि भत्ते का सृजन किया। एमआईएल ने पुन: 30 करोड़ रुपए के ओटीएस का प्रस्ताव किया, जिसे कम्पनी द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि एमआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि केवल 31.43 करोड़ रुपए ही है, 123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि (154.50 करोड़ रुपए - 31.43 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप, 52.19 करोड़ रुपए (70.88 करोड़ रुपए के क्षति भत्ते को समायोजित करने के बाद) तक हानि कम दर्शाई गई है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(ii) ग्रेन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) से सम्पर्क करने पर एनसीएलटी ने (फरवरी, 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। तद्नुसार, परिसमापन मूल्य का निर्धारण 10.37 करोड़ रुपए किया गया था। लेकिन आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य की बजाय मूलधन के रूप में 135.81 करोड़ रुपए की राशि को मान्यता दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय राशि 135.81 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 10.37 करोड़ रुपए है, शेष 125.44 करोड़ रुपए की राशि (135.81 करोड़ रुपए - 10.37 करोड़ रुपए) को ही बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 125.44 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 53.20 करोड़ रुपए (72.24 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(iii) एनसीएलटी के निर्णय और समाधान योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि. (वीआईएल) से आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत) 650.36 करोड़ रुपए की बकाया देय राशि (383.50 करोड़ रुपए का मूलधन और 266.86 करोड़ रुपए का ब्याज) के मद्दे अधिकतम 70.31 करोड़ रुपए तक सीमित था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन की जानकारी के अनुसार, सावधि जमा के रूप में 125 करोड़ रुपए की राशि पर लेनदारों के बीच वितरण के लिए विचार नहीं किया गया था और 302 करोड़ रुपए की राशि को प्रतिभूत दावों की बजाय अप्रतिभूत दावों के अधीन गलत वर्गीकृत किया गया था। कम्पनी के पक्ष में इस पर विचार करते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रुपए (427 करोड़ रुपए का 1.03 प्रतिशत) निकाली गई थी। इस प्रकार 650.36 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे वीआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि 74.71 करोड़ रुपए (70.31 करोड़ रुपए + 4.40 करोड़ रुपए) ही निकाली गई थी। अत: शेष 575.65 करोड़ रुपए (650.36 करोड़ रुपए - 74.71 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

575.65 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 244.13 करोड़ रुपए (331.52 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(iv) सी एण्ड सी प्रोजेक्ट्स लि. को 79.90 करोड़ रुपए की ऋण राशि के सम्बन्ध में समाधान योजना की अवधि समाप्त हो गई और इस मामले को परिसमापन हेतु भेजा गया। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रुपए निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था। तथापि आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य में कम्पनी के हिस्से की बजाय मूलधन के रूप में 75.90 करोड़ रुपए की समग्र ऋण राशि को मान्यता दे दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय मूल्य 75.90 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था, अत: 75.73 करोड़ रुपए (75.90 करोड़ रुपए - 0.17 करोड़ रुपए) की शेष राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

75.73 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 32.12 करोड़ रुपए (43.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(v) खेड सिन्नार एक्सप्रैस वे लि. (केएसईएल), जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आईयूएण्डएफएस ग्रुप के अधीन गठित एसपीवी है, से 31.03.2021 को 105.58 करोड़ रुपए (78.21 करोड़ रुपए का मूलधन और 27.37 करोड़ रुपए की स्टेज-3 ब्याज आय) की ऋण राशि को वसूलनीय राशि के रूप में मान्य किया गया है। परियोजना एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दी गई। आईएलएफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दाखिल की और मार्च, 2020 में इसे अनुमोदन

प्राप्त हो गया। अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आईएफसीआई का हिस्सा 63 करोड़ रुपए निकाला गया, लेकिन समूह के अन्य लेनदारों ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक राशि की वसूली करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि मामले का निर्णय समूह के अन्य लेनदारों के पक्ष में दिया जाता है तो आईएफसीआई की वसूली लगभग 75 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। चूंकि अनुमानित अधिकतम वसूली 75 करोड़ रुपए है, शेष 30.58 करोड़ रुपए (105.58 करोड़ रुपए-75 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

30.58 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 12.97 करोड़ रुपए (17.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(vi) वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए आईएफसीआई के खातों पर सीएण्डएजी की टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और टिप्पणी संख्या क1 (v) (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया था आईएलएण्डएफएस ट्रांसपोरेटेशन नेटवर्क लि. के सम्बन्ध में प्रतिभूति द्वारा समाहित न की गई समग्र बकाया राशि को बट्टे खाते डालने की बजाय ऋण परिसम्पत्तियों के रूप में समग्र बकाया राशि (हानि भत्ते के पश्चात्) को मान्य करने के कारण हानि कम दर्शाई गई है।

यह बताए जाने के बावजूद भी कम्पनी ने किसी प्रतिभूति के द्वारा समाहित न करके 24.62 करोड़ रुपए (33.75 करोड़ रुपए - 9.13 करोड़ रुपए) की बकाया राशि को बट्टे खाते नहीं डाला।

इसके परिणामस्वरूप ऋण को 10.44 करोड़ रुपए (24.62 करोड़ रुपए - क्षति भत्ते के लिए 14.18 करोड़ रुपए) तक अधिक दर्शाया गया है और इसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को कम दर्शाया गया है।

(vii) मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से 45 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए कम्पनी एनसीएलटी के पास गई। अपने निगमित ऋणी अर्थात् वीएस लिग्नाइट पावर प्रा. लि. से केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. द्वारा प्राप्त तीन समाधान योजनाओं के आधार पर आईएफसीआई अधिकतम 15.75 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. की परिसमापन आय से परिसमापक द्वारा आईएफसीआई को 3.71 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए। इस प्रकार केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से अधिकतम वसूलनीय राशि 19.46 करोड़ रुपए निकाली गइ। तदनुसार शेष 25.54 करोड़ रुपए (45 करोड़ रुपए-19.46 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था।

25.54 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 10.83 करोड़ रुपए (14.71 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।

(viii) अक्तूबर, 2013 में मैसर्स आरकॉम लिमिटेड को मंजूर किए गए 300 करोड़ रुपए (31.03.2021 को बकाया 135.05 करोड़ रुपए) के ऋण को 31 मार्च, 2018 को अलाभकारी खाते के रूप में घोषित किया गया। आरकॉम द्वारा आईएफसीआई तथा अन्य लेनदारों को ऋण की पुन: अदायगी के लिए की गई चूक के कारण एसबीआई (ऋणियों में से एक) ने मई, 2019 में बीडीओ लि. को आरकॉम की फोरेंसिक लेखा-परीक्षा का कार्य सौंपा। अक्तूबर, 2020 में प्रस्तुत किए गए बीडीओ लि. के निर्णय के आधार पर ऋणदाताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि उधार दी गई निधियों का आरकॉम द्वारा अन्यत्र उपयोग किया गया है।

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार निधियों का अन्यत्र प्रयोग करना खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के लिए एक मानदण्ड है। इस प्रकार आरकॉम के खाते को एसबीआई सहित कई लेनदारों द्वारा (दिसम्बर, 2020 में) धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया। आईएफसीआई की धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन समिति ने भी (मई, 2021 में) आरकॉम को दिए गए ऋण को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की।

तथापि कम्पनी ने आरकॉम को दिए गए ऋण को स्टेज-3 ऋण के रूप में दर्शाया और ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता मानने की बजाय इस पर 57.59 प्रतिशत की दर से ईसीएल का प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप भारिबैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ, जो यह निर्धारित करते हैं कि सूचित किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या, ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में समाहित राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा और वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए असमाशोधित प्रावधानों की मात्रा जैसे उपयुक्त प्रकटन किए जाने चाहिएं।

क.2 परिसम्पत्तियां

निवेश (टिप्पणी 8) 5504.10 करोड़ रुपए

लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 55 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यह निर्धारित करती है कि "सम्बन्धित परिचालनात्मक विभागों को रिपोर्टिंग अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए या तो बाह्य रूप से या आन्तरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए।"

तथापि चार मामलों[1] में निवेश मूल्य 340.75 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। यह 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 को उचित मूल्यांकन पर आधारित था और न की सूचित करने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2021 को।

ख. समेकित नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

ख.1 निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह

भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" का पैरा 21 यह सुझाव देता है कि "किसी संस्था को निवेश और वित्तपोषण और क्रियाकलापों से होने वाले सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद अदायगियों की मुख्य श्रणियों की सूचना अलग से देनी चाहिए"। लेकिन लेखा परीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला है:

(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की खरीद/के लिए अग्रिम के कारण 4.58 करोड़ रुपए की राशि को नकद प्रवाह विवरण में निवेश क्रियाकलापों के अधीन निवेश सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय के रूप में गलत दर्शाया गया है, इसके परिणामस्वरूप निवेश सम्पत्ति की बिक्री को अधिक दर्शाया गया है और सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) के लिए अग्रिम[1] खरीद को 4.58 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

(ख) कम्पनी में शेयरों/प्रतिभूतियों की बिकी से लाभ के लिए एक नीति है जिसकी सूचना पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन दी जानी है और तद्नुसार दो सामान्य खाता बही शीर्षो (57012004 और 82015013) से आय की सूचना आयकर विवरणी (फाइल की जाने वाली) में पूंजीगत लाभ से आय के अधीन दी जानी है। लेकिन कम्पनी ने निवेश क्रियाकलापों के अधीन दर्शाने की बजाय परिचालन क्रियाकलापों के अधीन उपर्युक्त खाता बही शीर्षों से (-) 101.73 करोड़ रुपए की आय को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह कम दर्शाया गया है और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह 101.73 करोड़ रुपए अधिक दर्शाया गया है।

ग. प्रकटन पर टिप्पणियां

ग.1 लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां

(क) कम्पनी ने पांच वर्ष की बजाय सात वर्ष की रेटिंग बदलते हुए चूक की संभावना के परिकलन हेतु मानदण्ड अनुमान में परिवर्तन किया है। तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार इसके प्रभाव की मात्रा बताई है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पनी ने कोविड के अनिश्चित प्रभाव के कारण चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 15 प्रतिशत का आघात दिया है और अत्यन्त विकट परिस्थिति में जीडीपी का (-)15 प्रतिशत पर ईसीएल को अपनाया है, जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी ने चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 10 प्रतिशत का आघात दिया था और मूल/सर्वोत्तम/खराब परिस्थिति के भारित औसत पर जीडीपी का +(-) 10 प्रतिशत ईसीएल अपनाया था।

तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार 47.18 करोड़ रुपए के समग्र प्रभाव की मात्रा बताई है।

1 कोस्टल एनर्जन प्रा. लि. (31 मार्च, 2019), गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. (31 मार्च, 2020) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (31 मार्च, 2020) और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (31 मार्च, 2019)

ग.2 कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2(च)(क)(i) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कतिपय स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को 1 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आईएफसीआई लि. के स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों या इसकी किसी भी सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में ऐसी कोई लेखांकन नीति नहीं देखी गई। अत: कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति आईएफसीआई लि. या इसकी किसी सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुरूप नहीं है।

ग.3 समेकित वित्तीय विवरणों की लेखांकन नीति संख्या 2(च)(क)(i) यह निर्धारित करती है कि कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन कर लिया है, जिसके द्वारा स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को 1 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी।

तथापि लेखांकन मानक 109 के पैरा नं. 5.4.1(बी) और 5.4.2 के अनुसार कम्पनी क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसम्पत्तियों को आय पर मान्यता देगी। इस प्रकार कम्पनी द्वारा बनाई गई लेखांकन नीति लेखांकन मानक 109 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती।

ग.4 समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39(iv) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि कम्पनी ने आय मान्यता और परिसम्पत्ति वर्गीकरण मानदण्डों के अनुसार सी3 और डी के रूप में मान्यताप्राप्त मामलों पर स्टेज-3 आय को मान्यता नहीं दी है। तद्नुसार, 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए के ईसीएल क्षति भत्ते को घटा कर) की राशि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष के लिए हानि 613.71 करोड़ रुपए उच्चतर हैं और सकल ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए निम्नतर हैं।

तथापि कम्पनी ने समग्र वर्ष 2020-21 के दौरान सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों में 2535.84 करोड़ रुपए की स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डाल दिया है। 1447.08 करोड़ रुपए की राशि (उपर्युक्त टिप्पणी में प्रकट की गई) वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी मामलों पर भी स्टेज-3 आय (502.80 करोड़ रुपए) और एनसीएलटी मामलों (455.30 करोड़ रुपए) को मान्यता न देने के सम्बन्ध में लेखों पर टिप्पणियों में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

अत: वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियां इस सीमा तक अपर्याप्त हैं।

घ. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

दिनांक 28 जून, 2021 की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

घ.1 इम्फेसिस ऑफ मेटर पैरा के अधीन बिन्दु संख्या क.3 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने यह बताया है कि कुछ स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता न देने की लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष की हानि 613.71 करोड़ रुपए अधिक है। तथापि लेखांकन नीति में परिवर्तन वर्ष 2021 के लिए नहीं था। वास्तव में, सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत कुछ मामलों, ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिभूति पर्याप्त है, में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने के कारण वर्ष के लिए कम्पनी की हानि 1180.36 करोड़ रुपए अधिक है। अत: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

घ.2 कम्पनी ने वर्ष के दौरान 3038.03 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाता डाला है जबकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग-क -निदेशन (अनुबंध क) की क्रम संख्या 02 में यह बताया है कि कम्पनी ने 1424.07 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाते डाला है। अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

घ.3 स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग ख - उप निदेशन (अनुबंध क) की क्रम संख्या 1 में यह बताया है कि प्रबंधन के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर, 94 कम्पनियों के शेयर या तो डीमेट या भौतिक रूप में है, जिन्हें अतीत में कम्पनी द्वारा अंतरित कर दिया गया है और किसी कारणवश हितोपभोगियों को ये शेयर अंतरित नहीं किए जा सके। तथापि कम्पनी द्वारा शेयरों के अंतरण को दर्शाने वाले कोई प्रलेख कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

(विधु सूद)
मुख्य लेखा-परीक्षा निदेशक
(उद्योग व निगमित कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.10.2021

अनुबंध-क

आईएफसीआई लि. की सहायक कम्पनियों के नाम, जिनकी पूरक लेखा-परीक्षा की गई थी:

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी का नाम	कम्पनी का प्रकार
1.	आईएफसीआई वेंचर केपिटल फंड्स लि.	सहायक कम्पनी
2.	आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	सहायक कम्पनी
3.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.	सहायक कम्पनी
4.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन लि.	सहायक कम्पनी
5.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	सहायक कम्पनी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्टेण्डअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा की गई पूरक लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर आईएफसीआई के समेकित उत्तर

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर
क. समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियां **क.1 परिसम्पत्तियां** **वित्तीय परिसम्पत्तियां ऋण (टिप्पणी सं. 7) 6840.83 करोड़ रुपए** ऋण अधिक बताया गया है और वर्ष के लिए हानि 415.88 करोड़ रुपए कम बताई गयी है जिसके विवरण इस प्रकार हैं : (i) मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) ने जुलाई, 2019 में बकाया मूलधन (165 करोड़ रुपए के लिए) पर 70 करोड़ रुपए की राशि के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कम्पनी ने अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के आधार पर 31.43 करोड़ रुपए की ही अधिकतम वसूलनीय राशि का हिसाब लगाया है। तद्नुसार, कम्पनी (जनवरी, 2020) 70 करोड़ रुपए के एकमुश्त निपटान के लिए सहमत हो गई। एमआईएल 10.50 करोड़ रुपए की अदायगी करने के बाद ओटीएस को पूरा करने में असमर्थ रही और इसलिए कम्पनी ने (दिसम्बर, 2020) ओटीएस को प्रभावी किया और कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी। तथापि इसने 154.50 करोड़ रुपए की समग्र मूलधन राशि को ऋण परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया और 57.59 प्रतिशत की दर से हानि भत्ते का सृजन किया। एमआईएल ने पुन: 30 करोड़ रुपए के ओटीएस का प्रस्ताव किया, जिसे कम्पनी द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि एमआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि केवल 31.43 करोड़ रुपए ही है, 123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि (154.50 करोड़ रुपए - 31.43 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 123.07 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप, 52.19 करोड़ रुपए (70.88 करोड़ रुपए के क्षति भत्ते को समायोजित करने के बाद) तक हानि कम दर्शाई गई है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(i) मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल)** आईएफसीआई द्वारा 70.00 करोड़ रुपए के एकमुश्त निपटान का अनुमोदन किया गया, जिसमें से एमआईएल द्वारा केवल 10.50 करोड़ रुपए की ही अदायगी की गई। चूंकि ऋणी ने समग्र ओटीएस वचनबद्धता को पूरा नहीं किया, इसलिए 31 दिसम्बर, 2020 के पत्र द्वारा एकमुश्त निपटान को प्रभावी किया गया। एमआईएल ने संशोधित ओटीएस प्रस्ताव सहित पुन: आईएफसीआई से सम्पर्क किया, जिसके लिए बातचीत चल रही है। ओटीएस मामलों में शेष अवसूलनीय राशि को समग्र ओटीएस राशि प्राप्त होने के बाद ही बट्टे खाते डाला जाता है।
(ii) ग्रेन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. (जीईपीएल) को दिए गए ऋण के लिए 135.81 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) से सम्पर्क करने पर एनसीएलटी ने (फरवरी, 2021) परिसमापन प्रक्रिया का आदेश दिया। तद्नुसार, परिसमापन मूल्य का निर्धारण 10.37 करोड़ रुपए किया गया था। लेकिन आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य की बजाय मूलधन के रूप में 135.81 करोड़ रुपए की राशि को मान्यता दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय राशि 135.81 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 10.37 करोड़ रुपए है, शेष 125.44 करोड़ रुपए की राशि (135.81 करोड़ रुपए - 10.37 करोड़ रुपए) को ही बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 125.44 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 53.20 करोड़ रुपए (72.24 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(ii) ग्रेन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. (जीईपीएल):** ग्रेन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि. (जीईपीएल) वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि. (वीआईएल) की एक ग्रुप कम्पनी है। जीईपीएल के ऋण को शाहजंहापुर स्थित भूमि, जिसे वीआईएल द्वारा बंधक रखा गया था, को समग्रत: बंधक द्वारा अंशत: प्रतिभूत किया गया था। वीआईएल आईबीसी के अधीन सीआईआरपी प्रक्रिया के अधीन है। टिवन स्टार टेक्नोलॉजीस लि. (वेदांता ग्रुप की एक कम्पनी) द्वारा लेनदारों (आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई) की देनदारी चुकाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सहित समग्र प्रतिभूति के साथ प्रस्तुत किया गया एक समाधान प्रस्ताव का अनुमोदन सीओसी के 98.17 प्रतिशत तक अनुमोदित किया किया गया। आईएफसीआई ने उपर्युक्त सहित सभी समाधान प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। सीओसी में आईएफसीआई का वोटिंग हिस्सा 1.03 प्रतिशत है। तद्नुसार माननीय एनसीएलटी द्वारा असहमत लेनदार अर्थात् आईएफसीआई को नकद अपफ्रंट अदायगी की मार्फत 70.31 करोड़ रुपए की राशि की अदायगी करने के लिए कहा गया। लेकिन असहमत वित्तीय लेनदार को परिसमापन मूल्य के परिकलन में और वित्तीय लेनदारों के लिए अन्तरनिहित 90-96 प्रतिशत के हेयरकट के अंतराल के कारण आईएफसीआई ने उपर्युक्त समाधान योजना के निष्पादन को स्थगित करने के लिए एनसीएलएटी के समक्ष एक अपील दायर की। आईएफसीआई की अपील पर एनसीएलएटी समाधान योजना के कार्यान्वयन/अनुमोदन को स्थगित कर दिया। इसलिए आईएफसीआई के लिए वसूलनीय राशि को क्रिस्टिलाइज्ड नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वसूली राशि में भविष्य में जीईपीएल के मामले में उपर्युक्त बंधक रखी गई भूमि के लिए प्रतिफल भी शामिल होगा और इससे इसे जीईपीएल की ऋण राशि में समायोजित किया जा सकेगा। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किसी समाधान योजना के अधीन सुलझाए जा रहे मामलों के लिए समग्र राशि की प्राप्ति के बाद ही शेष अवसूलनीय राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन होता है।
(iii) एनसीएलटी के निर्णय और समाधान योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि. (वीआईएल) से आईएफसीआई का दावा (1.03 प्रतिशत) 650.36 करोड़ रुपए की बकाया देय राशि (383.50 करोड़ रुपए का मूलधन और 266.86 करोड़ रुपए का ब्याज) के मद्दे अधिकतम 70.31 करोड़ रुपए तक सीमित था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन की जानकारी के अनुसार, सावधि जमा के रूप में 125 करोड़ रुपए की राशि पर लेनदारों के बीच वितरण के लिए विचार नहीं किया गया था और 302 करोड़ रुपए की राशि को प्रतिभूत दावों की बजाय अप्रतिभूत दावों के अधीन गलत वर्गीकृत किया गया था। कम्पनी के पक्ष में इस पर विचार करते हुए अधिकतम अतिरिक्त वसूली 4.40 करोड़ रुपए (427 करोड़ रुपए का 1.03 प्रतिशत) निकाली गई थी। इस प्रकार 650.36 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे वीआईएल से अधिकतम वसूलनीय राशि 74.71 करोड़ रुपए (70.31 करोड़ रुपए + 4.40 करोड़ रुपए) ही निकाली गई थी। अत: शेष 575.65 करोड़ रुपए (650.36 करोड़ रुपए - 74.71 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 575.65 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 244.13 करोड़ रुपए (331.52 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(iii) वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि. (वीआईएल)** लेनदारों की समिति की 19वीं बैठक में टिवन स्टार टेक्नोलॉजीस लि. (वेदांता ग्रुप की एक कम्पनी) द्वारा लेनदारों (आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई) की देनदारी चुकाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म सहित समग्र प्रतिभूति के साथ प्रस्तुत किए गए एक समाधान प्रस्ताव का अनुमोदन सीओसी के 98.17 प्रतिशत तक अनुमोदित किया गया। आईएफसीआई ने उपर्युक्त सहित सभी समाधान प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। सीओसी में आईएफसीआई का वोटिंग हिस्सा 1.03 प्रतिशत है। तद्नुसार माननीय एनसीएलटी द्वारा असहमत लेनदार अर्थात् आईएफसीआई को नकद अपफ्रंट अदायगी की मार्फत 70.31 करोड़ रुपए की राशि की अदायगी करने के लिए कहा गया। लेकिन असहमत वित्तीय लेनदार को परिसमापन मूल्य के परिकलन में और वित्तीय लेनदारों के लिए अन्तरनिहित 90-96 प्रतिशत के हेयरकट के अंतराल के कारण आईएफसीआई ने उपर्युक्त समाधान योजना के निष्पादन को स्थगित करने के लिए एनसीएलएटी के समक्ष एक अपील दायर की। आईएफसीआई की अपील पर एनसीएलएटी ने समाधान योजना के कार्यान्वयन/अनुमोदन को स्थगित कर दिया। इसलिए आईएफसीआई के लिए वसूलनीय राशि को क्रिस्टिलाइज्ड नहीं किया गया। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किसी समाधान योजना के अधीन सुलझाए जा रहे मामलों के लिए समग्र राशि की प्राप्ति के बाद ही शेष अवसूलनीय राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन होता है। तथापि 30 जून, 2021 की तिमाही में 266.86 करोड़ रुपए की स्टेज-3 आय को पहले ही बट्टे खाते डाला जा चुका है।

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर
(iv) सी एण्ड सी प्रोजेक्ट्स लि. को 79.90 करोड़ रुपए की ऋण राशि के सम्बन्ध में समाधान योजना की अवधि समाप्त हो गई और इस मामले को परिसमापन हेतु भेजा गया। परिसमापन मूल्य 234 करोड़ रुपए निकाला गया और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था। तथापि आईएफसीआई ने परिसमापन मूल्य में कम्पनी के हिस्से की बजाय मूलधन के रूप में 75.90 करोड़ रुपए की समग्र ऋण राशि को मान्यता दे दी। चूंकि अधिकतम वसूलनीय मूल्य 75.90 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि के मद्दे केवल 0.17 करोड़ रुपए ही था, अत: 75.73 करोड़ रुपए (75.90 करोड़ रुपए - 0.17 करोड़ रुपए) की शेष राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 75.73 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 32.12 करोड़ रुपए (43.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(iv) सी एण्ड सी प्रोजेक्ट्स लि.** 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार (भारिबैंक आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार) 66.93 करोड़ रुपए का प्रावधान खाते में पहले ही कर दिया गया है। लेकिन खाते में इसे बट्टे खाते नहीं डाला गया क्योंकि फलैगशिप कम्पनी के समाधान/परिसमापन पर निर्णय लम्बित होने के कारण समाधान राशि को क्रिस्टिलाइज्ड नहीं किया गया। एनसीएलटी द्वारा समाधान या परिसमापन किए जा रहे मामलों के लिए समग्र राशि की प्राप्ति के बाद ही शेष अवसूलनीय राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन होता है।
(v) खेड सिन्नार एक्सप्रैस वे लि. (केएसईएल), जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आईयूएण्डएफएस ग्रुप के अधीन गठित एसपीवी है, से 31.03.2021 को 105.58 करोड़ रुपए (78.21 करोड़ रुपए का मूलधन और 27.37 करोड़ रुपए की स्टेज-3 ब्याज आय) की ऋण राशि को वसूलनीय राशि के रूप में मान्य किया गया है। परियोजना एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दी गई। आईएलएफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दाखिल की और मार्च, 2020 में इसे अनुमोदन प्राप्त हो गया। अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आईएफसीआई का हिस्सा 63 करोड़ रुपए निकाला गया, लेकिन समूह के अन्य लेनदारों ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक राशि की वसूली करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि मामले का निर्णय समूह के अन्य लेनदारों के पक्ष में दिया जाता है तो आईएफसीआई की वसूली लगभग 75 करोड़ रुपए बढ़ सकती है। चूंकि अनुमानित अधिकतम वसूली 75 करोड़ रुपए है, शेष 30.58 करोड़ रुपए (105.58 करोड़ रुपए - 75 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 30.58 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 12.97 करोड़ रुपए (17.61 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(v) खेड सिन्नार एक्सप्रैस वे लि. (केएसईएल)** 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार (भारिबैंक आईआरएसी मानदण्डों के अनुसार) 34.77 करोड़ रुपए के प्रावधान खाते के लिए रखा गया है, लेकिन ऋण खाते में इसे बट्टे खाते नहीं डाला गया क्योंकि समाधान राशि आईएफसीआई द्वारा अभी तक वसूल नहीं की गई। एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित किसी समाधान योजना के अधीन निपटाए जा रहे मामलों के लिए समग्र राशि की प्राप्ति के बाद ही शेष अवसूलनीय राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन होता है।
(vi) वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए आईएफसीआई के खातों पर सीएण्डएजी की टिप्पणी संख्या क.1 (iii) और टिप्पणी संख्या क.1 (v) (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया था आईएलएण्डएफएस ट्रांसपोरेटेशन नेटवर्क लि. के सम्बन्ध में प्रतिभूति द्वारा समाहित न की गई समग्र बकाया राशि को बट्टे खाते डालने की बजाय ऋण परिसम्पत्तियों के रूप में समग्र बकाया राशि (हानि भत्ते के पश्चात्) को मान्य करने के कारण हानि कम दर्शाई गई है। यह बताए जाने के बावजूद भी कम्पनी ने किसी प्रतिभूति के द्वारा समाहित न करके 24.62 करोड़ रुपए (33.75 करोड़ रुपए - 9.13 करोड़ रुपए) की बकाया राशि को बट्टे खाते नहीं डाला। इसके परिणामस्वरूप ऋण को 10.44 करोड़ रुपए (24.62 करोड़ रुपए - क्षति भत्ते के लिए 14.18 करोड़ रुपए) तक अधिक दर्शाया गया है और इसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को कम दर्शाया गया है।	**(vi) आईएलएण्डएफएस ट्रांसपोरेटेशन नेटवर्क लि.** आईएलएण्डएफएस और इसकी समूह कम्पनियों (आईटीएनएल और इसकी सहायक कम्पनियों) का समाधान एनसीएलटी द्वारा इसके दिनांक 01/10/2018 के आदेश द्वारा नियुक्त भारत सरकार के नामित बोर्ड के पर्यवेक्षण के अधीन किया जा रहा है। नए बोर्ड ने, अपने सलाहकारों के साथ मिलकर, 5 परिसम्पत्तियों के लिए बिक्री प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जहां एच1 उच्चतर/समाधान ढांचे के अनुसार उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अधीन औसत एफएमवी के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत था। शेष सड़क परिसम्पत्तियों के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 (''निवेश आईटी विनियम'') और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के संगत विनियमों के अधीन अवसंरचना निवेश न्यास की स्थापना करने पर विचार किया गया था, जो कि संभवत: उच्चतर मूल्य वसूली में सहयोग देने का प्राथमिक विकल्प हो सकता है। प्रस्तावित निवेश आईटी संरचना को तीन चरणों में विभाजित किया गया और माननीय एनसीएलटी ने दिनांक 27 जुलाई, 2021 को फेज-1 एसपीवी को निवेश आईटी में अन्तरित करने का अनुमोदन किया। अब रियायती प्राधिकरणों से अनुमोदन की प्राप्ति पर सम्बन्धित फेज-1 एसपीवी लेनदारों और एनएचएआई के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। आईएफसीआई के मामले में दावा की गई और स्वीकार की गई राशि 35.70 करोड़ रुपए है, जो कुल दावों का 0.18 प्रतिशत है। आईएफसीआई ने विभिन्न बैठकों में नकद की वितरण प्रणाली स्पष्ट न होने के कारण इस मामले को कई बार उठाया है और इनविट संरचना की इकाइयों और ऋणदाता-वार वितरण भी उपलब्ध नहीं है। चूंकि निर्धारित समयावधि में वसूल की जाने वाली अनुमानित राशि सहित ऋणदाता-वार वितरण सीओसी को अभी प्रस्तुत किया जाना है, इसलिए ऋण के अप्रतिभूत भाग को बट्टे खाते डालने का निर्णय समाधान योजना की प्रगति के आधार पर लिया जाना होगा।
(vii) मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से 45 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए कम्पनी एनसीएलटी के पास गई। अपने निगमित ऋणी अर्थात् वीएस लिग्नाइट पावर प्रा. लि. से केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. द्वारा प्राप्त तीन समाधान योजनाओं के आधार पर आईएफसीआई अधिकतम 15.75 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. की परिसमापन आय से परिसमापक द्वारा आईएफसीआई को 3.71 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए। इस प्रकार केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. से अधिकतम वसूलनीय राशि 19.46 करोड़ रुपए निकाली गई। तदनुसार शेष 25.54 करोड़ रुपए (45 करोड़ रुपए - 19.46 करोड़ रुपए) की राशि को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। 25.54 करोड़ रुपए की शेष राशि को बट्टे खाते न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 10.83 करोड़ रुपए (14.71 करोड़ रुपए (57.59 प्रतिशत) के क्षति भत्ते के समायोजन के बाद) तक कम दर्शाया गया है और इसी राशि तक ऋण अधिक दर्शाया गया है।	**(vii) मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.** 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. के खाते में बकाया मूलधन 45 करोड़ रुपए था। वीएस लिग्नाइट पावर प्रा. लि. (केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. का निगमित गारंटीकर्ता) की सीआईआरपी समाधान योजना के अनुसार, जिस पर 16 मार्च, 2021 को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया था, आईएफसीआई 5 वर्षों की अवधि तक 15.75 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करेगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त आईएफसीआई ने केएसके एनर्जी वेंचर्स लि. के परिसमापन के अधीन अपना दावा भी प्रस्तुत किया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार वसूलनीय कुल राशि को क्रिस्टिलाइज्ड नहीं किया जा सका। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार खाते में 33.98 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो 29.25 करोड़ रुपए की शेष राशि से अधिक है। एनसीएलटी द्वारा समाधान या परिसमापन किए जा रहे मामलों के लिए समग्र राशि की प्राप्ति के बाद ही शेष अवसूलनीय राशि को बट्टे खाते में डाला जाता है, जैसा कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन होता है।

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर
(viii) अक्तूबर, 2013 में मैसर्स आरकॉम लिमिटेड को मंजूर किए गए 300 करोड़ रुपए (31.03.2021 को बकाया 135.05 करोड़ रुपए) के ऋण को 31 मार्च, 2018 को अलाभकारी खाते के रूप में घोषित किया गया। आरकॉम द्वारा आईएफसीआई तथा अन्य लेनदारों को ऋण की पुन: अदायगी के लिए की गई चूक के कारण एसबीआई (ऋणियों में से एक) ने मई, 2019 में बीडीओ लि. को आरकॉम की फोरेंसिक लेखा-परीक्षा का कार्य सौंपा। अक्तूबर, 2020 में प्रस्तुत किए गए बीडीओ लि. के निर्णय के आधार पर ऋणदाताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि उधार ली गई निधियों का आरकॉम द्वारा अन्यत्र उपयोग किया गया है। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार निधियों का अन्यत्र प्रयोग करना खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के लिए एक मानदण्ड है। इस प्रकार आरकॉम के खाते को एसबीआई सहित कई लेनदारों द्वारा (दिसम्बर, 2020 में) धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया। आईएफसीआई की धोखाधड़ी जोखिम प्रबन्धन समिति ने भी (मई, 2021 में) आरकॉम को दिए गए ऋण को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। तथापि कम्पनी ने आरकॉम को दिए गए ऋण को स्टेज-3 ऋण के रूप में दर्शाया और ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला खाता मानने की बजाय इस पर 57.59 प्रतिशत की दर से ईसीएल का प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप भारिबैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन हुआ, जो यह निर्धारित करते हैं कि सूचित किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या, ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में समाहित राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा और वर्ष के अंत में अन्य आरक्षित निधियों से डेबिट किए गए असमाशोधित प्रावधानों की मात्रा जैसे उपयुक्त प्रकटन किए जाने चाहिएं।	**(viii) मैसर्स आरकॉम लिमिटेड** अन्य लेनदारों द्वारा खाते में घोषित धोखाधड़ी के अनुसार आईएफसीआई के सक्षम प्राधिकारी ने भी मैसर्स बीडीओ इण्डिया एलएलपी द्वारा की गई फोरेंसिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों और 04 मई, 2021 को हुई इसकी बैठक में एफआरएमसी की सिफारिशों के आधार पर 15 जुलाई, 2021 को इस खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने हेतु अपना अनुमोदन भी दे दिया। इसके बाद 04 अगस्त, 2021 को इस खाते की सूचना धोखाधड़ी के रूप में भारिबैंक को दे दी गई। तद्नुसार चालू तिमाही अर्थात् जुलाई-सितम्बर, 2021 में खाते में 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा। तद्नुसार 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त अवधि में आरकॉम को दिए गए ऋण के मद्दे 100 प्रतिशत की दर पर ईसीएल का प्रावधान किया गया।
क.2 परिसम्पत्तियां **परिसम्पत्तियां (टिप्पणी 8) 5504.10 करोड़ रुपए** लेखो पर टिप्पणियों की स्टैण्डअलोन टिप्पणी संख्या 52 (ख) [समेकित टिप्पणी संख्या 55] की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यह निर्धारित करती है कि "सम्बन्धित परिचालनात्मक विभागों को रिपोर्टिंग अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए या तो बाह्य रूप से या आन्तरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन का कार्य करना चाहिए।" तथापि चार मामलों[1] में निवेश मूल्य 340.75 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। यह 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 को उचित मूल्यांकन पर आधारित था और न की सूचित करने की तारीख अर्थात् 31 मार्च, 2021 को।	कोस्टल एनर्जन प्रा लि. (सीईपीएल) के मामले में शेयरों में निवेश का मूल्य अप्रैल, 2019 की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर था, जिस पर 10.28 रुपए प्रति शेयर के रूप में इक्विटी मूल्यांकन का प्रावधान किया गया। सीईपीएल में प्रवर्तक निपटान का प्रस्ताव कर रहे थे, जिसमें 10 रुपए प्रति शेयर की दर पर अदा की जाने वाली इक्विटी के 85 प्रतिशत की अदायगी शामिल थी और शेष 15 प्रतिशत आईएफसीआई सहित लेनदारों द्वारा निरंतर धारित की जा सकती है। कम्पनी ने निपटान के प्रति लगभग 72 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी है और कोविड को देखते हुए शेष राशि की अदायगी के लिए समय मांगा है। यदि कम्पनी निर्धारित समयावधि में अदायगी नहीं करती तो आईएफसीआई द्वारा धारित किए जा रहे शेयरों के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा। 31.03.2020 को लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. (जीएसईजी) का उचित मूल्य 10.94 रुपए प्रति शेयर था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 31.03.2021 को कम्पनी की कुल इक्विटी 651.72 करोड़ रुपए है। जीएसईजी के लिए 31.03.2021 को शेयरों का कुल मूल्य 50.72 करोड़ रुपए और प्रति शेयर बही मूल्य 12.85 रुपए निकलता है। अत: आईएफसीआई द्वारा अपनी खाता बहियों में कंजरवेटिव आधार पर मूल्यांकन किया गया। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (जीएसपीसी) के मामले में 8.61 रुपए प्रति शेयर का उचित मूल्य इक्विटी निवेशकों को एग्जिट विकल्प के बारे में जीएसपीसी के दिनांक 31.03.2020 के पत्र पर आधारित था। इस दौरान, जीएसपीसी ने किरण कुमार पटेल, आाईआईबीआई का पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा दी गई दिनांक 12.04.2021 की मूल्यांकन रिपोर्ट भेजी है, जिसके अनुसार मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन के इक्विटी शेयरों का मूल्य 31.03.2021 की स्थिति अनुसार 9.87 रुपए प्रति इक्विटी शेयर आता है। अत: आईएफसीआई द्वारा अपनी खाता बहियों में कंजरवेटिव आधार पर मूल्यांकन किया गया। एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (एचएमईएल) के मामले में हुई क्रेडिट परिचालन समिति ने दिनांक 04 अगस्त, 2020 को अपनी बैठक में एचएमईएल के 26.96 रुपए प्रति शेयर के उचित बाजार मूल्य को स्वीकार करने की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, 04 सितम्बर, 2020 को हुई सीओसी बैठक में समिति को सूचित किया गया था कि एचएमईएल और प्रवर्तकों (एचपीसीएल/एमईआईपी) को तद्नुसार 19 अगस्त, 2020 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें शेयर अभिदान करार (एसएसए) के खण्ड 10 की शर्तों के अनुसार 26.96 रुपए प्रति शेयर के उचित बाजार मूल्य पर एचएमईएल में आईएफसीआई की इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए अगली कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। लेकिन एचएमईएल ने इस मूल्यांकन को स्वीकार नहीं किया और कहा कि अर्थव्यवस्था में समग्रत: मंदी के कारण यह मूल्य इक्विटी के वास्तविक मूल्य को नहीं दर्शाता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी सूचित किया कि एचएमईएल एक फार्मास्युटिकल संयंत्र लगाने का कार्य कर रहा है, जिससे एचएमईएल के मूल्य में वृद्धि होने की आशा है। फार्मास्युटिकल संयंत्र एचएमईएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। तद्नुसार विनिवेश प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व आईएफसीआई द्वारा अगला मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान क्रेडिट परिचालन समिति द्वारा यथास्वीकृत पहले वाला 26.96 रुपए के मूल्यांकन पर तुलनपत्र प्रयोजन हेतु विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कोविड महामारी के कारण इन चार मामलों में निवेश का मूल्यांकन कार्य वित्तीय वर्ष 2021 में नहीं किया जा सका और यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

1 कोस्टल एनर्जन प्रा. लि. (31 मार्च, 2019), गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. (31 मार्च, 2020) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (31 मार्च, 2020) और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लि. (31 मार्च, 2019)

<table>
<tr><th>नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां</th><th>आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>

ख. समेकित नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

ख.1 निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह

भारतीय लेखांकन मानक 7 "नकद प्रवाह का विवरण" का पैरा 21 यह सुझाव देता है कि "किसी संस्था को निवेश और वित्तपोषण और क्रियाकलापों से होने वाले सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद अदायगियों की मुख्य श्रणियों की सूचना अलग से देनी चाहिए"। लेकिन लेखा परीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला है:

</td><td></td></tr>
<tr><td>

(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की खरीद/के लिए अग्रिम के कारण 4.58 करोड़ रुपए की राशि को नकद प्रवाह विवरण में निवेश क्रियाकलापों के अधीन निवेश सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय के रूप में गलत दर्शाया गया है, इसके परिणामस्वरूप निवेश सम्पत्ति की बिक्री को अधिक दर्शाया गया है और सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) के लिए अग्रिम' खरीद को 4.58 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

</td><td>

(क) संशोधित प्रकटन 4.58 करोड़ रुपए की राशि मूल्यह्रास है, जिसे भूलवश 'निवेश सम्पत्ति की बिक्री से प्रतिफल' के रूप में दर्शाया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में पुन: वर्गीकरण करके इसे निम्नानुसार संशोधित किया गया।

मौजूदा प्रकटन (करोड़ रुपए)

<table>
<tr><td>सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद/के लिए अग्रिम (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित)</td><td>(82.84)</td></tr>
<tr><td>निवेश सम्पत्ति की बिक्री से आय</td><td>4.58</td></tr>
</table>

संशोधित प्रकटन (करोड़ रुपए)

<table>
<tr><td>सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद/के लिए अग्रिम (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित)</td><td>(78.26)</td></tr>
<tr><td>निवेश सम्पत्ति की बिक्री से आय</td><td>0.00</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>

(ख) सहायक कम्पनियों में निवेश में क्षति की 11.34 करोड़ रुपए की राशि को नकद प्रवाह विवरण में निवेश क्रियाकलापों के अधीन निवेश की बिक्री को दर्शाते हुए 'सहायक कम्पनियों में निवेश' के रूप गलत दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह अधिक दर्शाया गया है और परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह 11.34 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

</td><td>

(ख) सहायक कम्पनियों में निवेश के सम्बन्ध में 11.34 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति हानि है, जिसे भूलवश 'सहायक कम्पनियों में निवेश' के रूप में दर्शाया गया है।

मौजूदा प्रकटन (करोड़ रुपए)

<table>
<tr><td>सहायक कम्पनियों में निवेश</td><td>11.34</td></tr>
<tr><td>निवेश में (वृद्धि)/कमी</td><td>(727.68)</td></tr>
</table>

संशोधित प्रकटन (करोड़ रुपए)

<table>
<tr><td>सहायक कम्पनियों में निवेश</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>निवेश में (वृद्धि)/कमी</td><td>(716.34)</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>

(ग) कम्पनी में शेयरों/प्रतिभूतियों की बिकी से लाभ के लिए एक नीति है जिसकी सूचना पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन दी जानी है और तद्नुसार दो सामान्य खाता बही शीर्षों (57012004 और 82015013) से आय की सूचना आयकर विवरणी (फाइल की जाने वाली) में पूंजीगत लाभ से आय के अधीन दी जानी है। लेकिन कम्पनी ने निवेश क्रियाकलापों के अधीन दर्शाने की बजाय परिचालन क्रियाकलापों के अधीन उपर्युक्त खाता बही शीर्षों से (-) 101.73 करोड़ रुपए की आय को दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह कम दर्शाया गया है और निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह 101.73 करोड़ रुपए अधिक दर्शाया गया है।

</td><td>

(ग) निवेशों के सम्बन्ध में निवेश से आय आईएफसीआई के लिए परिचालन क्रियाकलाप हैं और तद्नुसार इसे नकद प्रवाह विवरण में समूहित किया गया है, लेकिन शेयरों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर कराधान - जारी करने के सम्बन्ध में सीबीडीटी के दिनांक 29 फरवरी, 2016 के परिपत्र संख्या 06/2016 के अनुसार - पूंजीगत लाभ या कारोबार आय

....

(ख) अपने अन्तरण की तारीख से तत्काल पूर्व 12 माह से अधिक अवधि के लिए धारित सूचीबद्ध शेयरों और प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में यदि निर्धारिती उसके अन्तरण से उद्भूत आय को पूंजीगत लाभ के रूप में मानना चाहता है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे विवाद नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यदि किसी विशेष कर निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा एक बार यह निर्णय ले लिया जाता है तो बाद के निर्धारण वर्षों में भी यह निरंतर लागू रहेगा और करदाताओं को बाद के वर्षों में इस सम्बन्ध में कोई अलग अथवा विपरीत तरीका अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तद्नुसार दो खाता बहियों शीर्षों (57012004 और 82015013) के अधीन आय की सूचना आयकर विवरणी में दीर्घावधि पूंजीगत लाभ से आय के अधीन दी गई है।

</td></tr>
</table>

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर
ग. प्रकटन पर टिप्पणियां **ग.1 लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां**	
(क) कम्पनी ने 05 वर्ष की बजाय 07 वर्ष की रेटिंग बदलते हुए चूक की संभावना के परिकलन हेतु मानदण्ड अनुमान में परिवर्तन किया है। तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार इसके प्रभाव की मात्रा बताई है।	(क) रेटिंग माइग्रेशन स्टेज-1 और स्टेज-2 पीडी के परिकलन करने का एक इनपुट है। जब ईसीएल मॉडल का कार्यान्वयन किया गया तब डेटा अवरोध थे, अत: पीडी का परिकलन करने के लिए पांच वर्ष के रेटिंग माइग्रेशंस पर विचार किया गया। लेकिन, चूंकि हमारे पास अब पहले से बड़ा डेटासेट उपलब्ध है, अत: पीडी के परिकलन के लिए सात वर्ष के रेटिंग माइग्रेशंस को लिया जा रहा है। इस प्राक्कलन में भारिबैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों के अनुरूप परिवर्तन किया गया। परिवर्तन के प्रभाव (19.78 करोड़ रुपए) की सूचना बोर्ड को दिनांक 28 जून, 2021 के ज्ञापन संख्या 32/2021-22 के द्वारा विधिवत् रूप से दी गई। इसका वार्षिक रिपोर्ट की टिप्पणी संख्या 40.1 (स्टेण्डअलोन) और 39 (vii) (समेकित) के अधीन लेखों पर टिप्पणियों में उपयुक्त रूप से प्रकटन किया गया है।
(ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पनी ने कोविड के अनिश्चित प्रभाव के कारण चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 15 प्रतिशत का आघात दिया है और अत्यन्त विकट परिस्थिति में जीडीपी का (-)15 प्रतिशत पर ईसीएल को अपनाया है, जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी ने चूक की संभावना के परिकलन के मॉडल में जीडीपी के 10 प्रतिशत का आघात दिया था और मूल/सर्वोत्तम/खराब परिस्थिति के भारित औसत पर जीडीपी का +(-) 10 प्रतिशत ईसीएल अपनाया था। तथापि कम्पनी ने न तो इस तथ्य को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है और न ही भारतीय लेखांकन मानक 8 के पैरा 39 के अधीन अपेक्षा के अनुसार 47.18 करोड़ रुपए के समग्र प्रभाव की मात्रा बताई है।	(ख) वित्तीय वर्ष 2020 कोविड-19 के कारण एक अपवादात्मक वर्ष रहा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद को 15 प्रतिशत का आघात दिया गया और सबसे खराब मामलों में इस पर संभावित प्रभाव का हिसाब लगाने के लिए ईसीएल पर विचार किया गया। तथापि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सामान्य हुई, परिकलन अपने पहले वाले वास्तविक मॉडल पर किया गया, जिसमें जीडीपी के 10 प्रतिशत का आघात दिया गया और भारित औसत ईसीएल को हिसाब में लिया गया। चूंकि कम्पनी अपने वास्तविक मॉडल पर वापस आ गई है और पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020) में अपवादात्मक परिवर्तन का प्रकटन किया गया था, अत: इसे वित्तीय वर्ष 2021 में प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है।
ग.2 कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2(च)(क)(i) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कतिपय स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आईएफसीआई लि. के स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों या इसकी किसी भी सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में ऐसी कोई लेखांकन नीति नहीं देखी गई। अत: कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति आईएफसीआई लि. या इसकी किसी सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुरूप नहीं है।	आईएफसीआई भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से ही क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों (स्टेज-3 आय) पर आय को मान्यता दे रहा है। सीएजी टीम और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की सिफारिशों पर, चूंकि क्रेडिट क्षतिग्रस्त मामलों से वसूली की राशि से बकाया राशि (सम्बन्धित स्टेज-3 आय सहित) पूर्णत: समाहित नहीं हुई, एनसीएलटी अनुमोदित मामलों पर स्टेज-3 आय और धोखाधड़ी वाले खातों को पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में बट्टे खाते डाल दिया गया। चौथी तिमाही में भी आईएफसीआई ने ऐसे मामलों, जहां पर्याप्त प्रतिभूति है को छोड़कर, भारिबैंक के वर्गीकरण के अनुसार सी-3 और डी के रूप में श्रेणीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है। इसके जैसी अन्य सरकारी एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्टों से यह देखा गया है कि दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान का निर्णय न होने तक क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय को एक विवेकसम्मत मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही। अत: इसके जैसी अन्य कम्पनियों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप आईएफसीआई के बोर्ड ने यह अनुमोदित किया कि 01 अप्रैल, 2021 से स्टेज-3 आय को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। स्टेज-3 आय की मान्यता में परिवर्तन की प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2021 है और इसका अनुमोदन निदेशक बोर्ड ने 28 जून, 2021 को दिया। तद्नुसार सहायक कम्पनियों को भी इसकी सूचना दी गई और वे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस नीति के अनुरूप कार्य करेंगे।
ग.3 समेकित वित्तीय विवरणों की लेखांकन नीति संख्या 2(च)(क)(i) यह निर्धारित करती है कि कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन कर लिया है, जिसके द्वारा स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को 1 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी। तथापि लेखांकन मानक 109 के पैरा नं. 5.4.1(बी) और 5.4.2 के अनुसार कम्पनी क्रेडिट क्षतिग्रस्त वित्तीय परिसम्पत्तियों को आय पर मान्यता देगी। इस प्रकार कम्पनी द्वारा बनाई गई लेखांकन नीति लेखांकन मानक 109 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती।	आईएफसीआई भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से ही क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों (स्टेज-3 आय) पर आय को मान्यता दे रहा है। सीएजी टीम और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की सिफारिशों पर, चूंकि क्रेडिट क्षतिग्रस्त मामलों से वसूली की राशि से बकाया राशि (सम्बन्धित स्टेज-3 आय सहित) पूर्णत: समाहित नहीं हुई, एनसीएलटी अनुमोदित मामलों पर स्टेज-3 आय और धोखाधड़ी वाले खातों को पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में बट्टे खाते डाल दिया गया। चौथी तिमाही में भी आईएफसीआई ने ऐसे मामलों, जहां पर्याप्त प्रतिभूति है को छोड़कर, भारिबैंक के वर्गीकरण के अनुसार सी-3 और डी के रूप में श्रेणीबद्ध मामलों के सम्बन्ध में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है। इसके जैसी अन्य सरकारी एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्टों से यह देखा गया है कि दबाव परिसम्पत्तियों के समाधान का निर्णय न होने तक क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय को एक विवेकसम्मत मामले के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही। अत: इसके जैसी अन्य कम्पनियों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप आईएफसीआई के बोर्ड ने यह अनुमोदित किया कि 01 अप्रैल, 2021 से स्टेज-3 आय को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।
ग.4 स्टेण्डअलोन टिप्पणी सं. 40 [समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39(iv)] की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि कम्पनी ने आय मान्यता और परिसम्पत्ति वर्गीकरण मानदण्डों के अनुसार सी3 और डी के रूप में मान्यता प्राप्त मामलों पर स्टेज-3 आय को मान्यता नहीं दी है। तद्नुसार, 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए के ईसीएल क्षति भत्ते को घटा कर) की राशि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष के लिए हानि 613.71 करोड़ रुपए उच्चतर हैं और सकल ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए निम्नतर हैं। तथापि कम्पनी ने समग्र वर्ष 2020-21 के दौरान सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर 2535.84 करोड़ रुपए की स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डाल दिया है। 1447.08 करोड़ रुपए की राशि (उपर्युक्त टिप्पणी में प्रकट की गई) वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी मामलों पर भी स्टेज-3 आय (502.80 करोड़ रुपए) और एनसीएलटी मामलों (455.30 करोड़ रुपए) को मान्यता न देने के सम्बन्ध में लेखों पर टिप्पणियों में कोई प्रकटन नहीं किया गया है। अत: वित्तीय विवरणों के खातों पर टिप्पणियां इस सीमा तक अपर्याप्त हैं।	वित्तीय वर्ष 2021 में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा सी-3 और डी (ऐसे मामलों, जहां पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध है, को छोड़कर) की स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन दिया गया। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में बट्टे खाते का प्रभाव 613.73 करोड़ रुपए था। सकल बट्टे खाते की राशि 1447.09 करोड़ रुपए थी । स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में लेखांकन नीति में परिवर्तन के बारे में वित्तीय परिणामों में उपयुक्त रूप से प्रकटन किया गया। तथापि, उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान धोखाधड़ी मामलों और एनसीएलटी मामलों, जहां राशि को क्रिस्टिलाइज्ड किया गया है, में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डाला गया। इन एनसीएलटी और धोखाधड़ी मामलों में कुछ सी3 और डी मामले भी शामिल हैं, अत: पूरे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए सी3 और डी श्रेणी के मामलों हेतु बट्टे खाते डाली गई कुल स्टेज-3 की सकल राशि 2535.84 करोड़ रुपए (निवल 1180.36 करोड़ रुपए) है। इसके अतिरिक्त, स्टेज-3 आय के कुल बट्टे खाते मामलों में सी3 और डी, एनसीएलटी एवं धोखाधड़ी मामले भी शामिल हैं, जिसकी सकल राशि 3038.03 करोड़ रुपए, निवल 1434.07 करोड़ रुपए निकलती है।

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	आईएफसीआई के प्रबंधन का उत्तर
	वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान बट्टे खाते डाली गई स्टेज-3 आय के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	सकल	निवल
सी3 व डी	1447.08	613.71
एनसीएलटी	455.30	218.19
धोखाधड़ी	502.80	253.25
अन्य	632.85	338.91
जोड़	**3038.03**	**1424.07**

नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियां
घ. स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी **घ.1 दिनांक 28 जून, 2021 की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट** स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट के अनुबंध-I की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सीएआरओ) के अधीन नियामक अपेक्षा से सम्बन्धित है। लेखा-परीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई: 1. बिन्दु संख्या (vii) (ख) में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई: • निर्धारण वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित (1.23 करोड़ रुपए) के जुर्माने का एक विवादग्रस्त मामला आईटीएटी, नई दिल्ली की बजाय सीआईटी (ए) में लम्बित है। • निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आय कर मांग के मामले में विवादग्रस्त राशि 2.61 करोड़ रुपए की बजाय 43.40 करोड़ रुपए है।	**यह सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से सम्बन्धित है। इस पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर** 1. अनुबन्ध-क के बिन्दु संख्या (vii)(ख) की पूछताछ का उत्तर निम्नानुसार है: • यह मामला, आईटीएटी के विचाराधीन है, जिस पर आईएफसीआई पर जुर्माना लगाया गया था और जुर्माने का मामला सीआईटी (ए) के पास लम्बित है। आईटीएटी द्वारा अनुकूल निर्णय लेने के मामले में जुर्माना अवैध हो जाएगा और इसलिए आईटीएटी, जो यहां इससे बड़ा मंच है, को तद्नुसार दर्शाया गया है। • सीएआरओ, 2016 का बिन्दु संख्या (vii)(ख) की विषय-वस्तु है **''जहां आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्यवर्धित कर की देय राशियां किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई तो समाहित राशियां और मंच, जहां विवाद लम्बित है, का उल्लेख किया जाएगा।''** इस प्रकार हमें उन्हीं राशियों की सूचना देना आवश्यक होगा जो जमा नहीं कराई जाती। चूंकि 40.79 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जमा/समायोजित कराई जा चुकी है इसलिए प्रकटन सही नहीं है।
2. बिन्दु संख्या (xiv) में यह बताया गया है कि कम्पनी ने 21 मई, 2020 को अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 20 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है। तथापि रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुपालन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और क्या जुटाई गई राशि को उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है, जिनके लिए निधियां जुटाई गई थीं।	2. इसके अतिरिक्त, बिन्दु संख्या (xiv) का उत्तर निम्नानुसार है: खण्ड 3 (xiv) के अनुसार कोई प्रतिकूल राय बतानी अपेक्षित होती है। चूंकि इसमें कोई गैर अनुपालन नहीं हुआ था, अत: लेखा-परीक्षक ने इस खण्ड को अर्हक नहीं बनाया। केन्द्रीय सरकार से भी निधियां जुटाई गई थीं और अभिदाता द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट प्रयोजन का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया।
3. बिन्दु संख्या (i) (ख) में लेखा परीक्षक ने यह बताया है कि प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है और उन्हें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन पर कोई महत्त्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। तथापि वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अत: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक अपूर्ण है।	3. 24 जून, 2021 की परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए है। इसके अतिरिक्त, अचल परिसम्पत्तियों के तुलनात्मक विवरण इस प्रणाली से निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि वर्तमान में केवल अचल परिसम्पत्तियों के ब्लॉक के संदर्भ में ही लेता है। अत: अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन आईएफसीआई के सभी कार्यालयों में मार्च, 2019 में मैसर्स क्विक्र रियल्टी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है। आईएफसीआई का सम्पदा विभाग भविष्य में अचल परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के प्रयोजन से सभी अचल परिसम्पत्तियों की सूची बनाने के काम में लगा हुआ है।
घ.2 इम्फेसिस ऑफ मेटर पैरा के अधीन बिन्दु संख्या क.3 में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने यह बताया है कि कुछ स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता न देने की लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष की हानि 613.71 करोड़ रुपए अधिक है। तथापि लेखांकन नीति में परिवर्तन वर्ष 2020-21 के लिए नहीं था। वास्तव में, सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत कुछ मामलों, ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिभूति पर्याप्त है, में स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डालने के कारण वर्ष के लिए कम्पनी की हानि 1180.36 करोड़ रुपए अधिक है। अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।	वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा सी3 और डी श्रेणी की स्टेज-3 आय (ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध है) को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन किया गया है। अत: वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में बट्टे खाते का प्रभाव 613.71 करोड़ रुपए था। सकल बट्टा राशि 1447.09 करोड़ रुपए थी। तथापि उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान धोखाधड़ी और एनसीएलटी मामलों को स्टेज-3 आय को बट्टे खाते डाला गया था और एनसीएलटी मामलों में राशि को क्रिस्टिलाइज्ड किया गया है। एनसीएलटी और धोखाधड़ी मामलों में कुछ सी3 और डी श्रेणी के मामले शामिल हैं। अत: पूरे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए श्रेणी सी3 और डी मामलों के लिए कुल स्टेज-3 बट्टा राशि 2535.84 करोड़ रुपए (निवल 1180.36 करोड़ रुपए) है। इसके अतिरिक्त, स्टेज-3 आय की कुल बट्टा राशि, जिसमें सी3 और डी, एनसीएलटी और धोखाधड़ी वाले मामले शामिल हैं, सकल रूप से 3038.03 करोड़ रुपए, निवल 1424.07 करोड़ रुपए है।
घ.3 कम्पनी ने वर्ष के दौरान 3038.03 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाता डाला है जबकि स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग-क -निदेशन (अनुबंध ख) की क्रम संख्या 02 में यह बताया है कि कम्पनी ने 1424.07 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाते डाला है। अत: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।	सकल स्टेज-3 आय की बट्टा राशि 3038.03 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निवल प्रभाव (ईसीएल को घटाकर) 1424.07 करोड़ रुपए बनता है। इसलिए प्रकटन उपयुक्त है। जैसा कि सीएजी लेखा-परीक्षा द्वारा यह सुझाव दिया गया है, 'निवल' शब्द वित्तीय वर्ष 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रबन्धन द्वारा जोड़ा गया है।

	नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की टिप्पणियां
घ.4	स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने भाग ख - उप निदेशन (अनुबंध क) की क्रम संख्या 01 में यह बताया है कि प्रबंधन के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़कर, 94 कम्पनियों के शेयर या तो डीमेट या भौतिक रूप में है, जिन्हें अतीत में कम्पनी द्वारा अंतरित कर दिया गया है और किसी कारणवश हितोपभोगियों को ये शेयर अंतरित नहीं किए जा सके। तथापि कम्पनी द्वारा शेयरों के अंतरण को दर्शाने वाले कोई प्रलेख कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं हैं। अत:, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक अपूर्ण है।	वित्तीय वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट में इन शेयरों को पहली बार दर्शाया गया था, जिसमें 53 शेयरों की सूचना दी गई थी। तत्पश्चात् इसमें वृद्धि हुई और 2017-18 में 95 शेयरों की सूचना दी गई। इस मौजूदा रिपोर्ट में 94 शेयरों की सूचना दी गई है। सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रबन्धन के अनुसार कुछ अपवादों सहित ये शेयर कम्पनी द्वारा अतीत में भी अन्तरित किए गए थे और हितोपयोगी किन्हीं कारणों से इन शेयरों को अन्तरित नहीं करवा पाए और उपर्युक्त शेयरों का परम्परागत मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इन शेयरों के लेखा-मिलान का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से दो शेयरों (अधिकतम मूल्य वाले) में ट्रायल स्थापित किया जा सकता है। एक शेयर अर्थात् कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. (सीआईएल) में स्वामित्व स्थापित किया जा सकता था और अन्य शेयर अर्थात् गणेश बेंजोप्लास्ट लि. (जीबीएल) में बिक्री स्थापित की जा सकती थी। यद्यपि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद सीआईएल को खाता बहियों में लिया जा रहा है। जीबीएल को इस सूची से हटा दिया गया है (जिसके कारण इस सूची में अब 94 शेयर हैं) । शेष के लिए आगे कार्रवाई करने हेतु राय ली जा रही है। प्राप्त राय के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह एक अनवरत् प्रक्रिया है और इससे कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मनोज मित्तल	**सुनील कुमार बंसल**	**प्रसून**	**प्रियंका शर्मा**
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी	कम्पनी सचिव
डीआईएन : 01400076	डीआईएन : 06922373		

दिनांक : 11.11.2021

निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट

1. शासन प्रणाली के संबंध में कम्पनी का दर्शन :

निगमित शासन प्रणाली निष्पक्षता, इक्विटी, पारदर्शिता उत्तरदायित्व तथा सूचना के प्रसार के सिद्धान्त पर आधारित है। आईएफसीआई निगमित शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में विश्वास रखता है क्योंकि यह इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आईएफसीआई सर्वोत्तम निगमित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाने तथा कारोबार के संचालन में उच्चतम नीतिपरक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णत: वचनबद्ध है।

2. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का गठन, श्रेणी व उपस्थिति :

31 मार्च, 2021 को कम्पनी के बोर्ड में 6 (छ:) निदेशक थे, जिनमें से 4 (चार) गैर-कार्यपालक निदेशक थे जबकि 1 (एक) प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एण्ड सीईओ) थे।

बोर्ड का गठन, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सूचीकरण करार/सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीकरण विनियम) के अनुरूप है। बोर्ड का गठन, आयोजित बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों तथा पिछली वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति एवं सभी कम्पनियों में, जहां वे 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार निदेशक हैं, की निदेशिता तथा समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण			अन्य सभी कम्पनियों में निदेशिताओं/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या		
			वित्तीय वर्ष 2021-21 के दौरान हुई बोर्ड बैठकें		22 दिसम्बर, 2020 को हुई वार्षिक महासभा	अन्य निदेशिताएं	समितियों की सदस्यता	समितियों की अध्यक्षता
			आयोजित	उपस्थिति				
1.	श्री सुनील कुमार बंसल (*)	उप प्रबंध निदेशक	8	8	हां	5	1	–
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	नामित निदेशक-भारत सरकार गैर-कार्यपालक निदेशक	9	8	नहीं	–	1	–
3.	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (#)	नामित निदेशक-भारत सरकार गैर-कार्यपालक निदेशक	3	1	नहीं	2	1	–
4.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर-कार्यपालक निदेशक	9	9	हां	1	1	–
5.	प्रो. अरविन्द सहाय	गैर-कार्यापालक निदेशक	9	9	हां	1	4	2
6.	श्री मदन मोहन लाल वर्मा ($)	गैर-कार्यपालक निदेशक	6	6	हां	–	1	–
वर्ष 2020-21 के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले निदेशक								
1.	डॉ. ईमांदी संकरा राव (&)	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	3	3	लागू नहीं	4	1	–
2.	श्री आनन्द मधुकर (@)	नामित निदेशक-भारत सरकार गैर-कार्यपालक निदेशक	5	5	लागू नहीं	2	4	–

(*) श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक 04.06.2020 को बोर्ड में नियुक्त किए गए।
(#) सुश्री आनन्दिता सिन्हारे, दिनांक 05.01.2021 को बोर्ड में नियुक्त की गई।
($) श्री मदन मोहन लाल वर्मा, दिनांक 31.07.2021 को बोर्ड में नियुक्त किये गए।
(&) डॉ. ईमादी संकरा राव, दिनांक 17.08.2020 से बोर्ड में नहीं रहे।
(@) श्री आनन्द मधुकर, दिनांक 15.12.2020 से बोर्ड में नहीं रहे।

टिप्पणियां

1. बैठकों की संख्या उस अवधि के दौरान हुई बैठकों को दर्शाती है, जिसमें निदेशक बोर्ड का सदस्य था।
2. ऊपर दर्शायी गई अन्य निदेशिताएं (आईएफसीआई लि. को छोड़ कर) सभी सार्वजनिक कम्पनियों चाहे वह सूचीबद्ध हैं या नहीं हैं। उक्त तालिका में शामिल की गई अन्य निगमित निकायों में आयोजित निदेशिताओं को शामिल नहीं किया गया हैं।
3. उक्त समिति सदस्यता/अध्यक्षता में केवल लेखा-परीक्षा समिति और आईएफसीआई लि. सहित सभी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों में स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति शामिल है। अन्य निगमित निकायों में धारित समिति सदस्यता/अध्यक्षता ऊपर तालिका में शामिल नहीं की गई है।
4. किसी समिति की अध्यक्षता को सदस्यता एवं अध्यक्षता दोनों के रूप में गिना जाता है।
5. सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशकों के सम्बन्ध में, अन्य निदेशिता और समिति सदस्यता की स्थिति निदेशक द्वारा किए गए अन्तिम प्रकटन पर आधारित है।
6. कोई भी निदेशक एक दूसरे या कम्पनी के किसी प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक से सम्बन्धित नहीं है।
7. बोर्ड का कोई भी निदेशक इन सभी कम्पनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार, अन्य पब्लिक कम्पनियों में उनकी स्थिति के बारे में आवश्यक प्रकटन निदेशकों द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति (समितियों) की अध्यक्षता/सदस्यता की सीमा का गणन करने के प्रयोजन से केवल लेखा-परीक्षा समिति और स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति पर विचार किया गया है।
8. किसी निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण सूचीकरण विनियम, जहां कहीं लागू हो, के अंतर्गत निर्धारित मानदण्ड के द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार, कम्पनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
9. सूचीबद्ध कंपनियों (केवल वे जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) में अन्य निदेशिता, जहां बोर्ड सदस्य आईएफसीआई निदेशक हैं और निदेशिता की श्रेणी : निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में कोई अन्य बोर्ड सदस्य निदेशिता धारण करता है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध कंपनियों का नाम और निदेशिता की श्रेणी
1.	डा. बी के सिन्हा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (गैर कार्यपालक-सरकारी नामित निदेशक
2.	प्रो. अरविन्द सहाय	एचआईएल लिमिटेड (स्वतंत्र निदेशक)
3.	प्रो. एन बालाकृष्णन	इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.

(ख) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या एवं तारीखें:
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक बोर्ड की 9 (नौ) बैठकें हुई। वर्ष 2020 में बैठकों की तारीखें 20 अप्रैल, 26 जून, 31 जुलाई, 14 सितम्बर, 11 नवम्बर, 22 दिसम्बर तथा वर्ष 2021 में 12 फरवरी, 25 फरवरी और 23 मार्च थीं।

(ग) नए निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के विवरण वार्षिक महासभा की सूचना का भाग हैं।

(घ) 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी का कोई शेयर नहीं है।

(ङ) स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचित होने का कार्यक्रम
परिचित होने का कार्यक्रम एक अनवरत् प्रक्रिया है। कम्पनी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और कम्पनी में उनके उत्तरदायित्वों, उद्योग के स्वरूप, जिसमें कम्पनी कार्यरत है, कम्पनी के कारोबार मॉडल के बारे में जानकारी देने का प्रयास करती है। परिचित होने के ऐसे कार्यक्रमों के विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर दिए जाते हैं, जिन्हें www.ifciltd.com पर देखा जा सकता है। तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था क्योंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

(च) निदेशक बोर्ड कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता तय करने का चार्ट/मैट्रिक्स तथा उन निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसा कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता है।

1.	शैक्षिक योग्यता	(i)	कोई स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल/डाक्टरेट/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए।
		(ii)	कोई अन्य पेशेवर योग्यता/डिग्री/डिप्लोमा/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए।
2.	अनुभव/विशेषज्ञता	(i)	उचित कौशल, अनुभव और वित्त, विधि, प्रबंधन, बिक्री विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कारपोरेट अभिशासन, तकनीकी प्रचालन या कम्पनी के कारोबार से संबंधित अन्य विषयों में एक या अधिक क्षेत्रों में जानकारी रखता हो।
		(ii)	तरजीही रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम या मध्य पेशा पेशेवर विकास प्रशिक्षण किया हो जिसने उसको व्यवसाय परिवेश में बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाया हो।

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार, बोर्ड के सभी निदेशक ऊपर दी गई शैक्षिक योग्यता और अनुभव/सुविज्ञता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

3. लेखा-परीक्षा समिति:

(क) विचारार्थ विषय : लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय मुख्यत: कम्पनी के लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालनों की प्रभावशीलता का अध्ययन, आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आवधिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबन्धन के साथ समीक्षा और नियामक मार्गनिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है। समिति आन्तरिक लेखा-परीक्षकों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों की तथ्यपरक समीक्षा करने तथा प्रबन्धन द्वारा उन पर पर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के लिए भी जवाबदेह है। समिति उनके शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव करती है।

समिति अन्तर निगमित ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा, कम्पनी की वचनबद्धता या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबन्धन का मूल्यांकन, सार्वजनिक पेशकश की मार्फत जुटाई गई निधियों के अन्तिम उपयोग का अनुवर्तन, सतर्कता कार्य-प्रणाली की निगरानी तथा कम्पनी के सम्बन्धित पक्षकारों से संव्यवहारों का अनुमोदन अथवा उसके पश्चात् कोई आशोधन का कार्य करती है। समिति धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करती है और इसकी सूचना भी देती है।

(ख) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई की लेखा-परीक्षा समिति में तीन निदेशक हैं। समिति का अध्यक्ष एक गैर कार्यपालक निदेशक है। लेखा-परीक्षा समिति का गठन और वित्त वर्ष 2020-21 में बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				आयोजित	उपस्थिति
1.	प्रो. अरविन्द सहाय	अध्यक्ष*	30.10.2017	5	5
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	21.05.2018	5	3
3.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2020	5	5
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समाप्त हो गई					
1.	श्री आनन्द मधुकर	सदस्य	15.12.2020	4	3
2.	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे	सदस्य	12.02.2021	1	-

*टिप्पणी : स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में प्रो. अरविन्द सहाय का समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है, जब तक कि कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में, जहां कहीं आवश्यक होता है, समिति के निर्णय के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों को उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कम्पनी सचिव लेखा-परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईएफसीआई के निदेशकों की लेखा-परीक्षा समिति की 05 (पांच) बैठकें हुई। 2020 में दिनांक 20 मई, 26 जून, 14 सितम्बर, 11 नवम्बर एवं 2021 में 12 फरवरी को हुई।

4. नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति :

(क) विचारार्थ विषय :
निदेशकों की नामांकन और परिश्रमिक समिति का गठन सूचीकरण और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) बनने के योग्य हैं तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की सिफारिश करना है। समिति बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में सभी पारिश्रमिकों की सिफारिश करती है, स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए पद्धति तैयार करना। समिति पेशा प्रबंध और अनुक्रम योजना सहित एचआर मामलों पर नीति का अनुशीलन भी करती है।

(ख) कार्य मूल्यांकन निष्पादन :

आईएफसीआई लि. की नामांकन व पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के मानदण्ड निर्धारित करती है। कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के मानदण्ड में उनकी भूमिका, कार्य तथा विभिन्न अन्य लक्षण शामिल हैं। बोर्ड व नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने मूल्यांकन का कार्य किया। निदेशकों द्वारा निर्दिष्ट कुछ सुधार क्षेत्रों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों का प्रशिक्षण शामिल है।

(ग) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति :

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समिति में पांच निदेशक हैं, जो सभी गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। वर्ष के दौरान, समिति की 1 (एक) बैठक 25 जून, 2020 को हुई। समिति का गठन और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	अध्यक्ष	04.06.2020	1	1
2.	डा. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	21.05.2018	1	1
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	1	1
4.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	04.06.2020	1	1

(घ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के विवरण निम्नानुसार हैं :

(i) डॉ. ईमांदी संकरा राव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 01.04.2020 से 16.08.2020 तक

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	25.25
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	0.80
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	0.99
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	0.92
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	1.65
जोड़	**29.61**

(ii) **श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबंध निदेशक 04.06.2020 से 31.03.2021 तक**

विवरण	(लाख रुपए में)
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	28.33
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	7.05
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	1.91
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	18.93
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	3.68
जोड़	**59.90**

(ङ) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी द्वारा सरकारी नामित निदेशकों को छोड़कर गैर-कार्यापालक निदेशकों को बैठक के लिए शुल्क अदा किया गया। बोर्ड की बैठक के लिए 40,000/- रुपए और निदेशकों की समिति की बैठक के लिए 20,000/- रुपए शुल्क अदा किया। इसके अलावा बोर्ड की अध्यक्षता और निदेशकों की समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए क्रमशः 10,000/- रुपए और 5,000/- रुपए अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। गैर कार्यपालक और स्वतंत्र निदेशकों ने बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं लिया है।

(च) कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार किसी भी निदेशक के पास 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार आईएफसीआई लि. का कोई शेयर और अन्य कोई संपरिवर्तनीय प्रलेख नहीं है।

(छ) कम्पनी के निदेशकों द्वारा कोई शेयर विकल्प धारित नहीं है।

5. स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति :

(क) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई की स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति में तीन निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति की चार बैठके 2020 में 25 जून, 14 सितम्बर, 11 नवम्बर और 2021 में 12 फरवरी को हुई। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति का गठन और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	प्रो. अरविन्द सहाय	अध्यक्ष	31.10.2017	4	4
2.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	04.06.2020	4	4
3.	श्री मदन मोहन लाल वर्मा	सदस्य	31.07.2020	3	3
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक जो सदस्य नहीं रहे					
1.	डॉ. ईमादी संकरा राव	सदस्य	17.08.2017	1	1
2.	श्री आनन्द मधुकर	सदस्य	15.12.2020	3	3
3.	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे	सदस्य	12.02.2021	1	-

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनाम
श्रीमती रूपा देब, महाप्रबन्धक व कम्पनी सचिव
ई-मेल : complianceofficer@ifciltd.com

(ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, शेयरधारकों और बांडधारकों से सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा बकाया शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

इक्विटी शेयर व बांड	
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2395*
31 मार्च, 2021 को बकाया	0

(*) न्यायालय/सीडीआरएएफ में बकाया मामलों से सम्बन्धित शिकायतों/मुद्दों को छोड़कर।

कम्पनी ने 1996 में सार्वजनिक निर्गम के अन्तर्गत जारी आईएफसीआई फैमिली बांडों को अवधि पूरी होने पर/कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए मोचित कर दिया था। बांडधारकों को मोचन राशि की अदायगी कर दी गई है। मोचन राशि के पुराने चैकों को बांडधारकों के अनुरोध पर पुनः वैध किया जा रहा है। फैमिली बांड जिनमें मोचन की तारीख/कॉल विकल्प की तारीख के सात वर्षों के पश्चात भी फैमिली बांड का मोचन नहीं किया गया, इन निधियों को आईईपीएफ में अंतरित किया जा रहा है। निवेशकों से आईईपीएफ से निधि की वापसी के लिए प्राप्त आवेदनों पर समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) कम्पनी ने शेयरों के अन्तरण, संप्रेषण व क्रम-परिवर्तन आदि के अनुमोदन के लिए अपने कार्यपालकों की एक समिति का गठन किया है। सेबी प्रेस रिलीज, दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के साथ पठित दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी गजट अधिसूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से शेयरों का अंतरण भौतिक रूप से नहीं किया जाएगा, इसलिए कार्यपालक शेयर अंतरण समिति एक महीने में चार बार की बजाए अपेक्षित होने पर बैठक करेंगे। शेयर-अन्तरण आदि के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई तथा सम्बन्धित शेयर प्रमाणपत्र प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर वापस भेज दिए गए। मुकदमे वाले कुछ मामलों को छोड़कर, शेयर-अन्तरण का कोई भी मामला 15 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य प्रभावित करने वाली सूचना के उचित प्रकटन के लिए कार्य-विधि/प्रक्रिया संहिता तथा आन्तरिक लेन-देन पर नियंत्रण करने, अनुवर्तन करने और सूचना देने के लिए आचार संहिता को अपनाया है। कम्पनी ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का पालन करती है, जिस समय मूल्य प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उस समय कम्पनी अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को आईएफसीआई की प्रतिभूतियों का लेन-देन करने से रोकने के लिए ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का भी पालन करती है। कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) विनियम, 2015 के अधीन उपयुक्त प्रकटन प्राप्त किए हैं।

(च) निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है, जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.fciltd.com पर डाला गया है।

6. अन्य समितियों के विवरण:

कम्पनी में बोर्ड स्तर की अन्य समितियां भी हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित ऐसी अन्य समितियों की बैठकों की संख्या, तारीखें एवं सदस्यों द्वारा उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

(क) निगमित सामाजिक दायित्व समिति : 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार इस समिति में 3 निदेशक अर्थात् श्री सुनील कुमार बंसल, समिति के अध्यक्ष, प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन और श्री मदन मोहन लाल वर्मा, सदस्य हैं। तथापि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के जुड़ जाने तथा तीन वित्तीय वर्षों में हानियों के कारण आईएफसीआई के नाममात्र सीएसआर व्यय को देखते हुए मौजूदा निगमित सामाजिक दायित्व समिति के गठन को दिनांक 23 जून, 2021 से समाप्त कर दिया गया है और सीएसआर समिति के कार्य बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं।

(ख) कार्यकारी समिति : वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशकों की कार्यकारी समिति की बैठकें 2020 में 25 जून, 31 जुलाई, 11, 18 व 29 सितम्बर, 05, 12 व 27 अक्तूबर, 10 व 25 नवम्बर, 18 व 29 दिसम्बर और 2021 में 11 जनवरी, 8, 11 व 25 फरवरी, 11, 19 व 30 मार्च को हुई। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार, समिति का गठन तथा उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	अध्यक्ष	04.06.2020	19	19
2.	प्रो. एन बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	19	19
3.	श्री मदन मोहन लाल वर्मा	सदस्य	31.07.2020	17	17
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	डा. ईमांदी संकरा राव	अध्यक्ष	17.08.2020	2	2

(ग) जोखिम व परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति : वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें पांच बार हुई जो वर्ष 2020 में 25 जून, 31 जुलाई, 11 नवम्बर और 22 दिसम्बर को हुई और 2021 में 12 फरवरी को हुई। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, समिति का गठन तथा उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	प्रो. अरविन्द सहाय	अध्यक्ष	30.10.2017	5	5
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	21.05.2018	5	4
3.	प्रो. एन बालाकृष्णन	सदस्य	14.02.2019	5	5
4.	श्री सुनील कुमार बंसल	सदस्य	04.06.2020	5	5
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समाप्त हो गई:					
1.	डा. ईमांदी संकरा राव	अध्यक्ष*	17.08.2020	0	0
2.	श्री आनंद मधुकर	सदस्य	15.12.2020	3	3
3.	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे	सदस्य	12.02.2021	1	-

(*) दिनांक 16 मई, 2019 के भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीएनबीआर (पीडी) सीसी. नं. 099/03.10.001/2018-19 के अनुसरण में एमडी व सीईओ के अनुपस्थिति में मुख्य जोखिम अधिकारी से चर्चा के लिए समिति की बैठकें की गई। तदनुसार उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी एक को चुन सकते है।

टिप्पणी: समिति के विचारार्थ विषय में विस्तृत जोखिम प्रबन्धन नीति, जोखिम प्रबन्धन कार्य-प्रणाली, साइबर प्रतिभूति समीक्षा नीति, जोखिम प्रबन्धन नीति के कार्यान्वयन की नीति आदि का गठन शामिल है। समिति का विस्तृत विचारार्थ विषय कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

(घ) ई-गवर्नेंस समिति : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समिति में दो निदेशक अर्थात् प्रो. एन बालाकृष्णन, समिति के अध्यक्ष और श्री सुनील कुमार बंसल, सदस्य हैं। तथापि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी सेक्टर के लिए आईटी फ्रेमवर्क पर आरबीई के दिनांक 8 जून, 2017 के मास्टर डायरेक्शन डीएनबीएस.पीपीडी सं.04/66.15. 001/2016-17 के अनुसार, 23 जून, 2021 को ई-गवर्नेंस समिति के नाम को बदलकर निदेशकों की आईटी कार्य-नीति समिति कर दिया गया है।

(ङ.) कारोबार दायित्व सूचना समिति - समिति की वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल एक बैठक 31 जुलाई, 2020 को हुई। 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार समिति के गठन और उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/ समाप्ति की तारीख	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैठकों की संख्या	
	समिति के सदस्य			**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	अध्यक्ष	04.06.2020	1	1
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य	21.05.2018	1	1
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य	30.10.2017	1	1
निदेशक, जिनकी सदस्यता वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समाप्त हो गई :					
1.	डॉ. ईमांदी संकरा राव	अध्यक्ष	17.08.2020	1	1

(च) जानबूझ कर चूक करने वालों के बारे में समीक्षा समिति - समिति में 4 निदेशक हैं अर्थात् श्री सुनील कुमार बंसल (समिति के अध्यक्ष), डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, प्रो. एन बालाकृष्णन और श्री मदन मोहन लाल वर्मा, सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(छ) सहयोग न करने वाले ऋणियों के बारे में समीक्षा समिति तथा वसूली एवं अलाभकारी परिसम्पत्ति खाता प्रबन्धन समिति - समिति में 3 निदेशक हैं अर्थात् श्री सुनील कुमार बंसल, समिति के अध्यक्ष, प्रो. अरविन्द सहाय और श्री मदन मोहन लाल वर्मा सदस्य हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. महासभाः

(क) स्थान एवं समय, जहां पिछली तीन वार्षिक महासभाएं आयोजित की गईं:

क्र. सं.	वार्षिक महासभा की तारीख	स्थान	समय
1.	22.12.2020	सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	प्रातः 11:30 बजे
2.	30.10.2019	सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	प्रातः 10:30 बजे
3.	28.09.2018	सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	प्रातः 10:30 बजे

पिछले वर्ष डाक द्वारा मतदान हेतु इक्विटी शेयरधारकों के लिए कोई विशेष संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई मद नहीं थी, जिसे डाक द्वारा मतदान से पारित करवाना अपेक्षित था।

(ख) पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में पारित विशेष संकल्पों का ब्योरा :

महासभा की तारीख	कम्पनी अधिनियम की धारा के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
22.12.2020	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 61 व 64 के अधीन	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि का अनुमोदन
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन	प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए मौजूदा अनुच्छेद 3 के स्थान पर नया अनुच्छेद 3 जोड़ने का अनुमोदन
30.10.2019	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
28.09.2018	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 व 71 के अधीन	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 55 व 62 के अधीन	संचयी विमोच्य अधिमान शेयरों के निर्गम का अनुमोदन

8. प्रकटन :

(क) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी इंड एएस 24 (पूर्व में लेखांकन मानक-18) की अपेक्षानुसार वर्ष के दौरान, सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणियों में किया गया है। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार सामान्य कारोबार के दौरान मिलकर और नियमानुसार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं किए गए। कम्पनी में महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार तथा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित लेन-देन के बारे में एक नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर डाला गया है।

(ख) लेखांकन विवेचना का प्रकटन

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय लेखांकन मानक, 2015 के अधीन निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। भारिबैंक या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई प्रयोज्य मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निदेशों को उनके जारी/प्रयोज्य होने पर क्रियान्वित किया जाएगा।

(ग) जोखिम प्रबंधन

कारोबार जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें कारोबार नामतः क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम से उठने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंध और कम किया जाता है। जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता उचित और प्रभावी जोखिम प्रबंधन संरचना बनाना है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आपकी कम्पनी ने संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक भूमिका केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि जोखिम प्रबंधन कार्यों को करने में सुविधा हो।

आईएफसीआई में जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना में निदेशक बोर्ड, निदेशकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी), कार्यपालकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) शामिल है।

आपकी कम्पनी आवधिक रूप से उधार देने की नीति और जोखिम प्रबंधन नीतियों, खजाना व निवेश नीति आदि की समीक्षा करती है ताकि उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं, विभिन्न वित्तपोषण/निवेश कार्यकलापों से मिली सीखने की अवस्था, भारतीय रिजर्व बैंक से विनियमों और बदलाव के समय में कटौती के प्रति प्रयास को सुदृढ़ और उनके अनुरूप बनाया जा सके। आपकी कम्पनी ने प्रभावी क्रेडिट जोखिम प्रबंधन और स्वीकृत प्रक्रिया के प्रति प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल और केयर से प्रीमियर सेवाएं और उत्पाद लिए हैं।

(घ) प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण बोर्ड रिपोर्ट का भाग है और यह वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

(ङ) पूंजी बाजार के सम्बंध में अनुपालन न करने के विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में किसी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर कोई दण्ड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया, सिवाय निदेशक बोर्ड और समितियों नामत: लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 17(1), 18(1), 19(1) और (2) और 20 के उपबंधों के गैर-अनुपालन के लिए बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया द्वारा लगाए गए प्रति एक्सचेंज कर सहित 1,16,17,100/- रुपए (सितम्बर, 2018 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए)। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर कम्पनी और इसके निदेशक बोर्ड का नियंत्रण नहीं है, अत: स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया कि वे कम्पनी पर कोई जुर्माना न लगाएं और कम्पनी पर कोई कार्रवाई न करें। कम्पनी के इस अनुरोध पर विचार करते हुए बीएसई ने सितम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए 1,01,98,740/- रुपए के जुर्माने को माफ कर दिया है।

(च) आदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

1. आईएफसीआई ने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड, स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति के सिवाय सूचीकरण विनियमों में यथानिर्दिष्ट निगमित शासन प्रणाली की आदेशात्मक अपेक्षाओं का विधिवत् अनुपालन किया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, जो प्रशासनिक मंत्रालय है, को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन के अनुरोध हेतु पत्र भेजे गए। उक्त नियुक्तियां प्रतीक्षित हैं।
2. श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015, की अनुसूची V के भाग ग में दिए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने यह भी प्रमाणित किया है कि कम्पनी के बोर्ड पर किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(छ) सहायक कम्पनियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार कम्पनी की 6 (छ:) सहायक कम्पनियां अर्थात् आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि., आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि., आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि., आईएफसीआई फैक्टर्स लि., एमपीकॉन लि, तथा स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. हैं। कम्पनी की 7 (सात) स्टेप-डाउन सहायक कम्पनियां अर्थात् आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि., आईफिन कमोडिटीज लि., आईफिन क्रेडिट लि., आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लि., स्टाकहोल्डिंग डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि. एसएचसीआईएल सर्विसिज लि. और स्टाकहोल्डिंग सिक्युरिटिज आईएफएससी लि. हैं। उपर्युक्त कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचीकरण विनियम, जहां कहीं लागू है, की अपेक्षाओं का जहां कहीं अपेक्षित था, यथोचित अनुपालन किया गया है। कम्पनी ने 'महत्वपूर्ण' सहायक कम्पनी निर्धारित करने के लिए एक नीति भी बनाई है जिसे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर डाला गया है।

(ज) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत दिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

(झ) विसॅल ब्लोअर पॉलिसी

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) के उपबंधों, सूचीकरण विनियम के अधीन एक सतर्क कार्यप्रणाली बनाई है। कम्पनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसॅल ब्लोअर पालिसी है जिसे वर्ष के दौरान अद्यतन बनाया गया था। विसॅल ब्लोअर नीति के अधीन आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी अनुचित घटनाओं, वास्तविक या अनुमानित धोखाधड़ी, आईएफसीआई की आचार संहिता के उल्लंघन या नीतिगत पालिसी के बारे में अपनी चिंता/सूचना प्रबंधन को दे सकते हैं जिसके लिए उन्हें सूचना देने पर किसी उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति के द्वारा अपवादात्मक मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे ही पहुंचने का भी प्रावधान है। लेखा-परीक्षा समिति द्वारा किसी भी कार्मिक को अपने पास आने से मना नहीं किया गया।

(ञ) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड ने कम्पनी के कारोबार मॉडल तथा कम्पनी के कारोबार मानदंडों के जोखिम प्रोफाइल तथा निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों के लिए अपने बोर्ड सदस्यों हेतु निदेशक प्रशिक्षण की एक नीति बनाई है।

(ट) विवेकसम्मत अपेक्षाओं के पालन का विवरण

कम्पनी ने सूचीकरण विनियमावली, 2015 के विनियम 27(1) की निम्नलिखित विवेकसम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें अंगीकार किया है **शेयरधारक के अधिकार:** वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को अलग-अलग न भेजकर उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और उसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रसारित किया जाता है जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

(ठ) सीएसआर क्रियाकलापों के लिए खर्च किए गए 0.15 करोड़ रुपए को छोड़कर, व्यय की ऐसी कोई मद खाता बहियों में डेबिट नहीं की गई है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय कुल व्यय का क्रमश: 4.33% तथा 31.57% बनता है, जबकि पिछले वर्ष अर्थात 2019-20 में क्रमश: 12.11% और 58.59% था।

(ड) अधिमान आबंटन या सूचीकरण विनियमनों के विनियम 32 (7क) के तहत यथा निर्दिष्ट अर्हता-प्राप्त संस्थानों में प्लेसमेंट के माध्यम से जुटायी गई निधियों के उपयोग के ब्यौरे - आईएफसीआई ने निजी धारण की मार्फत आरबीआई टीएलटीआरओ योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी की शेयर पूंजी के अभिदान के लिए निधियां देने के लिए भारत सरकार से 200 करोड़ रुपए की शेयर आवेदन राशि भी प्राप्त हुई है। इसके परिणामस्वरूप, निधियां मिलने के अनुरूप प्रत्येक 13.70 रुपए (प्रत्येक 3.70 रुपए के प्रीमियम सहित) की दर से 14,59,85,401 इक्विटी शेयर 23 अप्रैल, 2021 को अधिमान आधार पर भारत सरकार को आबंटित किए गए।

(ढ) नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कम्पनी, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक भाग है, में सांविधिक लेखापरीक्षक या सभी कंपनियों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियों को सभी सेवाओं के लिए अदा किया गया कुल शुल्क - 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेण्डअलोन और समेकित के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे नीचे बताए गए हैं :

क्रम सं.	लेखा-परीक्षकों को भुगतान का विवरण	स्टैण्डअलोन सूचना (करोड़ रुपए)	समेकित सूचना (करोड़ रुपए)
1.	लेखा-परीक्षा शुल्क	0.40	1.57
2.	कराधान मामले	–	–
3.	प्रमाणन और अन्य सेवाएं	0.04	0.05
4.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.03	0.06
	जोड़	**0.47**	**1.68**

(ण) क्रेडिट रेटिंग

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा नियत रेटिंग और मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के दौरान रेटिंग का बदलाव

निम्न द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2020	वर्ष के दौरान बदलाव	31 मार्च, 2021
दीर्घकालीन (बांड/एनसीडी/सावधि ऋण)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बीबीबी+	23.06.2020 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) बीबीबी+
इकरा	(इकरा)बीबीबी-	17.06.2020 से पुनः पुष्टि	(इकरा)बीबीबी-
केयर	(केयर)बीबीबी-	05.08.2020 से पुनः पुष्टि	(केयर)बीबीबी-
अल्पकालीन (वाणिज्यिक पेपर/अल्पकालीन उधार)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) ए 2+	23.06.2020 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) ए2+
इकरा	(इकरा) ए3	17.06.2020 से पुनः पुष्टि	(इकरा) ए3
संरचित प्रतिभूत एनसीडी के लिए			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) ए+(सीई)	23.06.2020 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) ए+(सीई)
केयर	(केयर)बीबीबी+	05.08.2020 से पुनः पुष्टि	(केयर)बीबीबी+
अधीनस्थ बाण्ड			
केयर	(केयर) बीबीबी-	05.08.2020 से पुनः पुष्टि	(केयर) बीबीबी-

(त) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन :

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्या - शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य #

(ग) वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 1*

\# वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईएफसीआई के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सहायक कम्पनी द्वारा भेजी गई शिकायत का निपटान किया गया।

* वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में बकाया शिकायत का 05 अप्रैल, 2021 को निपटान किया गया।

(थ) वर्ष के दौरान कोई कमोडिटी धारण और/या व्यापार नहीं किया गया था। बकाया ईसीबी से संबद्ध विदेशी विनिमय जोखिम को करेंसी स्वैप/फ्यूचर/वायदा संविदा के रूप में बचाव-व्यवस्था द्वारा कम किया गया है।

9. सम्प्रेषण के साधन :

आईएफसीआई के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टेण्डर्ड (अंग्रेजी सभी संस्करण), बिजनेस स्टेण्डर्ड (दिल्ली एनसीआर में हिन्दी संस्करण) फाइनेंशियल एक्सप्रैस (अंग्रेजी सभी संस्करण), जनसत्ता (दिल्ली एनसीआर में हिन्दी संस्करण), में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम और प्रेस विज्ञप्तियां भी कम्पनी की वेबसाइट (www.ifciltd.com) पर भी प्रदर्शित की जाती हैं। मूल्यों को प्रभावित करने वाली सभी संवेदनशील सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, अर्थात् एनएसई लि. और बीएसई लि. को सूचना देकर शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक की जाती हैं। वर्ष के दौरान आईएफसीआई के कारपोरेट प्रस्तुतिकरण को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अपलोडिंग से पूर्व एक्सचेंजों को यथोचित रूप से सूचित किया गया था। वर्ष के दौरान, संस्थानात्मक निवेशक या विश्लेषक को कोई प्रतिवेदन नहीं किया गया।

10. शेयरधारकों को दी जाने वाली सामान्य सूचना :

(i) **वार्षिक महासभा**

दिनांक : 17 दिसंबर, 2021

समय : प्रातः 11:30 बजे

स्थान : सभागार, प्रथम मंजिल, आईएफसीआई टावर 61 नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019

(ii) **वित्तीय कैलेण्डर (अस्थायी) :**

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम	अगस्त, 2021 का दूसरा सप्ताह
30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम:	नवम्बर, 2021 का दूसरा सप्ताह
31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के परिणाम:	फरवरी, 2022 का दूसरा सप्ताह
31 मार्च, 2022 को समाप्प्त तिमाही के परिणाम:	मई, 2022 का तीसरा सप्ताह

(iii) **लेखाबंदी की तारीखें :** शनिवार, 11 दिसम्बर, 2021 से शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 (दोनों दिनों सहित)

(iv) **लाभांश अदायगी की तारीख :** वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी ने इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(v) **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता :**

-इक्विटी शेयर

बीएसई लि. (बीएसई)	**दि नेशनल स्टॉक एकसचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएससी)**
निगमित सेवाएं विभाग	
फिरोज जीजाभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400001	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1 जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051

टिप्पणी : (i) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, आईएफसीआई ने सभी फैमिली बांडों का मोचन कर दिया था और इन बांडों की सूचीबद्धता समाप्त करने की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी थी। सीरीज 47 से सीरीज 62 के अधीन निजी धारण के अधीन जारी किए गए बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड (सीरीज 3) सबऑर्डिनेट बांड (सीरीज 5), कर-मुक्त बांड तथा पूर्ववर्ती एसएलआर बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। सार्वजनिक निर्गम की मार्फत जारी किए गए प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क बीएसई तथा एनएसई को अदा किया जा चुका है।

(vi) स्टॉक कोड (इक्विटी) : 500106 (बीएसई)
आईएफसीआई (एनएसई)

आईएसआईएन संख्या

इक्विटी शेयर : आईएनई 039ए01010

(vii) बाजार मूल्य आंकड़े : (मूल्य रुपए में)

माह एवं वर्ष	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2020	4.40	3.90	4.40	3.91
मई, 2020	4.85	3.75	4.88	3.76
जून, 2020	8.40	5.00	8.48	4.96
जुलाई, 2020	8.20	6.10	8.64	6.12
अगस्त, 2020	8.20	6.05	8.20	6.07
सितम्बर, 2020	7.80	5.65	7.95	5.64
अक्तूबर, 2020	6.60	5.65	6.59	5.64
नवम्बर, 2020	6.65	5.75	6.66	5.7
दिसम्बर, 2020	11.50	6.35	11.45	6.36
जनवरी, 2021	10.40	8.50	10.36	8.52
फरवरी, 2021	9.55	8.25	9.55	8.21
मार्च, 2021	16.00	8.95	15.95	8.95

स्रोत : एनएसई/बीएसई

(viii) व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्य-निष्पादन :

वर्ष के दौरान एनएसई निफ्टी की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य :

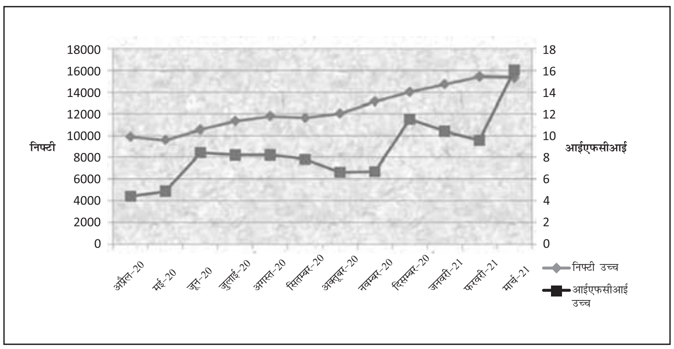

वर्ष के दौरान बीएसई सूचकांक की तुलना में आईएफसीआई के शेयर का मूल्य :

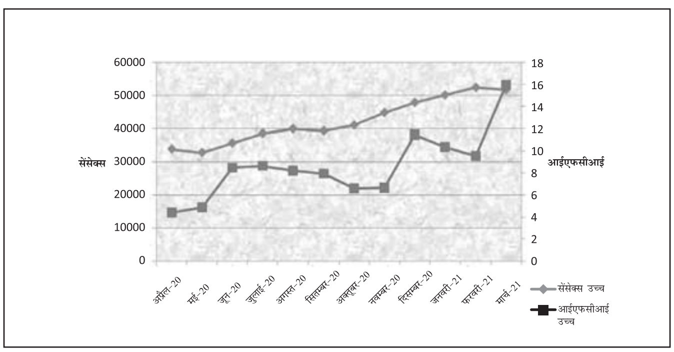

(ix) रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स (उनके पत्राचार विवरण सहित) :

इक्विटी शेयरों व फैमिली बांडों दोनों के लिए	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. पहली मंजिल, एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 वेबसाइट : www.mcsregistrars.com ई-मेल : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com फोन : 011-41406149/51/52
इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों के लिए (सीरीज I व II)	बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज (प्रा.) लि. बीटल हाऊस, तीसरा तल 99 मदनगीर लोकल शॉपिंग सेन्टर के पीछे दादा हरसुखदास मंदिर के पास नई दिल्ली-110062 वेबसाइट : www.beetalfinancial.com ई-मेल : ifcibonds1@gmail.com फोन : 011-2996 1281-83
इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों (सीरीज III, IV व V) और प्रतिभूत असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों ट्रंच I व II के लिए	केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. सिलेनियम टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबॉली, नानकरामगुडा, सरलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500 032 वेबसाइट : www.kfintech.com ई-मेल : einward.ris@kfintech.com फोन : 040-6716 2222/1589/1595
अन्य सभी निजी रूप से धारित सॅबआर्डिनेट बांडों के लिए (सीरीज I व III)	लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली पश्चिम, मुम्बई-400 083 वेबसाइट : www.linkintime.co.in ई-मेल : bonds.helpdesk@linkintime.co.in फोन : 022-49186000
अन्य सभी निजी रूप से धारित कर-मुक्त बांडों तथा अन्य किसी पूछताछ के लिए	आईएफसीआई लिमिटेड आईएफसीआई टावर 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 सीआईएन:एल74899डीएल1993जीओआई053677 वेबसाइट : www.ifciltd.com ई-मेल : ppbonds@ifciltd.com फोन : 011-4173 2000/41792800

(x) शेयर-अन्तरण पद्धति :

दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के साथ पठित सेबी की गजट अधिसूचना दिनांक 08 जून, 2018 के अनुसरण में एक अप्रैल, 2019 से शेयरों का भौतिक स्थानांतरण रोक दिया गया है, शेयरों के स्थानांतरण के पुराने मामले त्रुटियों को ठीक करने के बाद भौतिक रूप से प्राप्त शेयर आदि उनकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, बशर्ते कागजात वैध तथा सभी प्रकार से पूरे हों।

(xi) शेयरधारिता का वितरण (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार):

31 मार्च, 2021 को आईएफसीआई में शेयरधारकों की इक्विटी शेयरधारिता की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं :

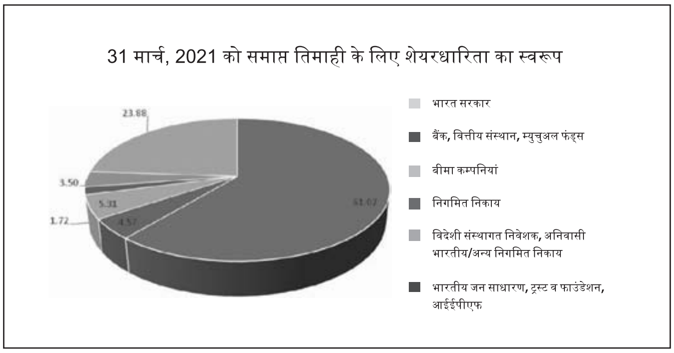

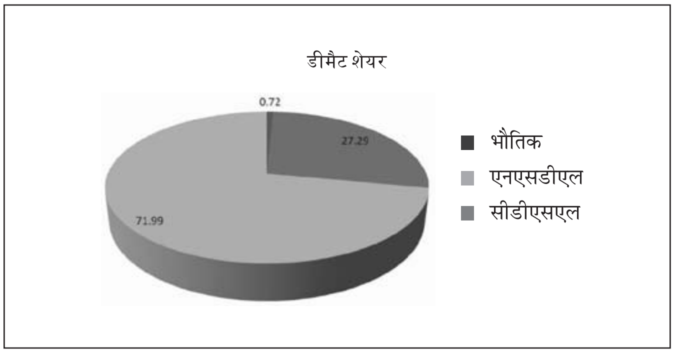

(क) शेयरधारिता का स्वरूप :

31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता का स्वरूप नीचे दिया गया है :

श्रेणी	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार	**1,15,69,55,857**	**61.02**	**95,69,55,857**	**56.42**
बैंक और वित्तीय संस्थान व म्युचुअल फंड्स	**8,67,24,235**	**4.57**	**9,29,54,895**	**5.48**
बीमा कम्पनियां	**10,06,34,843**	**5.31**	**1033,98,758**	**6.10**
अन्य निगमित निकाय	**3,25,57,634**	**1.72**	**5,73,39,062**	**3.38**
विदेशी संस्थागत निवेशक व अनिवासी भारतीय	**6,63,88,660**	**3.50**	**7,15,02,939**	**4.22**
सार्वजनिक	**45,27,31,863**	**23.88**	**41,38,41,581**	**24.40**
जोड़	**1,89,59,93,092**	**100.00**	**1,69,59,93,092**	**100.00**

(ख) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वितरण अनुसूची विस्तार का विश्लेषण:

क्रम सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
	से	तक				
1.	1	500	419556	79.69	6,56,21,090	3.46
2.	501	1000	49187	9.34	4,14,77,942	2.19
3.	1001	2000	26761	5.08	4,19,04,299	2.21
4.	2001	3000	9615	1.83	2,50,48,819	1.32
5.	3001	4000	4610	0.88	1,67,92,892	0.89
6.	4001	5000	4485	0.85	2,15,17,578	1.13
7.	5001	10000	6721	1.28	5,08,12,484	2.68
8.	10001	50000	4648	0.88	9,78,02,408	5.16
9.	50001	100000	538	0.10	3,94,77,543	2.08
10.	100001 से ऊपर		363	0.07	1,49,55,38,037	78.88
	जोड़		**5,26,484**	**100.00**	**1,89,59,93,092**	**100.00**

(xii) शेयरों को डी-मैट करना तथा तरलता :

कम्पनी के लगभग 99.28% इक्विटी शेयरों को 31 मार्च, 2021 तक पहले ही डी-मैट किया जा चुका है। आईएफसीआई के शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इनकी खरीद-फरोख्त सक्रिय रूप से होती है।

(xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय प्रलेख :

इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के लिए कोई जीडीआर/एडीआर या वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय प्रलेख विचाराधीन नहीं है।

(xiv) पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई एक सरकारी वित्तीय संस्थान और एक सरकारी कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 है।

क्षेत्रीय कार्यालय : हैदराबाद, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई।

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में दिए गए अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कम्पनी ने बोर्ड के सदस्यों और अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। इस प्रकार अपनाई गई आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी पुष्टि की जाती है कि कम्पनी को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी के सभी कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा प्राप्त हुई है।

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 01400076

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसरण में निम्नानुसार यह प्रमाणित किया जाता है :

(क) वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद-प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छुपाया गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं ;

(ii) ये विवरण मिल कर कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया, जो धोखाधड़ी युक्त, अवैध अथवा कम्पनी की आचार-संहिता के विरुद्ध हो।

(ग) हम आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकारते हैं और कि हमने कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों के निरूपण या परिचालन में उन कमियों, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी थी, की सूचना लेखा-परीक्षकों एवं लेखा-परीक्षा समिति को दी है और हमने इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए हैं और इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव करते हैं।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों तथा लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा कि इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटन करने के बारे में; और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाओं, जिनकी हमें जानकारी मिली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की उसमें सहभागिता, यदि कोई हो, के बारे में।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण इंड एएस के आधार पर तैयार किए गए हैं जो 18 जनवरी, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज पर आधारित 01 अप्रैल, 2018 को कम्पनी पर लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई अनुप्रयोग/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निदेशों को उनके जारी होने पर क्रियान्वित किया जाएगा/प्रयोज्य बनाया जाएगा।

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

दिनांक : 25 जून, 2021
स्थान : नई दिल्ली

निगमित शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में निर्धरित किया गया था।

निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कम्पनी की लेखा-परीक्षा है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि :

(1) आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड, लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति के गठन को छोड़कर कम्पनी ने उपर्युक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में यथानिर्धारित निगमित शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन किया है।

(2) आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी लाभप्रदता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबन्धन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

सूर्यकान्त गुप्ता
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफसीएस 9250
सीओपी नं. 10828
यूडीआईएन:एफ009250सी000725702

दिनांक : 02 अगस्त, 2021
स्थान : दिल्ली

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य सूचना

कम्पनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	एल74899डीएल1993जीओआई053677
कम्पनी का नाम	आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई)
पंजीकृत पता	आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110019
वेबसाइट	www.ifciltd.com
ई-मेल आईडी	complianceofficer@ifciltd.com
किस वित्तीय वर्ष की सूचना दी गई	2020-21
कम्पनी किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)	64920 (ऋण प्रदान करने वाली अन्य सेवाएं)
तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं जिनका कम्पनी उत्पादन कर रही है/सेवाएं प्रदान कर रही है (तुलन-पत्र में दिए गए अनुसार)	**(i) वित्तीय उत्पाद** **(ii) निवेश उत्पाद** **(iii) सलाहकारी सेवाएं**
स्थानों की संख्या जहां कम्पनी द्वारा कारोबार किया जा रहा है: **(i) अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या** **(ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या**	 कोई नहीं 5 (31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार)
कम्पनी द्वारा किन बाजारों को सेवाएं दी गई है - स्थानीय/राज्यीय/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खण्ड ख: कम्पनी के वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार)

प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपए)	1,895.99 करोड़ रुपए
कुल टर्न ओवर (भारतीय रुपए) *परिचालनों से आय*	1,378.00 करोड़ रुपए
कर पश्चात् कुल लाभ (भारतीय रुपए)	(1,957.81) करोड़ रुपए
कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	चूंकि पिछले 3 वर्षों में आईएफसीआई लि. का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा, अत: आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों के लिए कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 15.25 लाख रुपए का आबंटन किया गया और इसे प्रधान मंत्री राहत निधि में अंशदान के लिए आईएसएफ में अंतरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 दौरान किए गए ब्यौरे वार सीएसआर खर्चे की सूचना वित्तीय वर्ष 2020-21 की बोर्ड रिपोर्ट में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
सीएसआर क्रियाकलापों की सूची, जिन पर खर्च किया गया है।	इस वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के विवरण बोर्ड रिपोर्ट के भाग के रूप में सीएसआर क्रियाकलापों की सूचना के अधीन वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं। तथापि कुछ मुख्य क्रियाकलापों में सुरक्षित पेय जल के लिए ट्यूबवेल लगाना, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए वैन खरीदने में मदद करने, पुस्तकालय व अध्ययन केन्द्र का निर्माण करना के लिए सहायता देना आदि शामिल है।

खण्ड ग: अन्य विवरण

विवरण	हां/नहीं
क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां हैं	हां
क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के कारोबार दायित्व में भागीदारी करती है, यदि हां तो ऐसी सहायक कम्पनियों की संख्या का उल्लेख करें	नहीं
क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कम्पनी कारोबार करती है, कम्पनी के कारोबार दायित्व में भागीदारी करती है, यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत बताएं (30%, 30-60% से कम, 60% से अधिक)	नहीं

खण्ड घ: कारोबार दायित्व सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशकों के विवरण

क) कारोबार दायित्व नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक के विवरण

इस सम्बन्ध में निदेशकों की एक उप-समिति बनाई गई है। 31 मार्च, 2021 के अनुसार समिति का गठन इस प्रकार है:

क्र. सं.	समिति के सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री सुनील कुमार बंसल	उप महाप्रबंधक (समिति के अध्यक्ष)
2.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
3.	प्रो. अरविन्द सहाय	सदस्य
4.	श्री प्रसून	मुख्य महाप्रबंधक (समिति के सचिव)

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के विवरण

क्र. सं.	विवरण	ब्योरा
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री प्रसून
3.	पदनाम	मुख्य महाप्रबंधक
4.	टेलीफोन नं.	011-41732000
5.	ई-मेल आईडी	prasoon@ifciltd.com

2. सिद्धांत वार (नेशनल वालेन्ट्री गाइडलाइन्स (एनवीजीज) के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा कारोबार के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दायित्वों पर नेशनल वोलेन्ट्री गाइडलाइन्स (एनवीजीज) में कारोबार दायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया गया है, जो संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

सिद्धांत 1- आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उनके द्वारा कारोबार का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

सिद्धांत 2- कारोबार में ऐसा माल व सेवाएं देना, जो सुरक्षित हैं और उनके समस्त जीवन चक्र में निरन्तरता बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए।

सिद्धांत 3- कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिए।

सिद्धांत 4- कारोबार से उन सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों का सम्मान होना चाहिए विशेषत: जिन्हें लाभ नहीं हुआ है, जो चपेट में आ सकते हैं और जो हाशिए पर हैं और उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

सिद्धांत 5- कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान और उससे बढ़ावा देना चाहिए।

सिद्धांत 6- कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए और पर्यावरण को बचाए रखने के प्रयास करने चाहिएं।

सिद्धांत 7- जब कारोबार जनता को प्रभावित करता है, तब नियामक नीति बनाने का कार्य जिम्मेदारी से करना चाहिए।

सिद्धांत 8- कारोबार को सम्पूर्ण वृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करना चाहिए।

सिद्धांत 9- कारोबार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए और उसे अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को महत्व देना चाहिए।

क्र. सं.	प्रश्न	कारोबार आचार/पारदर्शिता और जवाबदेही	उत्पाद/सेवा दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेकहोल्डर्स से वचनबद्धता	मानव अधिकारों का प्रवर्तन	पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण और बचाव	सार्वजनिक नीति	सम्पूर्ण विकास व साम्यिक विकास	ग्राहक सम्बन्ध
		सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
1.	क्या आपकी कम्पनी में इन सब सिद्धांतों के लिए कोई नीतियां है?	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या यह नीति उपयुक्त स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
4.	क्या बोर्ड द्वारा नीति को अनुमोदित किया गया है, यदि हां तो क्या इस पर प्रबन्ध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/बोर्ड के उपयुक्त निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
5.	क्या कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने का लिंक बताएं	#	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	#	–	आन्तरिक दस्तावेज होने के कारण नीति की सभी कर्मचारियों तक पहुंच है।	–	#	#
7.	क्या इस नीति के बारे में उपयुक्त सभी आन्तरिक और बाह्य स्टेकधारकों को औपचारिक रूप से बताया गया है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन हाउस ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
9.	क्या कम्पनी में नीति/नीतियों के सम्बन्ध में स्टेकहोल्डर्स की शिकायतें दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली है?	हां	हां	हां	हां	–	हां	–	हां	हां
10.	क्या कम्पनी ने किसी आन्तरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्य शैली की स्वतन्त्र लेखा-परीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

सम्बन्धित नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अन्त में दिए गए हैं।

2 क. **यदि क्रम संख्या 1 के सामने दिए गए किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें क्यों? (2 विकल्प तक निशान लगाएं)**

क्र.सं.	प्रश्न	सि.1	सि.2	सि.3	सि.4	सि.5	सि.6	सि.7	सि.8	सि.9
1.	कम्पनी ने सिद्धांत नहीं समझें हैं									
2.	कम्पनी ऐसी अवस्था में नहीं है, जहां यह अपने आप को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और इनका कार्यान्वयन करने की स्थिति में पाती हो									
3.	कम्पनी के पास कार्य करने के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं									
4.	इसे अगले 6 महीनों में करने की योजना है									
5.	इसे अगले 1 वर्ष में करने की योजना है									
6.	अन्य कोई कारण, (कृपया स्पष्ट करें)					✓[#]		✓[#]		

एनबीएफसी होने के नाते, इस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता या सीमित रूप से लागू होता है। तथापि, कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों/मार्गनिर्देशों का पालन करना इसका उत्तरदायित्व है।

3. **कारोबार उत्तरदायित्व से सम्बन्धित शासन प्रणाली**

कितनी बार निदेशक बोर्ड, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पनी के कारोबार दायित्व के कार्यों का निर्धारण करते हैं। 3 माह, 3-6 माह, वार्षिक या 1 वर्ष से अधिक में?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कारोबार दायित्व समिति की एक बैठक हुई।

क्या कम्पनी कारोबार दायित्व या निरन्तरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए पुराने संदर्भ क्या हैं? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कारोबार दायित्व रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है जो कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर भी उपलब्ध है।

खण्ड ङ : सिद्धांत-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धांत 1

1. **क्या आचार-व्यवहार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नीति केवल कम्पनी में लागू है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू है?**

   जी हां, यह केवल कम्पनी पर ही लागू है। कम्पनी में आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों के लिए कारोबार आचार-व्यवहार संहिता है। इस संहिता का प्रयोजन कम्पनी के कार्यों के प्रबन्धन में नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है और इस प्रकार कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा बोर्ड और कर्मचारियों में प्रकट किए गए भरोसे और विश्वास को बनाए रखना है। बोर्ड और कर्मचारियों द्वारा इस संहिता के उपबन्धों को समझना, इसका दृढ़ता से पालन करना, अनुपालन करना और अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इसमें नीचे दिए गए मानकों पर कायम रहना प्रत्याशित है। यद्यपि आचार-व्यवहार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नीति में समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर विशेष रूप से लागू नहीं होती। तथापि सहायक कम्पनियों में अगल-अलग कारोबार अचार-संहिता और सिद्धांत हैं।

   आईएफसीआई में सतर्कता प्रणाली है। सतर्कता प्रणाली का उद्देश्य भ्रष्टाचार के किसी आरोप या शक्ति के जानबूझ कर दुरुपयोग करने या जानबूझ कर विवेक के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने, अनैतिक व्यवहार के बारे में सूचना देने, वास्तविक या सम्भावित धोखाधड़ी, मूल्यों को प्रभावित करने वाली संवेदनशील अप्रकाशित सूचना बाहर भेजने या मूल्यों को प्रभावित करने वाली सूचना बाहर दिए जाने की सम्भावना की सूचना देने, आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों, किसी कर्मचारी/सरकारी अधिकारी के द्वारा और ऐसे प्रकटन की जांच/कारण जानने तथा शिकायत करने वाले व्यक्ति को कारोबार अचार-संहिता और सिद्धांतों के उल्लंघन की सूचना देने, ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को पीड़ित होने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना है बशर्ते कि ऐसा प्रकटन या ऐसी शिकायत सद्भाव और उपयुक्त समय पर की गई हो।

   आईएफसीआई ने भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के आधार पर अपने उधार परिचालनों के लिए निष्पक्ष कार्य-प्रणाली संहिता बनाई हुई है जिसका उद्देश्य सभी ऋणियों को कम्पनी के कारोबार लेन-देन में कम्पनी के उचित संव्यवहार और पारदर्शिता की वचनबद्धता का आश्वासन देना है।

   इसके अतिरिक्त ठेका देने से पहले सफल बोलीदाताओं से एक वचनपत्र लिया जाता है कि वे किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हुए हैं। अत: इस सिद्धांत की प्रयोज्यता इस सीमा तक लागू मानी जाए। 10 लाख रुपए से अधिक ठेके वाले संभावित बोलीदाताओं और चुने गए वेन्डरों द्वारा इन्टेग्रिटी पेक्ट पर भी हस्ताक्षर कराए जाते है। यह कार्य निदेशक बोर्ड द्वारा 10 लाख रुपए से अधिक के सभी ठेकों वाले इन्टेग्रिटी पेक्ट को अपनाने के अनुरूप किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकहोल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या प्रबन्धन द्वारा इन शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के स्टेकहोल्डरों से 2412 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 99.63 प्रतिशत शिकायतों का 31 मार्च, 2021 तक समाधान कर दिया गया।

सिद्धांत 2

1. **अपने 3 उत्पाद या सेवाओं तक की सूची दें जिनके निरूपण में सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया गया है?**

   आईएफसीआई के पास नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के वित्तपोषण के लिए सावधि ऋण, निगमित ऋण, अल्पावधि ऋण आदि जैसे वित्तीय उत्पाद हैं जो पर्यावरण का बचाव और पोषण करते हैं। ऋणों की मंजूरी करते समय, आईएफसीआई पर्यावरणीय अनुमोदन लेने वाली शर्तें भी रखता है अर्थात् ऋणियों पर ऐसी चीजों का उत्पादन या इस्तेमाल करने पर रोक लगाना, जिनसे ओजोन की कमी होती है। इसके अतिरिक्त आईएफसीआई ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजना सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आईएफसीआई को एक नोडल एजेंसी/परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, जिसका पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दें (वैकल्पिक):**

   लागू नहीं।

3. **क्या कम्पनी में पोषणीय स्रोतों (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्य-विधि है?**

   यह कम्पनी के मुख्य उत्पाद पर लागू नहीं होता। लेकिन भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017, भारत सरकार के माल अधिग्रहण मैनुअल, (2019), केन्द्रिय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल 2017 तथा अन्य निदेशों के अनुरूप एक केन्द्रीय अधिग्रहण नीति बनाई गई है। आईएफसीआई गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस और सीपीपी पोर्टल (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) की सेवाए भी ले रही हैं

4. **क्या कम्पनी ने अपने कार्य-स्थल के आस पास स्थानीय और लघु उत्पादकों, जिनमें समुदाय भी शामिल हैं, से माल खरीदने और सेवाएं लेने के कोई उपाय किए हैं? यदि हां, कम्पनी द्वारा उनकी क्षमता और स्थानीय व लघु विक्रेताओं की सामर्थ्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए?**

   यह कम्पनी के मुख्य उत्पाद पर लागू नहीं होता। लेकिन कम्पनी 2.5 लाख रुपए और इससे अधिक के माल, कार्यों और सेवाओं के अधिग्रहण के लिए खुली और सीमित निविदा इन्क्वायरी करती है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के सिस्टम में एमएसएमई अनुपालन की व्यवस्था है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए एमएसएमई मार्गनिर्देशों के अनुसार आरएफपी में एक एमएसएमई खण्ड जोड़ा गया है।

5. **क्या कम्पनी में उत्पाद और बेकार सामान को पुन: उपयोग में लाए जाने के लायक बनाने की कोई प्रणाली है? यदि हां तो उत्पाद और बेकार सामान को पुन: उपयोग के लायक बनाए जाने का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10%)। लगभग 50 या इससे अधिक शब्दों में इसके विवरण दें।**

   नहीं।

सिद्धांत 3

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 तक कम्पनी में 195 कर्मचारी (संविदा वाले कर्मचारियों को छोड़ कर) थे।

2. **कृपया अस्थायी/संविदा पर/दैनिक आधार पर लगाए गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 तक 11 कर्मचारियों को संविदा आधार पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त सहायक कम्पनियों से भी 2 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   31 मार्च, 2021 को कम्पनी में 67 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. **कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

31 मार्च, 2021 को कम्पनी में 2 स्थायी दिव्यांग कर्मचारी थे।

5. **क्या कम्पनी में कोई कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबन्धन द्वारा मान्यता दी गई है?**

जी हां। आईएफसीआई द्वारा 2 संगठनों अर्थात आईएफसीआई अधिकरी संघ और आईएफसीआई अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता दी गई है

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में अपने स्थायी कर्मचारियों का क्या प्रतिशत है?**

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार 90.77% स्थायी कर्मचारी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार स्थायी 9.23% कर्मचारी आईएफसीआई अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्य थे।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या बताएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2021 को बकाया शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/ अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	नीचे टिप्पणी देखें	
3	भेदभावपूर्ण नियोजन	शून्य	शून्य

टिप्पणी: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 की यौन उत्पीड़न से संबन्धित एक शिकायत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया थी जिसका 5 अप्रैल, 2021 को निपटान कर दिया गया।

8. **पिछले वित्तीय वर्ष में नीचे वर्णित कर्मचारियों को दिए गए सुरक्षा और कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है?**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 90% कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया।

सिद्धांत 4

1. **क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य स्टेकहोल्डरों की कोई योजना बनाई है?**

हां।

2. **उपर्युक्त में से कम्पनी ने कितने स्टेकहोल्डरों को लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर हैं, के रूप में अभिनिर्धारित किया है?**

सभी अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग कर्मचारियों को लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर हैं, के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

3. **क्या कम्पनी ने लाभ से वंचित, अति संवेदनशील और हाशिए पर बने हुए स्टेकहोल्डरों के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास किए हैं?**

आईएफसीआई सभी आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक सभी कर्मचारियों के लिए नौकरी में आगे जाने के विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार के सभी दिशानिर्देशों का पालन करती है। आईएफसीआई ने आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को, विभिन्न स्तर की पदोन्नतियों से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करके तथा समय-समय पर मुद्दों को सुलझाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति संघ की सहायता लेकर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया है।

इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई अनुसूचित जाति के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना के लिए नोडल एजेंसी भी है और पिछड़ी जाति के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे नई योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।

कमजोर वर्गों (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/दिव्यांग व्यक्तियों आदि) को आरक्षण पर विस्तृत अध्याय इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में प्रदान किया गया है।

सिद्धांत 5

1. **क्या कम्पनी की मानवाधिकारों पर नीति में केवल कर्मचारी ही आते हैं या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है।**

आईएफसीआई में मानवाधिकार पर कोई विनिर्दिष्ट नीति नहीं है। सभी कर्मचारियों का आईएफसीआई कर्मचारीवृन्द विनियमों द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी स्टेकहोल्डर शिकायतें प्राप्त हुई थीं और प्रबन्धक द्वारा संतोषजनक रूप से दूर की गई शिकायतों का प्रतिशत क्या था?**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी के स्टेकहोल्डरों से 2412 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से 31 मार्च, 2021 तक 99.63% शिकायतों का निवारण कर दिया गया। लेकिन कोई भी शिकायत मार्गनिर्देश के सिद्धांत 5 से संबन्धित नहीं है।

सिद्धांत 6

1. **क्या सिद्धांत 6 से सम्बन्धित नीति केवल कम्पनी पर लागू होती है या यह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकारों/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है।**

जी हां, यह नीति कम्पनी की विभिन्न नीतियों और निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत कार्य-विधियों में सन्निहित है और यह सम्पूर्ण रूप से कम्पनी पर लागू होती है।

2. **क्या कम्पनी में/द्वारा पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान की कार्य नीतियां/प्रयास किए गए हैं? यदि हां तो, वेब पेज आदि के लिए कृपया पुराने संदर्भ दें।**

आईएफसीआई ने पर्यावरण परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान की दृष्टि से देश भर में ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। कम्पनी सौर, पवन, हाइड्रो आदि सहित नवीकरणीय परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. **क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों का पता लगाती है और उनका निर्धारण करती है?**

यह प्रश्न कम्पनी पर लागू नहीं होता क्योंकि यह उत्पादन करने वाली कम्पनी नहीं है। तथापि आईएफसीआई स्वयं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में सम्भावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का पता लगाने और निर्धारित करने का प्रयास करती है।

4. **क्या कम्पनी में स्वच्छता विकास प्रणाली से सम्बन्धित कोई परियोजना है? यदि हां तो 50 शब्दों या उससे अधिक में उसके विवरण दें। इसके अतिरिक्त, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है।**

जी नहीं।

5. **क्या कम्पनी ने स्वच्छता प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई प्रारम्भिक उपाय किए हैं, हां/नहीं? यदि हां तो कृपया वेब पेज के लिए पुराने संदर्भ दें।**

कम्पनी ने ऊर्जा दक्षता कार्य अर्थात् अपने निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट लगाने का कार्य पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव के अतिरिक्त रखरखाव और ऊर्जा लागत में भी महत्त्वपूर्ण रूप से कमी लाने में समर्थ रही है।

6. **क्या सूचनाधीन वित्तीय वर्ष में कम्पनी द्वारा जेनेरेटिड इमिशन्स/वेस्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा की गई अनुमेय सीमाओं में है?**

यह प्रश्न कम्पनी से सीमित रूप में प्रासंगिक है क्योंकि यह एक विनिर्माता कम्पनी नहीं हैं। तथापि कम्पनी अपने परिसरों और परिचालनों के सम्बन्ध में प्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करती है।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या बताएं जो 31 मार्च, 2021 को स्थिति अनुसार लम्बित हैं (अर्थात् संतुष्टि के अनुरूप समाधान नहीं किया गया)**

शून्य।

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कम्पनी किसी ट्रेड, चैम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन्हीं के नाम बताएं, जिनसे आपका कारोबारी सम्बन्ध है।**

   इस समय आईएफसीआई के पास निम्नलिखित कारोबार चैम्बर्स/व्यापार संघों की सदस्यता है:

   i) कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई)

   ii) एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री (एसोचेम)

   iii) भारतीय बैंक संघ

   iv) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान

2. **क्या आपने उपर्युक्त संघों के माध्यम से जन सामान्य की उन्नति या सुधार की वकालत की है/लॉबी बनाई है?**

   आईएफसीआई जन सामान्य की उन्नति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करती है।

सिद्धांत 8

1. **क्या कम्पनी में सिद्धान्त 8 से सम्बन्धित नीति के अनुसरण में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/प्रयास/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो उनके विवरण बताएं।**

   कम्पनी अपनी निगमित सामाजिक दायित्व नीति के अनुसरण में समग्र वृद्धि और साम्यिक विकास के सिद्धान्त के अनुरूप कार्यक्रम/प्रारम्भिक प्रयास परियोजनाओं पर कार्य करती है। सीएसआर नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और प्रयासों के बारे में विस्तृत सूचना 'निगमित सामाजिक दायित्वों पर रिपोर्ट' में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2. **क्या ये कार्यक्रम/परियोजनाएं इन-हाऊस कार्यदल/अपने संस्थान/बाहरी गैर सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन द्वारा आयोजित किए गए?**

   कम्पनी अपने निगमित सामाजिक क्रियाकलाप अपने एक न्यास "आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ)" के माध्यम से करती है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है?**

   जहां तक आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के प्रभाव मूल्यांकन का सम्बन्ध है, यह कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसार इस पर लागू नहीं होता।

4. **समुदाय विकास परियोजनाओं में आपकी कम्पनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है- भारतीय रुपयों में राशि और ली गई परियोजनाओं के विवरण?**

   चूंकि पिछले 3 वर्षों में आईएफसीआई लि. का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा अत: आईएफसीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों के लिए कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यकता अनुरूप 15.25 लाख रुपए का अंतरण आईएफसीआई शोसल फाउंडेशन में किया गया और आईएसएफ ने इस राशि को प्रधान मंत्री राहत निधि में अंतरित किया। आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ) आईएफसीआई और इसकी सहायक कम्पनियों की ओर से विश्वसनीय कार्यान्वयन एजेंसियों की मार्फत कार्य किया जाता है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि समुदाय विकास के इस प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 या इससे अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

   आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन को अपना सीएसआर बजट यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा जाता है कि समुदाय द्वारा समुदाय विकास कार्य समुदाय समावेशन के लिए सफलतापूर्वक किया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का लक्ष्य समुदाय विकास और उपेक्षित एवं जरूरतमंद लोगों का उत्थान करना है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। प्रत्यक्ष सामाजिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है।

सिद्धांत 9

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की लम्बित शिकायतों/लम्बित उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत क्या है?**

   वित्तीय वर्ष 2020-21 के आरम्भ और अंत तक कुल मिलाकर 22 मामले लम्बित थे। इसलिए वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत ग्राहक शिकायते/उपभोक्ता मामले लम्बित है।

2. **क्या कम्पनी उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है और इसके अतिरिक्त स्थानीय विधियों द्वारा क्या शासनादेशित है।**

   लागू नहीं।

3. **क्या किसी स्टेकहोल्डर द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कम्पनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार प्रणाली, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहार करने का कोई मामला दायर किया गया है जो 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार लम्बित है।**

   ऐसा कोई मामला नहीं है।

4. **क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि प्रकृति से सम्बन्धित कार्य किया है?**

   नहीं।

कारोबार दायित्व रिपोर्ट का अनुबन्ध-1

कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा अनुमोदित सम्बन्धित नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:

नीति का नाम	वेब-लिंक
निष्पक्ष कार्य प्रणाली संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=content/fair-practices-code
आचार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=content/code-conduct
सतर्क प्रणाली	https://www.ifciltd.com/?q=content/whistle-blower-policy
सीएसआर नीति	https://www.ifciltd.com/?q=content/our-csr-policy

अन्य नीतियां आन्तरिक प्रलेख हैं और इन्हें केवल संगठन के कर्मचारी ही देख सकते हैं।

कमजोर वर्गों को आरक्षण

(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ दिव्यांग जनों)

भारत सरकार द्वारा जारी की गई समय-समय पर लागू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों आदि जैसी कुछ श्रेणियों के उत्थान से सम्बन्धित नीतियों का आपकी कम्पनी द्वारा अनुसरण किया जाता है। इन श्रेणियों को आरक्षण/छूट से सम्बन्धित मार्गनिर्देशों का पालन भारत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पदोन्नति आदि जैसे विभिन्न कार्यों में ऐसी श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की समुचित भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2021 को आपकी कम्पनी में कुल 195 कर्मचारी थे, जिसमें से 25 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्गों, 17 अनुसूचित जातियों और 01 अनुसूचित जनजाति के थे।

01 जनवरी, 2021 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरणी निम्नानुसार है:

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा	अ. ज. जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	-	-	-	-							-	-				
4	डी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/ संविदा पर	8		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

01 जनवरी, 2021 को विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2021 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा (संविदा पर)*					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	26	2	-	2							-	-				
4	डी	35	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	70	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	50	5	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	9	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	एसोसिएट्स/संविदा पर	10		-	1		8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी III	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्रेणी IV	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**206**	**18**	**1**	**26**	**0**	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* आईएफसीआई लि. को भारत सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् पीएलआई व स्पेक्स के लिए समग्र रूप से वर्ष 2020 के दौरान संविदा पर नियुक्त किए गए एसोसिएट की कुल संख्या 8 है।

दिव्यांग जनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व (31.12.2020 तक)

क्रम स.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2020 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2020 (अर्थात् 01.01.2020 से 30.12.2020) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																		
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां								
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				
		जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	जोड़	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	श्रेणी I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:
(i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)
(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)
(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

प्रपत्र एओसी-1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परन्तुक के अनुसार सहायक कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा)

भाग "क": सहायक कम्पनियां

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार **(करोड़ रुपए)**

		प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	आईएफसी आई फैक्टर्स लि.	आईएफसी आई फाइनेंनशियल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	एमपीकॉन लि.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि.	आईफिन कमोडिटीज लि.	आईफिन क्रेडिट लि.	आईफिन सिक्यूरिटीज फाइनेंस लि.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि.	एसएचसीआईएल सर्विसिज लि.	स्टॉक होल्डिंग सिक्युरिटीज आईएफएससी लि.
1.	शेयर पूंजी	60.37	427.09	279.44	41.53	21.05	1.00	0.01	5.00	2.50	30.01	55.75	6.09	15.00
2.	रिजर्व एवं अधिशेष निधि	109.19	77.94	-163.22	27.83	2,663.15	6.36	6.80	-0.26	-0.53	-1.35	-20.72	73.13	-3.26
3.	कुल परिसम्पत्तियां	246.84	541.94	366.50	95.56	5,181.78	18.49	12.71	6.61	1.98	29.22	161.96	390.56	15.12
4.	कुल देयताएं	77.28	36.91	250.28	26.20	2,497.58	11.13	5.90	1.87	0.01	0.56	126.93	311.34	3.38
5.	निवेश	38.55	131.56	9.38	38.53	2,662.78	-	-	-	-	13.90	-	5.55	-
6.	कुल उत्पादन	36.05	58.76	30.30	15.94	460.15	71.27	0.19	0.92	0.09	1.64	42.56	95.74	0.15
7.	कराधान पूर्व लाभ	2.77	8.66	-16.23	-1.59	86.31	1.36	-1.02	-0.38	-0.01	0.23	-17.03	23.09	-1.85
8.	कराधान हेतु प्रावधान	0.30	2.53	6.43	-0.27	17.47	0.38		0.00		0.03	-4.03	5.93	-
9.	कराधान पश्चात् लाभ	2.47	6.13	-9.80	-1.19	68.84	0.98	-1.02	-0.41	-0.01	0.23	-13.00	17.15	-1.85
10.	प्रस्तावित लाभांश	-	14.95	-	-	16.85	0.10	-	-	-	-	-	4.87	-
11.	शेयरधारिता %*	98.59%	100.00%	99.90%	94.78%	52.86%	79.72%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*स्टैप डाउन सहायक कम्पनियों के लिए दी गई शेयरधारिता का % उनकी तत्काल सम्बन्धित धारक कम्पनी में शेयरधारिता को दर्शाता है।

टिप्पणी : सभी सहायक कम्पनियां भारत में निगमित हैं और ये धारक कम्पनी के समान ही उसी रिपोर्टिंग अवधि की सूचना देती हैं अर्थात प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 माह।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

भाग "ख" : सहयोगी कम्पनियां व संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनियों व संयुक्त उद्यमों के सम्बंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम	एथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	गति इंफ्राक्ट्रक्चर भास्मे पावर प्रा. लि. $	किटको लि. $	नगाई पावर प्रा. लि.	शीगा एनर्जी प्रा. लि.	वदराज सीमेंट लि.	वदराज एनर्जी (गुजरात) लि.
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख	31 मार्च-20	31 मार्च-19	31 मार्च-20	31 मार्च-20	31 मार्च-20	31 मार्च-18	31 मार्च-18
2.	वर्ष के अंत तक कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर							
	इक्विटी शेयरों की संख्या	138,540,000	45,020,000	19,950	5,640,000	51,000,000	63,916,797	36,000,000
	सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि-इक्विटी शेयर	137.29	45.02	0.04	5.17	51.00	63.92	35.44
	धारिता की सीमा	7.01%	38.73%	20.26%	26.46%	28.43%	3.20%	24.00%
3.	ऐसे कारण, जिनसे सहयोगी कम्पनी/ संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	इंड एएस 28, पैरा 20 के अनुसार कोई कम्पनी किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में एंड एएस 105 को किसी निवेश या निवेश के किसी भाग को लागू करेगी जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। किसी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में, निवेश के रखे गए किसी भाग, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जो बिक्री होने के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, के भाग के निपटान तक इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाएगा। निपटान होने के पश्चात् कोई कम्पनी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखे गए हित को इंड एएस के अनुसार हिसाब में लेगी जब तक कि सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखा गया हित जारी रहता है जिस मामले में कम्पनी इक्विटी विधि का प्रयोग करती है। चूकि इन कंपनियों में निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तदनुसार, इन कम्पनियों को समेकित नहीं किया है।						
4.	कम्पनी का निवल मूल्य	1,954.75	116.44	61.57	166.11	-50.88	-1,112.87	-137.35
	- इक्विटी शेयर पूंजी	1,975.06	116.24	9.85	365.47	179.42	2,000.00	150.00
	- अधिमान शेयर पूंजी		-					-
	- संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर पूंजी		-					
	- रिजर्व व अधिशेष	-20.01	0.20	51.73	-199.36	-230.30	-3,112.87	-287.35
5.	नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (केवल इक्विटी)	137.03	45.10	12.47	43.95	-14.46	-35.57	-32.96
6.	वर्ष के लिए लाभ/हानि	-0.30	-	-4.20	-197.88	-80.78	-1,595.29	-212.99
	i. समेकन में शामिल किया गया	-	-	-	-	-	-	-
	ii. समेकन में शामिल नहीं किया गया	-0.30	-	-4.46	-197.88	-80.78	-1,595.29	-212.99

$ I-जीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** ("कम्पनी") के संलग्न स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक विवरणों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं (जिसे इसमें आगे स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरण कहा जाएगा) ।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षानुसार ढंग से देते हैं और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के कार्यों, इसकी हानि, कुल व्यापक हानियों तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन सहित, यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उनके बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना मिलती है।

राय के लिए आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारी इस रिपार्ट के **स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों** में वर्णित है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं और नीतिपरक अपेक्षाएं जो कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत हैं ओर हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

इम्फेसिस ऑफ मेटर

1. हम स्थगन अवधि अर्थात् 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के सम्बन्ध में 'ब्याज पर प्रभारित ब्याज' को रिवर्स करने के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 38 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
2. हम भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में धोखाधड़ी खातों पर पूर्ण क्षति भत्ते के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 39 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
3. हम कतिपय स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता न देने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए का ईसीएल प्रावधान घटा कर) अधिक है और ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए तक कम हो गई हैं।
4. हम अपने वित्तीय परिणामों पर कोविड-19 महामारी का संस्था पर प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 41 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
5. हम टिप्पणी संख्या 42 की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां सहायक कम्पनियों में निवेशों का मूल्यांकन 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय विवरण की सीमित समीक्षा के आधार पर किया गया है।
6. 31.03.2021 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (-)10.81 प्रतिशत है जो भारिबैंक के दिनांक 31 मई, 2018 के परिपत्र (आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी) सीसी संख्या 092/03.10.001/2017-18 के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश से नीचे है।

इन मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो लेखांकन के पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों के सम्बन्ध में विवरण इन मामलों का निर्धारण नीचे इस प्रकार किया है:

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का कैसे समाधान किया गया
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति-प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 53 को देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: • ईसीएल मॉडल - क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य चालक हैं। • विभिन्न स्टेजों के व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण - ऋणियों को ऋण और अग्रिमों के रखरखाव मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से असमानता हो सकती है, यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल का मूल्य समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए हमारी अहमियत से अधिक उपयुक्त परिणामों की संभावित श्रेणी सहित अत्यधिक अनुमानों की अनिश्चितता है। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का रखरखाव मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया हैं: 1. ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण और वास्त. विक आंकड़ों की समीक्षा सहित, प्रविष्टि की जानी चाहिए। 2. किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचार या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन। 3. कोई प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/ निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। 4. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में आलोच्य आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 5. ईसीएल परिकलन में स्रोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 6. भारिबैंक के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का निर्धारण। **हमारा निष्कर्ष:** हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान पर विचार किया है और इससे सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का कैसे समाधान किया गया
2.	**उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 6(ख) के साथ पठित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 को देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और बाजार दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं की प्रविष्टि करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कतिपय डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण जोखिम के कारण एक मुख्य लेखा-परीक्षा मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन पर विचार किया जाता है तथा इस तथ्य का ध्यान रखना कि इन अपेक्षाओं के अनुचित उपयोग से आय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तरनिहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ अथवा हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तरनिहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निदेश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ अथवा हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2021 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और भारिबैंक के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। **हमारा निष्कर्ष:** हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।
3.	**सहायक और सहयोगी कम्पनियों में निवेश का मूल्यांकन** सहायक कम्पनियों में कम्पनी के निवेश का रखरखाव मूल्य कम्पनी के कुल निवल मूल्य का 56 प्रतिशत है। मूल कम्पनी के वित्तीय विवरणों और निवेशों की वसूलनीयता के सम्बन्ध में बाजार जोखिम के संदर्भ में निवेश की मात्रा के कारण इसे कम्पनी की लेखा-परीक्षा के दौरान बल दिया जाने वाला क्षेत्र माना गया था। अत: हमारी रिपोर्ट में यह एक लेखा-परीक्षा मामला माना गया था।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** सभी सहायक और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा **हमारा निष्कर्ष:** हमें निवेशों की वसूलनीयता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं मिला है और निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया गया है।
4.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण** मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मेनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रण परिचालन का मूल्यांकित नमूना। **हमारा निष्कर्ष:** हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी पद्धतियों से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखी है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई संगत सूचना शामिल है परन्तु इसमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और, ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड इन स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन मानकों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करते हुए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा उपयोग, उपयुक्त तथा विवेकसम्मत निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डों के सही होने तथा उनकी पूर्णत: सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू थे, के लिए स्टैण्डअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है, जो सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं और यह महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखेबाजी या त्रुटि हो, से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित फर्म के रूप में बने रहने की कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करना है, प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित यथा प्रयोज्य मामलों को प्रकट करना और लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित फर्म का प्रयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कम्पनी को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक बोर्ड कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की आशा की जाती है।

एसए के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार और निष्पन्न करते हैं और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अधीन हम क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां हैं और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता।
- लेखांकन के प्रतिष्ठित फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ शासन के संबंध में प्रभारियों से संपर्क करते हैं और हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में कोई उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते हैं।

हम शासन के लिए प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते है जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षापायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन करने वालों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसरण में भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा-परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की अपेक्षानुसार, हम इस आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण **''अनुबंध-क''** के रूप में संलग्न करते हैं।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप-निदेश (क्रमश: भाग-क और भाग-ख) पर कम्पनी के लिए अपनी रिपोर्ट **''अनुबंध-ख''** में इसके साथ संलग्न करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हम यह भी सूचित करते हैं कि:

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) हमारी राय में, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त खाता-बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन खाता-बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) कम्पनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है;

(च) कम्पनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में **''अनुबंध-ग''** के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय सूचना पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावोत्पदकता पर हमारी अनाशोधित राय व्यक्त करती है;

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अत: निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती।

(ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कम्पनी ने अपने स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 35.2 देखें;

(ii) कम्पनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें;

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का अन्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:1099374एएएएईपी6095

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 1 में निर्दिष्ट अनुबन्ध-क

(i) (क) कम्पनी ने 197.92 करोड़ रुपए के सकल ब्लॉक वाली फ्लैटस, पेंटिग्स और भूमि को छोड़कर, अचल परिसम्पत्तियों एवं पट्टाकृत संयंत्र और मशीनरी, जिनका पूर्णत: मूल्यह्रास हो चुका है, को छोड़कर अपनी अचल परिसम्पत्तियों, जिनमें परिमाणात्मक विवरण तथा अवस्थिति शामिल है, के विवरणों को दर्शाने के लिए उपयुक्त रिकार्ड रखे हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबन्धन वर्ष के दौरान, वर्ष में एक बार, अचल परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन करता है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और इसकी परिसम्पत्तियों के स्वरूप को देखते हुए उपयुक्त है। कम्पनी के प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया गया। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इन सत्यापनों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर और हमें उपलब्ध कराए गए अन्तरण विलेखों/ पंजीकृत बिक्री विलेखों की जांच के आधार पर हम यह सूचित करते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख को सभी अचल परिसम्पत्तियों के स्वामित्वाधिकार विलेख कम्पनी के नाम से धारित हैं।

(ii) कम्पनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, अत: इसकी कोई सामान सूची नहीं है, इसलिए इस पर कम्पनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खण्ड 3(ii) लागू नहीं होता।

(iii) हमें दिए गए स्पष्टीकरण और खाता बहियों और रिकार्डों के सत्यापन के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, अत: इस पर कम्पनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खण्ड 3(iii) (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते।

(iv) कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अधीन समाहित कोई ऋण, निवेश, गारंटियां प्रतिभूति प्रदान नहीं की हैं।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 या अन्य किसी उपयुक्त उपबन्ध तथा कम्पनी (निक्षेप स्वीकार करना) नियमावली, 2014 के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है ।

(vi) केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी द्वारा दी जा रही किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उपधारा 1 के अन्तर्गत लागत रिकार्ड रखरखाव के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया है। तद्नुसार कम्पनी (लेखा-परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खण्ड 3 (vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, सांविधिक देयों के सम्बन्ध में हम यह सूचित करते हैं कि:

(क) कम्पनी सामान्यत: विवाद रहित सांविधिक देय राशियां, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, माल व सेवा कर और अन्य महत्त्वपूर्ण सांविधिक देय राशियां शामिल हैं, की अदायगी उपयुक्त प्राधिकरणों को नियमित रूप से कर रही है। उपर्युक्त देय बकाया के सम्बन्ध में ऐसी कोई सांविधिक राशियां देय नहीं हैं जो कम्पनी के खातों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को देय हो जाती है, उसके देय होने के तारिख से छ: महीने से अधिक अवधि तक देय थीं।

(ख) जहां कही किसी सांविधिकी प्राधिकरण द्वारा कोई देय राशि मांगी जाती है/ मांग की जाती है और कम्पनी द्वारा इस पर विवाद हो जाता है, ऐसी राशियों को निम्नलिखित को छोड़कर ऐसी कोई राशि देय नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराई गई:

संविधि का नाम	विवादित देय राशियों का स्वरूप	राशि (करोड़ रुपए)	वर्ष, जिससे यह मांग सम्बन्धित है	मंच, जहां यह विवाद लम्बित है
आय कर अधिनियम, 1961*	दांडिक राशि	1.23	कर-निर्धारण वर्ष 2015-16	आईटीएटी, नई दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961*	आय कर	2.61	कर-निर्धारण वर्ष 2016-17	सीआईटी(ए), नई दिल्ली
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	सेवा कर व दांडिक राशि	1.80	वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2010-11	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली

*आय कर मामले, जो विवादित/अप्रदत्त है जैसा कि 31 मार्च, 2021 को आय कर विभाग के ई-फाईलिंग पोर्टल दर्शाता है।

(viii) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा कम्पनी के अभिलेखो की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को ऋणों या उधारों या डिबेन्चरधारकों को देय राशियों की पुन: अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

(ix) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने सीरीज 62 के बांडों के निजी धारण की मार्फत 200 करोड़ रुपए जुटाए है और इनका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह राशि जुटाई गई है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने शेयर पूंजी, जो 31.03.2021 को आबंटन तक लंबित है, में 200 करोड़ रुपए की राशि डाली है। परिणास्वरूप कप्मनी ने 23 अप्रैल, 2021 को अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 13.70 रुपए प्रति शेयर की दर से 14.59 करोड़ शेयरों का आबंटन किया है।

(x) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या इसके किसी अधिकारी/कर्मचारी ने कम्पनी द्वारा या कम्पनी पर किसी धोखाधड़ी की कोई सूचना नहीं दी है।

(xi) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 के जीएसआर 463(ई) के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित धारा 197 के उपबन्ध किसी सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होते। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xi) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। अत: कम्पनी पर निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होता। तद्अनुसार कम्पनी (लेखा-परिक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 का खंड 3 (xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, सम्बद्ध पक्षकारों से संव्यहवार अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां कहीं लागू है, के अनुपालन में किए गए और ऐसे संव्यवहारों का प्रकटन प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम्पनी द्वारा प्राप्त 200 करोड़ रुपए की राशि के मद्दे 21 मई, 2020 को अधिमान आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 10 रुपए प्रति शेयर की दर से 20 करोड़ शेयरों का आबंटन किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने साथ जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों से गैर-नकद संव्यवहार नहीं किए हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अधीन शामिल हैं।

(xvi) कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है और कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अन्तर्गत पंजीकृत है। कम्पनी को पंजीकरण संख्या बी-14.00009 के द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2009 को सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार किए बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरम्भ करने/का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:1099374एएएईपी6095

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुबंध-ख

भाग क-निदेश

क्र. सं.	निदेश	उत्तर
1.	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों को प्रोसेस करने की प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय उलझाव, यदि कोई हो, के सहित खातों की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रोसेसिंग के उलझाव को बताएं।	जी, हां, लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। आयकर संगणना और आस्थगित कर संगणना को हाथ से एमएस एक्सेल पर किया गया है, तथापि, दोनों के लिए लेखांकन लेन-देन केवल आईटी प्रणाली के माध्यम से पास किए जाते हैं।
2.	क्या ऋण को चुकाने के लिए कम्पनी की अक्षमता के कारण कम्पनी को उधारदाता द्वारा मौजूदा ऋण की पुनर्सरचना या लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते वाले मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	संदर्भाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा किसी ऋण की पुनर्सरचना नहीं की गई है। ऋण को चुकाने की कम्पनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते वाले कोई मामले नहीं है। तथापि, कम्पनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते वाले निम्नलिखित मामला (मामले) हैं। ऐसे बट्टे खाते डालने/छूट के ब्यौरे निम्नानुसार हैं : क्र.सं. | देय राशियों का स्वरूप | मामलों की संख्या | राशि (करोड़ रुपए) क. | ऋणों को बट्टे खाते डालना/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना | 4 | 53.43 ख. | ऋणों को बट्टे खाते डालना | 58 | 1.45 इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने वर्ष के दौरान 1424.07 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाते डाला है। कम्पनी ने ऋणदाता के रूप में चार मामलों में एकमुश्त पुनर्सरचना की अनुमति दी है, जिसमें कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है। यह सूचित किया गया था कि प्रत्येक मामले में वसूली/उगाही की संभावना का निर्धारण उपलब्ध प्रतिभूति, ऋणी/निवेशी की स्थिति और लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए मामले-वार आधार पर छूट देने/बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने/छूट देने के मामले में बकाया राशि का खाता बहियों में बट्टे खाते डालने/छूट की सीमा तक पूर्णतः प्रावधान किया गया था।
3.	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित ढंग से हिसाब में लिया गया था। इसकी शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामले बताएं।	जी, हां, अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना के लिए प्राप्त निधियों को उचित ढंग से हिसाब में लिया गया था और योजना की शर्तों के अनुसार इसका उपयोग किया गया था।

भाग ख - उप-निदेश

क्र. सं.	उप-निदेश	उत्तर
1.	**निवेशः** क्या सीजीएस/ एसजीएस/ बांडों/ डिबेंचरों आदि के सम्बन्ध में स्वामित्वाधिकार विलेख भौतिक या डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये कुल मिलाकर कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई राशियों से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो इसके विवरण दिए जाएं।	कम्पनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा कार्य-विधियों के आधार पर सीजीएस/एसजीएस/बांडों/डिबेंचरों आदि के स्वामित्वाधिकार विलेख भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये कुल मिलाकर कम्पनी की खाता बहियों में दिखाई गई सम्बन्धित राशियों के अनुरूप हैं, सिवाय नीचे दिए गए मामलों के : (क) जहां शेयर डीमैट या भौतिक रूप में पड़े हैं परंतु टैस्ट चैक आधार पर पता लगाई गई सीमा तक इन्हें खाता बहियों के हिसाब में शामिल नहीं किया गया ।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	स्वरूप	शेयरों की संख्या
1.	एसीसी लि.	डीमैट	80
2.	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	4664
3.	टाटा मोटर्स लि.	डीमैट	600
4.	टाटा स्टील लि.	डीमैट	300
5.	एशियन होटल्स (ईस्ट) लि.	डीमैट	265
6.	एशियन होटल्स (नार्थ) लि.	डीमैट	265
7.	एशियन होटल्स (वेस्ट) लि.	डीमैट	265
8.	बंगाल एण्ड आसाम कम्पनी लि.	डीमैट	23
9.	भीलवाड़ा टैक्नीकल टैक्सटाइल्स लि.	डीमैट	958
10.	बिरला प्रिसीशियन टैक्नोलॉजी लि.	डीमैट	13
11.	सिमको लि.	डीमैट	24550
12.	कोरोमंडल इन्टरनेशनल लि.	डीमैट	69220
13.	ईआईडी पैरी (इण्डिया) लि.	डीमैट	430
14.	एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि.	डीमैट	200
15.	एक्सल ग्लासिस लि.	डीमैट	50
16.	गेबरियल इण्डिया लि. परवाणु	डीमैट	3500
17.	जीकेडब्ल्यू लि.	डीमैट	110
18.	ग्रेफाइट इण्डिया लि.	डीमैट	366
19.	गुजरात सिद्धि सीमेंट लि.	डीमैट	275
20.	एचईजी लि.	डीमैट	1785
21.	हाई-टैक गीयर्स लि.	डीमैट	2700
22.	इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो-अलॉयज लि.	डीमैट	89
23.	आईटीसी लि.	डीमैट	67

क्र. सं.	उप-निदेश	उत्तर			
		24.	जे के सीमेंट लि.	डीमैट	20
		25.	लार्सन एण्ड टुब्रो लि.	डीमैट	1125
		26.	नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	130
		27.	पौनी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	डीमैट	64800
		28.	रेनबो डेनिम लि.	डीमैट	40
		29.	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.	डीमैट	383
		30.	रिलायंस कैपिटल लि.	डीमैट	223
		31.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	डीमैट	4482
		32.	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	डीमैट	335
		33.	रिलायंस पावर लि.	डीमैट	1120
		34.	टाटा पावर कम्पनी लि.	डीमैट	900
		35.	टीटागढ़ वैगन्स लि.	डीमैट	25
		36.	अल्ट्रा टैक सीमेंट कम्पनी लि.	डीमैट	100
		37.	विनसम टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	200
		38.	जैनिथ लि.	डीमैट	38
		39.	आदित्य बिरला कैपिटल लि.	डीमैट	194
		40.	आदित्य बिरला फैशन एण्ड रिटेल लि.	डीमैट	483
		41.	बांसवाड़ा सिन्टेक्स लि.	डीमैट	100
		42.	कोर एड्यूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजीस लि.	डीमैट	3
		43.	इरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि.	डीमैट	27
		44.	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	139
		45.	इण्डियन सीमलैस इन्टरप्राइजिस	डीमैट	1028
		46.	जे के इन्टरप्राइजिस लि.	डीमैट	100
		47.	कामा होल्डिंग्स लि.	डीमैट	150
		48.	रिलायंस होम फाइनेंस लि.	डीमैट	223
		49.	वेस्टर्न इण्डिया शिपयार्ड लि.	डीमैट	30
		50.	अंसल होटल	भौतिक	4727750
		51.	आर्यवस्त्र प्लाईवुड लि.	भौतिक	60000
		52.	भीलवाड़ा प्रौसेसर्स लि.	भौतिक	209998
		53.	बॉयोटैक सैनर्जी	भौतिक	440000
		54.	बीआर फूड्स	भौतिक	350000
		55.	सिमको लि.	भौतिक	2860
		56.	डीसीएम श्रीराम	भौतिक	16016
		57.	डेपरो फूड्स	भौतिक	1320
		58.	एस्सार कोटिड स्टील लि.	भौतिक	753000
		59.	एक्सेलसियर प्लांट्स कम्पनी लि.	भौतिक	51998
		60.	फलावर एण्ड टिशु इण्डिया लि.	भौतिक	500000
		61.	ज्ञान आगरा इण्डस्ट्रीज लि.	भौतिक	1995
		62.	ग्लोब युनाइटेड	भौतिक	3958
		63.	गोल्डन पॉलीमार्बल्स लि.	भौतिक	380000
		64.	हिन्द फूड लि.	भौतिक	300000
		65.	हिंडाल्को इण्डिया	भौतिक	116
		66.	जॉस पॉलीमर्स लि.	भौतिक	11000
		67.	जेसीटी लि.	भौतिक	500315
		68.	जेके पेपर लि.	भौतिक	27813
		69.	किंजल इण्डिया समय लि.	भौतिक	123400
		70.	महाराष्ट्र स्टील लि.	भौतिक	2995
		71.	एमएम पौलीटैक्स लि.	भौतिक	100000
		72.	मोदी अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स	भौतिक	784590
		73.	मोहता इलेक्ट्रो स्टील	भौतिक	18361
		74.	एमपी प्लाईवुड	भौतिक	25000
		75.	नैना सैमीकंडक्टर लि.	भौतिक	509481
		76.	ओरडे टैक्सटाइल्स	भौतिक	20000
		77.	उड़ीसा सिन्थेटिक्स लि.	भौतिक	100
		78.	ओशी फूड्स लि.	भौतिक	210000
		79.	परफेक्ट ड्रग्स लि.	भौतिक	400000
		80.	प्रतिभा सिन्टेक्स लि.	भौतिक	1250000
		81.	पंजाब फाइबर लि.	भौतिक	87076
		82.	पुनसुनी फ्राइन एण्ड कम्पोनेंट्स लि.	भौतिक	220000
		83.	सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.	भौतिक	1107024
		84.	शमा फोर्ज	भौतिक	24863
		85.	शमा फोर्ज (अधिमान शेयर)	भौतिक	7495

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उप-निदेश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

86.	एसआईईएल लि.	भौतिक	336348
87.	एसआईईएल शुगर लि.	भौतिक	300
88.	स्टेण्डर्ड वूलन्स	भौतिक	50000
89.	त्रिदेव डूपलैक्स बोर्ड प्राइवेट लि.	भौतिक	200000
90.	तृप्ति वूलन्स	भौतिक	59789
91.	ऊषा फोर्जिंग्स एण्ड स्टैम्पिंग	भौतिक	45000
92.	ऊषा फोर्जिंग्स एण्ड स्टैम्पिंग (अधिमान शेयर)	भौतिक	1968
93.	रेन इण्डस्ट्रीज लि.	भौतिक	115000
94.	ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लि.	भौतिक	2783

प्रबन्धन के अनुसार कम्पनी द्वारा अतीत में उक्त शेयरों को अंतरित किया गया है और विभिन्न कारणों से हितोपयोगी इन शेयरों का अन्तरण नहीं करा पाए हैं। उक्त शेयरों की परम्परागत कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) जहां शेयरों को बही खातों में हिसाब में लिया गया है परंतु ये टैस्ट चैक आधार पर चिन्हित सीमा तक डीमैट या भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शेयरों की संख्या
1.	मिनरवा होल्डिंग लि.	120
2.	अजन्ता टैक्सटाइल लि. (अधिमान शेयर)	38219
3.	बीएसटी मैन्युफैक्चरिंग लि. (अधिमान शेयर)	9920
4.	दिग्विजय सिंथेटिक्स लि. (अधिमान शेयर)	170000
5.	आई सी टैक्सटाइल्स लि. (अधिमान शेयर)	952394
6.	एलएमएल लि. (अधिमान शेयर)	2150912
7.	मोरपेन लेबोरेटरीज लि. (अधिमान शेयर)	87373
8.	ओसीएम इण्डिया लि.	589743
9.	परसुरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि. (अधिमान शेयर)	1389450
10.	पराग बोसमी सिन्थेटिक्स लि. (अधिमान शेयर)	2614577
11.	पुंज स्टील मशीन टूल्स प्राइवेट लि. (अधिमान शेयर)	150000
12.	सैमकॉर ग्लास लि.	2000000
13.	सर्दर्न विंड फार्मस प्राइवेट लि.	100000
14.	स्टील एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स लि. (अधिमान शेयर)	5980
15.	त्रिवेणी मैटल ट्यूब्स लि. (अधिमान शेयर)	449
16.	यूईल मेजर (आई) लि. (अधिमान शेयर)	39500
17.	अशोक पेपर मिल्स लि. (अधिमान शेयर)	30000
18.	अशोक पेपर मिल्स लि.	300000
19.	असम इस्पात लि.	95900
20.	बेल्लारी स्टील एण्ड एलायज लि. (अधिमान शेयर)	567260
21.	काचर शुगर मिल्स लि. (अधिमान शेयर)	14953
22.	कान्कास्ट प्रॉडक्टस लि.	45500
23.	किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.	400
24.	मेघालय फाइटो कैमिकल्स लि.	39483
25.	एसएण्डपी इंजीनियरिंग प्राड्टक्स लि.	24094

</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण
सभी पुनर्सरचित, पुनर्अनुसूचित, पुन: बातचीत द्वारा निपटाए गए सभी ऋणों के सम्बन्ध में क्या ऐसे सभी ऋणों के मद्दे उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक निर्धारण की कोई पद्धति है और वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस सम्बन्ध में कोई कमी, यदि कोई हो, के बारे में वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप में टिप्पणी की जा सकती है।</td><td>पुनर्सरचित, पुनर्अनुसूचित, पुन: बातचीत द्वारा निपटाए गए ऋणों सहित ऋण पोर्टफोलियो के लिए प्रतिभूतियों में वसूलनीय मूल्य के निर्धारण की एक पद्धति कार्यरत है और तिमाही आधार पर इसको अद्यतन किया जाता है। तथापि मूल्यांकन कार्य आवधिक आधार पर या कभी परिस्थितियों द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
भारतीय लेखांकन मानक के स्वीकरण को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के वित्तीय लेखों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया जाता है। भारिबैंक के आईआरएसी मानको के गैर अनुपालन के परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों में क्षति को कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋणों के मामले में प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का परिकलन करके भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार परिकलन किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या बकाया ऋण राशि को दर्ज करने और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए कम्पनी द्वारा ऋणी के साथ समाधान योजना/एकमुश्त निपटान पर विचार किया गया है।</td><td>जी हां, बकाया ऋण राशि को दर्ज करने और क्षति भत्ते के समायोजन के लिए कम्पनी द्वारा ऋणी के साथ समाधान योजना/एकमुश्त निपटान पर विचार किया गया है।</td></tr>
</table>

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:1099374एएएईपी6095

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा-3 में निर्दिष्ट अनुबन्ध-ग

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (आई) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा सहित उस तारीख की स्थितिनुसार आईएफसीआई लि. ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का दायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। इन दायित्वों में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा-परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रत: प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण हानि होती है, तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन व निरूपण शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और पद्धतियां शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं; (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथावश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं; और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी में महत्वपूर्ण रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के सम्बन्ध में, जहां तक हमारी जांच से प्रकट हुआ है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:1099374एएएईपी6095

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार
I. परिसम्पत्तियां			
(1) **वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	**533.56**	1,034.03
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	**588.33**	589.76
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**–**	50.04
(घ) व्यापार प्राप्य	6	**57.32**	78.43
(ङ) ऋण	7	**6,479.71**	10,295.36
(च) निवेश	8	**2,950.34**	1,882.54
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	**139.49**	132.68
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**10,748.75**	14,062.84
(2) **गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	10	**1,343.71**	1,352.13
(ख) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	11	**–**	–
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**62.23**	181.48
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	12	**2,122.05**	1,932.04
(ङ) निवेश सम्पत्ति	13	**185.50**	190.08
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	14	**741.73**	687.08
(छ) कार्यशील पूंजी		**–**	–
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	**0.91**	1.27
(झ) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	**14.46**	22.36
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		**4,470.59**	4,366.44
बिक्री हेतु वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	17	**0.04**	–
कुल परिसम्पत्तियां		**15,219.38**	18,429.28
II. देयताएं एवं इक्विटी			
देयताएं			
(1) **वित्तीय देयताएं**			
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**15.91**	–
(ख) व्यापार देयताएं			
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		**–**	–
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	**165.68**	66.60
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	**7,270.78**	7,844.60
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	**2,285.70**	3,165.50
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	**1,313.30**	1,313.30
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	**1,713.31**	1,805.64
कुल वित्तीय देयताएं		**12,764.68**	14,195.64
(2) **गैर-वित्तीय देयताएं**			
(क) प्रावधान	23	**82.18**	125.01
(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	**0.42**	0.86
कुल गैर वित्तीय देयताएं		**82.60**	125.87
(3) **इक्विटी**			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	**1,895.99**	1,695.99
(ख) अन्य इक्विटी	26	**476.11**	2,411.78
कुल इक्विटी		**2,372.10**	4,107.77
कुल देयताएं एवं इक्विटी		**15,219.38**	18,429.28

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	परिचालनों से राजस्व			
	ब्याज आय	27	**1,085.73**	2,144.10
	लाभांश आय		**25.69**	43.24
	किराया आय		**38.60**	36.19
	शुल्क एवं कमीशन आय		**34.72**	20.13
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	28	**193.26**	–
I.	**परिचालनों से कुल राजस्व**		**1,378.00**	2,243.66
II.	**अन्य आय**	29	**18.92**	20.40
III.	**कुल आय (I+II)**		**1,396.92**	2,264.06
	व्यय			
	वित्त की लागत	30	**1,118.97**	1,416.35
	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	28	**–**	275.50
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	31	**2,271.63**	421.96
	कर्मचारी हित व्यय	32	**91.09**	143.92
	मूल्यह्रास व परिशोधन	33	**29.30**	30.66
	अन्य व्यय	34	**33.16**	116.58
IV.	**कुल व्यय**		**3,544.15**	2,404.97
V.	**अपवादात्मक मद एवं करपूर्व लाभ (III-IV)**		**(2,147.23)**	(140.91)
VI.	**अपवादात्मक मदें**		**–**	–
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**(2,147.23)**	(140.91)
VIII.	**कर व्यय**			
	- चालू कर		**–**	–
	- पूर्व वर्षो के लिए कराधान		**8.57**	43.99
	- आस्थगित कर (निवल)	12	**(197.99)**	92.98
	कुल कर व्यय		**(189.42)**	136.97
IX.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(1,957.81)**	(277.88)
X.	**अन्य समग्र आय**			
क.	(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन–इक्विटी प्रतिभूतियां		**27.77**	(30.27)
	- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां			(5.12)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि)			–
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(9.71)**	(30.87)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि) पर कर		**–**	18.65
	उप जोड़ (क)		**18.06**	(47.61)
ख.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।**			
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां – उचित मूल्यों में निवल परिवर्तन		**2.35**	(10.76)
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां–लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		**–**	–
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर -ऋण प्रतिभूतियां		**1.72**	18.72
	उप जोड़ (ख)		**4.07**	7.96
	अन्य समग्र आय/(हानि) (क + ख)		**22.13**	(39.65)
XI.	**वर्ष हेतु कुल समग्र आय/(हानि) (IX+X)**		**(1,935.68)**	(317.53)
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर बेसिक अर्जन		**(10.33)**	(1.64)
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर डायल्यूटिड अर्जन		**(10.33)**	(1.64)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	कर-पूर्व निवल लाभ	**(2,147.23)**	(140.91)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**29.30**	30.66
	क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	**2,271.63**	421.96
	निवेशों पर वसूल न हुआ लाभ/(हानि)	**(304.53)**	275.50
	बिक्री के लिए धारित परिसम्पत्तियों पर क्षति	**–**	–
	गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों पर हानि	**(11.34)**	63.17
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(0.01)**	(8.53)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	**(162.18)**	641.85
	परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन :		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(716.34)**	1,100.47
	ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**1,589.08**	2,488.28
	डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	**65.95**	(35.38)
	ट्रेड देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**99.08**	(40.67)
	अधिनस्थ देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**–**	–
	प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	**19.99**	(71.48)
	ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	**(573.82)**	(1,382.19)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(879.80)**	(2,388.21)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**(569.38)**	375.84
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां में (वृद्धि)/कमी	**7.90**	(7.85)
	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**(9.54)**	20.16
	अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**(92.33)**	60.93
	अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**(0.44)**	(0.53)
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(82.21)**	61.59
	अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	**1.43**	(45.55)
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**(0.04)**	45.46
	कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	**(175.23)**	134.21
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	**110.67**	(23.40)
	परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(633.94)**	486.65
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	परिसम्पत्ति प्लांट एवं उपकरण की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत परिसम्पत्तियों सहित)	**(78.26)**	(11.32)
	सहायक कम्पनियों में निवेश	**–**	–
	निवेश परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय	**–**	–
	अमूर्त पारिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	**0.36**	0.38
	परिसम्पत्ति प्लांट एवं उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	**0.03**	25.95
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(66.53)**	(48.16)
ग.	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	प्राप्त शेयर आवेदन राशि	**200.00**	200.00
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**200.00**	200.00
	नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	**(500.47)**	638.49
	जोड़ें: अवधि के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	**1,034.03**	395.54
	अवधि के अन्त में नकद एवं नकद समकक्ष	**533.56**	1,034.03
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण			
	हाथ में नक्दी (डाक टिकटों सहित)	**–**	0.01
बैंकों के पास शेष			
	- बैंक शेष	**519.86**	263.14
	- बैंक जमा	**–**	770.88
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)		**13.70**	–
हस्तगत एवं वसूलनीय एवं मार्गस्थ प्रेषण चेक		**–**	–
वर्ष के अन्त में कुल नकद एवं नकद समकक्ष		**533.56**	1,034.03

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(क) **इक्विटी शेयर पूंजी**

01 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
1,695.99	–	1,695.99	200.00	1,895.99

(ख) **अन्य इक्विटी**

	रिजर्व एवं अधिशेष											अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख	अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख	पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	जोड़
	आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	मानित इक्विटी अंशदान	क्षति रिजर्व	आरबीआई अधिनियम की धारा 45आईसी के तहत रिजर्व	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii)के तहत विशेष रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	पूंजी मोचन रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय				
01 अप्रैल, 2019 को शेष	–	335.82	–	875.04	136.69	0.85	967.69	231.92	247.08	353.58	(258.91)	9.53	(404.69)	34.71	2,529.31
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(277.88)	7.96	(66.26)	18.65	(317.53)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	200.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200.00
प्रतिधारित अर्जन में/से अन्तरण	–	–	22.98	–	–	–	–	–	–	–	(22.98)	–	–	–	–
31 मार्च, 2020 को शेष	**200.00**	**335.82**	**22.98**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**967.69**	**231.92**	**247.08**	**353.58**	**(559.77)**	**17.49**	**(470.95)**	**53.36**	**2,411.78**
वर्ष के लिए कुल समग्र आय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1,957.81)	4.08	18.06	–	(1,935.67)
वर्ष के दौरान अन्तरित की गई आवेदन राशि	(200.00)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(200.00)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	200.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200.00
प्रतिधारित अर्जन में/से अन्तरण	–	–	11.56	–	–	–	–	–	–	–	(11.56)	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 को शेष	**200.00**	**335.82**	**34.54**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**967.69**	**231.92**	**247.08**	**353.58**	**(2,529.14)**	**21.57**	**(452.89)**	**53.36**	**476.11**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') सार्वजनिक क्षेत्र में एक गैर-बैंकिंग कम्पनी है। वर्तमान में सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई बीएसई एवं एनएसई पर सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी सभी क्षेत्रों में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, दूरसंचार रियल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसी ही अन्य सम्बद्ध उद्योग शामिल हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनी द्वारा ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''भा.ले.मा.'') के अनुसार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तथा इसके सहित कम्पनी ने मूल लागत परिणामों के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (''भारतीय जीएएपी'' अथवा ''पूर्ववर्ती जीएएपी'') के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशा निर्देश अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम ढांचा शामिल हैं।

नीचे पारिभाषित लेखांकन नीतियों के इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 28 जून, 2021 को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यवर्णित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

4. मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता – योजना परियोजनाओं का उचित मूल्य घटाकर पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य।

5. अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने आकलन, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों।

अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी अवधियों में निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरन्तर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

i. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियां को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल रखरखाव लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तों को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है।

ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियां क्षति क्रेडिट न हो) सकल रखरखाव राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो। तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु, जो शुरुआती माान्यता के बाद क्षति क्रेडिट बन गए हैं, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्तियों के परिशोधित लागत हेतु प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति दीर्घकालिक क्रेडिट क्षति न हो, तब ब्याज आय का परिकलन सकल आधार पर प्रत्यावर्तित होता है।

उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती माान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थे, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट-समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है।

कम्पनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है जिसके द्वारा स्टेज-3 परिसम्पत्तियों को दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नहीं दी जाएगी।

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, को वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर ही मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति उधारो से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय बातचीत द्वारा अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में पारिभाषित तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।

iv. ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तो के अनुसार दी जाती हैं।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी प्रलेखों की संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरुआती माान्यता पर जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परिवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियां

शुरुआती माान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनर के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

व्यावसायिक मॉडल निर्धारण

कम्पनी व्यवसाय मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करती है जिसमें परिसम्पत्ति को पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यवसाय को व्यवस्थित करने के तरीके और प्रबंधन की उपलब्ध सूचना को अच्छी तरह दर्शाता है। विचारित जानकारी में निम्न शामिल है :

- संभाग हेतु 'पारिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहारण परिचालन, विशेषत: यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदाय कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं; अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसके अपवाद, तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथकन में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के पारिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को क्रियान्वित किया जाता है;

  जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है।

  वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनके आरम्भिक मान्यता के बाद पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है; सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति कर मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने की दिशा परिसम्पत्तियों को रखना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती है, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटा किसी क्षति क्षति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करता है, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को (अर्थात सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश से भिन्न) एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख ने आरंभिक मान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु नहीं रखा गया हो, कम्पनी ओसीआई में उचित मूल्य में अपरिवर्तनीय रूप से परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकती है। यह चुनाव निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

कम्पनी द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेखों को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख कोई संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्राप्तियों में मान्य किया जाता है जो सीधे लेनदेन लागतों पर आरोप्य होते हैं।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और शुल्क अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूल में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके नहीं होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है; क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर कम्पनी उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धृत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करती है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है।

यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धृत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीकी में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्यनिर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को मान्यता/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अवस्वीकरण।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, कार्यात्मक परिसम्पत्ति के भाग को अथवा इसी तरह के वित्तीय परिसम्पत्तियों के एक समूह के भाग को) मुख्यतया अमान्य अर्थात कम्पनी के तुलनपत्र से हटाया जाता है; किया जाता है, जब;

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो अथवा पूर्ण तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थानान्तरित कर दिया है अथवा ''पास-थ्रो'' व्यवस्थापन के तहत किसी तीसरे पक्ष को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो; और या तो (क) कम्पनी के परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं रिवॉर्डों को पर्याप्त रूप में स्थानान्तरित कर दिया हो या फिर (ख) कम्पनी ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और रिवॉर्डों को स्थानान्तरित किया हो, न ही पर्याप्त रूप में रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को स्थानान्तरित किया हो।

जब कम्पनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को स्थानान्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थ्रो व्यवस्था निष्पन्न की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं रिवॉर्डों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से स्थानान्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति या कंट्रोल स्थानान्तरित किया हो; तो कम्पनी स्थानान्तरित परिसम्पत्ति को कम्पनी की निरस्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। कम्पनी स्थानान्तरित परिसम्पत्ति पर कम्पनी की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करती है। स्थानान्तरित परिसम्पत्ति और सम्बद्ध देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो कम्पनी ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु निर्धरित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटा स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है; और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी वित्तीय देयता को तब अमान्य करती है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छूट दी जाती है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है जब कम्पनी को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VI. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए उस अपसामान्य मंजूरी को स्वीकार करता है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं।
- पट्टा प्राप्य
- जारी वित्तीय गारण्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर क्षति को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों की संमाक भारित अनुमान है। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं क्योंकि सभी नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव हैं।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं - जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो कम्पनी को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे कम्पनी प्राप्त करना चाहती है।

ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, कम्पनी कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि छूट का मूल्यांकन करती है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि छूट को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि छूट को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टेखाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब कम्पनी पारिभाषित करती है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है और लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित होता है।

तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो अभी भी कानूनी राय ले करके कम्पनी की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अध्यधीन रखा जा सकता है व की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कम्पनी अपने निवेशों को लागत घटा संचित हानि, यदि हो पर सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हिसाब में लेती है।

घ. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है,जब कभी भी बट्टे शर्तें स्वामित्व सभी जोखिमें एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित होती हैं। सभी अन्य पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं।

I. पट्टा देने वाले के रूप में कम्पनी

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के तय में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए पारिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में कम्पनी की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल की परिवर्तनीय आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों में किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हो, मान्य किया जाता है।

II. पट्टेदार के रूप में कम्पनी

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोद्भूत हुए हो, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में जिसमें के उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ङ. कर्मचारी लाभ

i. अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्यगत होते है, जैसा कि संबंधित सेवा उपलब्ध हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि कम्पनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. नियोजन बाद लाभ

क. पारिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार जब भी देय हो मंहगाई भत्ता और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते है। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में पारिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि प्रशासन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवार्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

ख. पारिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

कम्पनी पूर्वपारिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का पारिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ऐसे पारिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

कम्पनी की उपदान के रूप में एक पारिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबधित निधि का प्रशासन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में कम्पनी की वर्षान्त बाध्यता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर पारिभाषित किया जाता है। अंशदान को कम्पनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधर पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

कम्पनी की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

पारिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है। जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई काटा गया हो, के लिए बाद में अर्जित किया हो।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी की छुट्‌टी नकदीकरण और छुट्‌टी किराया छूट के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। छुट्‌टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है, और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया हैं परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकन लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में जिसमें वे उद्‌भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। छुट्‌टी किराया छूट का प्रावधान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

I. वर्तमान कर

वर्तमान कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजन पर देय कर शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियम कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करके किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान कर के रूप में मान्य किया जाता है।

वर्तमान कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती हैं, यदि कम्पनी :

(क) को कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतियुक्ति करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहती हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहती हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहती हो।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधन प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी घटौतियों को रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ की संभावना में सुधार आता है।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुन: पारिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, अस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता हैं जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए लौटाया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी की :

क) चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि कम्पनी उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

छ. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश परिसम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। 5,000/- रुपए से कम कीमत वाली परिसम्पित्ति को खरीद के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में प्रभारितत किया जाएगा।

निवेश परिसम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। कम्पनी निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर सीधी कटौती विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में पारिभाषित है। मूल्यह्रास को यथा-अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन माह और बिक्री/निपटान माह का अपवर्जन शामिल है। पट्टाभूमि सुधार को सीधी कटौती आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में समझा जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में ''शून्य'' समझा जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

अस्वीकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में पारिभाषित किया जाता है और लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ज. अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य अथवा पारिभाषित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है।

अस्वीकरण

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न लाभों अथवा हानियां को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है, जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

झ. गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में, कम्पनी अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखे सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करती है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है : तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचालित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो पूर्व कर दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की राशि एवं जोखिम विशेष के समय मान के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

क्षति हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। क्षति हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसे पारिभाषित किया जाना होगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से अधिक नहीं होती, यदि क्षति क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

ञ. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेनदेन के लिए अर्जित किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा लेखांकन अवधि के समाप्त होने की दिशा में सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हो को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

ट. दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब कम्पनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह आवश्यक होगा तथा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय किया जा सकता है।

प्रावधानों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान बाध्यता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्वकर दर है जो देयता के लिए विशिष्ट धनराशि एवं जोखिमों के समय मान के वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

ठ. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती है जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य बाध्यता नहीं हो, अथवा कोई वर्तमान बाध्यता न हो, जो संभव हो सकती है, परन्तु संभवत: संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी; जिसकी राशि को विश्वसनीयता से आकलित नहीं किया जा सकता हो।

आकस्मिक देयता में प्रावधान आवश्यक नहीं होते, परन्तु प्रकट किए जाते हैं, जब तक कि संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना अप्रत्यक्ष हो। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में चालू खातो बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चेक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधारी बाध्यता लेनदेनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

ढ़. खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का कम्पनी के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और कम्पनी के परिचालन खण्डों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रस्तुत खण्ड सूचना पर अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 50 को देखें।

ण. बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों को बिक्री हेतु पारिभाषित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यत: बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा बजाय निरन्तर प्रयोग के जरिए।

ऐसी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियां के साथ बिक्री हेतु उनकी रखरखाव राशि एवं उचित मूल्य घटाकर लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर परिसम्पत्तियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

3 नकद एवं नकदी समतुल्य

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
हस्तगत नकदी (डाक टिकटों सहित)*	–	0.01
बैंकों में शेष		
- बैंक शेष	**519.86**	263.14
- बैंक में जमा राशि	–	770.88
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**13.70**	–
जोड़	**533.56**	1,034.03

*31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च 2020 की स्थिति अनुसार हाथ में नकद शेष 100 रुपए (सौ रुपए) है।

4 नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना के तहत कम्पनी के पास रखी निधि के प्रति बैंक जमा राशियां		
- बैंक में शेष	**0.15**	0.06
- बैंक में जमा राशि	**293.96**	281.09
अदावाकृत लाभांश खाता	**8.23**	10.69
गारण्टियों के प्रति सीमान्त राशि के रूप में धारित बैंक शेष*	**80.02**	66.26
न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि	**205.97**	231.66
जोड़	**588.33**	589.76
*12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	**12.40**	–

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख

	31 मार्च 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	काल्पनिक राशि	**उचित मूल्य - परिसम्पत्तियां**	**उचित मूल्य - देयताएं**	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य - परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य - देयताएं
भाग I						
मुद्रा डेरिवेटिव :						
- स्पॉट एण्ड फारवर्ड	**795.16**	**–**	**15.91**	817.40	50.04	–
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख भाग - I	**795.16**	**–**	**15.91**	817.40	50.04	–
भाग II						
उपरोक्त (भाग-I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं :						
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**795.16**	**–**	**15.91**	817.40	50.04	–
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख भाग - II	**795.16**	**–**	**15.91**	817.40	50.04	–

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा प्रयोग किया गया है।

डेरिवेटिव से हुए प्रवंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 53 देखें

6 प्राप्य राशियां

	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
(क) प्रतिभूत		
- अच्छी समझी गई	–	–
- संदिग्ध समझी गई	–	–
(ख) अप्रतिभूत		
- अच्छी समझी गई	**58.72**	78.71
- संदिग्ध समझी गई	–	–
	58.72	78.71
घटाएं : क्षति हेतु प्रावधान	**(1.40)**	(0.28)
जोड़	**57.32**	78.43

संबंधित पक्षों से एवं संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों से देय ट्रेड प्राप्यों के निबंधनों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 47 को देखें।

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों की कम्पनी की जोखिमों पर टिप्पणी 53 में प्रकट किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

7 ऋण

		31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
परिशोधित लागत पर			
(क)			
(i)	मांग पर अदा किये जाने वाला ऋण	–	–
(ii)	मियादी ऋण	**11,638.10**	15574.73
(iii)	पट्टे पर देना	**0.04**	0.04
(iv)	डिबेंचर	**1,065.14**	1,069.14
	जोड़ (क) - सकल	**12,703.28**	16,643.91
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,223.57**	6,348.55
	जोड़ (क) - निवल	**6,479.71**	10,295.36
(ख)	**प्रतिभूति विवरण**		
(i)	मूर्त एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**7,993.09**	10,897.39
(ii)	बैंक/सरकारी गारण्टी में शामिल	**117.70**	135.45
(iii)	अप्रतिभूत	**4,592.49**	5,611.07
	जोड़ (ख) - सकल	**12,703.28**	16,643.91
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,223.57**	6,348.55
	जोड़ (ख) - निवल	**6,479.71**	10,295.36
(ग)	**भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	**54.39**	421.75
(ii)	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	**12,648.89**	16,222.16
	जोड़ (ग) - सकल	**12,703.28**	16,643.91
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,223.57**	6,348.55
	जोड़ (ग) - निवल	**6,479.71**	10,295.36

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

8 निवेश

			उचित मूल्य पर				
		परिशोधित लागत	अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड़
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 मार्च, 2021 को							
(क)							
(i)	म्युचअल फण्ड	–	–	1,123.38	–	–	1,123.38
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	–	481.43		–	–	481.43
(iii)	ऋण प्रतिभूतियां	–	114.36	–	–	–	114.36
(iv)	इक्विटी प्रलेख	–	40.39	637.17	–	–	677.56
(v)	अन्य	–	–	–	–	–	–
	उद्यम पूंजी	–	–	109.34	–	–	109.34
	प्रतिभूति प्राप्तियां	–	–	414.55	–	–	414.55
	वाणिज्यिक पत्र	–	24.85	–	–	–	24.85
	अधिमान शेयर	–	–	4.87	–	–	4.87
	जोड़ - सकल (क)	**–**	**661.03**	**2,289.31**	**–**	**–**	**2,950.34**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	–	661.03	2,289.31	–	–	2,950.34
(ii)	भारत से बाहर निवेश	–	–	–	–	–	–
	जोड़ - सकल (ख)	**–**	**661.03**	**2,289.31**	**–**	**–**	**2,950.34**
(ग)	घटाएं : क्षति हानि भत्ता		–	–	–		–
(घ)	**जोड़ - निवल (क-ग)**	**–**	**6,61.03**	**2,289.31**	**–**	**–**	**2,950.34**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर अन्य समग्र आय के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए	लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	जोड़
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)	(6)
31 मार्च, 2020 को							
(क)							
(i)	म्युचुअल फण्ड	–	–	30.53	–	–	30.53
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	–	632.47	–	–	–	632.47
(iii)	ऋण प्रतिभूतियां	–	198.78	–	–	–	198.78
(iv)	इक्विटी प्रलेख	–	12.62	421.01	–	–	433.63
(v)	अन्य	–	–	–	–	–	–
	उद्यम पूंजी	–	–	112.61	–	–	112.61
	प्रतिभूति प्राप्तियां	–	–	447.06	–	–	447.06
	अधिमान शेयर	–	–	27.46	–	–	27.46
	जोड़ - सकल (क)	**–**	**843.87**	**1,038.67**	**–**	**–**	**1,882.54**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	35.00	843.87	1,038.67	–	–	1,882.54
(ii)	भारत से बाहर निवेश	–	–	–	–	–	–
	जोड़ - सकल (ख)	**35.00**	**843.87**	**1,038.67**	**–**	**–**	**1,882.54**
(ग)	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	–	–	–	–		–
(घ)	**जोड़ - निवल (क-ग)**	**35.00**	**843.87**	**1,038.67**	**–**	**–**	**1,882.54**

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवेशों पर ब्याज	**14.53**	21.07
प्रोद्भूत आय	**12.16**	21.13
कर्मचारियों को ऋण	**27.48**	27.09
अन्य जमा राशियां	**86.31**	64.59
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	**12.12**	12.12
अन्य वसूलनीय राशियां	**57.32**	50.86
	209.92	196.86
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**70.43**	64.18
जोड़	**139.49**	132.68

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

10 सहायक कम्पनियों में निवेश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सहायक कम्पनियों में निवेश	**1,381.72**	1,381.72
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**38.01**	29.59
जोड़	**1343.71**	1352.13

11 इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	**–**	–
जोड़	**–**	–

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

12 मान्य आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

विवरण	01 अप्रैल, 2020 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च, 2021 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,718.74	–	276.55	–	**1,995.29**
अन्य	377.71	–	–	–	**377.71**
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	–	–	–	–	–
उप-जोड़ (क)	**2,096.45**	**–**	**276.55**	**–**	**2,373.00**
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	246.30	–	(4.87)	–	**241.43**
निवेश	(85.15)	–	96.66	7.98	**19.50**
सहायक कम्पनियों में निवेश	(67.89)	–	(2.94)	–	**(70.83)**
36(i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल धारा	46.72	–	–	–	**46.72**
उधार	24.43	–	(10.30)	–	**14.13**
उप-जोड़ (ख)	164.41	–	78.55	7.98	**250.94**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**1,932.04**	**–**	**197.99**	**(7.98)**	**2,122.05**

13 निवेश सम्पत्ति

	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	9.84	–	–	**9.84**	–	–	–	**–**	9.84	9.84
भवन	192.75	–	–	**192.75**	12.53	4.57	–	**17.10**	175.65	180.22
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	0.02	–	–	**0.02**	–	–	–	**–**	0.02	0.02
जोड़	202.61	–	–	**202.61**	12.53	4.57	–	**17.10**	185.50	190.08

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2019 को	**परिवर्धन/ समायोजन**	**निपटान/ समायोजन**	**31 मार्च, 2020 को**	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	9.84	–	–	9.84	–	–	–	–	9.84	9.84
भवन	192.75	–	–	192.75	9.24	4.57	1.28	12.53	180.22	183.51
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	0.02	–	–	0.02	–	–	–	–	0.02	0.02
जोड़	**202.61**	**–**	**–**	**202.61**	9.24	4.57	1.28	12.53	190.08	193.37

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2021 को *	31 मार्च, 2020 को
फ्री होल्ड भूमि	**12.60**	12.60
पट्टे पर दी गई भूमि	**0.73**	0.73
भवन	**311.85**	311.85

* देश में मौजूदा भू-सम्पदा बाजार स्थिति और लम्बे समय से चल रही कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2020 का उचित मूल्य ही 31 मार्च, 2021 के लिए धारित किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है; जिसमें मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति का स्थान एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव शामिल हैं।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य मूल्यांकन को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी के इनपुटों के आधार पर तीन स्तरीय उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों मिलते-जुलते हित का सूचीयन की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। बिक्रियों का विश्लेषण करके, जो इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच ''आर्म-लेन्थग'' लेन-देन के रूप में मान्य हो, समायोजन, इसके आकार, स्थान, समय सुख-सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति की संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब प्रयोग किया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

14 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	52.71	46.39	(0.03)	**99.13**	–	–	–	**–**	**99.13**	52.71
भवन	413.10	31.86	–	**444.96**	26.77	12.22	0.04	**38.95**	**406.01**	386.33
पट्टा भूमि सुधार	0.04	–	–	**0.04**	0.04	–	–	**0.04**	**–**	–
संयंत्र एवं मशीनरी	7.10	0.29	–	**7.39**	0.89	0.54	–	**1.43**	**5.96**	6.21
फर्नीचर एवं फिक्सचर	5.87	0.01	–	**5.88**	4.60	0.58	–	**5.18**	**0.70**	1.27
वाहन	0.20	0.15	0.02	**0.33**	0.13	0.01	–	**0.14**	**0.19**	0.07
कार्यालय उपकरण	2.84	0.12	0.25	**2.71**	1.54	0.44	0.26	**1.72**	**0.99**	1.30
इलेक्ट्रीकल स्थापना एवं उपकरण	11.47	0.01	0.14	**11.34**	8.89	1.01	0.06	**9.84**	**1.51**	2.58
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.34	–	–	**264.34**	27.73	9.37	–	**37.10**	**227.24**	236.61
जोड़	757.67	78.84	0.38	**836.13**	70.59	24.17	0.36	**94.39**	**741.73**	687.08

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्री होल्ड भूमि	52.71	–	–	52.71	–	0	0	–	52.71	52.71
भवन	440.24	–	27.14	413.10	24.67	11.77	9.67	26.77	386.33	415.57
पट्टा भूमि सुधार	0.04	–	–	0.04	0.04	–	–	0.04	(0.00)	(0.00)
संयंत्र एवं मशीनरी	2.15	4.95	–	7.10	0.39	0.50	–	0.89	6.21	1.76
फर्नीचर एवं फिक्सचर	5.87	–	–	5.87	3.68	0.92	0.00	4.60	1.27	2.19
वाहन	0.29	–	0.09	0.20	0.19	0.01	0.07	0.13	0.07	0.10
कार्यालय उपकरण	2.71	0.42	0.29	2.84	1.39	0.44	0.29	1.54	1.30	1.32
इलेक्ट्रीकल स्थापना एवं उपकरण	11.46	0.01	–	11.47	6.38	2.57	0.06	8.89	2.58	5.08
पट्टाधीन परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	264.34	–	–	264.34	18.37	9.37	0.01	27.73	236.61	245.97
जोड़	**779.81**	**5.38**	**27.52**	**757.67**	55.11	25.58	10.10	**70.59**	**687.08**	724.70

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

15 अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	2.83	0.19	–	**3.02**	1.56	0.55	–	**2.11**	**0.91**	1.27
जोड़	2.83	0.19	–	**3.02**	1.56	0.55	–	**2.11**	**0.91**	1.27

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	2.69	0.14	–	2.83	1.04	0.52	–	1.56	1.27	1.65
जोड़	**2.69**	**0.14**	**–**	**2.83**	**1.04**	**0.52**	**–**	**1.56**	**1.27**	**1.65**

16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पूंजी अग्रिम	**0.82**	1.03
पूर्व प्रदत्त व्यय	**0.44**	0.38
भविष्य निधि- परिसम्पत्ति*	**13.20**	20.95
अन्य परिसम्पत्तियां	**–**	6.09
	14.46	28.45
घटाएं - क्षति हानि भत्ता	**–**	6.09
जोड़	**14.46**	22.36
* भविष्य निधि देयता को घटाकर	**81.69**	81.08

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएल)- सहायक कम्पनियां	**0.04**	–
जोड़	**0.04**	–

18 ट्रेड देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	**–**	–
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	**165.68**	66.60
जोड़	**165.68**	66.60

इसमें कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम नहीं है, जिसको कम्पनी की देयताएं बाकी हों, जो सभी सूचना तारीखों को 45 दिन से अधिक अवधि से बकाया हो। इस सूचना को, जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किया जाना अपेक्षित है, काफी हद तक पारिभाषित किया गया है जो कम्पनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिज्ञात ऐसे पक्षकारों की स्थिति के अनुसार है।

19 ऋण प्रतिभूतियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ऋण प्रतिभूतियां		
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) गैर परिवर्तनीय डिबेंचर		
- 6.00% एलआईसी - 28.12.2021 को विमोच्य	**193.57**	185.61
- 6.00% एसबीआई - 25.01.2022 को विमोच्य	**192.85**	184.96
- 9.37% एलआईसी - 01.04.2022 को विमोच्य	**418.19**	418.18
(ii) बाण्ड		
- निजी रूप से धारित बाण्ड	**3,606.71**	3,979.96
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉण्ड	**271.90**	247.79
- अवसंरचना बाण्ड	**896.27**	1,256.61
- सहायक कम्पनियों को जारी निजी रूप से धारित बाण्ड	**75.00**	75.00
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(430.08)**	(549.88)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(iii)	*कर मुक्त बाण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट-बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)*		
	- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	**45.00**	45.00
	- अन्यों द्वारा धारित	**265.00**	265.00
(iv)	*असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों का सार्वजनकि निर्गम*		
	प्रतिभूत विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
	- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	**10.00**	10.00
	- अन्यों द्वारा धारित	**1,211.40**	1,199.37
	- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(60.03)**	(48.00)
(v)	*निजी रूप से धारित बाण्ड (विमोच्य गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जो आईएफसीआई लि. एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर लियन ऑन पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं)*		
	- अन्य (बाण्ड/डिबेंचर आदि)	**575.00**	575.00
	जोड़ (क)	**7,270.78**	7,844.60
(ख)	***भारत में / भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां***		
(i)	*भारत में ऋण प्रतिभूतियां*	**7,270.78**	7,844.60
(ii)	*भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां*	**–**	–
	जोड़ (ख)	**7,270.78**	7,844.60

निजी रूप से धारित बाण्डों में 331.84 करोड़ रुपए के बाण्ड शामिल है, जो निर्गम के समय भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत थे। इन बाण्डों को बाद में भारत सरकार के तत्वावधान में 24 नवम्बर एवं 2 दिसम्बर, 2002 में शेयरधारकों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिपक्वता की तारीख में 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया था, परन्तु गारण्टी को बनाए नहीं रखा गया। तथापि, निवेशकों की ओर से से बढ़ाई गई इस अवधि के दौरान इन बाण्डों की गारण्टी जारी रखने के लिए भारत सरकार अनुरोध किया गया था और तदनुसार, इन बाण्डों को लेखों पर टिप्पणियों में तथ्य के उचित प्रकटन के साथ 31 मार्च, 2013 तक भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत बाण्डों के तहत दर्शाया गया था। चूंकि, ऐसे सभी बाण्डों की अवधि को मार्च, 2012 तक बढ़ाया गया है और भारत सरकार ने बढ़ाई गई अवधि के दौरान गारण्टी प्रदान नहीं की है, ऐसे पूर्व में बढ़ाए गए सरकारी प्रत्याभूत बाण्ड उपरोक्त 31 मार्च, 2021 को निजी रूप से धारित बाण्डों के तहत समूहित हैं।

अन्य बाण्डों की पुन:अदायगी की शर्तें

श्रृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–40	17.26
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–39	18.94
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–38	20.79
अन्य बाण्ड	9.90%	5–नवम्बर–37	106.88
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–37	22.82
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–36	25.05
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–35	27.50
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–34	30.17
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–33	33.11
अन्य बाण्ड	9.90%	5–नवम्बर–32	106.88
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–32	36.35
जीरो कूपन बाण्ड	9.75%	7–जुलाई–31	39.90
अन्य बाण्ड	9.98%	29–अक्तूबर–30	250.00
अन्य बाण्ड	9.75%	16–जुलाई–30	500.00
अन्य बाण्ड	9.75%	13–जुलाई–30	250.00
अन्य बाण्ड	9.70%	18–मई–30	250.00
अन्य बाण्ड	9.70%	4–मई–30	250.00
अन्य बाण्ड	9.75%	26–अप्रैल–28	350.00
अन्य बाण्ड	9.90%	5–नवम्बर–27	106.88
अन्य बाण्ड	10.12%	8–अक्तूबर–27	19.59
अन्य बाण्ड	10.10%	8–अक्तूबर–27	5.15
इंफ्रा बाण्ड	8.72%	31–मार्च–27	24.16
इंफ्रा बाण्ड	9.16%	15–फरवरी–27	42.56
इंफ्रा बाण्ड	8.75%	12–दिसम्बर–26	11.03
अन्य बाण्ड	9.55%	13–अप्रैल–25	225.00
अन्य बाण्ड	9.55%	5–मार्च–25	200.00
अन्य बाण्ड	9.75%	25–जनवरी–25	200.00
इंफ्रा बाण्ड	8.50%	31–मार्च–24	85.23
अन्य बाण्ड	6.00%	10–दिसम्बर–22	50.00
अन्य बाण्ड	6.00%	18–नवम्बर–22	25.00
अन्य बाण्ड	9.90%	5–नवम्बर–22	106.88
अन्य बाण्ड	6.00%	22–अक्तूबर–22	50.00
अन्य बाण्ड	9.95%	8–अक्तूबर–22	5.41
अन्य बाण्ड	10.05%	28–सितम्बर–22	8.20
अन्य बाण्ड	6.00%	27–सितम्बर–22	45.00
अन्य बाण्ड	10.15%	26–जून–22	2.80
अन्य बाण्ड	10.25%	31–मार्च–22	0.89

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अन्य बाण्डों की पुन:अदायगी की शर्तें

श्रृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
अन्य बाण्ड	8.22%	3–मार्च–22	46.22
अन्य बाण्ड	10.25%	28–फरवरी–22	0.40
इंफ्रा बाण्ड	9.09%	15–फरवरी–22	237.45
अन्य बाण्ड	8.19%	13–जनवरी–22	138.25
अन्य बाण्ड	10.60%	31–दिसम्बर–21	1.75
इंफ्रा बाण्ड	8.50%	12–दिसम्बर–21	65.76
अन्य बाण्ड	10.60%	30–नवम्बर–21	0.30
अन्य बाण्ड	10.50%	31–अगस्त–21	6.38
अन्य बाण्ड	8.26%	19–अगस्त–21	147.37
अन्य बाण्ड	10.20%	31–मई–21	0.30
अन्य बाण्ड	10.00%	30–अप्रैल–21	1.30
अन्य बाण्ड	10.00%	30–अप्रैल–21	24.90
अन्य बाण्ड	9.40%	21–अप्रैल–23	200.00
जोड़			**4,419.80**

प्रतिभूत बाण्डों की पुन:अदायगी की शर्तें

बाण्ड	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
कर मुक्त बाण्ड	8.76%	31-मार्च-29	145.00
सार्वजनिक निर्गम के बाण्ड*	9.40%	13-फरवरी-25	325.38
सार्वजनिक निर्गम के बाण्ड*	9.90%	1-दिसम्बर-24	647.99
कर मुक्त बाण्ड	8.39%	31-मार्च-24	165.00
सार्वजनिक निर्गम के बाण्ड*	9.90%	1-दिसम्बर-21	188.01
पीपी बाण्ड सीरिज 61	8.55%	3-नवम्बर-21	575.00
जोड़			**2,046.37**

*अलग-अलग निवेशक को 0.10% प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज देय हैं।

20 उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिशोधित लागत पर		
(क)		
(i) मियादी ऋण		
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	**1,781.77**	2,649.92
- अन्य पक्षकारों से		
- वित्तीय संस्थानों से	**94.10**	90.74
- केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला से	**409.83**	424.84
जोड़ (क)	**2,285.70**	3,165.50
(ख) भारत में / भारत से बाहर उधार (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर)		
(i) भारत में उधार	**1,875.87**	2,740.66
(ii) भारत से बाहर उधार	**409.83**	424.84
जोड़ (ख)	**2,285.70**	3,165.50

बैंकों / वित्तिय संस्थानों से अन्य बाण्डों की पुन:अदायगी की शर्तें

पुन:अदायगी का तरीका	ब्याज दर (% प्रतिवर्ष)	राशि	परिपक्वता की तारीख	अगली किस्त की तारीख	किस्तों की संख्या
बुलेट	5.85%	93.72	2-मई-22	2-मई-22	1
बुलेट	5.85%	185.31	23-जुलाई-22	23-जुलाई-22	1
बुलेट	6.00%	94.10	1-अप्रैल-22	1-अप्रैल-22	1
तिमाही	7.25%	75.00	31-दिसम्बर-21	30-जून-21	3
तिमाही	7.60%	218.55	8-दिसम्बर-22	8-जून-21	7
तिमाही	7.90%	275.00	23-नवम्बर-23	23-मई-21	11
तिमाही	7.20%	250.00	27-सितम्बर-23	27-जून-21	10
तिमाही	8.45%	30.99	30-जून-21	30-जून-21	1
तिमाही	8.65%	12.50	29-जून-21	29-जून-21	1
तिमाही	8.90%	37.50	30-सितम्बर-21	30-जून-21	2
तिमाही	8.40%	15.63	30-जून-21	30-जून-21	1
तिमाही	8.20%	300.00	31-दिसम्बर-21	30-जून-21	3
तिमाही	8.20%	6.25	28-जून-21	28-जून-21	1
तिमाही	8.20%	240.00	31-मार्च-22	30-जून-21	4
तिमाही	10.00%	41.32	19-दिसम्बर-21	19-जून-21	3
जोड़		**1,875.87**			

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

केएफडब्ल्यू ऋण श्रंखला की पुनःअदायगी की शर्तें

उधारकर्ता का नाम	ब्याज दर (%प्रतिवर्ष)	राशि (यूरो)	राशि	परिपक्वता की तारीख	पुनःअदायगी	अगली किस्त की तारीख
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,153,474.64	9.89	31-दिसम्बर-26	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	1.25%	1,710,271.26	14.67	31-दिसम्बर-29	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,204,603.82	10.33	30-जून-30	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,268,004.02	10.87	31-दिसम्बर-30	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,994,038.25	17.10	30-जून-31	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	2,210,826.27	18.96	30-जून-32	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	2,466,983.23	21.15	31-दिसम्बर-33	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	3,451,220.22	29.59	30-जून-34	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	4,480,961.92	38.42	31-दिसम्बर-34	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	5,055,654.18	43.35	31-दिसम्बर-36	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	17,680,473.11	151.61	30-जून-38	छमाही	30-जून-21
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	5,117,009.38	43.88	31-दिसम्बर-32	छमाही	30-जून-21
जोड		**47,793,520.30**	**409.83**			

21 अधीनस्थ देयताएं

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) परिशोधित लागत पर			
(i)	अधीनस्थ - टियर-II बाण्ड	**1,464.29**	1,441.03
-	घटाएं: प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(150.99)**	(127.73)
जोड़ (क)		**1,313.30**	1,313.30
(ख) भातर में तथा भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं			
(i)	भारत में अधीनस्थ देयताएं	**1,313.30**	1,313.30
(ii)	भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं	**–**	–
जोड़ (ख)		**1,313.30**	1,313.30

अन्य बाण्डों की पुनःअदायगी की शर्तें

श्रृंखला	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख	राशि
टियर II बाण्ड	9.98%	5–अक्तूबर–37	20.00
टियर II बाण्ड	9.98%	18–सितम्बर–37	50.00
टियर II बाण्ड	9.98%	15–अक्तूबर–32	10.00
टियर II बाण्ड	10.75%	31–अक्तूबर–26	102.49
टियर II बाण्ड	10.75%	1–अगस्त–26	468.55
टियर II बाण्ड	10.50%	28–फरवरी–22	64.70
टियर II बाण्ड	10.70%	28–फरवरी–22	123.63
टियर II बाण्ड	10.50%	31–अक्तूबर–21	74.51
टियर II बाण्ड	10.60%	31–अक्तूबर–21	8.12
टियर II बाण्ड	10.55%	25–अगस्त–21	200.00
टियर II बाण्ड	10.50%	1–अगस्त–21	191.31
जोड़			**1,313.30**

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
उद्भूत परन्तु बांडों एवं उधारों पर देय नहीं ब्याज	**1,069.13**	1,160.01
अप्रतिभूति ऋण	**(0.54)**	–
प्रतिभूति जमा	**11.60**	13.28
अदावाकृत लाभांश	**8.22**	10.69
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	**0.23**	0.24
अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा धारित)	**294.65**	281.75
अन्य देयताएं	**330.02**	339.67
जोड़	**1,713.31**	1,805.64

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

23 प्रावधान

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
तुलनपत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	**33.27**	72.65
कर्मचारी लाभ	**48.91**	52.36
जोड़	**82.18**	125.01

कर्मचारी लाभ पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 45 देखें

24 अन्य गैर वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आस्थगित आय	**0.42**	0.86
	0.42	0.86

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10/- रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	**4,000.00**	2,000.00
	4,000.00	2,000.00
निर्गमित		
प्रत्येक 10/- रुपए के 196,32,40,546 इक्विटी शेयर	**1,963.24**	1,763.24
	1,963.24	1,763.24
अभिदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के 189,73,09,792 इक्विटी शेयर	**1,897.31**	1,697.31
	1,897.31	1,697.31
प्रदत्त		
प्रत्येक 10/- रुपए के 189,59,93,092 इक्विटी शेयर	**1,895.99**	1,695.99
	1,895.99	1,695.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान :

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 की हुई 27वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों ने 2000 करोड़ रुपए, प्रत्येक 10 रुपए के 200 करोड़ के इक्विटी शेयर, की शेयर पूंजी को बढ़ा कर 4000 करोड़ रुपए, प्रत्येक 10 रुपए के 400 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर, करने का अनुमोदन किया इसके अतिरिक्त कम्पनी को अपनी शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 23 मार्च, 2020 को वित्तीय सेवाए विभाग वित्त मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसे 31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार अन्य इक्विटी (आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि) के अधीन वर्ग्रीकृत किया गया है। कम्पनी ने 21 मई, 2020 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रत्येक 10 रुपए की दर से 20 करोड़ के इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयर पूंजी के अभिदान के लिए भारत सरकार से 15 मार्च, 2021 को 200 करोड़ रुपए शेयर आवेदन राशि के रूप में भी प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में निदेशको की समिति ने 23 अप्रैल, 2021 को भारत सरकार को प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 14,59,85,401 इक्विटी शेयरों का 13.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (3.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के सिक्युरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आबंटन किया है।

विवरण	**31 मार्च, 2021 को**		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	**राशि**	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	**1,695,993,092**	**1,695.99**	1,695,993,092.00	1,695.99
जोड़ें : अधिमान आधार पर भारत सरकार को जारी किए गए शेयर	**200,000,000**	**200.00**	–	–
अवधि के अंत में बकाया	**1,895,993,092**	**1,895.99**	1,695,993,092.00	1,695.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	**1,895,993,092**	**1,895.99**	1,695,993,092.00	1,695.99

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार :

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात 10/- रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर है, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

शेयरधारक जिनके पास 5% से अधिक इक्विटी शेयर है

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	**1,156,955,857**	**61.02%**	956,955,857.00	56.42%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

26 अन्य इक्विटी

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	**आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि**		
	आरम्भ शेष	**200.00**	–
	घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण	**(200.00)**	200.00
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	**200.00**	–
	अंत शेष	**200.00**	200.00
(ii)	**आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**875.04**	875.04
	अन्त शेष	**875.04**	875.04
(iii)	**क्षति रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**22.98**	–
	जोड़ें: प्रतिधारित अर्जन से अंतरण	**11.56**	22.98
	अन्त शेष	**34.54**	22.98
(iv)	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**136.69**	136.69
	अन्त शेष	**136.69**	136.69
(v)	**पूंजी रिजर्व निधि**		
	आरम्भ शेष	**0.85**	0.85
	अन्त शेष	**0.85**	0.85
(vi)	**प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**967.69**	967.69
	जोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	**–**	–
	अन्त शेष	**967.69**	967.69
(vii)	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**231.92**	231.92
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**–**	–
	अन्त शेष	**231.92**	231.92
(viii)	**डिबेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**247.08**	247.08
	जोड़ें : प्रतिधारित अर्जन से अन्तरण	**–**	–
	अन्त शेष	**247.08**	247.08
(ix)	**सामान्य रिजर्व निधि**		
	आरम्भ शेष	**353.58**	353.58
	अन्त शेष	**353.58**	353.58
(x)	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	**335.82**	335.82
	घटाएं : अधिमान शेयरों का समयपूर्व मोचन	**335.82**	335.82
	अन्त शेष	**335.82**	335.82

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(xi)	**प्रतिधारित अर्जन**		
	आरम्भ शेष	**(559.77)**	(258.91)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	**(1,957.81)**	(277.88)
	घटाएं : पूंजी मोचन रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	**–**	–
	घटाएं : डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	**–**	–
	घटाएं : लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	**(11.56)**	(22.98)
	अन्त शेष	**(2,529.14)**	(559.77)
(xii)	**अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	**17.49**	9.53
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	**4.07**	7.96
	अन्त शेष	**21.56**	17.49
(xiii)	**अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	**(470.95)**	(404.69)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	**18.06**	(66.26)
	अन्त शेष	**(452.89)**	(470.95)
(xiv)	**परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन**		
	आरम्भ शेष	**53.36**	34.71
	जोड़ें : वर्ष के दौरान बीमांकन लाभ/हानि	**–**	18.65
	अन्त शेष	**53.36**	53.36
	जोड़	**476.10**	2,411.78

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व निधि

भारत सरकार के शेयरधारिता में 50% से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी की वृद्धि को देखते हुए, कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के तहत सरकारी कम्पनी बन गई है और इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी को 31.03.2019 तक आरबीआई अधिनियम के ऐसे उपबंधो से छूट दी गई है। चूंकि चालू वर्ष में निवल हानि हुई है अत: रिजर्व निधि में कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1)(viii) के अधीन वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार से 20% लाभ अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्त व्यवस्था से निवल आय को इस रिजर्व में अन्तरण की अनुमति दी जाती है और इस पर करयोग्य का गणन करते समय छूट के रूप में अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से, वित्त वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, आस्थगित कर देयता (डीटीएल) को वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अंतरित रिजर्व निधि में सृजित किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व निधि जब्त शेयरों की आय को दर्शाती है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 के तहत अपेक्षित है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन सार्वजनिक पेशकश के जरिए आईएफसीआई लि. द्वारा जारी गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना जीएसआर.571(ई) के द्वारा बाद में शेयर पूंजी तथा डिबेंचरों (नियमावली) 2014 हेतु संशोधित नियमों को अधिसूचित किया गया है। अत: मौजूदा बांडों और डिबेंचरों के मामले में न तो सार्वजनिक निर्गम द्वारा न निजी धारण द्वारा अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया जाना था।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व निधि का सृजन प्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधारों के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान

प्रतिधारित आय

यह कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(घाटे) की तारीख को दर्शाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। कम्पनी इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करती है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकन लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

27 ब्याज आय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋणों पर ब्याज	–	1,005.90	–	2,057.65
निवेशों से ब्याज आय	79.83	–	84.45	–
डिबेंचरों पर ब्याज	–	–	–	2.00
जोड़	**79.83**	**1,005.90**	84.45	2,059.65

28 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
- इक्विटी प्रतिभूति	119.76	(213.87)
- डेरिवेटिव्स	(0.60)	(3.34)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	(7.01)	(34.34)
- अधिमान शेयर	48.37	(45.54)
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	9.98	(3.56)
- म्यूचुअल फण्ड की यूनिटें	16.77	20.43
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अस्वीकरण पर निवल लाभ	5.99	4.72
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**193.26**	(275.50)
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- वसूल किए गए	(111.27)	685.41
- वसूल न किए गए	304.53	(960.91)
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**193.26**	(275.50)

29 अन्य आय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अस्वीकरण पर निवल लाभ/(हानि)	0.01	8.53
आयकर वापसी पर ब्याज	15.10	8.39
अन्य	3.81	3.48
जोड़	**18.92**	20.40

30 वित्त लागतें

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देयताओं पर		
उधारों पर ब्याज	1,100.52	1,394.10
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	15.84	14.30
अन्य ब्याज व्यय	2.61	7.95
जोड़	**1,118.97**	1,416.35

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 वित्तीय प्रलेखों पर हानि

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर**	अन्य समग्र आय की मार्फत उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों पर
ऋण*	**–**	**2,265.95**	–	306.19
निवेश	**2.95**	**–**	108.80	–
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**–**	**2.73**	–	6.97
जोड़	**2.95**	**2,268.68**	108.80	313.16
* वर्ष के दौरान निवल बट्टे खाते सहित		**1477.50**		2217.40

32 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं मजदूरी	**57.74**	72.57
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	**11.96**	20.99
नियोजन के पश्चात् लाभ पर व्यय	**18.79**	38.33
स्टाफ कल्याण व्यय	**2.60**	12.03
जोड़	**91.09**	143.92

33 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**24.18**	25.57
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	**4.57**	4.57
अमूर्त परिसम्पत्ति का परिशोधन	**0.55**	0.52
जोड़	**29.30**	30.66

34 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
किराया	**0.73**	0.86
दरें एवं कर	**3.40**	3.18
बीमा	**0.34**	0.18
मरम्मत कार्य एवं रखरखाव कार्य		
- भवन	**10.21**	8.87
- आईटी	**2.06**	2.04
- अन्य	**0.07**	0.15
बिजली एवं जल प्रभार	**4.44**	4.26
सुरक्षा व्यय	**4.18**	3.51
लेखापरीक्षकों को भुगतान#	**0.47**	0.48
निदेशक शुल्क एवं व्यय	**0.33**	0.25
प्रकाशन एवं विज्ञापन	**0.56**	1.18
परामर्श एवं कानूनी खर्च	**4.16**	13.19
यात्रा एवं वाहन	**0.61**	1.20
प्रशिक्षण एवं विकास	**0.13**	0.36
डाक एवं टेलिफोन	**0.35**	0.33
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**0.32**	1.57
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	**1.91**	2.19
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	**0.64**	0.80
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	**0.15**	0.07
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों/बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि	**(11.34)**	63.17
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि	**8.96**	8.43
अन्य विविध व्यय	**0.48**	0.31
जोड़	**33.16**	116.58

लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए टिप्पणी संख्या 35 को देखें।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
लेखा-परीक्षा शुल्क	**0.40**	0.44
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	0.04	0.01
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.03**	0.03
जोड़	**0.47**	**0.48**

35.1 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के विवरण

(क) संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	**0.00**	0.00
(ख) किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	**-**	-
(ग) नकदी में अदा किया जाने वाला खर्च	**-**	-
(घ) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि		
- मानव पूंजी का विकास	**0.11**	0.48
- ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनवरत विकास क्रियाकलापों का विकास		0.12
- खेल-कूद को बढ़ावा देना		0.00
- अन्य कल्याण क्रियाकलाप	**0.15**	0.05
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	**0.03**	
- प्रशासन एवं अन्य व्यय	**0.00**	0.12
जोड़ (घ)	**0.29**	0.76

35.2 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार
क.	**अकास्मिक देयताएं#**		
(i)	ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे	**45.90**	45.61
(ii)	वित्तीय गारन्टियों को छोड़कर गारन्टियां	**3.23**	3.27
(iii)	**कर मामले :**		
	आय कर*	**-**	-
	सेवा कर/जीएसटी	**-**	-
	जोड़	**49.13**	48.88

*आईएफसीआई ने विवाद से विश्वास (प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना), 2020 के अधीन आवेदन/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया है।

#लम्बित मुकद्दमेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना अपेक्षित नहीं है।

ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
(i)	संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित), जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों को घटा कर)	**0.90**	0.24
(ii)	अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**168.67**	776.41
	जोड़	**169.57**	776.65
ग.	**आकस्मिक परिसम्पत्तियां**	शून्य	शून्य

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35.3 कर व्यय

क. लाभ या हानि में मान्य राशियां

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
कर व्यय (क)		
चालू कर व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित चालू कर व्यय/ (लाभ)	**8.57**	43.99
उप-जोड़ (क)	**8.57**	**43.99**
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	**(197.99)**	92.98
उप-जोड़ (ग)	**(197.99)**	92.98
कर व्यय (क) + (ख)	**(189.42)**	**136.97**

ख. लाभ या हानि में मान्य राशियां

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**(2,147.23)**		(140.91)
कम्पनी की 34.94% की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर	**34.94%**	**(750.33)**	34.94%	(49.24)
निम्नलिखित का प्रभाव:				
कर से छूट आय	**0.00%**	–	10.72%	(15.11)
कटौती न किए गए व्यय	**0.00%**	–	-1.93%	2.72
चालू वर्ष के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	**-0.40%**	**8.57**	-31.22%	43.99
चालू वर्ष का मूल्यह्रास, जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी गई	**0.42%**	**(8.97)**	6.77%	(9.54)
अन्य	**-26.14%**	**561.30**	-116.49%	164.15
प्रभावी कर दर/ कर व्यय	**8.82%**	**(189.42)**	**-97.20%**	**136.97**

36. ट्रेड से प्राप्य और देय रशियों के अधीन दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टीकरण के अधीन हैं।

37. दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 की हुई 27वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों ने 2000 करोड़ रुपए, प्रत्येक 10 रुपए के 200 करोड़ के इक्विटी शेयर, की शेयर पूंजी को बढ़ा कर 4000 करोड़ रुपए, प्रत्येक 10 रुपए के 400 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर, करने का अनुमोदन किया इसके अतिरिक्त कम्पनी को अपनी शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 23 मार्च, 2020 को वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसे 31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार अन्य इक्विटी (आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि) के अधीन वर्गीकृत किया गया है। कम्पनी ने 21 मई, 2020 को भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रत्येक 10 रुपए की दर से 20 करोड़ के इक्विटी शेयरों का आबंटन किया है। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान शेयर पूंजी के अभिदान के लिए भारत सरकार से 15 मार्च, 2021 को 200 करोड़ रुपए शेयर आवेदन राशि के रूप में भी प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में निदेशको की समिति ने 23 अप्रैल, 2021 को भारत सरकार को प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले 14,59,85,401 इक्विटी शेयरों का 13.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (3.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के सिक्यूरिटी प्रिमियम सहित) की दर से आबंटन किया है।

38. ऋण स्थगन अवधि अर्थात् 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान प्रभारित 'ब्याज पर ब्याज' की वापसी/समायोजन के लिए भारिबैंक के दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/17डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 के अनुसरण में 8.23 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तदनुसार ब्याज आय को डेबिट करते हुए खाता बहियों में इसका प्रावधान किया गया है।

39. 31 मार्च, 2021 को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदंडों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) से अधिक है। तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 को खाता बहियों में भारतीय लेखांकन मानक मानदंडों के अनुसार राशि का प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2021 तक सृजित 34.54 करोड़ रुपए के मौजूदा क्षति रिजर्व को रिवर्स नहीं किया गया।

यद्यपि ऋण परिसम्पत्तियों पर इसीएल का पोर्टफोलियों आधार पर गणन नहीं किया गया इसलिए चालू वर्ष के दौरान भारिबैंक मानदंडो के अनुरूप धोखधड़ी के रूप में घोषित ऋण राशियों पर पूर्ण क्षति भत्ते के लिए प्रावधान किया गया।

40. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कम्पनी ने आईआरएसी मानदंडो के अनुसार सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर स्टेज 3 आय की मान्यता को समाप्त कर दिया है। इसलिए लाभ व हानि खाते में 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए के ईसीएल क्षति भत्ते को घटा कर) की राशि प्रभारित की है। इसलिए इस वर्ष की हानि 613.71 करोड़ रुपए अधिक है और सकल ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए कम है।

40.1 वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, चूक की परम्परागत संभावना निकालने के लिए पिछले 7 वर्ष के रेटिंग बदलाव को इसीएल के इनपुट के रूप में उपयोग किया गया है, जबकि पहले 5 वर्ष के रेटिंग बदलाव का उपयोग किया जाता था। परिणामस्वरूप भारित औसत ईसीएल 19.78 करोड़ रुपए तक कम हो गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

41. विश्व में और भारत में कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बाजारों में महत्त्वपूर्ण रूकावटें आ रही है। 11.03.2020 को विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। इससे सम्पूर्ण विश्व और भारत के आर्थिक क्रियाकलापों में महत्त्वपूर्ण अवरोध उत्पन्न हुए कम्पनी ने इस स्थिति की गहनता से निगरानी करते हुए कम्पनी के काराबोर परिचालनों की अनुकूल रूप से निरंतरता बनाए रखने के त्वरित प्रयास किए। कम्पनी को विश्वास है कि आगे चल कर इसके कारोबार और वित्तीय स्थिति इस महामारी से महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

42. सहायक कम्पनियों में निवेशों के मूल्यांकन पर 31 मार्च, 2021 की बजाय 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर विचार किया है। इससे कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

43. भारतीय लेखांकन मानक 108-"परिचालन खण्ड" द्वारा यथा अपेक्षित रिर्पोटिंग कारोबार/ भोगौलिक खण्ड के संदर्भ में कम्पनी केवल एक कारोबार खण्ड वित्तपोषण को काम करती है। अत: भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिर्पोटिंग खण्ड नहीं है।

43.1 कम्पनी द्वारा जारी किए गए तथा 31 मार्च, 2021 को बकाया प्रतिभूत बांडों और डिबेंचरों पर कम्पनी की प्राप्य राशियों और/या कम्पनी द्वारा ली गई सरकारी प्रतिभूतियों पर प्लवमान प्रभार के रूप में मूलधन और ब्याज के मद्दे 100 प्रतिशत प्रतिभूति कवर का रखरखाव किया है।

43.2 ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग III के अनुसार तैयार किए गए है। जिसे 11 अक्टूबर, 2018 को निगमित कार्य विभाग मंत्रालय द्वारा शासकिय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। भारिबैंक या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी आवेदन मार्ग निर्देश/स्पष्टीकरण/निदेशों का, जब कभी जारी किए गए है/लागू हुए हैं, का कार्यान्वयन किया गया है।

44. आईएफसीआई क्षति हानि (यदि कोई हो) की निवल लागत पर सहायक कम्पनियों में निवेश कर रहा है और पारगमन तारीख को अर्थात 01 अप्रैल, 2017 को निवेश के रखरखाव मूल्य के रूप में मानित लागत हेतु भारतीय लेखांकन मानक 101 के तहत एक बारगी छूट का विकल्प दिया है। 31 मार्च, 2021 को, कम्पनी की सहायक कम्पनी आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों में निवेश किया था। कम्पनी को आंतरिक रूप से आईएफएल के उचित मूल्य के शेयर प्राप्त हुए जिसके अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप ब्रेकअप मूल्य के मद्दे सामान्य तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए आईएफएल के शेयरों में निवेशों का उचित मूल्य 112.49 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया और तदनुसार इसके परिणामस्वरूप हुई क्षति हानि को लेखा बहियों में प्रभारित किया गया।

45. कर्मचारी हित

कम्पनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है।

i. परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है। कम्पनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही देय होते हैं, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित होते हैं। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है :

	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में अंशदान	**0.01**	0.01

ii. पारिभाषित लाभ योजना

(क) ग्रेच्युटी

कम्पनी की भारत में एक पारिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेच्युटी विनियमावली, 1968 द्वारा अधिशासित है। यह योजना कर्मचारी को सेवा के पहले 20 वर्षों के लिए आईएफसीआई में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अथवा छह माह से अधिक के उसके भाग के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि, अधिकतम बीस माह के वेतन और महंगाई भत्ता अथवा अठारह लाख रुपए, जो भी कम हो प्राप्त करने का अधिकार देती है। योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना कम्पनी के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लांगेविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाता है।

योजना परिसम्पत्तियों का हाल ही का बीमांकन मूल्यांकन और ग्रेच्युटी हेतु पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2021 को किया गया था। पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी ग्रेच्युटी योजना और तुलनपत्र की तारीख को कम्पनी की वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	**(1.26)**	4.06

(क) निधिकरण

योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधिकरण अपेक्षाएं योजना की निधिकरण नीतियों में निर्दिष्ट ग्रेच्यूटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित हैं। योजना की निधि व्यवस्था निधिकरण प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग घ में दिए गए पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी योजना में अनुमानित अंशदान 1.62 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**31.71**	**27.65**	**4.06**	28.91	26.74	2.17
वर्तमान सेवा लागत	**1.77**	**-**	**1.77**	1.93	-	1.93
कर्टेलमेंट लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	**-**	**-**	**-**	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	**2.12**	**(1.89)**	**0.23**	2.20	(2.04)	0.16
	3.90	**(1.89)**	**2.00**	4.13	(2.04)	2.10
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ)						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	**-**	**-**	-	-	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	**(0.66)**	**(0.66)**	-	-	-
- अनुभव समायोजन	**(2.49)**	**-**	**(2.49)**	2.51	-	2.51
- योजना परिसम्पत्तियों पर	-	(0.11)	(0.11)	-	(0.55)	(0.55)
	(2.49)	(0.77)	(3.26)	2.51	(0.55)	1.96
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	**-**	**4.05**	**(4.05)**	-	2.16	(2.16)
प्रदत्त लाभ	(4.01)	(4.01)	-	(3.84)	(3.84)	-
	(4.01)	**0.05**	**(4.05)**	(3.84)	(1.68)	(2.16)
वर्ष के अन्त में शेष	**29.10**	**30.36**	(1.26)	31.71	27.65	4.06

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	**100%**	100%

कम्पनी द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें कम्पनी देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकक देयता में निवल वृद्धि का अंशदान करती है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर	**6.69%**	6.69%
आगामी वेतन वृद्धि	**6.00%**	6.00%
निकासी दर :		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	आईएएलएम **(2012–14)**	आईएएलएम (2012–14)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जो दूसरे पूर्वानुमानों द्वारा धारित है, यह निरन्तर दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.02)**	**1.16**	(1.07)	1.15
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	**1.16**	**(1.03)**	1.16	(1.09)

यद्यपि विश्लेषण इस योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, इसलिए यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
0 से 1 वर्ष	**3.69**	4.20
1 से 2 वर्ष	**2.96**	3.47
2 से 3 वर्ष	**2.71**	2.96
3 से 4 वर्ष	**2.71**	2.52
4 से 5 वर्ष	**1.21**	2.69
5 से 6 वर्ष	**0.67**	1.36
6 वर्ष से आगे	**15.16**	14.48
जोड़	**29.10**	31.68

31 मार्च, 2021 को पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.94 वर्ष (31 मार्च, 2020: 12.88 वर्ष) था।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कम्पनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करती है-

वेतन वृद्धि : वास्तविक वेतन वृद्धि में योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन हैं कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	**29.92**	27.28

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(क) निवल पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान :

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटनों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है :

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	27.28	9.73
वर्तमान सेवा लागत	0.14	0.18
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	1.83	16.38
	1.96	16.56
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
- निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ)		
- जनसांख्यिकी अनुमान	–	–
- वित्तीय अनुमान	–	1.22
- अनुभव समायोजन	**0.97**	0.28
	0.97	1.50
प्रदत्त लाभ	**(0.30)**	(0.50)
	(0.30)	(0.50)
वर्ष के अन्त में शेष	**29.92**	27.28

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.36 करोड़ रुपए हैं।

(ख) **योजना परिसम्पत्तियां**

कम्पनी में उक्त सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

(ग) **बीमांकन अनुमान**

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर	**6.69%**	6.69%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	**3.00%**	3.00%
निकासी दर :		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	आईएएलएम **(2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जो दूसरे पूर्वानुमानों द्वारा धारित है, निरन्तर दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होगी, जो सूचना तारीख में पर्याप्त रूप से संभव थे।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(0.90)**	**0.90**	(0.89)	0.88

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है।

मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ङ) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
0 से 01 वर्ष	**2.41**	0.22
1 से 2 वर्ष	**1.86**	0.17
2 से 3 वर्ष	**1.86**	0.17
3 से 4 वर्ष	**1.65**	0.15
4 से 5 वर्ष	**1.76**	0.16
5 से 6 वर्ष	**1.37**	0.13
6 वर्ष से आगे	**19.01**	1.73
जोड़	**29.92**	2.73

31 मार्च, 2021 को पारिभाषित लाभ देयता के दौरान भारित औसत 7.77 वर्ष (31 मार्च, 2020: 7.62 वर्ष) था।

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कम्पनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करती है –

चिकित्सा लागत वृद्धि : वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगा। प्रति सेवानिवृत्त व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि चिकित्सा लागत में वृद्धि करेगी।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

(ग) भविष्य निधि

कम्पनी की पारिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रहा है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति की चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के संबंध में स्वीकृत विशिष्ट निर्दिष्ट निवेश हैं। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश पद्धति को अधिसूचित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलनपत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

	31 मार्च, 2021 को	**31 मार्च, 2020 को**
निवल पारिभाषित लाभ देयता	**(11.15)**	(12.76)

(क) निधिकरण

चालू वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य में निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचूअल फण्ड में चिन्हित किया है।
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 1.49 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता**	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**81.76**	**94.51**	**(12.76)**	75.96	77.79	(1.83)
ब्याज लागत/(आय)	**5.85**		**5.85**	6.33	6.33	–
वर्तमान सेवा लागत	**1.25**	**–**	**1.25**	1.27	–	1.27
	7.10	**–**	**7.10**	7.60	6.33	1.27

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य**	**निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता**	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ)						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	**–**	**–**	**–**	–	–	–
– वित्तीय अनुमान	**–**	**–**	**–**	0.07	–	0.07
– अनुभव समायोजन	**1.13**	**–**	**1.13**	0.11	1.78	(1.67)
– योजना परिसम्पत्तियों पर		**12.19**	**(12.19)**			–
	1.13	**12.19**	**(11.06)**	0.19	1.78	(1.60)
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	**6.37**	**6.37**	**–**	5.41	5.41	–
प्रदत्त लाभ	**(13.48)**	**(13.48)**	**–**	(7.40)	(7.40)	–
नियोक्ता का अंशदान	**–**	**1.25**	**(1.25)**	–	1.27	(1.27)
निपटान/अन्तरण	**–**	**(6.81)**	**6.81**	–	9.33	(9.33)
	(7.11)	**(12.68)**	**5.57**	(1.99)	8.61	(10.60)
वर्ष के अंत में शेष	**82.87**	**94.02**	**(11.15)**	81.76	94.51	(12.76)

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
चिन्हित प्रतिभूतियों में निवेश	**100%**	**100%**

वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन कम्पनी द्वारा किया जाता है, जिसमें कम्पनी पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करती है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर	**6.69%**	6.69%
खाता बही शेष पर अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	**8.50%**	8.50%
निधि पर ब्याज अर्जन में अनुमानित वर्ष/चालू कमी	**0.30%**	0.30%
मृत्यु संख्या दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)
अशक्तता	**कुछ नहीं**	कुछ नहीं
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष के बीच	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकक पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जो दूसरे पूर्वानुमानों द्वारा धारित है, यह निरन्तर दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकक पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(0.06)**	**0.06**	(0.04)	0.04

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1 वर्ष	**13.01**	11.01
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	**23.92**	28.79
6 से 10 वर्ष के बीच	**17.62**	14.93
10 वर्ष से अधिक	**28.32**	27.02
जोड़	**82.87**	81.75

31 मार्च, 2021 को पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.94 वर्ष (31 मार्च, 2020: 12.88 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कम्पनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करती है –

निवेश जोखिम : यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. **अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ**

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करती है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है –

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	**1.66**	4.72
अवकाश किराया रियायत	**0.28**	6.82
चिकित्सा लाभ	**2.49**	3.37

46. परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

निम्न सारणी के अनुसार विश्लेषित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है जिसके अनुसार उनकी वसूली या निपटान किया जाना हो।

			31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
			12 माह के भीतर	12 माह के बाद	कुल	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	कुल
I.	**परिसम्पत्तियां**							
(1)	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**							
	(क)	नकदी एवं नकद समतुल्य	**533.56**	–	**533.56**	1,034.03	–	1,034.03
	(ख)	उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	**588.33**	–	**588.33**	589.76	–	589.76
	(ग)	डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	–	50.04	–	50.04
	(घ)	प्राप्य राशियां	**57.32**	–	**57.32**	78.43	–	78.43
	(ड.)	ऋण	**716.61**	**5,763.10**	**6,479.71**	1,522.04	8,773.32	10,295.36
	(च)	निवेश	**1,959.03**	**991.31**	**2,950.34**	341.68	1,540.86	1,882.54
	(छ)	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**29.49**	**110.00**	**139.49**	45.00	87.68	132.68
	कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**3,884.34**	**6,864.41**	**10,748.75**	3,660.98	10,401.86	14,062.84
(2)	**गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां**							
	(क)	सहायक कम्पनियों में निवेश	**–**	**1,343.71**	**1,343.71**	–	1,352.13	1,352.13
	(ख)	निवेशितों की लेखागत इक्विटी	**–**	**–**	**–**	–	–	–
	(ग)	चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	**62.23**	**0**	**62.23**	–	181.48	181.48
	(घ)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	**–**	**2,122.05**	**2,122.05**	–	1,932.04	1,932.04
	(ड.)	निवेश सम्पत्ति	**–**	**185.50**	**185.50**	–	190.08	190.08
	(च)	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	**–**	**741.73**	**741.73**	–	687.08	687.08
	(छ)	कार्यशील पूंजी	**–**	**–**	**–**	–	–	–
	(ज)	अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	**–**	**0.91**	**0.91**	–	1.27	1.27
	(झ)	अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	**0.44**	**14.02**	**14.46**	0.38	21.98	22.36
	कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		**62.67**	**4,407.92**	**4,470.59**	0.38	4,366.06	4,366.44
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां		**0.04**	**–**	**0.04**	–	–	–
	कुल परिसम्पत्तियां		**3,947.05**	**11,272.33**	**15,219.38**	3,661.36	14,767.92	18,429.28

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

II. देयताएं एवं इक्विटी	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
देयताएं	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	कुल	12 माह के भीतर	12 माह के बाद	कुल
(1) वित्तीय देयताएं						
(क) ट्रेड देयताएं						
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	–		–	–		–
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	165.68		165.68	66.60		66.60
(ख) ऋण प्रतिभूतियां	2,914.74	4,356.04	7,270.78	813.78	7,030.82	7,844.60
(ग) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,184.20	1,101.50	2,285.70	1,541.59	1,623.91	3,165.50
(घ) अधीनस्थ देयताएं	–	1,313.30	1,313.30	–	1,313.30	1,313.30
(ड.) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	15.91	–	15.91	–	–	–
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	538.11	1,175.20	1,713.31	547.76	1,257.88	1,805.64
कुल वित्तीय देयताएं	4,818.64	7,946.04	12,764.68	2,969.73	11,225.91	14,195.64
(2) गैर-वित्तीय देयताएं						
(क) प्रावधान	2.49	79.69	82.18	2.49	122.52	125.01
(ख) अन्य गैर-वित्तीय देयताएं	0.43	(0.01)	0.42	0.43	0.43	0.86
कुल गैर-वित्तीय देयताएं	2.92	79.68	82.60	2.92	122.95	125.87
कुल देयताएं	4,821.56	8,025.72	12,847.28	2,972.65	11,348.86	14,321.51
निवल	(874.51)	3,246.60	2,372.10	688.71	3,419.06	4,107.77

47. सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

(i) सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप :

सबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
सहायक कम्पनियां	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (आईफिन)
	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ)
	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल)
	आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल)
	एमपीकॉन लि.
	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल)
	आईफिन कमोडिटीज लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईफिन क्रेडिट लि.(आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईफिन सिक्युरिटीज़ फाइनेंस लि. (आईफिन की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि. (आईआईडीएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	एसएचसीआईएल सर्विसिज़ लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि. (एसएचसीआईएल की मार्फत अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	स्टॉक होल्डिंग सिक्युरिटीज़ आईएफसीआई लिमिटेड (एसएसआईएल)
सहयोगी कम्पनियां*	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन
	मैनेजमेंट डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट
	इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट
	बिक्री हेतु धारित सहयोगी कम्पनियां
	- अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.
	- गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि.
	- किटको लि.
	- नगई पावर प्रा. लि.
	- शिगा इनर्जी प्राइवेट लि.
	- वडराज सीमेंट लि.
	- वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

*31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाईजर्स प्रा.लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	श्री मनोज मित्तल- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून, 2021 से) डा. ई.एस. राव- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (16 अगस्त, 2020 तक) श्री सुनील कुमार बंसल - उप प्रबंध निदेशक (4 जून 2020 से) सुश्री झुम्मी मंत्री - मुख्य वित्तीय अधिकारी (24 मई 2018 से) सुश्री रूपा देव - कम्पनी सचिव (3 मार्च 2008 से) डा. भूषण कुमार सिन्हा (21 मई, 2018 से) प्रो. एन. बालाकृष्णन (30 अक्तूबर, 2017 से) प्रो. अरविन्द सहाय (30 अक्तूबर, 2017 से) श्री आनंद मधुकर (14 दिसम्बर, 2020 तक) श्री एमएमएल वर्मा (31 जुलाई, 2020 से) सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (5 जनवरी, 2021 से)
एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां	कम्पनी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में समझा जाएगा। कम्पनी ने सरकार से संबंधित कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

(ii) तुलनपत्र की तारीख को वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकार लेन-देन और सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्य एवं इन्हें देय शेष राशियां :

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम		लेन-देन का स्वरूप	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क. सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां				
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.07**	1.08
	(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**0.29**	0.34
	(iii)	डिपाजिटरी सेवाएं	**0.02**	0.05
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय	**0.10**	0.01
	(v)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईफिन के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	**0.05**	
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फण्ड लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.65**	1.64
	(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	**0.20**	0.06
	(iii)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**1.91**	0.55
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय	**0.11**	
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	(i)	प्राप्त लाभांश	**14.95**	13.24
	(ii)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**1.50**	1.50
	(iii)	प्रदत्त किराया और रखरखाव राशि	**0.12**	0.21
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**8.53**	8.53
	(v)	आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय	**0.63**	0.31
	(vi)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईआईडीएल के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	**0.03**	-
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**2.86**	2.94
	(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	**0.06**	0.06
	(iii)	आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय	**0.43**	0.50
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)	आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	**2.27**	2.42
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	**2.10**	3.83
	(iii)	प्राप्त लाभांश	**7.41**	3.90
	(iv)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**0.05**	0.07
	(v)	प्राप्त बैठक शुल्क	**0.10**	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सम्बद्ध पक्षकारों का नाम		लेन-देन का स्वरूप	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
	एमपीकॉन	(i)	प्राप्त लाभांश	**0.08**	0.08
		(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	**0.03**	0.01
		(iii)	प्राप्त किराया	**0.01**	-
		(iv)	आईएफसीआई द्वारा आईएफसीआई में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय	**0.44**	0.46
	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	(i)	प्रदत्त/देय व्यावसायिक शुल्क	**0.47**	1.09
		(ii)	प्राप्त सलाहकारी एवं मूल्यांकन शुल्क	**-**	0.05
	किटको				
	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i)	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	**0.15**	0.05
		(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वसूला गया/वसूलनीय वेतन/अन्य स्थापना व्यय		-
ख.	**एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां**				
	सीईजीएसएससी, भारत सरकार	(i)	एजेंसी कमीशन -एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	**0.17**	0.13
	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	(ii)	कमीशन-एमसिप्स	**3.67**	3.53
	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	(i)	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई	**5.00**	-
	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार	(i)	एसपीईसीएस एजेंसी शुल्क	**3.15**	-
	रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	(ii)	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स	**1.50**	-
	रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	(i)	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस	**2.50**	-
	रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	(ii)	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - बल्क ड्रग्स पार्क्स	**1.43**	-
	रसायन व उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल्स विभाग, भारत सरकार	(i)	योजना प्रबन्धन शुल्क - पीएलआई - मेडिकल डिवाइसिस पार्क्स	**0.95**	-
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	(i)	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	**0.50**	-
	एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	(i)	एजेंसी कमीशन - चीनी विकास निधि	**9.90**	9.90
	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	(i)	प्राप्त सलाहकारी एवं मूल्यांकन शुल्क	**0.04**	0.05
	केन्द्र सरकार	(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	**47.11**	46.62
	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	(ii)	किराए से आय	**0.02**	0.02
	कम्पनी रजिस्ट्रार	(i)	किराए से आय	**2.60**	2.58
	ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कम्पनी लि.	(ii)	किराए से आय	**2.61**	2.60
	पॉवर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लि.	(i)	किराए से आय	**7.13**	7.65
	एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस	(i)	किराए से आय	**0.15**	-
	युनाइटिड इण्डिया इंश्योरेंस	(ii)	किराए से आय	**0.25**	0.22
	केनरा बैंक	(i)	किराए से आय	**0.36**	0.36
ग.	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का क्षतिपूरण**				
	अल्पअवधि कर्मचारी लाभ			**1.57**	1.31
	नियोजन के बाद पारिभाषित लाभ			**-**	-
	क्षतिपूरित का नहीं होना			**0.10**	-
	शेयर आधारित भुगतान			**-**	-
	सेवा समाप्ति लाभ			**0.03**	-
	बैठक में भाग लेने का शुल्क			**-**	0.13

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

घ. सम्बद्ध पक्षकार का बकाया शेष	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बाण्ड	15.00	15.00
- आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋण	-	-
आईएफसीआई इफ्रांस्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बाण्ड	90.00	90.00
- आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बाण्ड/डिबेन्चर	-	-
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि.	-	-
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.		
आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बाण्ड/डिबेन्चर	-	-
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.		
- आईएफसीआई द्वारा जारी बाण्ड	25.00	25.00
एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.	-	-
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	-	-
स्टॉकहोल्डिंग सेक्यूरीटिज आईएफएससी लिमिटेड	-	-
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईफिन)	-	-
आईफिन सेक्यूरीटिज फाइनेंस लि.		
- प्राप्य बकाया	-	-
आईफिन कमोडिटीज लि.	-	-
आईफिन क्रेडिट लि.	-	-
एमपीकॉन लिमिटेड	-	-

निबंधन एवं शर्तें

इन संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन आर्म्सलेंथ आधार पर मूल्य पारिभाषित हैं।

48 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुन: बातचीत की जाती है।

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i.	**आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान**		
	वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
	(क) एक वर्ष के बाद नहीं	**2.24**	0.29
	(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	**–**	–
	(ग) पांच वर्ष के बाद	**–**	–
ii.	**लाभ अथवा हानि में प्रभारित राशि**	**0.73**	0.86

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कम्पनी ने अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर दिया है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुन: बातचीत की जाती है।

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
i.	**आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान**		
	वर्ष के अंत में, रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के तहत आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
	(क) एक वर्ष के बाद नहीं	**22.10**	47.57
	(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	**23.23**	28.71
	(ग) पांच वर्ष के बाद	**17.16**	19.46
ii.	**लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां**	**38.60**	36.19

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

49 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

			यूनिट	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
(i)	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	**(1,957.81)**	(277.88)
		घटाएं : अधिमान लाभांश	रुपए	**–**	–
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	रुपए	**(1,957.81)**	(277.88)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	**1,895,993,092**	1,695,993,092
(ii)	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना (संभावित शेयरधारकों सहित)	रुपए		
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ		**(1,957.81)**	(277.88)
		घटाएं : अधिमान लाभांश	रुपए	**–**	–
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	रुपए	**(1,957.81)**	(277.88)
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	**1,895,993,092**	1,695,993,092
		प्रति शेयर अर्जन			
		(भारित औसत)			
		बेसिक	रुपए	**(10.33)**	(1.64)
		डायल्युटिड	रुपए	**(10.33)**	(1.64)

50. परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में पारिभाषित है। कम्पनी के परिचालन खण्ड कम्पनी के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि इनका मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। कम्पनी मुख्यतया वित्तपोषण का कार्य करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार पृथक उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना :
कम्पनी केवल एक उत्पाद में कार्य करती है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। अत:, पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :
कम्पनी की सम्पूर्ण बिक्री ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। कम्पनी की परिसम्पत्तियां भी भारत में स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से) :
कम्पनी को ग्राहकों से राजस्व प्राप्त नहीं होता, जो कि कम्पनी के 10% अथवा अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

51. वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कार्य प्रक्रिया में, कम्पनी लेन देन करती है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में पारिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा कम्पनी के निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

कम्पनी उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करती है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जिन्हें मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. स्थानान्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो अपनी परिपूर्णता में मान्य नहीं हैं

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन हैं, जिनमें कम्पनी ऋण एवं अग्रिमों को असमेकित विशेष वाहन को बेचती है और साथ ही साथ उक्त वाहन द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां वाहन द्वारा खरीदी गई ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होते हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

कम्पनी अपनी सम्पूर्णता में ऋणों के उस भाग को निरन्तर मान्यता देती है, जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों का कम्पनी द्वारा अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में बनाए रखता है। स्थानान्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी उन सभी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को पारिभाषित करती है, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता और उससे जुड़ी देयताओं में अमान्य नहीं किया जाता।

	रखरखाव राशि		**उचित मूल्य**		
	परिसम्पत्तियां-ऋण	**देयताएं-उधार**	**परिसम्पत्तियां-ऋण**	**देयताएं-उधार**	**निवल स्थिति**
परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2021 को	74.95	**–**	**178.18**	**–**	**178.18**
31 मार्च, 2020 को	90.77	–	178.18	–	178.18

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता में मान्य नहीं किया जाता

परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री

कम्पनी ने अमान्य करने की छूट ली है और उनकी सम्पूर्णता में ऋणों को अमान्य किया है जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों को कम्पनी द्वारा अभिदत्त किया गया है। कम्पनी ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 193.26 करोड़ रुपए (वर्ष 2019-20 में -275.50 करोड़ रुपए) के उचित मूल्य को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2021 को प्रतिभूति प्राप्तियों पर संचयी उचित मूल्य लाभ/(हानि) -7.01 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को -34.34 करोड़ रुपए) हैं।

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो कम्पनी की अन्तरित परिसम्पत्तियों, जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य हैं में निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता को दर्शाती है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां - प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां - प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2021 को	**414.55**	**414.55**	**–**
31 मार्च, 2020 को	447.06	447.06	–

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण कम्पनी के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी रखरखाव राशि है।

52 वित्तीय प्रलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

विवरण	**31 मार्च, 2021 को**		
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	**–**	**–**	**533.56**
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	**–**	**–**	**588.33**
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	**–**	**–**	**–**
प्राप्य राशियां	**–**	**–**	**57.32**
ऋण	**–**	**–**	**6,479.71**
निवेश	**2,289.31**	**661.03**	**–**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**–**	**–**	**139.49**
	2,289.31	**661.03**	**7,798.41**
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख			**15.91**
ट्रेड देयताएं	**–**	**–**	**165.68**
ऋण प्रतिभूतियां	**–**	**–**	**7,270.78**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**–**	**–**	**2,285.70**
अधीनस्थ देयताएं	**–**	**–**	**1,313.30**
अन्य वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**1,713.31**
	–	**–**	**12,764.68**

विवरण	**31 मार्च, 2020 को**		
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	–	–	1,034.03
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	–	–	589.76
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	50.04	–	–
प्राप्य राशियां	–	–	78.43
ऋण	–	–	10,295.36
निवेश	1,038.67	843.87	–
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	–	–	132.68
	1,088.71	843.87	12,130.26

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	
ट्रेड देयताएं	–	–	66.60
ऋण प्रतिभूतियां	–	–	7,844.60
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	–	–	3,165.50
अधीनस्थ देयताएं	–	–	1,313.30
अन्य वित्तीय देयताएं	–	–	1,805.64
	–	–	14,195.64

ख. **मूल्यांकन ढांचा**

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यनिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोजन शामिल है।

कम्पनी निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

स्टेज 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।

स्टेज 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्टेज-1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं, है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्टेज-2 में शामिल किया जाता है।

स्टेज 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होता है, तो प्रलेखों को स्टेज-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात स्टेज-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्टेज-3 इनपुट तैयार करता है।

मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए स्टेज-2 और स्टेज-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीको को दर्शाया जाता है।

ग. **उचित मूल्य अनुक्रम**

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं :

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2021 को	**स्टेज-1**	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**जोड़**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	–	–
निवेश	**1,396.93**	**961.87**	**591.54**	**2,950.34**
	1,396.93	**961.87**	**591.54**	**2,950.34**
वित्तीय देयताएं :				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	**15.91**	–	**15.91**
	–	**15.91**	–	**15.91**

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2021 को	**परिशोधित लागत**	**स्टेज-1**	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	**6,479.71**	–	–	**6,479.71**	**6,479.71**
	6,479.71	–	–	**6,479.71**	**6,479.71**
वित्तीय देयताएं :					
ऋण प्रतिभूतियां	**7,270.78**	–	–	**7,270.78**	**7,270.78**
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	**2,285.70**	–	**2,285.70**	–	**2,285.70**
अधीनस्थ देयताएं	**1,313.30**	–	–	**1,313.30**	**1,313.30**
	10,869.78	–	**2,285.70**	**8,584.08**	**10,869.78**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2020 को	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	50.04	–	50.04
निवेश	439.35	1,011.55	431.64	1,882.54
	439.35	1,061.59	431.64	1,932.58
वित्तीय देयताएं :				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	–	–
	–	–	–	–

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2020 को	परिशोधित लागत	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	10,295.36	–	–	10,295.36	10,295.36
निवेश	–	–	–	–	–
	10,295.36	–	–	10,295.36	10,295.36
वित्तीय देयताएं :					
ऋण प्रतिभूतियां	7,844.60	–	–	7,844.60	7,844.60
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	3,165.50	–	3,165.50	–	3,165.50
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30	–	–	1,313.30	1,313.30
	12,323.40	–	3,165.50	9,157.90	12,323.40

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखो का रखरखाव मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होते हैं। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर रखे गए वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

स्वरूप	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण पर्यवेक्षीय इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति /छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण प्रतिभूतियां	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
अधीनस्थ देयताएं	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें

स्टेज-3 उचित मूल्य

स्टेज-3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी, स्टेज-3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाती है :

	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल 2020 को शेष	27.46	–	404.18
कुल लाभ अथवा हानियां			
- लाभ अथवा हानि में	48.37	–	240.40
- ओसीआई में	–	–	–
खरीद	–	–	–
निपटान	(70.96)	–	(57.91)
स्टेज - 3 में अन्तरित	–	–	–
31 मार्च, 2021 को शेष	**4.87**	**–**	**586.67**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया जाता है :

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	48.37	–	240.40
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) – उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	–	–	–
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	119.33	–	298.31

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल, 2019 को शेष	84.96	1,392.43
कुल लाभ अथवा हानियां :	–	–
– लाभ अथवा हानि में	(45.54)	(1,845.93)
खरीद	–	–
निपटान	(11.96)	857.68
31 मार्च, 2020 को शेष	**27.46**	**404.18**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर अधिमान शेयर	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	(45.54)	(1,845.93)
लाभ अथवा हानि - वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	(33.58)	(17.02)

53 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है, कम्पनी यह भी सुनिश्चित करती है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करती है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करती है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में कम्पनी ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। कम्पनी ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी कम्पनी के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो कम्पनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

ऋणों एवं अग्रिमों, नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होते हैं।

यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है तो कम्पनी को वित्तीय हानि के कारण क्रेडिट जोखिम होता है और ये जोखिम मुख्यतया ग्राहकों को कम्पनी के ऋणों एवं अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, ऋण प्रतिभूतियों में ऋणों एवं निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कम्पनी के क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति को ''क्रेडिट क्षति'' माना जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम घटित हो, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। साक्ष्य, जिसकी वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेटिड क्षतिपूर्ण है, में निम्नलिखित उल्लेखनीय आंकड़े शामिल है :

- निर्गमकर्ता या ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक
- आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी का कर्जदाता, ऋणी की वित्तीय कठिनाई के संबंध में ऋणी को रियायत प्रदान करने, जिस पर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया हो जाएगा या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा।
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पत्ति का सक्रिय बाजार से विलुप्त होना।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की भारी छूट पर खरीद अथवा का उत्पन्न होना, जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक नये ग्राहक की कम्पनी के मानक भुगतान से पहले और सुपुर्दगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्तुत करने से पहले क्रेडिट साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाता है। कम्पनी की पुनरीक्षा में न्यूनतम अन्तिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, शामिल है, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा बनाई गई है और समय-समय पर आवधिक रूप से इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते है। निर्धारित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 में ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)।

संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई आन्तरिक कर्जदार की रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एप्रोच का उपयोग किया गया है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था ऐसी त्रुटिपूर्ण परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसकी आन्तरिक क्रडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।
- ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर

(घ) चूक पर जोखिम (ईएडी)

चूक पर जोखिम (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई क्षति (एलजीडी)

चूक से हुई क्षति के लेन-देन से उत्पन्न हानि का अनुमान है। चूक से हुई हानि का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों, जो पिछले 7 वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, और जिन्हें 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई हानि के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक माान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक माान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध हैं, जो आरंभिक माान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अत: कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक माान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है :

- 3 रेटिंग ग्रेडों तक ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- निवेश ग्रेड से उप-निवेश ग्रेड में ऋणियों की रेटिंग का कम हो जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्टेज-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2021 को				
	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**पीओसीआई**	**जोड़**
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**658.11**	**414.96**	**–**	**–**	**1,073.06**
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	**–**	**738.73**	**–**	**–**	**738.73**
ग्रेड 9-10 : हानि	**–**	**–**	**7,912.97**	**–**	**7,912.97**
	658.11	**1,153.69**	**7,912.97**	**–**	**9,724.77**
हानि भत्ता	**(4.40)**	**(114.01)**	**(4,833.02)**	**–**	**(4,951.43)**
रखरखाव मूल्य	**653.70**	**1,039.68**	**3,079.95**	**–**	**4,773.34**

	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**पीओसीआई**	**जोड़**
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	233.72	–	–	–	233.72
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	554.70	–	–	–	554.70
ग्रेड 9-10 : हानि	–	–	2,190.09	–	2,190.09
	788.42	–	2,190.09	–	2,978.51
हानि भत्ता	(10.86)	–	(1,261.27)	–	(1,272.13)
रखरखाव मूल्य	777.56	–	928.82	–	1,706.38

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	54.10	–	54.10
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.87	0.04	0.91
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	1.31	0.06	1.37
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	–	1.26	1.26
	57.31	1.41	58.72
हानि भत्ता	–	(1.41)	(1.41)
रखरखाव मूल्य	**57.31**	**–**	**57.31**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	**क्रेडिट क्षतिग्रस्त**	**जोड़**
6 माह से कम	139.11	0.00	139.11
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.00	0.00	0.00
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.37	0.01	0.39
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.00	0.00	0.00
3 वर्ष से अधिक	–	70.42	70.42
	139.49	70.43	209.92
हानि भत्ता	–	(70.43)	(70.43)
रखरखाव मूल्य	**139.49**	**–**	**139.49**

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**जोड़**
बीबीबी- से एएए	568.93	–	–	568.93
बीबी- से बीबी+	–	–	–	–
बी- से बी+	–	–	–	–
सी से सीसीसी+	–	–	–	–
डी	–	–	98.72	98.72
	568.93	–	98.72	667.65
हानि भत्ता	(0.09)	–	(50.02)	(50.12)
परिशोधित लागत	568.84	–	48.70	617.53
उचित मूल्य	581.04	–	39.60	620.64

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2021 को				
	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**पीओसीआई**	**जोड़**
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**5.71**	**–**	**–**	**–**	**5.71**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**10.52**	**–**	**–**	**–**	**10.52**
ग्रेड 9-10 : हानि	**8.91**	**–**	**–**	**–**	**8.91**
	25.14	**–**	**–**	**–**	**25.14**
हानि भत्ता	**(5.35)**	**–**	**–**	**–**	**(5.35)**
रखरखाव मूल्य	**19.78**	**–**	**–**	**–**	**19.78**
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**51.14**	**–**	**–**	**–**	**51.14**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**64.91**	**–**	**–**	**–**	**64.91**
ग्रेड 9-10 : हानि	**45.81**	**–**	**–**	**–**	**45.81**
	161.86	**–**	**–**	**–**	**161.86**
हानि भत्ता	**(27.92)**				**(27.92)**
रखरखाव मूल्य	**133.95**	**–**	**–**	**–**	**133.95**

	31 मार्च 2020 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	2,406.09	139.86	–	–	2,545.95
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	–	910.79	–	–	910.79
ग्रेड 9-10 : हानि	–	–	9,798.04	–	9,798.04
	2,406.09	1,050.65	9,798.04	–	13,254.78
हानि भत्ता	(133.76)	(193.30)	(4,805.94)	–	(5,133.00)
रखरखाव मूल्य	**2,272.33**	**857.35**	**4,992.10**	**–**	**8,121.78**

	स्टेज-1	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	331.14	–	–	–	331.14
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	526.06	444.11	–	–	970.17
ग्रेड 9-10 : हानि	–	–	2,087.83	–	2,087.83
	857.20	444.11	2,087.83	–	3,389.13
हानि भत्ता	(64.77)	(126.71)	(1,024.08)	–	(1,215.55)
रखरखाव मूल्य	**792.43**	**317.40**	**1,063.75**	**–**	**2,173.58**

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	73.91	–	73.91
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	1.73	–	1.73
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	1.81	–	1.81
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.18	–	1.18
3 वर्ष से अधिक	–	0.08	0.08
	78.63	0.08	78.71
हानि भत्ता	(0.20)	(0.08)	(0.28)
रखरखाव मूल्य	78.43	–	78.43

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	143.76	–	143.76
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	0.01	–	0.01
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.00	–	0.00
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.07	–	1.07
3 वर्ष से अधिक	–	52.02	52.02
	144.84	52.02	196.86
हानि भत्ता	(12.16)	(52.02)	(64.18)
रखरखाव मूल्य	132.68	–	132.68

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश				
बीबीबी- से एएए	780.13	–	–	780.13
बीबी- से बीबी+	–	–	–	–
बी- से बी+	–	–	–	–
सी से सीसीसी+	–	–	–	–
डी	–	–	**98.72**	98.72
	780.13	**–**	**98.72**	**878.85**
हानि भत्ता	(0.19)	–	(46.97)	(47.16)
परिशोधित लागत	779.94	–	51.75	831.68
उचित मूल्य	814.18	–	21.41	835.59

आईएलएण्डएफएस फाइनेंशियल सर्विसिज को 100 प्रतिशत प्रावधान किया गया

	31 मार्च, 2020 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	46.69	–	–	–	46.69
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	52.33	–	–	–	52.33
ग्रेड 9-10 : हानि	–	–	–	–	–
	99.01	–	–	–	99.01
हानि भत्ता	(8.28)	–	–	–	(8.28)
रखरखाव मूल्य	90.73	–	–	–	90.73
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	1,045.33	–	–	–	1,045.33
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	175.92	–	–	–	175.92
ग्रेड 9-10 : हानि	58.89	–	–	–	58.89
	1,280.14	–	–	–	1,280.14
हानि भत्ता	(40.37)	–	–		(40.37)
रखरखाव मूल्य	1,239.77	–	–	–	1,239.77

(झ) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति संबंधी छूट में उतार-चढ़ाव

वित्त संबंधी परिसम्पत्तियों, ट्रेड प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में क्षति के लिए भत्ते में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार है :

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
31 मार्च, 2019 को हानि भत्ता	**222.09**	**125.01**	**6,545.80**	**6,892.90**
स्टेज-1 में अन्तरण	6.60	(6.60)	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	(19.44)	19.44	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	(13.10)	(42.06)	55.16	–
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	52.50	130.19	(3,874.78)	(3,692.09)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	17.66	17.11	10.16	44.93
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(68.53)	(29.84)	(167.42)	(265.78)
बट्टे खाते डाले गए	–	–	2,217.40	2,217.40
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
31 मार्च, 2020 को हानि भत्ता	**197.79**	**213.26**	**4,786.31**	**5,197.36**
स्टेज-1 में अन्तरण	0.00	–	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	(41.89)	41.89	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	(6.17)	(69.48)	75.65	–
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	–	-56.17	(1,428.48)	(1,484.65)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-101.92	0.00	0.00	(101.92)
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(15.49)	(15.49)	(24.53)	(55.51)
बट्टे खाते डालना	–	–	1,424.07	1,424.07
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 को हानि भत्ता	**32.32**	**114.01**	**4,833.02**	**4,979.35**

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड

हानि भत्ते का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
01 अप्रैल, 2019 को हानि भत्ता	**68.63**	**83.21**	**1,311.16**	**1,463.00**
स्टेज-1 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	(6.52)	52.35	(45.83)	–
स्टेज-3 में अन्तरण	–	(59.41)	59.41	–
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	29.92	53.93	(199.99)	(116.14)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	–	–	–	–
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(18.97)	(3.38)	(100.67)	(123.02)
बट्टे खाते डालना				–
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
	–	–	–	
31 मार्च 2020 को हानि भत्ता	**73.05**	**126.71**	**1,024.08**	**1,223.84**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

हानि भत्ते का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
स्टेज-1 में अन्तरण	0.87	(0.87)	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	–	(37.87)	37.87	–
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(44.11)	-17.99	199.32	137.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	–	–	–	–
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(13.60)	(69.98)	–	(83.58)
बट्टे खाते डालना	–	–	–	–
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
	–	–	–	–
31 मार्च 2021 को हानि भत्ता	**16.21**	**0.00**	**1,261.27**	**1,277.48**

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

हानि भत्ते का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति नही	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षति हुई	
31 मार्च, 2019 को हानि भत्ता	**0.08**	–	–	**0.08**
स्टेज-1 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	(0.01)	–	–	(0.01)
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	–	–	–	–
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	0.18	–	46.97	47.15
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.06)	–	–	(0.06)
बट्टे खाते डालना	–	–	–	–
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
	–	–	–	–
31 मार्च, 2020 को हानि भत्ता	**0.19**	**–**	**46.97**	**47.16**
स्टेज-1 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	–	–	–	–
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.10)	–	3.05	2.95
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	0.01	–	–	0.01
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	–	–	–	–
बट्टे खाते डालना	–	–	–	–
छूट को बढ़ाना	–	–	–	–
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	–
	–	–	–	–
31 मार्च, 2021 को हानि भत्ता	**0.09**	**–**	**50.03**	**50.12**

(ञ) धारित संपार्श्विक एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपार्श्विक सुरक्षित प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे की द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नानुसार है।

1. अचल परिसम्पितत्तियों का बंधक
2. चल सम्पत्ति का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तको की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ट) जोखिम संकेन्द्रण

कम्पनी सेक्टर द्वारा और भौगोलिक अवस्थिति द्वारा क्रेडिट जोखिम के संकेन्द्रण को मॉनीटर करती है। ऋणों एवं अग्रिमों से ऋण जोखिम के संकेन्द्रण का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
रखरखाव राशि		
सेक्टर द्वारा सकेन्द्रण		
निगमित:		
विद्युत उत्पादन	**2,222.41**	2,440.56
विशाखित अवसंरचना	**1,265.70**	1,649.91
रीयल इस्टेट	**979.33**	1,190.61
सड़क निर्माण	**1,249.69**	1,546.65
लौहा व इस्पात	**469.82**	487.53
विशाखन	**750.82**	750.82
स्टील के उत्पाद	**247.61**	260.87
निर्माण उद्योग	**343.12**	406.22
विविध सेवाएं	**350.57**	414.85
एनबीएफसी	**173.99**	385.40
मोटर वाहन एवं उसके भाग	**142.21**	142.09
कपड़ा उत्पाद	**23.06**	27.82
विविध खाद्य उत्पाद	**324.50**	333.80
विविध विनिर्माण एवं अन्य उद्योग	**400.06**	751.23
जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्य	**170.10**	169.89
अन्य	**1,468.73**	1,595.21
जोड़	**10,582**	12,553
स्थान के तहत संकेन्द्रण		
भारत	**10,582**	12,553

ऋणों अग्रीमों के लिए स्थान द्वारा संकेन्द्रण ग्राहक के अधिवास देश पर आधारित है

*ऋण राशि में उद्भूत, परन्तु देय नहीं ब्याज और स्टेज-3 आय शामिल है।

(ठ) आशोधित/पुनर्संरचित ऋण

जब कम्पनी अमहत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय कठिनाइयों के संबंध में आर्थिक एवं कानूनी कारणों से रियायत प्रदान करती है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रियायतों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम हो, भुगतान की अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु संयम या सोच समझ कर अन्य कार्रवाई करना शामिल है। ऋणों, जिसके लिए शर्तों को आशोधित किया गया है और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है, को टीडीआर माना गया है।

जोखिम प्रबन्धन की दृष्टि से यदि किसी परिसम्पत्ति को एक बार छोड़ दिया जाता है या आशोधित किया जाता है तो कम्पनी का विशेष विभाग दबावग्रस्त परिसम्पत्ति का तक तक निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक यह पूर्णत: या अन्तत: अमान्य नहीं हो जाती।

यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तों के साथ निष्पादित किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तों को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुन: परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है तो ऋण, जिस पर पुन: बातचीत की गई हो, को अमान्य कर दिया जाता है।

जहां पुन: बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नहीं होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना में जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निर्धारित किया जाता है।

इसमें आशेधित परिसम्पत्तियां, जिन्हें उस अवधि में छोड़ दिया गया था, नहीं थी और तदनुसार कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई थी।

(ड) शासन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैंक मानदण्डों के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथापरिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम होती है तो इसकी अन्तराल राशि को कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। आईएफसीआई के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता है बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि सुखद परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान की भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों की संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा पारिभाषित एएलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय बैण्ड में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग-अलग समय अवधियो में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में पारिभाषित किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पुर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

कम्पनी ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले नकदी निवेशों की पहचान करने और नकदी विस्तार अनुपात को परिकलित करने का कार्य शुरू किया है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है :

- 94 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो प्रतिभूत है। ब्याज, 7.75% और 8.21% के बीच देय होगा।
- 130 करोड़ रुपए की सुविधा, जो अप्रतिभूत है और अल्प अवधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु आहरित किया जा सकता है। ब्याज : 9.57% की दर पर देय होगा (भारित औसत दर)।

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

निम्नलिखित सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं हैं। राशियां सकल एवं छूट प्राप्त नहीं हैं तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल नहीं है और नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

		संविदात्मक नकद प्रवाह								
31 मार्च, 2021 को	**रखरखाव राशि**	**सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)**	**1 दिन से 30 दिन**	**1-2 माह**	**2-3 माह**	**3-6 माह**	**6 माह से 1 वर्ष**	**1-3 वर्ष**	**3-5 वर्ष**	**5 बर्ष से अधिक**
नॉन डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	**2,285.70**	**1,902.75**	**–**	**27.03**	**339.20**	**298.85**	**519.12**	**718.55**	**–**	**–**
जारी ऋण प्रतिभूतियां	**7,270.78**	**7,284.08**	**26.20**	**0.30**	**–**	**545.07**	**2,343.17**	**(168.98)**	**1,848.59**	**2,689.73**
अधीनस्थ देयताएं	**1,313.30**	**1,313.30**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**662.27**	**–**	**651.04**
डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- अन्तर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोखिम प्रबंधन										
- बहिर्प्रवाह	**15.91**	**15.91**	**15.91**	–	–	–	–	–	–	–
- अन्तर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	**6,479.71**	**10,581.70**	**32.89**	**43.26**	**52.85**	**239.52**	**348.09**	**926.45**	**322.06**	**8,616.58**
निवेश प्रतिभूतियां	**2,950.34**	**5,796.55**	**1,421.07**	**–**	**137.96**	**–**	**400.00**	**89.16**	**–**	**3,748.36**

		संविदात्मक नकद-प्रवाह								
31 मार्च, 2020 को	रखरखाव राशि	सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/ (बहिर्प्रवाह)	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
नॉन डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
उधार	3,165.50	2,781.16	–	25.00	400.69	109.38	1,006.52	1,214.57	25.00	–
जारी ऋण प्रतिभूतियां	7,844.60	7,874.03	0.45	5.00	164.54	167.40	476.39	2,545.76	1,623.59	2,890.91
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30	1,313.30	–	–	–	–	–	662.27	–	651.04
डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं										
ट्रेडिंग										
- बहिर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- अन्तर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोखिम प्रबंधन										
- बहिर्प्रवाह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- अन्तर्प्रवाह	50.04	50.04	50.04	–	–	–	–	–	–	–
नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पत्तियां										
ऋण एवं अग्रिम	10,295.36	13,023.49	36.40	0.88	270.21	620.44	594.11	1,546.90	570.70	9,383.85
निवेश प्रतिभूतियां	1,882.54	5,086.03	325.51	–	–	–	16.17	627.12	152.07	3,965.16

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
संविदात्मक नकद-प्रवाह		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	**29.49**	45.00
- 12 माह के बाद	**110.00**	87.68
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**139.49**	132.68
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- 12 माह के भीतर	**538.11**	547.76
- 12 माह के बाद	**1,175.20**	1,257.88
सकल नाममात्र अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	**(1,713.31)**	(1,805.64)

उपरोक्त सारणी में व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामन्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है, की निवल नकद प्रवाह राशियों को दर्शाता है और उन डेरिवेटिव्स को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता हैं।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तरनिहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी कम्पनी की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

	मांग पर	1 दिन से 30 दिन	1-2 माह	2-3 माह	3-6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2021 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	168.67	-	-	-	-	-	-	-	-	168.67
31 मार्च, 2020 को										
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	776.41	-	-	-	-	-	-	-	-	776.41

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम-ज्यादा होगा। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, कम्पनी बाजार जोखिम के प्रकटनों को या तो वर्तमान या फिर दीर्घ अवधि पोर्टफोलियो में वर्गीकृत करती है और इनमें से प्रत्येक पोर्टफोलियो को अलग-अलग रूप से व्यवस्थित करती है।

आईएफसीआई में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचे में जोखिम की पहचान, सीमाओं एवं ट्रिगर्स की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मॉनीटरिंग, जोखिम रिपोर्टिंग तथा जहां अत्यावश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इस बात को उजागार करना सुसंगत है कि आरंभिक निवेश ग्रेड रेटिंग, निवेश सीमाएं, मंजूरी प्राधिकार, स्टॉप-लॉस ट्रीगर्स सहित नियंत्रण प्रणाली, इक्विटी व्यापार सहित विभिन्न खजाना उत्पादों हेतु अपेक्षित अनुपालन आदि जैसे ब्यौरों को आईएफसीआई की वर्तमान खजाना एवं निवेश नीति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

(क) बाजार-जोखिम - ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

कम्पनी का कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है।

(ख) बाजार जोखिम - नॉन-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

कम्पनी को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना होती है जहां मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते है, और कम्पनी की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता होती है। कम्पनी की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मूल्यवर्गित होते है, यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो कम्पनी के यूरो बैंक ऋण की मूल राशि से संबंधित है, को प्रगामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है; जो उसी तारीख में परिपक्व होते हैं, जिस तारीख को वे ऋण चुकौती के लिए देय होते हैं।

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते हैं, जो कम्पनी के अन्तर्निहित परिचालनों - मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते हैं । इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधार की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बगैर आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में कम्पनी की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनो को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु कम्पनी का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को सूचना दी गई है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नुसार हैं :

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	भारतीय रुपए	यूरो	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	**409.83**	**4.78**	424.84	5.49
मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	**409.83**	**4.78**	**424.84**	**5.49**

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रुपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढ़ीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषत ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

	लाभ अथवा हानि		कर घटा कर इक्विटी	
	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण	सुदृढ़ीकरण	दुर्बलीकरण
31 मार्च, 2021				
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	40.98	(42.48)	26.66	(27.64)
31 मार्च, 2020				
	42.48	(42.61)	27.64	(27.72)

(ii) बाजार दर जोखिम

कम्पनी बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करती है। इसे अस्थायी दर पर उधारों के रूप में प्राप्त किया जाता है और आईएफसीआई की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार दिया जाता है, जिसे बाद में अन्यों के बीच इसके उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण आईएफसीआई की निवल ब्याज आय तथा आईएफसीआई की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समूहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

कम्पनी के ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है :

ग्राहकों को ऋण व अग्रिम	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
स्थिर दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	–	–
वित्तीय देयताएं	**8,584.08**	9,157.90
परिवर्तनीय दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	**6,479.71**	10,295.36
वित्तीय देयताएं	**2,285.70**	3,165.50

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटा कर इक्विटी	
	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी	100 आधार बिन्दु वृद्धि	100 आधार बिन्दु कमी
31 मार्च, 2021				
परिवर्तनीय दर प्रलेख नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)	**22.86**	**(22.86)**	**14.87**	**(14.87)**
31 मार्च, 2020				
परिवर्तनीय दर प्रलेख नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)	31.66	(31.66)	20.59	(20.59)

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अत: आईएफसीआई में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

54. पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई को सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, जिसे जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के इष्टतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करती है।

(i) विनियामक पूंजी

कम्पनी की विनियामक पूंजी में निम्नलिखित घटकों की राशि शामिल है :

- सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी, जिसमें साधारण शेयर पूंजी, संबंधित शेयर प्रीमियम, प्रतिधारित आय और घोषित लाभांश हेतु समायोजन के बाद रिजर्व तथा कल्याण हेतु कटौती, अमूर्त परिसम्पत्तियां और उन मदों से संबंधित अन्य विनियामक समायोजन शामिल हैं, जिन्हें इक्विटी में शामिल नहीं किया जाता है, परन्तु पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अलग से हिसाब में लिया जाता है।
- टियर-2 पूंजी, जिसमें अधिमान शेयर, अर्हक अधीनस्थ देयताएं और प्रत्याशित हानियों पर कोई अधिक क्षति शामिल है।

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) पूंजी	**(1,074.22)**	968.85
टियर-2 पूंजी प्रलेख	**15.26**	632.20
कुल विनियामक पूंजी	**(1,058.96)**	1,601.04
जोखिम भारित परिसम्पत्तियां	**9,797.27**	11,821.85
सीआरएआर - टियर- I पूंजी (%)	**-10.96%**	8.20%
सीआरएआर - टियर- II पूंजी (%)	**0.16%**	5.35%
सीआरएआर (%)	**-10.81%**	13.54%

* एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर(एनबीएफसी).सीसी.पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतराल को समायोजित किया है, इसलिए 34.54 रुपए को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

निवल स्वामित्व निधियों के परिकलन के प्रयोजन से डीटीए को मैट क्रेडिट हकदारिता माना गया है।

(ii) पूंजी आबंटन

प्रत्येक परिचालन अथवा क्रियाकलाप हेतु आबंटित पूंजी की राशि को जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल को कम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। पुंजी का आबंटन वर्ष के आरम्भ में तैयार की गई वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर विभिन्न कारोबार के लिए किया जाता है। पूंजी आबंटन हेतु विभिन्न प्रतिफलों में मौजूदा परिचालनों एवं क्रियाकलापों के साथ आपसी सहभागिता, प्रबंधन तथा अन्य संसाधन की उपलब्धता और कम्पनी के दीर्घकालिक कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल हैं।

55. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू भारिबैंक के परिपत्रों के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रकट की गई है। इन प्रकटनों में जब तक विशेषरूप से उल्लेख ना किया जाए भारतीय लेखांकन मानकों का समायोजन नहीं किया गया है:

(i) कम्पनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में एक डिबेंचर न्यासी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकरण कोड "आईएनडी 000000002" है।

(ii) मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान भारिबैंक और अन्य किसी नियामक ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है। तथापि एनएसई और बीएसई ने आईएफसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में निदेशक बोर्ड और लेखा परीक्षक समिति, और नामांकन व पारिश्रमिक समिति और स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समिति के गठन के सम्बन्ध में भी सेबी (सूचीकरण देयताए व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के उपबन्धों का अनुपालन न करने के लिए (सितम्बर 2018 और मार्च 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए) कर सहित 1,16,17,100/- और 13,85,600/- का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, बीएसई ने दिनांक 24 सितम्बर, 2020 और 19 अप्रैल, 2021 की अपनी ई-मेल द्वारा सितम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए 1,01,98,740/- रुपए का जुर्माना माफ कर दिया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जुर्माना माफ करने के सम्बन्ध में स्टॉक एक्सचेंजों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष में रेटिंग में बदलाव निम्नानुसार है :

दीर्घ अवधि (बाण्ड/एनसीडी/मियादी ऋण)

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
इकरा	**13/12/2019 से इकरा बीबीबी-**	03/12/2019 से इकरा बीबीबी-
केयर	**20/01/2020 से केयर बीबीबी-**	20/01/2020 से केयर बीबीबी-
बिक्रवर्क	**10/07/2019 से बीडब्ल्यूआर बीबीबी+**	10/07/2019 से बीडब्ल्यूआर बीबीबी+

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अल्प अवधि (वाणिज्यिक पेपर/अल्पावधि उधार)

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
इकरा	**17/06/2020 से इकरा ए3**	03/12/2019 से इकरा ए3
बिक्रवर्क	**23/06/2020 से बीडब्ल्यूआर ए2+**	10/07/2019 से बीडब्ल्यूआर ए2+

पुनर्सरचित प्रतिभूत एनसीडी के लिए निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
केयर	**05/08/2020 से केयर बीबीबी+**	13/09/2019 से केयर बीबीबी+
बिक्रवर्क	**23/06/2020 से बीडब्ल्यूआर ए+(सीई)**	14.09.2019 से बीडब्ल्यूआर ए+(सीई)

अधीनस्थ बाण्ड

निम्न के द्वारा रेटिंग	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
केयर	**05/08/2020 से केयर बीबीबी-**	21/01/2020 से केयर बीबीबी-

(iv) ग्राहक शिकायतों से संबंधित प्रकटन

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	अवधि के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	**–**	–
(ख)	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**2,044**	3,011
(ग)	अवधि के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**2,044**	3,011
(घ)	अवधि के अन्त में लंबित शिकायतों की संख्या	**–**	–

(v) जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर)

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर)	**-10.81%**	13.54%
(i)	कोर सीआरएआर	**-10.96%**	8.20%
(ii)	अनुपूरक सीआरएआर	**0.16%**	5.35%
(ख)	जुटाया गया अधीनस्थ ऋण, टियर-II पूंजी के रूप में बकाया (करोड़ रुपए)	**15.26**	632.20
(ग)	जोखिम भारित परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)		
(i)	तुलन-पत्र मदों पर	**9,797.27**	11,225.38
(ii)	तुलन-पत्र मदों से परे	**216.36**	596.47

(vi) लिए गए ऋण और अग्रिम, उन पर प्रोद्भूत परंतु अदा न किए गए ब्याज सहित (भा.ले.मा. के अनुसार)

		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
		बकाया	**अतिदेय**	बकाया	अतिदेय
(क)	ऋणपत्र				
(i)	प्रतिभूत	**2,046.36**	**–**	2,046.36	–
(ii)	अप्रतिभूत	**818.19**	**–**	818.19	–
(ख)	आस्थगित क्रेडिट्स	**–**	**–**	–	–
(ग)	मियादी ऋणं	**1,902.75**	**–**	2,781.16	–
(घ)	अन्तर निगमित ऋण एवं उधार	**–**	**–**	–	–
(ङ)	सीबीएलओ/वाणिज्यिक पेपर	**–**	**–**	–	–
(च)	अन्य ऋण (एफसी ऋण सहित)	**–**	**–**	–	–
(छ)	आईएफसीआई के पास रखी गई निधियां	**–**	**–**	–	–
(ज)	बॉण्ड	**5,733.10**	**–**	6,322.78	–

कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा बॉण्ड/ऋणपत्र धारकों की देयताओं की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(vii) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घ अवधि) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण

	श्रेणी	**31 मार्च, 2021 को**		31 मार्च, 2020 को	
		बाजार/ब्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	**बही मूल्य**	बाजार/ब्यौरा/उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य
	सम्बद्ध पक्षकार				
(क)	सहायक कम्पनियां	**2,085.75**	**1,546.41**	1,632.01	1,546.41
(ख)	एक ही समूह की कम्पनियां	**8.06**	**0.04**	13.21	0.04
(ग)	संयुक्त उद्यम	**–**	**0.01**	–	0.01
(घ)	सम्बद्ध पक्षकारों से भिन्न	**3,217.11**	**4,250.41**	2,192.90	3,539.57
	जोड़	**5,310.91**	**5,796.88**	3,838.12	5,086.03

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(viii) निवेश के ब्यौरे एवं प्रावधान में उतार-चढ़ाव :

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**भारत में निवेश का मूल्य**	लागू नहीं (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निवेश उचित मूल्य पर किए जाने हैं, अतः यह इस पर लागू नहीं होता)	
	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
	निवेशों का निवल मूल्य		
(ख)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधानों का उतार-चढ़ाव**		
(i)	आरम्भ शेष		
(ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/ का पुनरांकन		
(iv)	अन्त शेष		

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(ix)	**ऋण क्रियाकलापों के संबंध में हिसाब में ली गई पट्टाकृत परिसम्पत्तियां एवं किराए पर लिए गए स्टॉक तथा अन्य परिसम्पत्तियां**	–	–

(x) वित्तपोषित परिसम्पत्तियों का ऋणी समूह-**वार वर्गीकरण :**

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1	सम्बद्ध पक्षकार		
(क)	सहायक कम्पनियां	–	–
(ख)	एक ही समूह की कम्पनियां	–	–
2	सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**5,578.02**	8,187.51
	जोड़	**5,578.02**	8,187.51

यह राशि अलाभकारी एवं मानक पुनर्संरचित परिसम्पत्तियों के मद्दे प्रावधान को घटा कर है।

(xi) एकल ऋणी सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

		31 मार्च, 2021 को						31 मार्च, 2020 को		
		पाइनियर गैस पावर लि.	**शीगा एनर्जी प्रा. लि.**	**जयप्रकाश एसोसिएटस लि.**	**वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.**	**जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.**	**केएसके एनर्जी प्रा. लि.**	वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.	जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	कल्पतरु लि.
(क)	बकाया कुल ऋण	**434.73**	**331.38**	**407.19**	**394.73**	**0.00**	**337.30**	395.00	0.00	353.00
(ख)	स्वामित्व निधियों का %	**19.71%**	**15.02%**	**18.46%**	**17.89%**	**0.00%**	**15.29%**	17.55%	0.00%	15.68%
(ग)	बकाया निवेश	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**456.79**	**–**	0.00	457.00	0.00
(घ)	स्वामित्व निधियों का %	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**20.71%**	**0.00%**	0.00%	20.30%	0.00%
(ङ)	कुल प्रकटन	**434.73**	**331.38**	**407.19**	**394.73**	**456.79**	**337.30**	395.00	457.00	353.00
(च)	स्वामित्व निधियों का %	**19.71%**	**15.02%**	**18.46%**	**17.89%**	**20.71%**	**15.29%**	17.55%	20.30%	15.68%

(xii) ऋणी समूह सीमा के विवरण - सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
		जयप्रकाश ग्रुप	जयप्रकाश ग्रुप
(क)	बकाया ऋण कुल	**548.13**	548.73
(ख)	स्वामित्व निधियों का %	**24.85%**	24.37%
(ग)	बकाया निवेश	**0.00**	0.00
(घ)	स्वामित्व निधियों का %	**0.00%**	0.00%
(ड)	कुल जोखिम	**588.13**	588.73
(च)	स्वामित्व निधियों का %	**26.66%**	26.14%

(xiii) अग्रिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस शीर्ष बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	**4,643.84**	4,805.58
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में अग्रिमों का प्रतिशत	**43.89%**	38.28%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xiv) जोखिमों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बीस शीर्ष बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	**5,274.17**	6,296.98
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में अग्रिमों का प्रतिशत	**31.30%**	24.44%

(xv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों का संकेन्द्रण

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल जोखिम	**1631.37 (9.68%)**	1573.93 (8.37%)

(xvi) अलाभकारी परिसम्पत्तियों की स्थिति

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	**सकल अलाभकारी परिसम्पत्तियां**		
(क)	सम्बद्ध पक्षकार	**–**	–
(ख)	सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**7,801.01**	7,774.68
2.	**निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां**		
(क)	सम्बद्ध पक्षकार	**–**	–
(ख)	सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	**2,816.73**	3,495.93
	ऋण के समाधान में अपेक्षित परिसम्पत्तियां	**–**	–

(xvii) अलाभकारी परिसम्पत्तियों में उतार-चढ़ाव

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	**निवल अग्रिमों पर निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां (%)**	**50.50%**	42.70%
(ii)	**एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	आरम्भ शेष	**7,774.68**	8,609.79
(ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	**453.92**	1,407.06
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	**427.59**	2,242.17
(घ)	अन्त शेष	**7,801.01**	7,774.68
(iii)	**निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियों का उतार-चढ़ाव**		
(क)	आरम्भ शेष	**3,495.93**	4,069.33
(ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि	**410.04**	1,244.56
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	**1,089.25**	1,817.97
(घ)	अन्त शेष	**2,816.73**	3,495.93
(iv)	**अलाभकारी परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)**		
(क)	आरम्भ शेष	**4,278.76**	4,540.46
(ख)	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**829.20**	1,206.86
(ग)	अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन	**123.66**	1,468.56
(घ)	अन्त शेष	**4,984.30**	4,278.76

(xviii) क्षेत्र-वार एनपीए

		कुल अग्रिम की तुलना में अलाभकारी परिसम्पत्तियों का %	
	क्षेत्र	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलाप	**–**	–
2.	एमएसएमई	**–**	–
3.	निगमित ऋणी	**73.72%**	61.93%
4.	सेवाएं	**–**	–
5.	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	**–**	–
6.	वाहन ऋण	**–**	–
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	**–**	–

(xix) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एवं आकस्मिताएं

प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के अलग-अलग विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**0.00**	0.00
अलाभकारी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रावधान	**705.54**	-261.71
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	**-67.80**	-159.05
आयकर के संबंध में किया गया प्रावधान	**–**	–
ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य अग्रिमों के मद्दे प्रावधान	**–**	–

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xx) भू-सम्पदा क्षेत्र हेतु जोखिम

श्रेणी		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**प्रत्यक्ष जोखिम**		
(i)	**आवासीय बंधक -**		
	आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी के कब्जे में है या होगी या किराये पर दी जाती है, पर बंधक द्वारा पूर्णरूप से प्रतिभूत उधार (15 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत गृह ऋण को अलग से दर्शाया जा सकता है।)	**–**	–
(ii)	**वाणिज्यिक भू-सम्पदा**		
	वाणिज्यिक भू-सम्पदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोजनीय वाणिज्यिक परिसर, विविध परिवार आवासीय भवन, बहुत से किरायेदारों वाला वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डारण स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित (एएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	**979.33**	1,319.76
(iii)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिम :**	**–**	–
(ख)	**अप्रत्यक्ष जोखिम**		
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसीज) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित जोखिम	**–**	–

(xxi) पूंजी बाजार के जोखिम

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिसकी निगमित निधि को समग्र रूप से ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;	**3011.75**	3057.86
(ii)	व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बाण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों, एवं इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों में निवेश हेतु - शेयरों/बाण्डों/ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	**–**	–
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बाण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	**1143.69**	1287.80
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बाण्डों अथवा परवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा काफी हद तक प्रतिभूत हैं, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉडों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों/इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति से अग्रिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं किया जाता।	**5.62**	7.45
(v)	स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों को गारण्टियां;	**0.00**	0.00
(vi)	शेयरों/बाण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के मद्दे अथवा स्पष्ट आधार पर निगमित निकायों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा से नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए ऋण;	**–**	–
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण;	**50.11**	50.11
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों हेतु सभी जोखिम (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों)	**103.07**	115.32
	पूंजी बाजार हेतु कुल प्रकटन	**4,264.13**	4,468.43

(xxii) प्रतिभूतिकरण कम्पनी/पुनर्संरचना कम्पनी (एससी/आरसी) को बेची गई परिसम्पत्तियां

विवरण		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1.	खातों की संख्या	**1**	0
2.	एससी/आरसी को बेचे गए समग्र बकाया खाते	**3.78 ***	–
3.	समग्र प्रतिफल	**6.32**	–
4.	पूर्ववर्ती वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	**–**	–
5.	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ/(हानि)	**2.54***	–

(xxiii) सुपुर्द किए गए लेन-देन के ब्यौरे

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सुपुर्द किए गए लेनदेन	**–**	–

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxiv) खरीदी गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियों के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	–	–
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	–	–
उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्सरचित खातों की संख्या	–	–
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	–	–

(xxv) एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां	–	–

(xxvi) विनिमय व्यापारित ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्ज

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
विनिमय व्यापारित ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्ज	–	–

(xxvii) अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे	–	–

(xxviii) मात्रात्मक प्रकटन

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(i)	मुद्रा डेरिवेटिव्ज – प्रतिरक्षण	**795.16**	817.4
	बाजार-दर-बाजार स्थिति		
(क)	परिसम्पत्तियां	**-12.29**	60.32
(ख)	देयता	**12.89**	-13.73
(ii)	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज	–	–

(xxix) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन

वित्तीय वर्ष	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशियां		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की जोखिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
(i) वित्त वर्ष 2020-21	–	–	–	–	–
(ii) वित्त वर्ष 2019-20	–	–	–	–	–

(xxx) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो अभी स्टैण्ड-स्टिल अवधि में हैं)

विवरणं	सूचना की तारीख को बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनर्सरचित मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	–	–	–

(xxxi) 31 मार्च, 2021 को दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों (एस4ए) की लाभदायक संरचना हेतु योजना का प्रकटन

	खातों की संख्या, जहां एस4ए लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
वित्तीय वर्ष 2020-21					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	1	19.9692	5.39	14.57	6.85
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	1	92.71	46.19	46.52	43.12
वित्त वर्ष 2019-20					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	1	20.28	5.71	14.57	5.71
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	1	93.83	47.31	46.52	37.03

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxii) एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते, जो वर्तमान मे स्टेण्ड-स्टिल स्थिति में हैं)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व को बदलने का निर्णय लिया है	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी करना लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी किया गया है।		उन खातों के संबंध में सूचना तारीख की बकाया राशि, जहां नये शेयर जारी करके या प्रवर्तक की इक्विटी बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है।	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2020-21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष 2019-20	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(xxxiii) कार्यनीतिक ऋण पुनर्सरचना योजना का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टेण्ड-स्टिल स्थिति में है)

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां एसडीआर प्रभावी किया गया हो	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन किया गया हो	
		मानव के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानव के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2020-21	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष 2019-20	–	–	–	–	–	–	–

(xxxiv) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति :

31 मार्च, 2021 को

	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	–	27.03	339.20	298.85	519.12	718.55	–	–	1,902.75
बाजार उधार	26.20	0.30	–	545.07	2,343.17	493.29	1,848.59	3,340.76	8,597.38
जोड़	**26.20**	**27.33**	**339.20**	**843.92**	**2,862.29**	**1,211.84**	**1,848.59**	**3,340.76**	**10,500.13**
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	32.89	43.26	52.85	239.52	348.09	926.45	322.06	8,616.58	10,581.70
निवेश	1,421.07	–	137.96	–	400.00	89.16	–	3,748.36	5,796.55
जोड़	**1,453.96**	**43.26**	**190.81**	**239.52**	**748.09**	**1,015.61**	**322.06**	**12,364.94**	**16,378.25**

31 मार्च, 2020 को

	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
देयताएं									
बैंकों से उधार	–	25.00	400.69	109.38	1,006.52	1,214.57	25.00	–	2,781.16
बाजार उधार	0.45	5.00	164.54	167.40	476.39	3,208.02	1,623.59	3,541.94	9,187.33
जोड़	**0.45**	**30.00**	**565.23**	**276.78**	**1,482.91**	**4,422.59**	**1,648.59**	**3,541.94**	**11,968.49**
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	36.40	0.88	270.21	620.44	594.11	1,546.90	570.70	9,383.85	13,023.49
निवेश	325.51	–	–	–	16.17	627.12	152.07	3,965.16	5,086.03
जोड़	**361.91**	**0.88**	**270.21**	**620.44**	**610.28**	**2,174.02**	**722.77**	**13,349.01**	**18,109.52**

(xxxv) पुनर्सरचित खातों का प्रकटन

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाए)

क्रम सं.	संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के तहत					एसएमई ऋण पुनर्सरचना प्रणाली के तहत					अन्य					जोड़				
	परिसम्पत्ति वर्गीकरण		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानिकारक	जोड़
	विवरण																					
1	वित्त वर्ष के 01 अप्रैल, को पुनर्सरचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)'	ऋणियों की संख्या	–	–	2	–	**2**	–	–	–	–	–	0	1	11	0	**12**	–	**1**	**13.00**	–	**14**
		बकाया राशि	–	–	196.00	–	**196**	–	–	–	–	–	0	100	1,250.88	–	**1350.88**	–	**100**	**1,446.88**	–	**1546.88**
		उस पर प्रावधान	–	–	123.83	–	**123.83**	–	–	–	–	–	0.00	18.63	851.13	–	**869.76**	–	**18.63**	**974.96**	–	**993.59**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्सरचना #	ऋणियों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
		बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193.91	–	–	–	**193.91**	**193.91**	–	–	–	**193.91**
		किए गए प्रावधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.40	–	–	–	**19.40**	**19.40**	–	–	–	**19.40**
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्सरचित मानक श्रेणी को अपग्रेड करना	ऋणियों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
		बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	193.91	–	–	–	**193.91**	**193.91**	–	–	–	**193.91**
		किए गए प्रावधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.40	–	–	–	**19.40**	**19.40**	–	–	–	**19.40**
4	पुनर्सरचित मानक अग्रिम, जिन पर उच्चतर प्रावधान और/अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त जोखिम भार समाप्त हो गया है और इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में पुनर्सरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाए जाने की जरूरत नहीं है	ऋणियों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		किए गए प्रावधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्सरचित खातों की श्रेणी को कम करना	ऋणियों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	**2**	**0**	–	**1**	**1**	**2**
		बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97	337	**434.30**	–	–	**97.00**	**337.30**	**434.30**
		किए गए प्रावधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	337	**364.37**	–	–	**27.07**	**337.30**	**364.37**
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्सरचित खातों को बट्टे खाते डालना **	ऋणियों की संख्या	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**722.68**	–	–	–	–	–
		किए गए प्रावधान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**269.89**	–	–	–	–	–
7	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को पुनर्सरचित खाते (अन्तिम आंकड़े)*	ऋणियों की संख्या	–	–	2	–	**2**	–	–	–	–	–	4.00	–	11	1	**16.00**	**4**	**0**	**13**	**1**	**18**
		बकाया राशि	–	–	147.21	–	**147.21**	–	–	–	–	–	193.91	–	1045.17	337	**1576.38**	**193.91**	**0.00**	**1,192.38**	**337.30**	**1723.59**
		किए गए प्रावधान	–	–	124.04	–	–	–	–	–	–	–	19.40	–	580.63	337	**937.33**	**19.40**	**0.00**	**704.67**	**337.30**	**1061.37**

वर्ष के दौरान कोई पुनर्सरचना नहीं की गई थी, सूचित मामलों को पिछले वर्ष के प्रकटनों में अनजाने में छोड़ दिया गया था।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxvi) ईसीएल-आईएफसीआई लि. के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में प्रकटन

एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर(एनबीएफसी).सीसी.पीडी. संख्या109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार कम्पनी ने भारतीय लेखांकन 109 के अधीन क्षति भत्ते और भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतराल समायोजित किया है, इसलिए 34.54 रुपए को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

भारिबैंक के मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. के अनुसार सकल रखरखाव राशि	भा.ले.मा. 109 के अनुसार अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल रखरखाव राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा. 109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदण्डों के बीच अंतर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(4)-(6)
लाभकारी परिसम्पत्तियां						
मानक	स्टेज 1	1419.31	15.26	1404.05	5.68	9.58
	स्टेज 2	1153.69	114.01	1039.68	24.00	90.01
	स्टेज 3	207.69	119.61	88.08	0.83	118.78
जोड़		**2,780.69**	**248.88**	**2,531.81**	**30.51**	**218.37**
अलाभकारी परिसम्पत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	स्टेज 3	342.96	197.51	145.45	43.88	153.63
संदिग्ध-1 वर्ष तक	स्टेज 3	925.85	533.20	392.65	261.21	271.98
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	3402.75	2023.79	1378.96	2048.88	-25.09
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	2678.39	1753.99	924.40	2179.26	-425.27
अव-मानक के लिए उप-जोड़		**7,006.99**	**4,310.97**	**2,696.02**	**4,489.35**	**-178.38**
हानिकारक	स्टेज 3	451.06	260.06	191.0	451.06	(191.0)
एनपीए (ख) के लिए उप-जोड़		**7,801.01**	**4,768.54**	**3,032.47**	**4,984.29**	**(215.75)**
जोड़ (क+ख)		**10,581.71**	**5,017.42**	**5,564.28**	**5,014.81**	**2.62**
गारंटियों, ऋण प्रतिबद्धताओं जैसी अन्य मदे, जो भा.ले.मा. 109 के दायरे में आती है परन्तु चालू आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने (आईआरएसीपी) के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती	स्टेज 1	187.00	33.27		-	33.27
	स्टेज 2	-	-	-	-	-
	स्टेज 3	2,094.36	1,206.14	888.22	-	1,206.14
प्रोद्भूत आय (स्टेज 1)	स्टेज 1	27.21	-	27.21	-	-
	–	-				
	स्टेज 1	1,446.52	15.26	1,431.26	5.68	9.58
	स्टेज 2	1,153.69	114.01	1,039.68	24.00	90.01
	स्टेज 3	10,103.06	6,094.29	4,008.77	4,985.13	1,109.17
जोड़		**12,703.28**	**6,223.57**	**6,479.71**	**5,014.81**	**1,208.76**

(xxxvii) भारिबैंक के मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी - सिस्टिमीकल इम्पोर्टेंट नॉन-डिपाजिट टेकिंग कम्पनी और डिपाजिट टेकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार नकदी जोखिम प्रबन्धन ढांचे और नकदी कवरेज अनुपात पर मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रकटन

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों पर आधारित संकेन्द्रण (निक्षेपों और उधारों दोनों)

क. सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का %
(i)	20	**5,968.00**	54.70%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ii) 20 सबसे बड़े निक्षेप

क्र. सं.	प्रतिपक्षकार	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का %
		शून्य	

(iii) 10 सबसे बड़े उधार

क्र. सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	कुल उधारों का %
1	भारतीय स्टेट बैंक	**1,173.10**	10.75%
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	**778.22**	7.13%
3	पंजाब नेशनल बैंक	**650.90**	5.97%
4	केएफडब्ल्यू - विदेशी मुद्रा देयता	**409.83**	3.76%
5	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	**372.59**	3.42%
6	बैंक ऑफ बड़ौदा	**343.73**	3.15%
7	ट्रस्टीज जैब्स सी पी फण्ड	**271.15**	2.49%
8	आईओसीएल इम्प्लॉयज पीआरएमबी फण्ड	**260.00**	2.38%
9	दि साऊथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.	**221.11**	2.03%
10	फूड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया सीपीएफ ट्रस्ट	**165.70**	1.52%
11	ए पी एस आर टी सी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	**150.50**	1.38%
12	दि मुम्बई डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि.	**147.00**	1.35%
13	पावन ग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि फंड न्यास	**143.03**	1.31%
14	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम. एस. आर. टी. सी. सीपीएफ	**139.30**	1.28%
15	बैंक ऑफ इण्डिया	**134.00**	1.23%
16	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि. (रिफायनरी डिवीजन) कर्मचारी भविष्य निधि	**126.90**	1.16%
17	नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	**126.64**	1.16%
18	रामकृष्ण मिशन	**125.16**	1.15%
19	केएसआरटीसी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	**123.90**	1.14%
20	जीडब्ल्यूएसएसबी - ईसीपीएफ ट्रस्ट	**111.50**	1.02%
	जोड़	**5,974.25**	54.76%

(iv) महत्वपूर्ण प्रलेख/उत्पाद पर आधारित निधियन संकेन्द्रण

क्र. सं..	प्रलेख/उत्पाद का नाम	राशि (करोड़ रुपए)	कुल देयताओं का %
1	निजी रूप से धारित बांड	**5,541.09**	50.79%
2	सावधि ऋण	**1,902.75**	17.44%
3	अधीनस्थ बांड	**1,313.30**	12.04%
4	सार्वजनिक एनसीडीज	**1,161.36**	10.64%
5	विदेशी मुद्रा देयता	**409.83**	3.76%
6	कर मुक्त बांड	**310.00**	2.84%
7	जीरो कूपन बांड	**271.90**	2.49%
	जोड़	**10,910.23**	100.00%

(iv) महत्वपूर्ण प्रलेख/उत्पाद पर आधारित निधियन संकेन्द्रण

क्र. सं.	विवरण	%
क. (i)	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पेपर	**0.00**
(ii)	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पेपर	**0.00**
(iii)	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पेपर	**0.00**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख.. (i)	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचर (1 वर्ष से कम मूल परिपक्वता)	**0.00**
(ii)	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचर (1 वर्ष से कम मूल परिपक्वता)	**0.00**
(iii)	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचर (1 वर्ष से कम मूल परिपक्वता)	**0.00**
ग. (i)	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताएं	
(ii)	कुल देयताओं के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताए	**30.14**
(iii)	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधि देयताए	

टिप्पणी: स्टॉक अनुपातों का परिकलन करते समय बकाया मूलधन पर विचार किया गया है।

नकदी कवरेज अनुपात

विवरण	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए		31.12.2020 को समाप्त अवधि के लिए		30.09.2020 को समाप्त अवधि के लिए		30.06.2020 को समाप्त अवधि के लिए	
	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि
उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां								
कुल **उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)**	**96244.66**	55303	**96059**	52458	**77323**	54040	**85715**	50454
नकद बर्हिप्रवाह								
डेरिवेटिव जोखिम से सम्बन्धित बर्हिप्रवाह और अन्य संपार्श्विक अपेक्षा	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0
अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	**9088**	9088	**62267**	62267	**33193**	33193	**10735**	10735
अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0
कुल नकद बर्हिप्रवाह (1+2+3+4)	**9088**	9088	**62267**	62267	**33193**	33193	**10735**	10735
नकद अन्तरप्रवाह								
पूर्णत: कार्यनिष्पादन जोखिमों से अन्तर प्रवाह	**27389**	27389	**21179**	21179	**25893**	3884	**8196**	1229
ऋण श्रृंखला - क्रेडिट या नकदी सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधियन	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0
अन्य नकद अन्तर प्रवाह	**0**	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0
कुल नकद अन्तर प्रवाह	**27389**	27389	**21179**	21179	**25893**	3884	**8196**	1229
कुल एचक्यूएलए		55303		52458		54040		50454
कुल नकद बर्हिप्रवाह का 25%		2272		41088		29309		9506
नकदी कवरेज अनुपात		2434%		128%		184%		531%

आपकी कम्पनी ने पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए अनेक विवेकसम्मत उपाय किए हैं। एलसीआर के प्रमुख चालक ऋण अदायगी के कारण बर्हिप्रवाह और मानक पुनर्अदायगियों और एनपीए वसूली के कारण अन्तर प्रवाह हैं। बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार उपलब्ध अधिशेष निधियों का नियोजन मुख्य रूप से तरल पारस्परिक निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों (जी.सेक/खजाना बिलों), वाणिज्यिक पेपरों और अन्य मुद्रा बाजार प्रलेखों में किया जाता है। आपकी कम्पनी का यह प्रयास रहता है कि एलसीआर सुविधाजनक और निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत बना रहे।

56. 31.03.2021 को करंसी फ्यूर्चस सौदों में ओपन इन्ट्रस्ट

स्थिति (31/03/2021 की स्थिति अनुसार)

		मुल्य तिथि	प्रतिपक्षकार	समाहित यूनिटों की संख्या (यूरो एवं यूएसडी)
1	यूएसडी/भारतीय रुपए	28 जनवरी 2022	एसबीआई	52,464,300.00
2	यूरो/यूएसडी	28 जून 2021	एसबीआई	5,000,000.00
3	यूएसडी/भारतीय रुपए	29 जनवरी 2022	एसबीआई	43,000,000.00

57 विदेशी मुद्रा प्रकटन, जो डेरिवेटिव प्रलेख के तहत प्रतिरक्षित नहीं है अथवा अन्यथा 0.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर है (मार्च, 2020 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.001 मिलियन अमेरिकी डालर) और 0.250 मिलियन यूरो (मार्च, 2020 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.090 मिलियन यूरो), जो 2.15 करोड़ रुपए के बराबर है (मार्च 2020 को समाप्त पिछला वर्ष : 0.75 करोड़ रुपए)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

58 रेपो और रिवर्स रेपो लेन देनों के अधीन बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों के विवरण

		अवधि के दौरान अधिकतम बकाया	अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2019 को बकाया
रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
1	सरकारी प्रतिभूतियां	–	–	–
2	निगमित बांड	–	–	–
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतिया				
1	सरकारी प्रतिभूतियां	–	–	–
2	निगमित बांड	–	–	–

अधिकतम एवं औसत बकाया प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर आधारित है।

59 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक है, चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

आईएफसीआई लि. के सदस्यगण,

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** (जिसे इसमें आगे ''कम्पनी'' कहा गया है) और इसकी सहायक कम्पनियों (कम्पनी और सहायक कम्पनियों को मिलाकर ''समूह'' कहा गया है) और इसकी सहयोगी कम्पनियों की 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश व अन्य स्पष्टीकरण सूचना (जिसे इसमें आगे ''समेकित वित्तीय विवरण'' कहा गया है), की लेखांकन की है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसतें आगे अधिनियम कहा जाएगा) के तहत इस तरह अपेक्षित तरीके में अपेक्षित जानकारी देता है और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकर नियमों की अनुरूपता में सही एवं निष्पक्ष राय देता है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को समूह की समेकित कार्य स्थिति और समेकित हानि, उनकी समेकित कुल व्यापक हानि, उनका समेकित नकदी-प्रवाह और उस वर्ष में समाप्त इक्विटी में इसके समेकित परिवर्तन शामिल हैं।

राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपार्ट क **समेकित वित्तीय विवरण भाग की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों** में वर्णित है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति-संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं और नीतिपरक अपेक्षाएं जो कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरण की हमारी लेखा-परीक्षा के संगत हैं ओर हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति-संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

1. इम्फेसिस ऑफ मेटर

क) मुख्य रिपोर्ट में सूचित किए गए इम्फेसिस ऑफ मेटर

1. हम स्थगन अवधि अर्थात् 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के सम्बन्ध में 'ब्याज पर प्रभारित ब्याज' को रिवर्स करने के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 39(ii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
2. हम भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में धोखाधड़ी खातों पर पूर्ण क्षति भत्ते के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या 39(**iii**) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
3. हम कतिपय स्टेज-3 परिसम्पत्तियों पर आय को मान्यता न देने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या **39 (iv)** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। परिणामस्वरूप वर्ष के लिए हानि 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए का ईसीएल प्रावधान घटा कर) अधिक है और ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए तक कम हो गई हैं।
4. हम अपने वित्तीय परिणामों पर कोविड-19 महामारी का संस्था पर प्रभाव के सम्बन्ध में टिप्पणी संख्या **39(v)** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
5. 31.03.2021 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (-)10.81 प्रतिशत है जो भारिबैंक के दिनांक 31 मई, 2018 के परिपत्र (आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी) सीसी संख्या 092/03.10.001/2017-18 के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश से नीचे है।

इन मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

ख) मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के मामले में इम्फेसिस ऑफ मेटर

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42, जो जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय होने तक बैंक में लगातार मुकदमेबाजी के परिणाम के सम्बन्ध में है। प्रबन्धन द्वारा प्राप्त विधिक राय के अनुसार लाभ हानि विवरण में इसके लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई।

ख. प्राप्ति योग्य और देय राशियों के कुछ मामलों में प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त न होने के सम्बन्ध में मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के समेकित वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में।

''स्टॉक होल्डिंग डाक्युमेंट मेनेजमेंट सब्सिडियरी'' के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित मैटर ऑफ इम्फेसिस दिया है।

1. हम कम्पनी के परिसर में आग लगने के कारण तृतीय पक्षकार के प्रति कम्पनी की देयता के सम्बन्ध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।
2. हम कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के समेकित वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और कम्पनी भावी चुनौतियों के सम्बन्ध में लगातार स्थिति का मूल्यांकन कर रही है।

2. मुख्य रिपोर्ट में सूचित किए गए महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो लेखांकन के पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में किया गया और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों के सम्बन्ध में विवरण इन मामलों का निर्धारण नीचे इस प्रकार किया है:

क्र. सं.	मुख्य लेखा-परीक्षा मामले	लेखा-परीक्षा में हमारे मामले का कैसे समाधान किया गया
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति-प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या च(ख) के साथ पठित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 56 को देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है: • ईसीएल मॉडल - क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य चालक हैं। • विभिन्न स्टेजों के व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण - ऋणियों को ऋण और अग्रिमों के रखरखाव मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से असमानता हो सकती है, यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल का मूल्य समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए हमारी अहमियत से अधिक उपयुक्त परिणामों की संभावित श्रेणी सहित अत्यधिक अनुमानों की अनिश्चितता है।	हमारी लेखा-परीक्षा पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आन्तरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा-परीक्षा पद्धतियों में उनको अपनाया गया हैं: 1. ऋण परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण और वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा सहित, प्रविष्टि की जानी चाहिए। 2. किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचार या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच-परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/प्रलेखों की समीक्षा, कार्य-निष्पादन। 3. कोई प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा-परीक्षा और अन्य किसी लेखा-परीक्षा/निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित केडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके।

	अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का रखरखाव मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा-परीक्षा में मुख्य लेखा-परीक्षा मामला माना गया है।	4. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त पद्धति में आलोच्य आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 5. ईसीएल परिकलन में स्रोत पद्धतियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 6. भारिबैंक के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का निर्धारण। **हमारा निष्कर्ष:** हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान पर विचार किया है और इससे सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।
2.	**उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या च(ख) के साथ पठित स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 को देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और बाजार दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाओं की प्रविष्टि करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कतिपय डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण जोखिम के कारण एक मुख्य लेखा-परीक्षा मामले के रूप में डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन पर विचार किया जाता है तथा इस तथ्य का ध्यान रखना कि इन अपेक्षाओं के अनुचित उपयोग से आय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तरनिहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ अथवा हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तरनिहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य-दल को निदेश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ अथवा हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य-दल ने 31 मार्च, 2021 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य-विधियों और अन्य अन्तरनिहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और भारिबैंक के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। **हमारा निष्कर्ष:** हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।
3.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण** मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मेनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा-परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा-परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	**हमारी लेखा-परीक्षा पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:** सभी सहायक और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा **हमारा निष्कर्ष:** हमें निवेशों की वसूलनीयता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं मिला है और निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया गया है।

3. अन्य मामले

क) मुख्य रिपोर्ट में सूचित अन्य मामले

1. हमने छः सहायक कम्पनियों और छः स्टेप-डाउन सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा समेकित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में उपयुक्त समझा गया, 6757.83 करोड़ रुपए की कुल परिसम्पत्तियां, 742.76 करोड़ रुपए की कुल आय, 60.30 करोड़ रुपए का कर पश्चात निवल कुल लाभ और 454.37 करोड़ रुपए की कुल व्यापक आय (कर घटा कर) है। इन लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबन्धन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और इन समेकित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में शामिल राशियों और प्रकटनों का सम्बन्ध है तथा जहां तक तथा उपर्युक्त सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा(3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट का सम्बन्ध है, ये अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्ण रूप से आधारित है।
2. सहायक कम्पनी, मैसर्स आईएफसीआई फैक्टर्स लि. के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने राय दी है कि कम्पनी को 31.03.2021 को 1.20 करोड़ रुपए (बकाया का 10 प्रतिशत) की तदर्थ मंजूरी प्रदान करके 31.03.2021 को मानक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार अतिदेय राशि का समायोजन कर दिया गया और खाते का नियमित किया गया।
3. सहायक कम्पनी मैसर्स आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. के समेकित खाते के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा-परीक्षक ने यह राय दी है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने लेखांकन साफ्टवेयर टेली ईआरपी के माध्यम से अपने लेखांकन लेन-देन प्रौसेस करने की पद्धति का अनुसरण किया है। सभी वाउचरों का मैनुअली अनुमोदन किया गया और इनको टेली साफ्टवेयर में रखी गई खाता बहियों में दर्ज किया गया। तथापि यह देखा गया है कि इससे वित्तीय वर्ष की तिमाही में पिछली तारीखों को प्रविष्टियां दर्ज करने की संभावना होती है। तदनुसार कम्पनी में ऐसी बैक-डेट प्रविष्टियों, जिससे वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं, को रोकने के लिए टेली साफ्टवेयर के स्थान पर कोई उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति नहीं है।

क्रम संख्या 2 और 3 में दी गई उपर्युक्त टिप्पणियां समूह के समेकित कार्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए हमारी राय इन मामलों के सम्बन्ध में आशोधित नहीं है।

ख) आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. के संबंध में सूचित अन्य मामले

कम्पनी ने वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल में स्थित एक अवस्थापना परियोजना की इक्विटी पूंजी में 4.20 करोड़ रुपए की राशि निवेश की थी। यह परियोजना आज तक आंशिक रूप से कार्य कर रही है। भारतीय लेखांकन मानक प्रयोजन से उचित मूल्य यह दर्शाता है कि अनुमानित मूल्य लगभग 25 प्रतिशत निम्न है, जबकि मूल्यांकक इस बात का कोई विशेष कारण नहीं बता सका कि मूल्य में 25 प्रतिशत की सीमा तक कमी का कारण क्या है। तथापि परियोजना के वसूलनीय मूल्य के बारे में किसी विशेष सूचना के अभाव में हम इस सम्बन्ध में मूल्यांकक द्वारा दिए गए सर्वोत्तम अनुमानों पर विश्वास करते हैं।

ग) स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के संबंध में सूचित अन्य मामले

समग्र भारत में कोविड-19 के लगातार फैलाव से महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए 15 अप्रैल, 2021 को 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके परिणामस्वरूप, ग्राहकों के स्थलों का प्रत्यक्ष दौरा करने की रोक लग गई थी और आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, समग्र लेखा-परीक्षा कार्य प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को दूर से ही प्राप्त करके किया गया। हमने यह दर्शाया है कि हमारी लेखा-परीक्षा प्रयोजन से उपलब्ध कराए गए आंकड़े सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और ये बिना किसी मैनुअल आशोधन के कम्पनी की लेखांकन पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सृजित किए गए हैं। हम प्रयोक्ताओं के ध्यान में यह बात लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा उपर्युक्त परिस्थितियों में की गई है।

घ) मैसर्स आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. के संबंध में सूचित अन्य मामले

समग्र भारत में कोविड-19 के लगातार फैलाव से तमिलनाडू राज्य सरकार ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए 10 मई, 2021 को 14 दिन के कड़े लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे इस वायरत के फैलाव को रोकने के लिए इस रिपोर्ट की तारीख तक बढ़ा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, ग्राहकों के स्थलों का प्रत्यक्ष दौरा करने की रोक लग गई थी और आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, समग्र लेखा-परीक्षा कार्य प्रबन्धन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को दूर से ही प्राप्त करके किया गया। यह कार्य आईसीएआई के लेखा-परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड द्वारा जारी की गई ''मौजूदा कोविड 19 स्थिति के अधीन दूर दराज से लेखा-परीक्षा/ऑनलाइन लेखा-परीक्षा का संचालन करते समय विशेष रूप से विचार करना'' पर दी गई सलाह के आधार पर किया गया है। हमने यह दर्शाया है कि हमारी लेखा-परीक्षा प्रयोजन से उपलब्ध कराए गए आंकड़े सही, पूर्ण, विश्वसनीय हैं और ये बिना किसी मैनुअल आशोधन के कम्पनी की लेखांकन पद्धति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सृजित किए गए हैं।

हम प्रयोक्ताओं के ध्यान में यह बात लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा उपर्युक्त परिस्थितियों में की गई है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई संगत सूचना शामिल है परन्तु इसमें इस लेखा-परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को प्राप्त की गई सूचना सहित अन्य सूचना शामिल है, परंतु स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों, समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचना को कवर नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और, ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा-परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार, इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखांकन मानकों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते हैं।

समूह में शामिल कम्पनियों के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करते हुए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा उपयोग, उपयुक्त तथा विवेकसम्मत निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डों के सही होने तथा उनकी पूर्णत: सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू थे, के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है, जो सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं और यह महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखेबाजी या त्रुटि हो, से मुक्त हैं, जिनका उपयोग उपर्युक्तानुसार कम्पनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कम्पनियों के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड का उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित फर्म के रूप में बने रहने की कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करना है। प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित यथा प्रयोज्य मामलों को प्रकट करना और लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित फर्म का प्रयोग करना जब तक कि संबन्धित निदेशक बोर्ड या तो कम्पनी को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कम्पनियों के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की आशा की जाती है।

एसए के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेहवाद बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार और निष्पन्न करते हैं और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा-परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अधीन हम क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां हैं और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता।
- लेखांकन के प्रतिष्ठित फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह डाल सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को प्रतिष्ठित फर्म के रूप में जारी रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- समग्र प्रस्तुतिकरण, ढांचे और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल हैं, का मूल्यांकन करना और देखना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ शासन के संबंध में प्रभारियों से संपर्क करते हैं और हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में कोई उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा-परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते हैं।

हम शासन के लिए प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते है जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षापायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन करने वालों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) की अपेक्षा के अनुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप-निदेशों (क्रमश: भाग-क और भाग-ख) पर समूह के लिए अपनी रिपोर्ट **''अनुबंध-क''** में इसके साथ संलग्न करते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम जहां तक लागू होता है, हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

   (ख) हमारी राय में, कम्पनी ने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सम्बन्ध में विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त खाता-बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता-बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है;

   (ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ तथा हानि विवरण और समेकित नकद प्रवाह विवरण, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से रखी गई उपयुक्त खाता-बहियों के अनुरूप हैं;

   (घ) हमारी राय में उपरोक्त इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

   (ङ) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) कम्पनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है;

   (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में **''अनुबंध-ख''** के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; और

   (छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अत: निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती।

   (ज) कम्पनी (लेखा-परीक्षा तथा लेखा-परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

      i. समूह तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन इन समेकित वित्तीय विवरणों में किया है - समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 37 देखें;

      ii. समूह ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें;

      iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का अन्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:21099374एएएएईक्यू5946

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

समेकित वित्तीय विवरणों पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट की अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा 2 में निर्दिष्ट अनुबंध-क भाग क-निदेश

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>निदेश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देनों को प्रोसेस करने की प्रणाली है? यदि हां, तो वित्तीय उलझाव, यदि कोई हो, के सहित खातों की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों की प्रोसेसिंग के उलझाव को बताएं।</td><td>जी, हां, लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। आयकर संगणना और आस्थगित कर संगणना को हाथ से एमएस एक्सेल पर किया गया है, तथापि, दोनों के लिए लेखांकन लेन-देन केवल आईटी प्रणाली के माध्यम से पास किए जाते हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या ऋण को चुकाने के लिए कम्पनी की अक्षमता के कारण कम्पनी को उधारदाता द्वारा मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते वाले मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।</td><td>संदर्भाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा किसी ऋण की पुनर्संरचना नहीं की गई है।

ऋण को चुकाने की कम्पनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते वाले कोई मामले नहीं है।

तथापि, कम्पनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी में ऋणदाता के रूप में लेनदारियों/ऋणों/ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते वाले निम्नलिखित मामला (मामले) हैं। ऐसे बट्टे खाते डालने/छूट के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>देय राशियों का स्वरूप</th><th>मामलों की संख्या</th><th>राशि (करोड़ रुपए)</th></tr><tr><td>क.</td><td>ऋणों को बट्टे खाते डालना/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना</td><td>4</td><td>53.43</td></tr><tr><td>ख.</td><td>ऋणों को बट्टे खाते डालना</td><td>58</td><td>1.45</td></tr></table>
इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने वर्ष के दौरान 1424.07 करोड़ रुपए की ब्याज आय (स्टेज-3 आय) को बट्टे खाते डाला है।

कम्पनी ने ऋणदाता के रूप में 4 मामलों में एकमुश्त पुनर्संरचना की अनुमति दी है, जिसमें कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है।

यह सूचित किया गया था कि प्रत्येक मामले में वसूली/उगाही की संभावना का निर्धारण उपलब्ध प्रतिभूति, ऋणी/निवेशी की स्थिति और लम्बित मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए मामले-वार आधार पर छूट देने/बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने/छूट देने के मामले में बकाया राशि का खाता बहियों में बट्टे खाते डालने/छूट की सीमा तक पूर्णत: प्रावधान किया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उचित ढंग से हिसाब में लिया गया था। इसकी शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामले बताएं।</td><td>जी, हां, अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारंटी योजना के लिए प्राप्त निधियों को उचित ढंग से हिसाब में लिया गया था और योजना की शर्तों के अनुसार इसका उपयोग किया गया था।</td></tr>
</table>

भाग ख - उप-निदेश

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उप-निदेश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>निवेश:

क्या सीजीएस/एसजीएस/बांडों/ डिबेंचरों आदि के सम्बन्ध में स्वामित्वाधिकार विलेख भौतिक या डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये कुल मिलाकर कम्पनी की खाता-बहियों में दर्शाई गई राशियों से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो इसके विवरण दिए जाएं।</td><td>कम्पनी द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा कार्य-विधियों के आधार पर सीजीएस/एसजीएस/बांडों/डिबेंचरों आदि के स्वामित्वाधिकार विलेख भौतिक/डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये कुल मिलाकर कम्पनी की खाता बहियों में दिखाई गई सम्बन्धित राशियों के अनुरूप हैं, सिवाय नीचे दिए गए मामलों के :
(क) जहां शेयर डीमैट या भौतिक रूप में पड़े हैं परंतु टैस्ट चैक आधार पर पता लगाई गई सीमा तक इन्हें खाता बहियों के हिसाब में शामिल नहीं किया गया ।
<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>स्वरूप</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एसीसी लि.</td><td>डीमैट</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि.</td><td>डीमैट</td><td>4664</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>टाटा मोटर्स लि.</td><td>डीमैट</td><td>600</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>टाटा स्टील लि.</td><td>डीमैट</td><td>300</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>एशियन होटल्स (ईस्ट) लि.</td><td>डीमैट</td><td>265</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>एशियन होटल्स (नार्थ) लि.</td><td>डीमैट</td><td>265</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>एशियन होटल्स (वेस्ट) लि.</td><td>डीमैट</td><td>265</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>बंगाल एण्ड आसाम कम्पनी लि.</td><td>डीमैट</td><td>23</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>भीलवाड़ा टैक्नीकल टैक्सटाइल्स लि.</td><td>डीमैट</td><td>958</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>बिरला प्रिसीशियन टैक्नोलॉजी लि.</td><td>डीमैट</td><td>13</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>सिमको लि.</td><td>डीमैट</td><td>24,550</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>कोरोमंडल इन्टरनेशनल लि.</td><td>डीमैट</td><td>69,220</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>ईआईडी पैरी (इण्डिया) लि.</td><td>डीमैट</td><td>430</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>एवरेडी इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि.</td><td>डीमैट</td><td>200</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>एक्सल ग्लासिस लि.</td><td>डीमैट</td><td>50</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>गेबरियल इण्डिया लि. परवाणु</td><td>डीमैट</td><td>3,500</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>जीकेडब्ल्यू लि.</td><td>डीमैट</td><td>110</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>ग्रेफाइट इण्डिया लि.</td><td>डीमैट</td><td>366</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>गुजरात सिद्धि सीमेंट लि.</td><td>डीमैट</td><td>275</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>एचईजी लि.</td><td>डीमैट</td><td>1,785</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>हाई-टैक गीयर्स लि.</td><td>डीमैट</td><td>2,700</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो-अलॉयज लि.</td><td>डीमैट</td><td>89</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>आईटीसी लि.</td><td>डीमैट</td><td>67</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>जे के सीमेंट लि.</td><td>डीमैट</td><td>20</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>लार्सन एण्ड टुब्रो लि.</td><td>डीमैट</td><td>1,125</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.</td><td>डीमैट</td><td>130</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>पौनी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि.</td><td>डीमैट</td><td>64800</td></tr>
<tr><td>28.</td><td>रेनबो डेनिम लि.</td><td>डीमैट</td><td>40</td></tr>
<tr><td>29.</td><td>राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.</td><td>डीमैट</td><td>383</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र. सं.	उप-निदेश	उत्तर

30.	रिलायंस कैपिटल लि.	डीमैट	223
31.	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लि.	डीमैट	4,482
32.	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	डीमैट	335
33.	रिलायंस पावर लि.	डीमैट	1,120
34.	टाटा पावर कम्पनी लि.	डीमैट	900
35.	टीटागढ़ वैगन्स लि.	डीमैट	25
36.	अल्ट्रा टैक सीमेंट कम्पनी लि.	डीमैट	100
37.	विनसम टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	200
38.	जैनिथ लि.	डीमैट	38
39.	आदित्य बिरला कैपिटल लि.	डीमैट	194
40.	आदित्य बिरला फैशन एण्ड रिटेल लि.	डीमैट	483
41.	बांसवाड़ा सिन्टेक्स लि.	डीमैट	100
42.	कोर एड्यूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजीस लि.	डीमैट	3
43.	इरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग लि.	डीमैट	27
44.	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि.	डीमैट	139
45.	इण्डियन सीमलैस इन्टरप्राइजिस	डीमैट	1,028
46.	जे के इन्टरप्राइजिस लि.	डीमैट	100
47.	कामा होल्डिंग्स लि.	डीमैट	150
48.	रिलायंस होम फाइनेंस लि.	डीमैट	223
49.	वेस्टर्न इण्डिया शिपयार्ड लि.	डीमैट	30
50.	अंसल होटल	भौतिक	4727750
51.	आर्यवस्त्र प्लाईवुड लि.	भौतिक	60000
52.	भीलवाड़ा प्रौसेसर्स लि.	भौतिक	209998
53.	बॉयोटैक सैनर्जी	भौतिक	440000
54.	बीआर फूड्स	भौतिक	350000
55.	सिमको लि.	भौतिक	2860
56.	डीसीएम श्रीराम	भौतिक	16016
57.	डेपरो फूड्स	भौतिक	1320
58.	एस्सार कोटिड स्टील लि.	भौतिक	753000
59.	एक्सेलसियर प्लांट्स कम्पनी लि.	भौतिक	51998
60.	फलावर एण्ड टिशु इण्डिया लि.	भौतिक	500000
61.	ज्ञान आगरा इण्डस्ट्रीज लि.	भौतिक	1995
62.	ग्लोब युनाइटेड	भौतिक	3958
63.	गोल्डन पॉलीमार्बल्स लि.	भौतिक	380000
64.	हिन्द फूड लि.	भौतिक	300000
65.	हिंडाल्को इण्डिया	भौतिक	116
66.	जॉस पॉलीमर्स लि.	भौतिक	11000
67.	जेसीटी लि.	भौतिक	500315
68.	जेके पेपर लि.	भौतिक	27813
69.	किंजल इण्डिया समय लि.	भौतिक	123400
70.	महाराष्ट्र स्टील लि.	भौतिक	2995
71.	एमएम पौलीटैक्स लि.	भौतिक	100000
72.	मोदी अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स	भौतिक	784590
73.	मोहता इलेक्ट्रो स्टील	भौतिक	18361
74.	एमपी प्लाईवुड	भौतिक	25000
75.	नैना सैमीकंडक्टर लि.	भौतिक	509481
76.	ओरडे टैक्सटाइल्स	भौतिक	20000
77.	उड़ीसा सिन्थेटिक्स लि.	भौतिक	100
78.	ओशी फूड्स लि.	भौतिक	210000
79.	परफेक्ट ड्रग्स लि.	भौतिक	400000
80.	प्रतिभा सिन्टेक्स लि.	भौतिक	1250000
81.	पंजाब फाइबर लि.	भौतिक	87076
82.	पुनसुनी फ्राइन एण्ड कम्पोनेंट्स लि.	भौतिक	220000
83.	सौराष्ट्र कैमिकल्स लि.	भौतिक	1107024
84.	शमा फोर्ज	भौतिक	24863
85.	शमा फोर्ज (अधिमान शेयर)	भौतिक	7495
86.	एसआईईएल लि.	भौतिक	336348
87.	एसआईईएल शुगर लि.	भौतिक	300
88.	स्टेण्डर्ड वूलन्स	भौतिक	50000
89.	त्रिदेव डूपलैक्स बोर्ड प्राइवेट लि.	भौतिक	200000
90.	तिरुपति वूलन्स	भौतिक	59789
91.	ऊषा फोर्जिंग्स एण्ड स्टैम्पिंग	भौतिक	45000
92.	ऊषा फोर्जिंग्स एण्ड स्टैम्पिंग (अधिमान शेयर)	भौतिक	1968
93.	रेन इण्डस्ट्रीज लि.	भौतिक	115000
94.	ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लि.	भौतिक	2783

प्रबन्धन के अनुसार कम्पनी द्वारा अतीत में उक्त शेयरों को अंतरित किया गया है और विभिन्न कारणों से हितोपयोगी इन शेयरों का अन्तरण नहीं करा पाए हैं। उक्त शेयरों की परम्परागत कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उप-निदेश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ख) जहां शेयरों को बही खातों में हिसाब में लिया गया है परंतु ये टैस्ट चैक आधार पर चिन्हित सीमा तक डीमैट या भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं हैं।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कम्पनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>मिनरवा होल्डिंग लि.</td><td>120</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अजन्ता टैक्सटाइल लि. (अधिमान शेयर)</td><td>38219</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>बीएसटी मैन्युफैक्चरिंग लि. (अधिमान शेयर)</td><td>9920</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिग्विजय सिंथेटिक्स लि. (अधिमान शेयर) च</td><td>170000</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>आई सी टैक्सटाइल्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>952394</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>एलएमएल लि. (अधिमान शेयर)</td><td>2150912</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>मोरपेन लेबोरेटरीज लि. (अधिमान शेयर)</td><td>87373</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>ओसीएम इण्डिया लि.</td><td>589743</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>परसुरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>1389450</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>पराग बोसमी सिन्थेटिक्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>2614577</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>पुंज स्टील मशीन टूल्स प्राइवेट लि. (अधिमान शेयर)</td><td>150000</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>सैमकॉर ग्लास लि.</td><td>2000000</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>सर्दर्न विंड फार्मस प्राइवेट लि.</td><td>100000</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>स्टील एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>5980</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>त्रिवेणी मैटल ट्यूब्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>449</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>यूईल मेजर (आई) लि. (अधिमान शेयर)</td><td>39500</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>30000</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>अशोक पेपर मिल्स लि.</td><td>300000</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>असम इस्पात लि.</td><td>95900</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>बेल्लारी स्टील एण्ड एलायज लि. (अधिमान शेयर)</td><td>567260</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>काचर शुगर मिल्स लि. (अधिमान शेयर)</td><td>14953</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>कान्कास्ट प्रॉडक्टस लि.</td><td>45500</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लि.</td><td>400</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>मेघालय फाइटो कैमिकल्स लि.</td><td>39483</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>एसएण्डपी इंजीनियरिंग प्राडटक्स लि.</td><td>24094</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण
सभी पुनर्सरचित, पुनर्अनुसूचित, पुन: बातचीत द्वारा निपटाए गए सभी ऋणों के सम्बन्ध में क्या ऐसे सभी ऋणों के मद्दे उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक निर्धारण की कोई पद्धति है और वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस सम्बन्ध में कोई कमी, यदि कोई हो, के बारे में वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप में टिप्पणी की जा सकती है।</td><td>पुनर्सरचित, पुनर्अनुसूचित, पुन: बातचीत द्वारा निपटाए गए ऋणों सहित ऋण पोर्टफोलियो के लिए प्रतिभूतियों में वसूलनीय मूल्य के निर्धारण की एक पद्धति कार्यरत है और तिमाही आधार पर इसको अद्यतन किया जाता है। तथापि मूल्यांकन कार्य आवधिक आधार पर या कभी परिस्थितियों द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।
भारतीय लेखांकन मानक के स्वीकरण को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के वित्तीय लेखों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया जाता है। भारिबैंक के आईआरएसी मानको के गैर अनुपालन के परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों में क्षति को कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋणों के मामले में प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का परिकलन करके भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार परिकलन किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या बकाया ऋण राशि को दर्ज करने और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए कम्पनी द्वारा ऋणी के साथ समाधान योजना/एकमुश्त निपटान पर विचार किया गया है।</td><td>जी हां, बकाया ऋण राशि को दर्ज करने और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए कम्पनी द्वारा ऋणी के साथ समाधान योजना/एकमुश्त निपटान पर विचार किया गया है।</td></tr>
</table>

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:21099374एएएईक्यू5946

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध - ''ख''

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संयोजन में आईएफसीआई लि. (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है), इसकी सहायक कम्पनियां, जो उस तारीख को भारत में निगमित कम्पनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रकों की लेखा-परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियन्त्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदण्ड पर आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित है, के सम्बन्धित निदेशक बोर्ड का दायित्व है। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें सम्बन्धित कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा-परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा मार्गदर्शक टिप्पणी ("मार्गदर्शक टिप्पणी") तथा दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानको तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन के मानकों के अनुसार की है, जो आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखा-परीक्षा दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू होते हैं । इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखांकन का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियन्त्रण समग्रत: प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की प्रर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण दुर्बलता मौजूद होती है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के निरूपण का मूल्यांकन करने और परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच करना शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा-परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में ऐसी नीतियां और पद्धतियां शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं; (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथा आवश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं; और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रण अभिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के अन्तर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेण भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा पद्धतियों के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं, में महत्वपूर्ण रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पण ी में वर्णित वित्तीय नियन्त्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग आन्तरिक नियन्त्रण मानदण्ड पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते **मैसर्स एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 01411एन

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 099374
यूडीआईएन:21099374एएएईक्यू5946

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार समेकित तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I. परिसम्पत्तियां			
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	**1,179.73**	1,527.72
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	**1,340.71**	1,052.86
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**–**	50.04
(घ) ट्रेड से प्राप्य	6	**193.63**	192.67
(ड.) ऋण	7	**6,840.83**	10,767.31
(च) निवेश	8	**5,504.10**	3,962.55
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	**1,538.06**	1,039.15
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**16,597.06**	18,592.30
(2) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	10	**–**	–
(ख) सामान सूची		**88.63**	118.53
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**111.03**	276.31
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	11	**1,707.08**	1,635.93
(ङ) निवेश सम्पत्ति	12	**201.13**	206.01
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	13	**1,068.88**	1,017.73
(छ) कार्यशील पूंजी		**8.89**	4.28
(ज) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		**0.02**	0.01
(झ) गुडविल	14	**446.64**	446.64
(ञ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	**45.57**	49.82
(ट) अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	**77.88**	79.96
कुल गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां		**3,755.75**	3,835.22
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	17	**11.31**	11.28
कुल परिसम्पत्तियां		**20,364.12**	22,438.80
II. देयताएं एवं इक्विटी			
देयताएं			
(1) वित्तीय देयताएं			
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	**15.91**	–
(ख) देय राशियां			
(I) व्यापार देयताएं			
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		**0.40**	4.88
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	**409.92**	242.72
(II) अन्य देय राशियां			
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		**–**	–
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	**211.10**	192.50
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	**7,370.99**	7,973.93
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	**2,356.95**	3,279.11
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	**1,313.30**	1,313.30
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	**3,496.10**	2,871.52
कुल वित्तीय देयताएं		**15,174.67**	15,877.96
(2) गैर-वित्तीय देयताएं			
(क) प्रावधान	23	**152.39**	205.04
(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	**12.57**	28.75
कुल गैर वित्तीय देयताएं		**164.96**	233.79
(3) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	**1,895.99**	1,695.99
(ख) अन्य इक्विटी	26	**1,841.97**	3,553.04
मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		**3,737.96**	5,249.03
गैर नियंत्रक ब्याज		**1,286.53**	1,078.02
कुल इक्विटी		**5,024.49**	6,327.05
कुल देयताएं एवं इक्विटी		**20,364.12**	22,438.80

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I.	**परिचालनों से राजस्व**			
	ब्याज आय	27	**1,192.86**	2,254.92
	लाभांश आय		**27.74**	63.21
	किराया आय		**29.39**	28.17
	शुल्क एवं कमीशन आय	28	**46.98**	40.62
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	29	**196.55**	–
	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		**56.02**	13.84
	सेवाओं की बिक्री		**516.82**	471.23
	परिचालनों से कुल राजस्व		**2,066.36**	2,871.99
II.	**अन्य आय**	30	**27.45**	33.69
III.	**कुल आय**		**2,093.81**	2,905.68
IV.	**व्यय**			
	वित्त लागतें	31	**1,147.23**	1,451.27
	शुल्क एवं कमीशन व्यय		**60.57**	37.09
	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल हानि	29	**–**	245.92
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	32	**2,305.11**	473.40
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत		**30.31**	37.35
	व्यापार स्टॉक की खरीद		**21.40**	13.28
	कर्मचारी हित व्यय	33	**292.42**	326.06
	मूल्यह्रास व परिशोधन	34	**72.39**	81.34
	अन्य व्यय	35	**251.54**	330.25
	कुल व्यय		**4,180.97**	2,995.96
V.	**अपवादात्मक मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(2,087.16)**	(90.28)
	अपवादात्मक मदें		**(2.37)**	3.96
VI.	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**		**(2,084.79)**	(94.24)
VII.	**कर व्यय :**			
	- चालू कर		**17.50**	3.70
	- पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कराधान		**8.97**	44.38
	- आस्थगित कर (निवल)	11	**(199.68)**	80.89
	अवधि हेतु लाभ/(हानि)		**(173.21)**	128.97
VIII.	**अवधि हेतु लाभ/(हानि)**		**(1,911.58)**	(223.21)
	इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखागत निवल लाभ का हिस्सा		**–**	–
IX.	**अवधि हेतु लाभ/(हानि)**		**(1,911.58)**	(223.21)
X.	**अन्य समग्र आय**			
क.	(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन - इक्विटी प्रतिभूतियां		**542.33**	(119.94)
	- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) - इक्विटी प्रतिभूतियां		**–**	(5.12)
	- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमांकक लाभ/(हानि)		**0.42**	(4.46)
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर - इक्विटी प्रतिभूतियां		**(130.20)**	(15.37)
	- परिभाषित लाभ बाध्यता पर बीमांकक लाभ/(हानि) पर कर		**(0.07)**	19.76
	उप जोड़ (क)		**412.48**	(125.13)
ख.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - उचित मूल्य में निवल परिवर्तन		**2.35**	(10.76)
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां - लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		**–**	–
	- विदेशी मुद्रा परिचालन के वित्तीय विवरणों के अन्तरण में विनिमय अन्तराल		**(0.34)**	1.16
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तनों पर कर ऋण प्रतिभूतियां		**1.72**	18.72
	उप जोड़ (ख)		**3.73**	9.12
	अन्य समग्र आय (क + ख)		**416.21**	(116.01)
XI.	**अवधि हेतु कुल समग्र आय**		**(1,495.37)**	(339.22)
XII.	**मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय वर्ष हेतु लाभ**		**(1,941.51)**	(230.44)
	गैर-नियंत्रक ब्याज		**29.93**	7.23
XIII.	**मूल कम्पनी के इक्विटीधारकों को देय वर्ष हेतु कुल समग्र आय**		**(1,711.00)**	(310.65)
	गैर नियंत्रक ब्याज		**215.63**	(28.56)
XIV.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर बेसिक अर्जन		**(10.24)**	(1.36)
	प्रत्येक 10/- रुपए प्रति शेयर डायल्यूटिड अर्जन		**(10.24)**	(1.36)

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
क.	**परिचालन क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	कर-पूर्व निवल लाभ	**(2,084.79)**	(94.24)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**72.39**	81.34
	क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	**2,305.11**	472.29
	निवेशों पर अवसूलीकृत लाभ/(हानि)	**53.42**	(252.78)
	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	**(0.01)**	(7.41)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों तथा परिचालन क्रियाकलापों से पूर्व परिचालन लाभ	**346.12**	199.20
	परिचालन क्रियाकलापों के लिए समायोजन :		
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(1,050.30)**	1,734.49
	सामान सूची में (वृद्धि)/कमी	**29.90**	36.52
	ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**1,621.38**	2,473.92
	डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	**65.95**	(35.38)
	व्यापार देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**181.31**	60.42
	प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	**(0.96)**	(17.53)
	ऋणों प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	**(602.94)**	(1,360.12)
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(922.16)**	(2,467.79)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**(331.70)**	623.73
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां में (वृद्धि)/कमी	**(498.91)**	(118.57)
	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**1.66**	3.98
	अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**608.91**	175.11
	अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**(16.17)**	12.35
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(52.23)**	47.94
	अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	**(287.85)**	(113.91)
	बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**(0.03)**	46.66
	कराधान से पूर्व नकद-प्रवाह	**(244.62)**	53.57
	आयकर (प्रदत्त)/वापसी-निवल	**138.79**	(42.12)
	परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(437.53)**	635.18
ख.	**निवेश क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	प्सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत सम्पत्तियों सहित)	**(93.38)**	(38.50)
	निवेश सम्पत्तियों की बिक्री से आय	**–**	–
	अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	**(0.71)**	(1.00)
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	**(9.25)**	6.99
	निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**(103.34)**	(32.51)
ग.	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद-प्रवाह**		
	शेयर प्रीमियम (व्यय घटा कर)	**200.00**	200.00
	प्रदत्त लाभांश	**(7.12)**	(4.21)
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद-प्रवाह	**192.88**	195.79
	नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**(347.99)**	798.46
	जोड़ें: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	**1,527.72**	729.25
	वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**1,179.73**	1,527.72
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण:		
	हाथ में नकदी (डाक टिकटों सहित)	**4.39**	0.69
	बैंकों में शेष राशियां		
	- बैंक शेष	**916.32**	725.73
	- बैंक निक्षेप	**85.83**	801.30
	संपार्श्विक उधार परिचालन (सीबीएलओ)	**173.20**	–
	हाथ में व वसूली के अधीन तथा मार्गस्थ धन प्रेषण के अधीन चैक	**–**	–
	वर्ष के अंत में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**1,179.73**	1,527.72

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में है, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2019 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2021 को शेष
1,695.99	-	1,695.99	200.00	1,895.99

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष निधि													अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख	अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख	विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि	पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को कुल देय राशि	कुल गैर नियंत्रक ब्याज	जोड़
	मानित इक्विटी अंशदान शेयर धारक	आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	आरबीआई अधिनियम की धारा 45आईसी के तहत रिजर्व निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आ. नि. (फुट नोट 4)	पूंजी रिजर्व	आकस्मिक रिजर्व निधि	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	पूंजी मोचन रिजर्व निधि	ऋण पत्र मोचन रिजर्व निधि	समामेलन रिजर्व निधि	सामान्य रिजर्व निधि	क्षतिपूर्ति हानि रिजर्व निधि	प्रतिधारित आय							
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**335.82**		**923.57**	**136.74**	**0.85**	**11.60**	**1,032.06**	**300.05**	**260.08**	**(0.60)**	**366.61**		**167.24**	**9.52**	**82.71**	**(0.08)**	**34.50**	**3,660.68**	**1,110.79**	**4,771.47**
वर्ष हेतु कुल समग्र आय			0.10	-		11.90				-	3.31	111.56	(126.87)	7.96	(105.47)	0.61	16.68	(310.66)	(28.56)	(339.22)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि		200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00		200.00
भारतीय लेखांकन मानक 116 के लागू होने का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(1.13)	-			-	(1.13)		(1.13)
कर सहित प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.21)	(4.21)
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.16	-	-		-	4.16	-	4.16
31 मार्च, 2020 को शेष	**335.82**	**200.00**	**923.67**	**136.74**	**0.85**	**23.50**	**1,032.06**	**300.05**	**260.08**	**(0.60)**	**369.92**	**111.56**	**(187.05)**	**17.48**	**(22.76)**	**0.53**	**51.18**	**3,553.04**	**1,078.02**	**4,631.06**
वर्ष हेतु कुल समग्र आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,941.51)	4.07	226.37	(0.18)	0.25	(1,711.00)	215.63	(1495.37)
प्रतिधारित आय में/से अन्तरण			0.56			13.80					4.09	20.44	(38.93)		0.05			(0.00)		(0.00)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि		(200.00)																(200.00)		(200.00)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि		200.00																200.00		200.00
कर सहित प्रदत्त लाभांश																			(7.12)	(7.12)
अन्य													(0.08)					(0.08)		(0.08)
31 मार्च, 2021 को शेष	**335.82**	**200.00**	**924.23**	**136.74**	**0.85**	**37.30**	**1,032.06**	**300.05**	**260.08**	**(0.60)**	**374.01**	**132.00**	**(2,167.56)**	**21.55**	**203.66**	**0.35**	**51.43**	**1,841.97**	**1,286.53**	**3,128.50**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. **समूह सूचना**

क. पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड (''कम्पनी'') सार्वजनिक क्षेत्र में एक गैर-बैकिंग कम्पनी है। वर्तमान में सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई बीएसई एवं बीएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी पूरे स्प्रेक्ट्रम में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़कें, दूरसंचार, विद्युत, रीयल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसी ही अन्य सहयोगी उद्योग शामिल हैं। ग्रुप का पंजीकृत कार्यालय 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 पर है। अपनी सहायक कम्पनी के साथ कम्पनी को सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा गया है।

2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को ग्रुप द्वारा ''कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (''भा.ले.मा.'') के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए ग्रुप ने मूल लागत परिपाटी के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (''भारतीय जीएएपी'' अथवा ''पूर्ववर्ती जीएएपी'') के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया, जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशानिर्देश, अन्य सांविधिक प्रावधन एवं विनियम ढांचा शामिल है।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 28 जून, 2021 को समूह के निदेशक-मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

(ख) कार्यात्मक एवं दर्शाई गई मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यांकित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

(ग) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है:

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता-योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य घटाकर परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य।
- बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियां - उचित मूल्य घटाकर बिक्री लागत पर मूल्यांकित।

(घ) अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने आकलन, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान प्रासंगिक एवं उचित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

(ङ) समेकन के सिद्धान्त एवं इक्विटी लेखांकन

क. सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी कम्पनियां हैं, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह का कम्पनी पर नियंत्रण होता है, जब ग्रुप, कम्पनी में इसकी अन्तर्ग्रस्तता से परिवर्तनीय विवरणों का खुलासा हो अथवा इन पर अधिकार हो और कम्पनी के संगत क्रियाकलापों पर सीधे इसके अधिकार के जरिए उन विवरणियों को प्रभावित करने की क्षमता हो। सहायक कम्पनियां उस तारीख से पूरी तरह समेकित होती हैं, जिस तारीख को कंट्रोल को समूह को स्थानान्तरित किया जाता है, वे उस तारीख से विसमेकित हो जाते हैं जिस तारीख को कंट्रोल समाप्त हो जाता है।

समूह, मूल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को जोड़ता है, जिसमें वह परिसम्पत्तियों की मदों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति जोड़ता है। अन्तर कम्पनी लेन-देनों, शेषों तथा ग्रुप कम्पनियों के बीच लेन देनों पर वसूल नहीं किए गए लाभों को हटा दिया जाता है। वसूल किए गए हानियों को भी हटा दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन स्थानान्तरित परिसम्पत्ति की क्षति का साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। सहायक कम्पनियों की ग्रुप द्वारा अपनाई गई नीतियों के प्रति सुसंगता सुनिश्चित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, लेखांकन नीतियों के परिवर्तित किया गया है।

परिणामों में गैर-नियंत्रक ब्याजों एवं सहायक कम्पनियों में क्रमश: इक्विटी समेकित लाभ एवं हानि विवरण में, समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण में तथा तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

ख. सहयोगी कम्पनियां

सहयोगी कम्पनियां सभी वे कम्पनियां हैं, जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, परन्तु नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। सामान्यतौर पर यह ऐसा मामला होता है, जहां, समूह का 20% और 50% के बीच मताधिकार होता है। सहयोगी कम्पनियों में निवेश को शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी लेखांकन विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

ग. संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यमों में ब्याज को समेकित तुलनपत्र में शुरू में लागत पर मान्य होने के बाद इक्विटी विधि (नीचे (घ) को देखें) का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाता है।

घ. इक्विटी विधि

इक्विटी लेखांकन विधि के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद लाभ एवं हानि में निवेशकर्त्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानि के ग्रुप के शेयर को और अन्य समग्र आय में निवेशकर्त्ता के ग्रुप के अन्य समग्र आय के शेयर को मान्य करने के लिए इसके बाद समायोजित किया जाता है। सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले लाभांशों को निवेश की रखरखाव राशि में कटौती के रूप में मान्य किया जाता है।

(च) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समूह ने इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई सभी अवधियों पर निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया है।

क. राजस्व मान्यता

i. वित्तीय परिसम्पत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर ('ईआईआर') विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है, जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियां को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल रखरखाव लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तों को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है। ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियों अनर्जक क्रेडिट न हों) सकल रखरखाव राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो। तथापि,वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु, जो शुरूआती मान्यता के बाद अनर्जक क्रेडिट बन गए हैं, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्तियों के परिशोधित लागत हेतु प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है। यदि परिसम्पत्ति दीर्घकालिक क्रेडिट अनर्जक न हो, तब ब्याज आय का परिकलन सकल आधार पर प्रत्यावर्तित होता है। उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती मान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थे, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट - समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कम्पनी ने कुछ स्टेज 3 की परिसम्पत्तियों पर आय को अमान्य किया है। इसके अतिरिक्त स्टेज 3 की परिसम्पत्तियों पर ब्याज को 1 अप्रैल, 2021 से खाता बहियों में मान्यता नही दी जाएगी।

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों को, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति ऋणियों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय एकबारगी अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में परिभाषित तारीख-वार विनियोजित किया जाता है।

iv. ऋणों के पूर्व-भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तों के अनुसार दी जाती हैं।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाक्त लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

viii. वास्तविक अभिरक्षा सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ करारों के अनुसार मासिक आधार पर मान्य किया जाता है।

ix. दलाली आय को विनिमय द्वारा लेनदेनों के पुष्टिकरण पर लेनदेन की कारोबारी तारीख को मान्य किया जाता है।

x. प्राप्त सेवा शुल्कों को पिछले कारोबारी कार्य पूरे होने पर आय के रूप में मान्य किया जाता है। पिछले कारोबारी परिचालन को इलैक्ट्रोनिक खण्ड के तहत निपटान पर और पेपर खण्ड के तहत प्रतिभूतियों के दायर करने/सुपुर्दगी पर पूर्ण रूप में समझा जाता है।

xi. निक्षेपी सेवाओं के लिए लाभर्थी खाता धारकों/क्लीयरिंग सदस्यों से प्राप्त वार्षिक रखरखाव खर्चों को संविदा अवधि पर समानुपात आधार पर परिशोधित किया जाता है।

xii. नकारे गए/बाउंस्ड चेक पर संग्रहीत खर्चों को वास्तविक आधार पर मान्य किया जाता है।

xiii. डिजिटलाइजेशन एवं साफ्टवेयर सेवाओं से आय को समय अवधि में मान्य किया जाता है। साफ्टवेयर उत्पादों से प्राप्त आय को या तो उत्पाद की डिलीवरी अथवा संस्थान पर मान्य किया जाता है।

xiv. म्यूचुअल फण्डों की बिक्री से कमीशन संभाग प्रबंधन एवं सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त शुल्क आय तथा परियोजना सलाहकारी एवं निष्पादन सेवाओं के लिए फीस को समय अवधि पर हिसाब में लिया जाता है।

xv. आतिथ्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को बीमांकन आधार पर मान्य किया जाता है :

(i) बिक्री मूल्य को प्रकाशित रैकदर घटाकर ग्राहकों को दी गई छूट के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा में आय : दी गई सेवाओं के लिए बिलों को भारतीय रुपए में तैयार किया जाता है। इन बिलों के प्रति विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान को, भुगतान की तारीख में प्रचलित दर/दरों पर क्रेडिट किया जाता है और हिसाब में लिया जाता है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न लाभों/हानियों को वसूली पर हिसाब में लिया जाता है।

xvi. निर्मित परिसम्पत्तियों के रीयल इस्टेट विकास से प्राप्त राजस्व को या तो प्वाइंट इन टाइम या फिर अवधि पर मान्य किया जाता है। शर्तों जिनमें राजस्व को समयोपरि मान्य किया जाएगा:

क) ग्राहक कम्पनी के निष्पादन द्वारा, जैसा कम्पनी पूरा करती है, उपलब्ध कराए गए लाभों को साथ के साथ प्राप्त करती है और उपयोग में लाती है।

ख) कम्पनी का निष्पादन परिसम्पत्ति को सृजित करता है अथवा बढ़ाता है (अर्थात प्रक्रियारत कार्य) जिसे ग्राहक कंट्रोल करता है, जैसा कि परिसम्पत्ति सृजित होती है अथवा संवर्धित होती है।

ग) कम्पनी का निष्पादन कम्पनी के वैकल्पिक प्रयोग के साथ परिसम्पत्ति सृजित नहीं करता और कम्पनी का तारीख में पूरे किए गए निष्पादन हेतु भुगतान का प्रवर्त्तनीय अधिकार है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

xvii. परियोजना लागत में भूमि की लागत, ऐसे परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं विकास की अनुमानित लागत शामिल है। बिक्री योग क्षेत्र के अनुमानों एवं लागतों की आवधिक रूप में पुनरीक्षा की जाती है तथा ऐसे परिवर्तन अवधि में मान्य ऐसे अनुमानों में किन्हीं परिवर्तनों के प्रभाव को परिभाषित किया जाता है।

(i) बाहरी परियोजना सेवाओं से प्राप्त राजस्व को लागत जमा विधि के आधार पर मान्य किया जाता है। एक निश्चित उचित प्रतिशत निर्माण के संबंध में उपगत लागत में जोड़ा जाता है और जोड़ को राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व को प्वाइंट इन टाइम आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है जब शर्तों को समयोपरि पूरा नहीं किया जाता हो।

(ii) कारोबार स्टॉक में रखे सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व को उक्त परिसम्पत्ति के कंट्रोल के अन्तरण पर मान्य किया जाता है।

xviii. सहायता अनुदान (जीआईए)/राज्य सरकार के विभाग/अन्य एजेंसियों द्वारा सौंपे गए इसी तरह के अन्य कार्यक्रम के तहत परियोजना परामर्श उद्यमिता विकास प्रशिक्षण आदि पर आय एवं व्यय को समयोपरि आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब ग्रुप प्रालेख के संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाता है। वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन-देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम पर देय होते हैं (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरूआती मान्यता पर, जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है।

II. वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण एवं परवर्ती मूल्यांकन

शुरुआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

व्यावसायिक मॉडल मूल्यांकन

समूह व्यवसाय मॉडल का उद्देश्यपरक मूल्यांकन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यवसाय को व्यवस्थित करने के तरीके और प्रबंधन का उपलब्ध सूचना को अच्छी तरह दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है :

- पोर्टफोलियो हेतु ' परिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहारत: परिचालन, विशेषत: यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं; अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है ;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसके अपवाद। तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथकन में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में उल्लेख करता है वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को क्रियान्वित किया जाता है ;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है;

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनके आरम्भिक मान्यता के बाद पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने की दिशा में परिसम्पत्तियों को रखना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान हैं।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि घटाकर किसी अनर्जक क्षति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरुपित करती हैं, जो सिर्फ मूल एवं ब्याज के भुगतान हैं।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनर्जक हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।?

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों।

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहीत करके और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचकर दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकद प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन और ब्याज की अदायगियां हैं।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि को अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है और तुलन-पत्र में वित्तीय परिसम्पत्तियों की रखरखाव राशि कम नहीं की जाती।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख का मूल्यांकन सिर्फ एफवीपीटीएल पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तदन्तर इनका उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है एवं उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख ने आरंभिक माान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु धारित नहीं किया गया हो, समूह ओसीआई में उचित मूल्य में अपरिवर्तनीय रूप से परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकता है। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

समूह द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेख को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उन्हें हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद समूह की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। समूह द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्रतिफल में मान्य किया जाता है जो सीधे निवल लेनदेन लागतों पर आरोप्य होते हैं।

III. **मूल्यांकन का आधार**

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और फीस अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग हैं और जिसे वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके नहीं होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है क्रमिक लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर समूह उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धरेंत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करती है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन-देन किया जाता है। यदि क्रियाशील बाजार में कोई उद्धरत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्य निर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. **वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण/आशोधन**

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात समूह के तुलन-पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब:

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हों अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो ''पास-थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो; और या तो (क) समूह ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) समूह ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास-थ्रू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो; तो समूह अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। समूह अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करता है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो समूह ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

समूह वित्तीय देयता को तब अमान्य करता है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. **वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन**

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समायोजन किया जाता है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है, जब समूह को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ-साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VI. **वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति**

समूह सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए उस क्षति भत्ते को स्वीकार करता है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं
- पट्टा प्राप्य
- जारी की गई वित्तीय गारन्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर किसी क्षति हानि को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों के संभावित भारित अनुमान हैं। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं क्योंकि सभी नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव है।
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं - जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य को कम करता है जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है।
- वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं - जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में हैं।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं - जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो समूह को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे समूह प्राप्त करना चाहता है।

व्यापार प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, समूह कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि भत्ते का मूल्यांकन करता है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि भत्ते को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि भत्ते को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टेखाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब समूह यह निर्धारित करता है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है। तथापि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टेखाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो कभी भी कानूनी राय ले करके समूह की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अधीन रखा जा सकता है। की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

घ. **पट्टे**

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व को सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित की जाती हैं। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

I. **पट्टादाता के रूप में समूह**

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में समूह के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए परिभाषित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में समूह की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को निरन्तर आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ समूह की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष, जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हों, में मान्य किया जाता है।

II. **पट्टेदार के रूप में समूह**

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्यतौर पर संगत पट्टे की अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ पट्टादाता की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हों, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में, जिसमें वे उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

ड. **कर्मचारी लाभ**

i. **अल्प अवधि कर्मचारी लाभ**

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते हैं, जैसा कि संबंधित सेवा उपलब्ध हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. **नियोजन के बाद लाभ**

क. पारिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार के जब भी देय हो, मंहगाई और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते हैं। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। ग्रुप ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में पारिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि प्रशासन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक ग्रुप अधिवर्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

भविष्य निधि

आईएफसीआई से भिन्न ग्रुप कम्पनियां स्थानीय विनियमनों के अनुसार सार्वजनिक रूप से नियंत्रित भविष्य निधि में भविष्य निधि अंशदान करती है। एक बार अंशदान अदा करने पर समूह की और भुगतान देयता नहीं होती है। अंशदान को पारिभाषित अंशदान योजना के रूप में हिसाब में लिया जाता है और अंशदान को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है जब भी वे देय हो।

ख. पारिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

आईएफसीआई पूर्व परिभाषित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का परिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

समूह की उपदान के रूप में एक परिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबंधित निधि का संचालन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में समूह की वर्षान्त देयता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अंशदान को समूह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

समूह की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह की निवल देयता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है, जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई काटा गया हो, के लिए प्रतिफल में अर्जित किया जाता है।
ऐसे परिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को प्रक्षेपित प्रोदभूत लाभ विधि (वही जो प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि है) का प्रयोग करते हुए बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो प्रत्येक सेवा अवधि को कर्मचारी लाभ हकदारिता के अतिरिक्त यूनिट को बढ़ावा देने के रूप में मान्य किया जाता है और अंतिम देयता तैयार करने के लिए अलग से प्रत्येक यूनिट का मूल्यांकन करता है।

देयता को अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना के तहत देयता के वर्तमान मूल्य को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त छूट दरें तुलनपत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उत्पादन पर आधारित होती है। जब परिकलन समूह हेतु संभावित परिसम्पतियों में निष्पन्न होता हो, तो स्वीकृत परिसम्पति योजना के आगामी अंशदान में योजना से किन्हीं वापसियों के रूप में अथवा कटौतियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती हैं।

पारिभाषित लाभ योजना देयता में परिवर्तन सेवा, ब्याज तथा पुनर्मूल्यांकनों से उत्पन्न परिवर्तनों में द्विभाजित होता है तथा पारिभाषित लाभ योजना परिसम्पति में परिवर्तन ब्याज आय और पुनर्मूल्यांकन के बीच द्विभाजित होता है। सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत। आय के कारण परिवर्तन को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पति) का पुनर्मूल्यांकन जिसमें निम्न शामिल हैं, को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है।

- बीमांकक लाभ एवं हानियां;
- योजना परिसम्पतियों पर प्रतिफल जिसमें निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियां शामिल नहीं है।

iii. **अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

समूह की अवकाश नकदीकरण और अवकाश किराया रियायत के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया है। परिकलन, प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकक लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उद्‌भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। अवकाश किराया रियायत का प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार परिभाषित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (कर आधार एवं बही आधार के बीच अस्थायी अन्तरों के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल है। इसे काफी हद तक लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है, क्योंकि यह कारोबार संयोजन से संबंधित होता है अथवा इक्विटी अथवा ओसीआई में सीधे मान्य मदों से संबंधित होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

I. **चालू कर**

चालू कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजन पर देय कर शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर के किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान करके रूप में मान्य किया जाता है।

वर्तमान कर परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह :

(क) के पास कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतितुलित करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहता हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहता हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहता हो।

II. **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थिगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आंकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, इन्हें उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी कटौतियों को तब रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ में सुधार की संभावना हो।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनः परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कराधेय लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे, जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, आस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता है, जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए रिवर्स किया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे, जिसमें समूह अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं का समायोजन तभी किया जाता है, यदि समूह :

(क) चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधन प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि समूह उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

छ. **सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति**

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटाकर संचित मूल्यह्रास और संचित अनर्जक हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित सम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर-वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं।

निवेश सम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। समूह निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर सीधी कटौती विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II में परिभाषित है। मूल्यह्रास को यथा-अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन के माह को शामिल किया जाता है और बिक्री/निपटान के माह को शामिल नहीं किया जाता है। पट्टा भूमि सुधार को सीधी कटौती आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5% के रूप में माना जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में ''शून्य'' माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

कम्पनी के कारोबार एवं परिचालनों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एसएचसीआईएल तथा एसएचसीआईएल की स्टेप डाउन सहायक कम्पनी को कुछेक परिसम्पत्तियों के लिए कम समय वाली माना गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

परिसम्पत्ति का स्वरूप	अपनाई गई उपयोगी कार्य अवधि	कम्पनी अधिनियम में उपयोगी कार्य अवधि
कम्प्यूटर सर्वर्स एवं नेटवर्क	4 वर्ष	6 वर्ष
मोबाइल	2 वर्ष	5 वर्ष
वाहन	3 वर्ष	8 वर्ष
भवन	58 वर्ष	60 वर्ष
एसएचसीआईएल महापे भवन	63 वर्ष	60 वर्ष

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसे लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं मूल्यांकन

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे दिया जा सकता है अथवा आबंटित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर सीधे कटौती आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है। आईफिन के मामले में कम्प्यूटर साफ्टवेयर को 40% आगामी पुनरांकित मूल्य विधि की दर पर परिशोधित किया गया है।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न लाभों अथवा हानियों को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

(झ) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में, समूह अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखे सम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करता है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है; तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे-छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो पूर्व कर दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की राशि एवं जोखिम विशेष के समय मूल्य के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसे परिभाषित किया जाना होगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से अधिक नहीं होती, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ञ) विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन-देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेन देन के लिए बुक किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्‌भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (फेडाई) द्वारा सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हों, को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

आतिथ्य कारोबार से संबंधित विदेशी मुद्रा शेष राशियों को वर्ष के अन्त में टीटी खरीददारी दर के समापन पर परिवर्तित किया गया है।

(ट) दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब समूह की पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह आवश्यक होगा तथा बाध्यता की राशि को एक विश्वसनीय किया जा सकता है। प्रावधानों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्व कर दर है जो देयता के लिए विशिष्ट धनराशि एवं जोखिमों के समय मूल्य पर वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

(ठ) आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती हैं जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता नहीं हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभव हो सकती है, परन्तु संभवत: संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी; जिसकी राशि को विश्वसनीयता से आकलित नहीं किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान आवश्यक नहीं होते, परन्तु तब तक प्रकट किए जाते हैं, जब तक कि संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

(ड) नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में चालू खातों में बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चैक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधार बाध्यता लेन-देनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

(ढ) खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का समूह के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और समूह के परिचालन खण्डों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रस्तुत खण्ड सूचना पर अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 53 को देखें।

(ण) बिक्री हेतु परिसम्पतियां

परिसम्पतियों को बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यत: निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी रखरखाव राशि एवं उचित मूल्य घटाकर लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर परिसम्पतियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(त) उधार लागत

सामान्य एवं विशिष्ट उधार लागतें, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण, निर्माण अथवा मान्य परिसम्पतियों के उत्पादन पर देय होती हैं, उस अवधि में पूंजीकृत होती हैं, जब परिसम्पति को इसके अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए पूर्ण एवं तैयार करना आवश्यक हो। अर्हक परिसम्पतियां वो परिसम्पतियां हैं जो अपने अभिप्रेत प्रयोग अथवा बिक्री के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं। अर्हक परिसम्पतियों पर उनके व्यय तक विशिष्ट उधारियों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय को पूंजीकरण हेतु उपयुक्त उधार लागतों से कम किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिस अवधि में वे उद्‌भूत होते हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(थ) स्टॉक-इन-ट्रेड

(क) सामान सूची में भूमि शामिल है (जो स्थानान्तरणीय ढांचे के साथ अथवा इसके बगैर है), जिसमें मौजूदा/जोड़ी गई चारदीवारी, भूमि एवं भवन/आवासीय परिसर, विकास और/अथवा बिक्री हेतु अधिगृहीत/खरीदे गए निर्मित फ्लोर, उनमें मौजूद अन्य स्थानान्तरणीय/निपटान योग्य परिसम्पतियां शामिल हैं। इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, जो विशेष रूप से इस संबंध में उपगत खरीद/अधिग्रहण और अन्य खर्चों के कारण होते हैं।

(ख) आतिथ्य कारोबार की सम्पत्ति सूची में खरीदे गए उपभोज्य वस्तुओं का अन्त शेष शामिल होता है। मूल्यांकन हेतु विचारित लागत मूल्य का पता लगाने के लिए एफआईएफआई विधि का पालन किया जाता हैं। अन्त सामान सूचियों को लागत अथवा प्रतिस्थापक मूल्य, जो भी कम हो, पर अप्रचलन और नुकसान की व्यवस्था के बाद मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) कारोबार हेतु रखी प्रतिभूतियों और निपटान की प्रक्रिया में एसएचसीआईएल पर तैयार किए गए प्रतिभूतियों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में रखा जाता है और इन्हें निम्नतर लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

(घ) संपार्श्विक के रूप में प्राप्त या ग्राहकों द्वारा सीधे ही स्टॉक एक्सचैजों में जमा कराई गई जमा रशिदों की प्रतिभूतियों को संलग्न वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

3 नकद एवं नकद समतुल्य

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
हाथ में नकदी (डाक खर्च सहित)	**4.39**	0.69
बैंकों में शेष		
- बैंक शेष	**916.32**	725.73
- बैंक में जमा	**85.83**	801.30
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालनों (सीबीएलओ) (राजकोष बिलों के प्रति प्रतिभूत)	**173.20**	-
हस्तगत, वसूलनीय एवं मार्गस्थ प्रेषणाधीन चैक	**-**	-
जोड़	**1,179.73**	1,527.72

4 नकद एवं नकद समकक्ष से भिन्न बैंक शेष

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना के तहत कम्पनी के पास रखी निधि के प्रति बैंक निक्षेप		
- बैंक में शेष	**0.15**	0.06
- बैंक में जमा	**293.96**	281.09
अदावाकृत लाभांश खाता	**8.23**	10.69
बैंक में शेष (गारंटियों/चिन्हित पुर्नग्रहणाधिकार के प्रति मार्जिन राशि)*	**602.93**	371.17
न्यायालय और अधिकरणों आदि के निर्देशों से बैंक में जमा राशि #	**205.97**	231.66
अन्य बैंक शेष/निक्षेप#	**229.47**	158.19
जोड़	**1,340.71**	1,052.86
* 12 माह से अधिक अवधि हेतु शेष सहित	**472.25**	282.64
# 12 माह से अधिक अवधि हेतु शेष सहित	**26.85**	23.52

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	काल्पनिक राशि	**उचित मूल्य - परिसम्पतियां**	**उचित मूल्य - देयताएं**	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य - परिसम्पतियां	**उचित मूल्य - देयताएं**
भाग- I						
मुद्रा डेरिवेटिव्स:						
- तात्कालिक एवं वायदा	**795.16**	**-**	**15.91**	817.40	50.04	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग- I	**795.16**	**-**	**15.91**	817.40	50.04	-
भाग- II						
उपरोक्त (भाग-I) में सम्मिलित डेरिवेटिव हैं, जो निम्नानुसार प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित हैं:						
अविनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	**795.16**	**-**	**15.91**	817.40	50.04	-
जोड़ डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग- II	**795.16**	**-**	**15.91**	817.40	50.04	-

डेरिवेटिव्स का विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूलधन जोखिम की प्रतिरक्षा हेतु समूह द्वारा प्रयोग किया जाता है। डेरिवेटिव्स से उत्पन्न जोखिम के प्रबंधन हेतु टिप्पणी सं. 59 को देखें

6 प्राप्य राशियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) प्रतिभूत		
- शोध्य समझी गई	**3.76**	2.58
- संदिग्ध समझी गई	**-**	-
(ख) अप्रतिभूत		
- शोध्य समझी गई	**195.59**	191.46
- संदिग्ध समझी गई	**9.84**	23.45
- अन्य	**29.20**	13.92
	238.39	231.40
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**44.76**	38.74
जोड़	**193.63**	192.67

संबंधित पक्षकारों से ट्रेड प्राप्य एवं सम्बद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन के निबंधन एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 50 को देखें।

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिम हेतु समूह के जोखिम तथा ट्रेड प्राप्यों से संबंधित क्षति भत्ते का प्रकटन टिप्पणी 56 में किया गया है।

7 ऋण

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) परिशोधित लागत पर			
(i)	मियादी ऋण	**11,997.66**	15,968.78
(ii)	पट्टे पर देना	**0.04**	0.04
(iii)	फैक्टरिंग	**434.74**	501.74
(iv)	डिबेंचर	**1,065.14**	1,069.14
	जोड़ (क) - सकल	**13,497.58**	17,539.70
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,656.75**	6,772.39
	जोड़ (क) - निवल	**6,840.83**	10,767.31
(ख)	प्रतिभूति विवरण		
(i)	मूर्त और अमूर्त परिसम्पतियों द्वारा प्रतिभूत	**8,273.14**	11,225.88
(ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत	**205.46**	205.04
(iii)	अप्रतिभूत	**5,018.98**	6,108.78
	जोड़ (ख) - सकल	**13,497.58**	17,539.70
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,656.75**	6,772.39
	जोड़ (ख) - निवल	**6,840.83**	10,767.31
(ग)	भारत मे ऋण		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	**54.39**	421.75
(ii)	अन्य	**13,443.19**	17,117.95
	जोड़ (ग) - सकल	**13,497.58**	17,539.70
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**6,656.75**	6,772.39
	जोड़ (ग) निवल	**6,840.83**	10,767.31

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों हेतु तथा ऋणों के सम्बन्ध में हानि भत्ते के प्रति समूह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है

8 निवेश

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर: अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर: लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	अन्य	जोड़
31 मार्च, 2021 को							
(क)							
(i)	म्युचुअल फण्ड	-	-	1,155.07	-	-	1,155.07
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	**58.55**	**481.43**	-	-	-	539.98
(iii)	ऋण प्रतिभूतियां	-	**114.36**	-	-	-	114.36
(iv)	इक्विटी प्रलेख	-	**2,482.24**	653.68	-	-	3,135.91
(v)	अन्य	-	-	-	-	-	
	उद्यम पूंजी	-	-	114.50	-	-	114.50
	प्रतिभूति रसीदें	-	-	414.55	-	-	414.55
	वाणिज्यिक पेपर	-	**24.85**	-	-	-	24.85
	अधिमान शेयर	-	-	4.87	-	-	4.87
	जोड़ - सकल (क)	**58.55**	**3,102.88**	2,342.67	-	-	5,504.10
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	**58.55**	**3,102.88**	2,342.67	-	-	5,504.10
(ii)	भारत से बाहर निवेश	-			-	-	
	जोड़ - सकल (ख)	**58.55**	**3,102.88**	2,342.67	-	-	5,504.10
(ग)	घटाएं : क्षति हानि के लिए भत्ता		-		-		-
(घ)	**जोड़ - निवल (क-ग)**	**58.55**	**3,102.88**	2,342.67	-	-	5,504.10

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर अन्य समग्र आय के जरिए	उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए	उचित मूल्य पर लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर नामोदिष्ट	अन्य	जोड़
31 मार्च, 2020 को							
(क)							
(i)	म्युचुअल फण्ड	-	-	90.70	-	-	90.70
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	**72.38**	**632.47**	-	-	-	704.85
(iii)	ऋण प्रतिभूतियां	-	**198.78**	-	-	-	198.78
(iv)	इक्विटी प्रलेख	-	**1,939.93**	436.10	-	-	2,376.03
(v)	अन्य						
	उद्यम पूंजी	-	-	117.68	-	-	117.68
	प्रतिभूति रसीदें	-	-	447.06	-	-	447.06
	निक्षेप प्रमाणपत्र	-	-		-	-	-
	अधिमान शेयर	-	-	27.46	-	-	27.46
	जोड़ - सकल (क)	**72.38**	**2,771.17**	1,119.00	-	-	3,962.55
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	**72.38**	**2,771.17**	1,119.00	-	-	3,962.55
(ii)	भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
	जोड़ - सकल (ख)	**72.38**	**2,771.17**	1,119.00	-	-	3,962.55
(ग)	घटाएं : क्षति हानि के लिए भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ)	**जोड़ - निवल (क-ग)**	**72.38**	**2,771.17**	1,119.00	-	-	3,962.55

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिम हेतु तथा ऋणों के सम्बन्ध में हानि भत्ते के प्रति समूह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है

9 अन्य वित्तीय परिसम्पतियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रतिभूति निक्षेप	**124.56**	155.35
प्रोद्भूत आय		
-निवेशों पर ब्याज	**21.24**	27.43
-अन्य आय	**15.06**	26.99
अबिलीकृत राजस्व	**17.18**	16.61
क्लियरिंग हाउस से निपटान पर देय राशियां	**136.57**	22.52
कम्पनियों में सावधि जमा राशियां	**-**	38.34
स्टाम्प शुल्क भुगतान के संबंध में सरकार से वसूलनीय राशि	**7.93**	0.03
ग्राहकों एवं दलालों, अन्यों से निपटान पर देय राशियां	**1,057.43**	645.05
अन्य अग्रिम प्राप्य	**49.47**	19.74
कर्मचारियों को ऋण	**28.93**	28.98
अन्य निक्षेप राशियां	**88.93**	68.09
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	**12.12**	12.12
अन्य प्राप्य राशियां	**58.20**	51.37
	1,617.61	1,112.63
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**79.55**	73.48
जोड़	**1,538.06**	1,039.15

क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिम हेतु तथा ऋणों से संबंधित क्षति भत्ते के प्रति समूह का प्रकटन टिप्पणी 56 में व्यक्त किया गया है

10 इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सहयोगी कम्पनियों में निवेश	–	–
संयुक्त उद्यमों में निवेश	–	–
जोड़	**0.00**	0.00

11. आस्थगित कर परिसम्पतियां एवं देयताएं

	01 अप्रैल, 2020 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	**31 मार्च 2021 को**
आस्थगित कर परिसम्पतियां					
ऋण	1,718.74		276.55	–	**1,995.29**
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट हकदारिता	–		–	–	**–**
अन्य	81.60		(118.81)	(0.07)	**(37.26)**
	1,800.34	**–**	**157.74**	**(0.07)**	**1,958.03**
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	246.30	–	(4.87)	–	**241.43**
निवेश	(153.04)	–	(26.77)	128.48	**(51.33)**
धारा 36 (i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	–	-	–	**46.72**
उधार	24.43	–	(10.30)	–	**14.13**
	164.41	–	(41.94)	128.48	**250.95**
निवल आस्थगित कर परिसम्पतियां	**1,635.93**	**–**	**199.68**	**(128.55)**	**1,707.08**

12 निवेश सम्पत्ति

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च 2021 को**	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च 2021 को**	**31 मार्च 2021 को**	31 मार्च 2020 को
स्वामित्व वाली परिसम्पतियां										
फ्री-होल्ड भूमि	9.84	–	–	**9.84**	–	–	–	**–**	**9.84**	9.84
भवन	202.22	–	–	**202.22**	13.87	4.71	–	**18.58**	**183.64**	188.35
फ्लैट	9.29		–	**9.29**	1.51	0.15	–	**1.66**	**7.63**	7.79
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पतियां										
पट्टाकृत भूमि	0.02	–	–	**0.02**	–	–	–	**–**	**0.02**	0.02
जोड़	**221.38**	**–**	**–**	**221.38**	15.38	4.86	-	**20.24**	**201.13**	206.01

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2020 को	1 अप्रैल 2019 को
स्वामित्व वाली परिसम्पतियां										
फ्री होल्ड भूमि	9.84	–	–	9.84	–	–	–	–	9.84	9.84
भवन	202.22	–	–	202.22	10.44	4.70	1.28	13.87	188.35	191.78
फ्लैट	9.29	–	–	9.29	1.36	0.15		1.51	7.79	7.93
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पतियां										
पट्टाकृत भूमि	0.02	–	–	0.02	–	–	–	–	0.02	0.02
जोड़	**221.38**	**–**	**–**	**221.38**	11.80	4.85	1.28	15.38	206.01	209.58

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य

	31 मार्च, 2021 को*	31 मार्च, 2020 को
फ्री होल्ड भूमि	**12.60**	12.60
पट्टे पर दी गई भूमि	**0.73**	0.73
भवन	**311.85**	311.85

* देश की मौजूदा भू-सम्पदा स्थिति और लम्बे समय से कोविड-19 पर विचार करते हुए 31 मार्च, 2020 के उचित मूल्य को ही 31 मार्च, 2021 के लिए रखा गया है।

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. **उचित मूल्य क्रमानुक्रम**

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें मूल्यांकित किए जा रहे सम्पत्ति का स्थान एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताएं एवं नवीनतम अनुभव शामिल हैं।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य मूल्यांकन को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी के इनपुटों के आधार पर तीन स्तरीय उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. **मूल्यांकन तकनीक**

समूह प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करता है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित की सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। बिक्रियों का विश्लेषण करके, जो इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच ''आर्म-लेन्थ लेन-देन के रूप में मान्य हो, समायोजन, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के विरुद्ध तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब प्रयोग किया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

13 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
स्वामित्व वाली परिसम्पतियां										
फ्री होल्ड भूमि	114.67	46.39	(0.03)	**161.09**	–	–	–	**–**	**161.09**	114.67
भवन	598.10	35.44	–	**633.54**	36.66	15.62	0.04	**52.24**	**581.30**	561.44
पट्टा भूमि सुधार	2.34	1.23	0.01	**3.56**	0.66	0.51	0.01	**1.17**	**2.39**	1.68
संयंत्र एवं मशीनरी	95.00	10.14	0.03	**105.11**	20.21	8.20	0.02	**28.39**	**76.72**	74.79
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	26.09	0.37	0.04	**26.41**	19.61	1.62	0.03	**21.19**	**5.22**	6.48
वाहन	3.40	0.24	0.85	**2.80**	1.67	0.75	0.50	**1.92**	**0.88**	1.73
कार्यालय उपकरण	48.44	4.06	0.64	**51.85**	30.48	9.14	0.61	**39.00**	**12.85**	17.96
इलैक्ट्रिकल संस्थापन एवं उपकरण	11.84	0.12	0.14	**11.82**	9.04	1.11	0.06	**10.08**	**1.73**	2.80
पट्टाधीन परिसम्पतियां										
फ्री होल्ड भूमि	264.42	–	–	**264.42**	28.25	9.47	–	**37.72**	**226.70**	236.18
जोड़	1,164.30	97.98	1.68	**1,260.60**	146.57	46.42	1.27	**191.72**	**1,068.88**	1,017.73

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				निवल ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को
स्वामित्व वाली परिसम्पतियां										
फ्री होल्ड भूमि	114.67	**–**	**–**	**114.67**	–	–	–	**–**	**114.67**	114.67
भवन	**602.78**	**22.46**	**27.14**	**598.10**	31.31	15.02	9.67	**36.66**	**561.44**	571.47
पट्टा भूमि सुधार	**2.44**	**0.67**	**0.77**	**2.34**	0.38	0.51	0.23	**0.66**	**1.68**	2.06
संयंत्र एवं मशीनरी	**84.75**	**17.24**	**6.99**	**95.00**	13.77	8.80	2.36	**20.21**	**74.79**	70.98
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	**24.04**	**2.07**	**0.02**	**26.09**	12.35	7.27	0.01	**19.61**	**6.48**	11.68
वाहन	**2.27**	**1.20**	**0.07**	**3.40**	1.17	0.64	0.14	**1.67**	**1.73**	1.11
कार्यालय उपकरण	**37.92**	**11.13**	**0.61**	**48.44**	19.91	11.08	0.51	**30.48**	**17.96**	18.01
इलैक्ट्रिकल संस्थापन एवं उपकरण	**11.46**	**0.38**	**–**	**11.84**	6.38	2.72	0.06	**9.04**	**2.80**	5.08
पट्टाधीन परिसम्पतियां										
फ्री होल्ड भूमि	264.06	0.36	–	264.42	18.77	9.49	0.01	28.25	236.18	245.29
जोड़	**1,144.40**	**55.50**	**35.60**	**1,164.30**	104.04	55.52	12.99	**146.57**	**1,017.73**	1,040.35

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

14 **गुडविल**

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सकल ब्लॉक		
(i) आरम्भ शेष	**446.64**	446.64
(ii) परिवर्धन	**–**	–
(iii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	**–**	–
(iv) निपटान	**–**	–
(v) अन्य समायोजन	**–**	–
(vi) अन्त शेष	**446.64**	446.64
क्षति प्रावधान		
(i) आरम्भ शेष	**–**	–
(ii) व्यावसायिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	**–**	–
(iii) अवधि हेतु क्षति	**–**	–
(iv) निपटान	**–**	–
(v) प्रावधान में रिवर्सल	**–**	–
(vi) अन्य समायोजन	**–**	–
(vii) अन्त शेष	**–**	–
निवल गुडविल	**446.64**	446.64

15 अन्य अमूर्त परिसम्पतियां

	सकल ब्लाक				**मूल्यह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2020 को	परिवर्धन	निपटान	**31 मार्च, 2021 को**	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2021 को**	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	13.94	0.71	0.48	**14.17**	10.00	2.22	0.48	**11.75**	**2.42**	3.93
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	71.56	16.23	-	**87.79**	26.23	18.83	-	**45.06**	**42.72**	45.33
लाइसेंस एवं बिक्री केन्द्र	1.80	-	1.20	**0.60**	1.25	0.12	1.20	**0.17**	**0.43**	0.55
जोड़	87.31	16.94	1.68	**102.57**	37.49	21.17	1.68	**56.99**	**45.57**	49.82

	सकल ब्लाक				**मूल्यह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	1 अप्रैल, 2019 को	परिवर्धन	निपटान	**31 मार्च, 2020 को**	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	**31 मार्च, 2020 को**	**31 मार्च, 2020 को**	31 मार्च, 2019 को
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	11.10	2.84	-	**13.94**	6.67	3.34	-	**10.00**	**3.93**	4.43
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	-	71.68	0.12	**71.56**	-	26.28	0.04	**26.23**	**45.33**	-
लाइसेंस एवं बिक्री केन्द्र	1.20	0.60	-	**1.80**	1.13	0.12	-	**1.25**	**0.55**	0.07
जोड़	12.30	75.12	0.12	**87.31**	7.80	29.73	0.04	**37.49**	**49.82**	4.51

16 **अन्य गैर-वित्तीय परिसम्पतियां**

	31 मार्च, 2021 को	1 अप्रैल, 2017 को
पूंजी अग्रिम	**3.86**	7.47
पूर्व प्रदत्त व्यय	**17.09**	14.95
भविष्य निधि – परिसम्पत्ति*	**13.20**	20.95
सांविधिक देय राशियां	**15.97**	17.12
अन्य परिसम्पत्तियां	**27.76**	25.56
	77.88	86.05
घटाएं – क्षति हानि हेतु प्रावधान	**–**	6.09
जोड़	**77.88**	79.96
*भविष्य निधि देयता को घटा कर	**81.69**	81.08

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पतियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
फ्री होल्ड भूमि	**3.77**	3.77
विकास वित्तपोषण व्यवस्था के तहत सहायता (एयूएफ) - सहयोगी कम्पनियां	**7.54**	7.50
जोड़	**11.31**	11.28

18 देय राशियां

ट्रेड देय राशियां	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	**0.40**	4.88
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	**409.92**	242.72
जोड़	**410.32**	247.61

अन्य देय राशियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों को देय कुल बकाया		–
सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों को छोड़कर क्रेडिटरों को देय कुल बकाया	**211.10**	192.50
जोड़	**211.10**	192.50

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 2021 को आपूर्तिकर्ताओं को अतिदेय राशियां 0.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.88 करोड़ रुपए) है। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी अपेक्षित है, जिसका निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिनिर्धारित ऐसे पक्षकारों की मौजूदा स्थिति तक निर्धारित की गई है।

19 ऋण प्रतिभूतियां

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क)	**परिशोधित लागत पर**		
(i)	**गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर**		
	- 6.00% एलआईसी - 28.12.2021 को विमोच्य	**193.57**	185.61
	- 6.00% एसबीआई - 25.01.2022 को विमोच्य	**192.85**	184.96
	- 9.37% एलआईसी - 01.04.2022 को विमोच्य	**418.19**	418.18
(ii)	**बाण्ड**		
	- निजी रूप से धारित बाण्ड	**3,606.71**	3,979.96
	- निजी रूप से धारित जीरो कूपन बॉण्ड	**271.90**	247.79
	- अवसंरचना बाण्ड	**896.27**	1,256.61
	- अन्य	**230.21**	259.33
	घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(430.08)**	(549.88)
(iii)	**कर मुक्त बाण्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूत)**		
	- अन्यों द्वारा धारित	**265.00**	265.00
(iv)	**एनसीडी का पब्लिक इश्यू -**		
	प्रतिभूत, मोच्य गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर प्लवमान प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
	- अन्यों द्वारा धारित	**1,208.27**	1,199.37
	- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	**(56.90)**	(48.00)
(v)	*निजी रूप से धारित बाण्ड (आईएफसीआई लि. की प्राप्य राशियों पर प्लवमान प्रभार एवं सरकारी प्रतिभूतियों पर लियन द्वारा प्रतिभूत गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर)*		
	अन्य (बाण्ड/डिबेंचर आदि)	**575.00**	575.00
	जोड़ (क)	**7,370.99**	7,973.93
(ख)	**भारत में और भारत से बाहर**		
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**7,370.99**	7,973.93
(ii)	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-
	जोड़ (ख)	**7,370.99**	7,973.93

निजी रूप से धारित बाण्डों में 331.84 करोड़ रुपए के बाण्ड शामिल है, जिस पर निर्गम के समय भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी। इन बाण्डों को बाद में भारत सरकार के तत्ववाधान में 24 नवम्बर एवं 2 दिसम्बर, 2002 में स्टेकहोल्डर्स की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिपक्वता की तारीख को 10 वर्ष के लिए पुन: बढ़ाया गया था, परन्तु गारण्टी को बनाए नहीं रखा गया। तथापि, निवेशकों की ओर से भारत सरकार को बढ़ाई गई इस अवधि के दौरान इन बाण्डों की गारण्टी के लिए अनुरोध किया गया था और तदनुसार, इन बाण्डों को लेखों की टिप्पणियों में तथ्य के उचित प्रकटन के साथ 31 मार्च, 2013 तक भारत सरकार द्वारा गारंटी दिए गए बाण्डों के तहत दर्शाया गया था। चूंकि, ऐसे सभी बाण्डों की अवधि को मार्च, 2012 तक बढ़ाया गया है और भारत सरकार ने बढ़ाई गई अवधि के दौरान गारण्टी प्रदान नहीं की है, ऐसे पूर्व में बढ़ाए गए सरकारी गारंटी वाले बाण्ड उपरोक्त 31 मार्च, 2021 को निजी रूपी से रखे गए बाण्डों के तहत समूहित हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

20 उधार (जारी ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) परिशोधित लागत पर			
(i)	मियादी ऋण		
	- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	**1,782.56**	2,650.57
	- अन्य पक्षकारों से		
	- वित्तीय संस्थानों से	**94.10**	90.74
	- केएफडब्ल्यू ऋण शृंखला से	**409.83**	424.84
(ii)	बैंकों से मांग पर पुनर्देय योग्य ऋण	**70.46**	112.96
(iii)	अन्य	**-**	-
जोड़ (क)		**2,356.95**	3,279.11
(ख)	**भारत में/भारत से बाहर**		
(i)	भारत में उधार	**1,947.12**	2,854.27
(ii)	भारत से बाहर उधार	**409.83**	424.84
जोड़ (ख)		**2,356.95**	3,279.11

40.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 59.73 करोड़ रुपए) का मियादी ऋण समरूप आधार पर आईएफसीआई फैक्टर्स लि. के फैक्टर्ड ऋण के दृष्टिबंधक के रूप में प्रतिभूत किया गया।

11.14 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 29.04 करोड़ रुपए) की मांग पर देय बैंकों से ऋण को आईएफसीआई फैक्टर्स लि. से प्राप्य फैक्टर्ड ऋण का समरूप प्रभार दृष्टिबंधक के रूप में पर प्रतिभूत किए गए हैं और 19.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 24.19 करोड़ रुपए) स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. द्वारा निश्चित निक्षेप, नकद व नकद समकक्ष के दृष्टिबंधक के रूप में प्रतिभूत किए गए।

21 अधीनस्थ देयताएं

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(क) **परिशोधित लागत पर**			
(i)	अधीनस्थ - टियर-II बाण्ड	**1,464.29**	1,441.03
	- घटाएं: प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज	**(150.99)**	(127.73)
जोड़ (क)		**1,313.30**	1,313.30
(ख)	**भारत में/भारत से बाहर**		
(i)	भारत में अधीनस्थ देयता	**1,313.30**	1,313.30
(ii)	भारत से बाहर अधीनस्थ देयता	**-**	-
जोड़ (ख)		**1,313.30**	1,313.30

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बांडों और उधारों पर प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज	**1,074.34**	1,173.32
अप्रतिभूत ऋण	**(0.54)**	-
प्रतिभूति निक्षेप	**11.81**	13.55
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	**0.23**	0.24
अनुसूचित जाति क्रेडिट गारण्टी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा धारित)	**294.65**	281.75
अदावाकृत मोचन आय एवं राहत व बचत बाण्डों पर ब्याज	**19.52**	20.00
निकासी गृह, ग्राहकों एवं दलालों को निपटान पर देय राशियां	**1,197.23**	662.93
स्टाम्प शुल्क संग्रहण के संबंध में सरकार को देय राशियां	**103.70**	2.55
राहत बाण्डों/मुद्रास्फति सूचकांक बाण्डों (निवल) के वितरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को देय राशियां	**-**	14.72
अग्रिम निक्षेप भागीदार प्रभार, ग्राहकों से अग्रिम, सांविधिक देयताएं जिसमें भविष्य निधि एवं कर शामिल हैं (निपटान पर देय राशि सहित)	**340.80**	235.41
फैक्टरिंग के प्रति संविदात्मक देयता	**20.02**	50.38
अदावाकृत लाभांश	**8.24**	10.71
पट्टा देयताओं के उपयोग का अधिकार	**49.11**	50.78
अन्य देयताएं (ट्रेड निक्षेप और अन्य देय राशियां)	**377.00**	355.18
	3,496.10	2,871.52

23 प्रावधान

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
तुलनपत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	**33.27**	72.65
कर्मचारी लाभ	**71.90**	86.23
अन्य व्ययों हेतु प्रावधान	**21.74**	21.69
दावों हेतु प्रावधान - दीर्घ अवधि प्रावधान	**25.48**	24.46
जोड़	**152.39**	205.04

कर्मचारी लाभ पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 49 देखें।

24 अन्य गैर-वित्तीय देयताएं

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अग्रिम से प्राप्त आय	**9.21**	13.20
प्रशिक्षण हेतु प्राप्त सहायता अनुदान	**2.09**	2.46
सांविधिक देयताएं	**0.41**	0.83
अन्य	**0.85**	12.26
	12.57	28.75

25 इक्विटी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10 रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	**4,000.00**	2,000.00
	4,000.00	2,000.00
निर्गमित		
प्रत्येक 10 रुपए के 196,32,40,546 इक्विटी शेयर	**1,963.24**	1,763.24
	1,963.24	1,763.24
अभिदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 189,73,09,792 इक्विटी शेयर	**1,897.31**	1,697.31
	1,897.31	1,697.31
प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के 189,59,93,092 इक्विटी शेयर	**1,895.99**	1,695.99
	1,895.99	1,695.99

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान :

दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को हुई 27वीं वार्षिक महासभा ने शेयरधारकों ने 2000 करोड़ रुपए की सीमा तक प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि का अनुमोदन किया, जिसमें प्रत्येक 10/- रुपए के 200 करोड़ इक्विटी शेयरों वाली इक्विटी पूंजी को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रत्येक 10/- रुपए के 400 करोड़ इक्विटी शेयर पूंजी को 4000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को अपनी शेयर पूंजी के अभिदान के लिए भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से 23 मार्च, 2020 को 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसे 31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी (आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि) के अधीन वर्गीकृत किया गया। कम्पनी ने इसके बाद 21 मई, 2020 को भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार को 10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 20 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन किया। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में दिनांक 15 मार्च, 2021 को 200 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में निदेशकों की समिति ने भारत सरकार को दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य वाले 14,59,85,401 इक्विटी शेयरों का आबंटन 13.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से (3.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के प्रतिभूति प्रीमियम सहित) आबंटन किया।

शेयर विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	**1,695,993,092**	**1,695.99**	1,695,993,092	1,695.99
जोड़ें : भारत सरकार को जारी किए गए शेयर	**200,000,000**	**200.00**	-	-
अवधि के अंत में बकाया	**1,895,993,092**	**1,895.99**	1,695,993,092	1,695.99
प्रदत्त शेयर पूंजी	**1,895,993,092**	**1,895.99**	1,695,993,092	1,695.99

इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार :

समूह के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात इक्विटी शेयर, जिसका अंकित मूल्य 10/- रुपए प्रति शेयर है और प्रति शेयर के लिए एक वोट का अधिकार है।

शेयरधारक जिनके पास 5% से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	**1,156,955,857**	**61.02%**	956,955,857	56.42%

26 अन्य इक्विटी

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
i. **आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि**		
आरम्भ शेष	**200.00**	-
घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण	**(200.00)**	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	**200.00**	200.00
अन्त शेष	**200.00**	200.00

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
ii.	**आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**923.67**	923.57
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	**0.56**	0.10
	अन्त शेष	**924.23**	923.67
iii.	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि**		
	आरम्भ शेष	**136.74**	136.74
	अन्त शेष	**136.74**	136.74
iv.	**पूंजी रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**0.85**	0.85
	सहयोगी कम्पनियों की बिक्री	**–**	–
	अन्त शेष	**0.85**	0.85
v.	**प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित निधि**		
	आरम्भ शेष	**1,032.06**	1,032.06
	जोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	**–**	–
	अन्त शेष	**1,032.06**	1,032.06
vi.	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**300.05**	300.05
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**–**	–
	अन्त शेष	**300.05**	300.05
vii.	**डिबेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**260.08**	260.08
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**–**	–
	अन्त शेष	**260.08**	260.08
viii.	**सामान्य रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**369.92**	366.61
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**4.09**	3.31
	अन्त शेष	**374.01**	369.92
ix.	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	**335.82**	335.82
	घटाएं : अधिमान शेयरों का समय-पूर्व मोचन	**–**	–
	अन्त शेष	**335.82**	335.82
x.	**क्षति-हानि रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	**111.56**	-
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**20.44**	111.56
	अन्त शेष	**132.00**	111.56
xi.	**प्रतिधारित आय**		
	आरम्भ शेष	**(187.05)**	167.24
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	**(1,941.51)**	(230.44)
	घटाएं : पूंजी मोचन रिजर्व में अन्तरण	**-**	-
	घटाएं : भारिबैंक अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व में अन्तरण	**(0.56)**	(0.10)
	घटाएं : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	**(4.09)**	(3.31)
	घटाएं : क्षतिपूर्ति रिजर्व में अन्तरण	**(20.44)**	(111.56)
	घटाएं : आकस्मिकता रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	**(13.80)**	(11.90)
	घटाएं : लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	**-**	-
	जोड़ें : अन्य	**(0.13)**	4.16
	अन्त शेष	**(2,167.56)**	(187.05)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
xii. अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख		
आरम्भ शेष	**17.48**	9.52
जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**4.07**	7.96
अन्त शेष	**21.55**	17.48
xiii. अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख		
आरम्भ शेष	**(22.76)**	82.71
जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	**0.05**	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**226.37**	(105.47)
अन्त शेष	**203.66**	(22.76)
xiv. पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		
आरम्भ शेष	**51.18**	34.50
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**0.25**	16.68
अन्त शेष	**51.43**	51.18
xv. आकस्मिक रिजर्व		
आरम्भ शेष	**23.50**	11.60
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**13.80**	11.90
अन्त शेष	**37.30**	23.50
xvi विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व		
आरम्भ शेष	**0.53**	(0.08)
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	**(0.18)**	0.61
अन्त शेष	**0.35**	0.53
xvii. समामेलन रिजर्व		
आरम्भ शेष	**(0.60)**	(0.60)
अन्त शेष	**(0.60)**	(0.60)
जोड़ शेष	**1,841.97**	3,553.04

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के अधीन रिजर्व

भारत सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी में शेयरधारिता में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो जाने से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अधीन समूह एक सरकारी कम्पनी बन गया है और इसलिए सरकारी कम्पनियों को प्राप्त छूट को देखते हुए, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के तहत सृजित सांविधिक रिजर्व निधि में कोई अन्तरण नहीं किया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20% लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति देती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में, वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से, वित्तीय वर्ष 1997-98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996-97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1997-98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व निधि

पूंजी रिजर्व निधि जब्त किए गए शेयरों की आय को दर्शाता है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को दर्ज करने के लिए किया जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इसे उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नये निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाता है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर-574(ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर हेतु नियमों (नियम 2014) को संशोधित कर दिया गया इसलिए मौजूदा बांडों और डिबेंचरों के मामले में न तो बांडो के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन का रिजर्व सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व का सृजन अनुप्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधार के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह समूह द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(कमी) की तारीख को निरूपित होता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

आकस्मिक रिजर्व

आकस्मिक रिजर्व निधि को उत्पन्न किन्हीं आकस्मिकताओं के मामले में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट रिजर्व निधि पर देय निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए सृजित किया गया था।

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि को प्रस्तुतीकरण करेंसी में विदेशी सहायक कम्पनी के संपरिवर्तन पर उत्पन्न विनिमय अन्तराल में से सृजित किया जाता है।

समामेलन रिजर्व

यह दो अथवा अधिक कम्पनियों के विलयन पर सृजित रिजर्व निधि को दर्शाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। समूह इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करता है जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछेक अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

पारिभाषित लाभ देयता (परिसम्पति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकक लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पतियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

27 ब्याज आय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर**	अन्य समग्र आय के लिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर
ऋणों पर ब्याज	**–**	**1,054.64**	–	2,119.89
निवेशों से ब्याज आय	**75.83**	**9.44**	80.27	11.67
निक्षेप राशियों पर ब्याज	**–**	**42.28**	–	39.61
अन्य ब्याज आय	**–**	**10.68**	–	3.47
जोड़	**75.83**	**1,117.04**	80.27	2,174.65

28 शुल्क एवं कमीशन आय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
निधि प्रबंधन शुल्क	**9.30**	6.49
व्यवसाय सेवा शुल्क एवं कमीशन (गारण्टी कमीशन सहित)	**35.98**	32.99
आवेदन एवं प्रशासनिक प्रभार	**1.70**	0.72
अन्य	**–**	0.41
जोड़	**46.98**	40.62

29 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लाभ या हानि की मार्फत उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
- इक्विटी प्रतिभूतियां	**121.97**	(216.12)
- डेरिवेटिव्स	**(0.60)**	(3.34)
- प्रतिभूति प्राप्तियां	**(7.01)**	(34.34)
- अधिमान शेयर	**48.37**	(18.24)
- उद्यम पूंजी निधियों की यूनिटें	**10.07**	(1.94)
- म्यूचअल फण्ड्स की यूनिटें	**17.76**	23.34
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अमान्य होने पर निवल लाभ	**5.99**	4.72
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**196.55**	(245.92)
उचित मूल्य परिवर्तन:		–
- वसूल किए गए	**(109.64)**	689.45
- वसूल न किए गए	**306.20**	(935.38)
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**196.55**	(245.92)

30 अन्य आय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	**0.01**	7.41
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**-**	(0.01)
आय कर वापसी से ब्याज	**15.10**	8.39
भूमि से आस्थगित आय	**5.25**	5.25
सहयोगी कम्पनियों की बिक्री पर लाभ	**0.62**	-
पुनरांकित विविध शेष (निवल)	**1.54**	3.29
अन्य	**4.92**	9.36
जोड़	**27.45**	33.69

31 वित्त लागतें

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
उधारों पर ब्याज	**1,133.94**	1,424.74
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	**5.40**	10.72
अन्य ब्याज व्यय	**2.30**	10.79
पट्टा देयता उपयोग के अधिकार पर ब्याज	**5.45**	4.86
बैंक प्रभार	**0.14**	0.16
जोड़	**1,147.23**	1,451.27

32 वित्तीय प्रलेखों पर क्षति

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	
	अन्य समग्र आय के लिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर	अन्य समग्र आय के लिए उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर	परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियों पर
ऋण*	**-**	**2,293.61**	-	345.12
निवेश	**2.95**	**-**	108.80	-
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	**-**	**7.75**	-	18.43
अन्य परिसम्पतियां	**-**	**0.78**	-	1.04
जोड़	**2.95**	**2,302.14**	108.80	364.60
*वर्ष के दौरान निवल बट्टे खाते डाले गए सहित।		**1,490.15**		**2,229.85**

33 कर्मचारी लाभ व्यय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं मजदूरी	**236.01**	229.08
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**28.09**	36.31
रोजगार पश्चात् लाभ पर व्यय	**18.79**	38.33
स्टाफ कल्याण व्यय	**9.18**	22.07
अन्य	**0.36**	0.26
जोड़	**292.42**	326.06

34 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	**46.36**	55.54
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	**4.85**	4.85
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन	**21.17**	20.95
जोड़	**72.39**	81.34

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया	**1.46**	3.50
दरें एवं कर	**6.81**	6.91
बीमा	**6.95**	4.23
मरम्मत एवं रखरखाव कार्य		
- भवन	**15.81**	17.52
- प्लांट एवं मशीनरी	**11.58**	12.42
- आईटी	**2.74**	2.18
- अन्य	**5.64**	7.95
बिजली एवं पानी का खर्च	**14.56**	16.54
सुरक्षा व्यय	**8.89**	9.09
लेखापरीक्षकों को भुगतान*	**1.68**	1.58
निदेशक शुल्क एवं व्यय	**0.98**	0.42
प्रकाशन एवं विज्ञापन	**0.60**	1.41
परामर्श एवं कानूनी प्रभार	**13.03**	31.85
यात्रा एवं वाहन	**4.73**	8.35
प्रशिक्षण एवं विकास	**1.00**	1.84
डाक एवं दूरभाष	**4.45**	5.22
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**6.18**	8.02
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	**1.91**	2.23
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	**0.73**	1.32
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	**1.96**	0.99
बिक्री हेतु धारित परिसम्पतियों पर क्षति हानि	**(19.01)**	29.11
विज्ञापन एवं कारोबार संवर्धन	**1.92**	4.88
संचार लागतें	**6.06**	7.44
आऊटसोर्सिंग व्यय एवं फीट ऑन स्ट्रीट	**25.29**	39.95
तकनीकी जानकारी शुल्क	**79.10**	54.32
साफ्टवेयर व्यय	**11.30**	11.27
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	**8.96**	8.43
विविध व्यय	**26.22**	31.29
जोड़	**251.54**	330.25

*लेखापरीक्षकों को भुगतान के विवरण के लिए टिप्पणी 36 देखें।

36 लेखा-परीक्षकों को भुगतान

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखा परीक्षा शुल्क	**1.57**	1.45
प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	**0.05**	0.08
व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.06**	0.05
जोड़	**1.68**	1.58

37 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया)

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**आकस्मिक देयताएं#**		
(i)	ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए दावे	**61.72**	61.44
(ii)	वित्तीय गारण्टियों को छोड़कर गारण्टियां	**3.23**	3.27
(iii)	ईपीसीजी लाइसेंसों के तहत निर्यात बाध्यताएं	**4.81**	-
(iv)	कर मामले :		
	आय कर*	**1.46**	3.69
	सेवा कर/जीएसटी	**-**	-
	जोड़	**71.22**	68.40

* आईएफसीआई ने विवाद से विश्वास (प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान) योजना, 2020 के अधीन आवेदन/घोषणाएं दर्ज की हैं।

#लंबित मुकद्दमेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2021 को वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
(i)	संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित) जिन्हें पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिम घटा कर)	**0.90**	29.96
(ii)	अनाहरित प्रतिबद्धताएं	**204.83**	838.73
	जोड़	**205.73**	868.69
ग.	**आकस्मिक परिसम्पतियां**	**शून्य**	शून्य

37.1 कर व्यय

		31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
क.	**लाभ या हानि में मान्य राशि**		
	विवरण		
	चालू कर (क)		
	चालू कर व्यय	**17.50**	3.70
	पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित कर व्यय/(लाभ)	**8.97**	44.38
	उप-जोड़ (क)	**26.47**	48.08
	आस्थगित कर (ख)		
	आस्थगित कर व्यय/ (क्रेडिट)	**(199.68)**	80.89
	उप-जोड़ (ख)	**(199.68)**	80.89
	कर व्यय (क) + (ख)	**(173.21)**	128.97

		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
ख.	**प्रभावी कर दर का मिलान**				
	विवरण	**%**	**राशि**	%	राशि
	कर पूर्व लाभ		**(2,084.79)**		(94.24)
	समूह की घरेलू कर दर 34.944% का उपयोग करते हुए कर	**34.94%**	**(728.51)**	34.94%	(32.93)
	निम्नलिखित का प्रभाव:				
	कर मुक्त आय	**0.00%**	**-**	16.03%	(15.11)
	गैर कटौती योग्य व्यय	**0.00%**	**-**	-2.89%	2.72
	चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	**-0.43%**	**8.97**	-47.09%	44.38
	चालू कर मूल्यह्रास जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्य नहीं किया गया।	**0.43%**	**(8.97)**	10.12%	(9.54)
	अन्य	**-26.64%**	**555.30**	-147.97%	139.45
	प्रभावी कर दर	**8.31%**	**(173.21)**	-136.85%	128.97

38 ट्रेड से प्राप्य और देय राशियों के अधीन दर्शाई गई कुछेक शेष राशियों की पुष्टि की जानी है।

39 आईएफसीआई लि. के मामले में

i) दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को हुई 27वीं वार्षिक महासभा ने शेयरधारकों ने 2000 करोड़ रुपए की सीमा तक प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि का अनुमोदन किया, जिसमें प्रत्येक 10/- रुपए के 200 करोड़ इक्विटी शेयरों वाली इक्विटी पूंजी को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रत्येक 10/- रुपए के 400 करोड़ इक्विटी शेयर पूंजी को 4000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को अपनी शेयर पूंजी के अभिदान के लिए भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से 23 मार्च, 2020 को 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसे 31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी (आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि) के अधीन वर्गीकृत किया गया। कम्पनी ने इसके बाद 21 मई, 2020 को भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार को 10/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से 20 करोड़ इक्विटी शेयरों का आबंटन किया। कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में दिनांक 15 मार्च, 2020 को 200 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में निदेशकों की समिति ने भारत सरकार को दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य वाले 14,59,85,401 इक्विटी शेयरों का आबंटन 13.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर से (3.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के प्रतिभूति प्रीमियम सहित) आबंटन किया।

ii) ऋण स्थगन अवधि अर्थात् 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दौरान प्रभारित 'ब्याज पर ब्याज' की वापसी/समायोजन के लिए भारिबैंक के दिनांक 7 अप्रैल, 2021 परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/17डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021-22 के अनुसरण में 8.23 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तदनुसार ब्याज आय को डेबिट करते हुए खाता बहियों में इसका प्रावधान किया गया है।

iii) 31 मार्च, 2021 को भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता भारिबैंक के विवेकसम्मत मानदंडों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) से अधिक है। तदनुसार कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 को खाता बहियों में भारतीय लेखांकन मानक मानदंडों के अनुसार राशि का प्रावधान किया है। 31 मार्च, 2021 तक सृजित 34.54 करोड़ रुपए के मौजूदा क्षति रिजर्व को रिवर्स नहीं किया गया।

यद्यपि ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का पोर्टफोलियों आधार पर गणन नहीं किया गया इसलिए चालू वर्ष के दौरान भारिबैंक मानदंडो के अनुरूप धोखधरी के रूप में घोषित ऋण राशियों पर पूर्ण क्षति भत्ते के लिए प्रावधान किया गया।

iv) वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कम्पनी ने आईआरएसी मानदंडो के अनुसार सी3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर स्टेज 3 आय की मानयता को समाप्त कर दिया है। इसलिए लाभ व हानि खाते में 613.71 करोड़ रुपए (833.38 करोड़ रुपए के ईसीएल क्षति भत्ते को घटा कर) की राशि प्रभारित की है। इसलिए इस वर्ष की हानि 613.71 करोड़ रुपए अधिक है और सकल ऋण परिसम्पत्तियां 1447.08 करोड़ रुपए कम है।

v) विश्व में और भारत में कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय बाजारों में महत्त्वपूर्ण रूकावटें आ रही है। 11.03.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। इससे सम्पूर्ण विश्व और भारत के आर्थिक क्रियाकलापों में महत्त्वपूर्ण अवरोध उत्पन्न हुए कम्पनी ने इस स्थिति की गहनता से निगरानी करते हुए कम्पनी के काराबोर परिचालनों की अनुकूल रूप से निरंतरता बनाए रखने के त्वरित प्रयास किए। कम्पनी को विश्वास है कि आगे चल कर इसके कारोबार और वित्तीय स्थिति इस महामारी से महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

vi) ये वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग III के अनुसार तैयार किए गए है। जिसे 11 अक्टूबर, 2018 को निगमित कार्य विभाग मंत्रालय द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। भारिबैंक या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी आवेदन मार्ग निर्देश/स्पष्टीकरण/निदेशों का, जब कभी जारी किए गए है/लागू हुए हैं, का कार्यान्वयन किया गया है।

vii) वित्तीय वर्ष 21 के दौरान, चूक की परम्परागत संभावना निकालने के लिए पिछले 7 वर्ष के रेटिंग बदलाव को ईसीएल के इनपुट के रूप में उपयोग किया गया है, जबकि पहले 5 वर्ष के रेटिंग बदलाव का उपयोग किया जाता था। परिणामस्वरूप भारित औसत ईसीएल 19.78 करोड़ रुपए तक कम हो गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

40 भारतीय लेखांकन मानक 108–"परिचालन खण्ड" द्वारा यथा अपेक्षित रिर्पोटिंग कारोबार/ भोगौलिक खण्ड के संदर्भ में कम्पनी केवल एक कारोबार खण्ड वित्तपोषण को काम करती है। अत: भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई रिर्पोटिंग खण्ड नहीं है।

41 कम्पनी द्वारा जारी किए गए तथा 31 मार्च, 2021 को बकाया प्रतिभूत बांडों और डिबेंचरों पर कम्पनी की प्राप्य राशियों और/या कम्पनी द्वारा ली गई सरकारी प्रतिभूतियों पर प्लवमान प्रभार के रूप में मूलधन और ब्याज के मद्दे 100 प्रतिशत प्रतिभूति कवर का रखरखाव किया है।

42 स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) ने वर्ष 2000–01 के दौरान डीएसक्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 7,20,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री हेतु ''कैश ऑन पेआउट'' योजना के तहत कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) के जरिए ग्राहक के साथ 24.45 करोड़ रुपए का लेन-देन किया था। उक्त लेन-देन समर्थन सीएसई द्वारा किया गया था, जिसके आधार पर तारीख बाद चेक जारी किए गए थे। कम्पनी द्वारा चेकों को उनकी परिभाषित तारीख से पहले भुगतान के संबंध में रोक दिया गया था, क्योंकि मूलाधार कारोबार लेन-देन को गैर-प्रामाणिक होना माना गया था और सीएसई द्वारा अस्वीकार किया गया था। बैंक, जिसने उक्त चेकों के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ने वार्ताकारी प्रलेख अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कम्पनी के विरुद्ध मांग नोटिस जारी किया। बैंक ने कम्पनी और ग्राहक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में एक आवेदन भी दायर किया। कम्पनी ने बैंक के दावे को विवादित बताया। डीआरटी में बैंक के आवेदन को खारिज किया गया था और सिर्फ ग्राहक को उत्तरदायी ठहराया गया था। बैंक और ग्राहक ने डीआरटी के आदेश के विरूद्ध ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरटी) में एक अपील दायर की थी। अपील को दिनांक 23 सितम्बर, 2011 के टीआरएटी के आदेश के तहत स्वीकार किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि राशि पर 01 अगस्त, 2001 से 19% प्रतिवर्ष की दर पर शेष तिमाही के साथ वसूली तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा और बैंक को ग्राहक और कम्पनी, दोनों से राशि को वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया था। कम्पनी ने उच्च न्यायालय, कलकत्ता में 30 नवम्बर, 2011 को एक पुनरीक्षा याचिका दायर की थी जिसे स्वीकार किया गया था, परन्तु अन्तरिम राहत नहीं दी गई थी अत:, कम्पनी ने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश के स्थगन हेतु एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसमें क्रमश: की डीआरएटी आदेश, डीआरएटी के आदेश तथा वसूली प्रमाणपत्र तथा पीठासीन अधिकारी एवं डीआरटी के वसूली अधिकारी द्वारा जारी मांग नोटिस के स्थगन का आन्तरिक राहत प्रदान नहीं करने का अनुरोध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश द्वारा वसूली कार्यवाही को स्थगित करने की मंजूरी दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय से पुनरीक्षा आवेदन को चार माह की अवधि के भीतर निपटाने का अनुरोध किया और कम्पनी को आदेश की तारीख से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अल्प अवधि जमा के रूप में 4 सप्ताह की अवधि के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में 30.00 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। तदनुसार, कमपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय, रजिस्ट्री में राशि को जमा किया था। पुनरीक्षा आदेश को खारिज किया गया था। कम्पनी मई, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 14 मई, 2015 को अपने आदेश द्वारा निष्पादन कार्यवाहियां के परिचालन को स्थगित किया और कम्पनी को रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पास एक सावधि जमा राशि कम्पनी के नाम से जमा करने को कहा और रजिस्ट्रार के पक्ष में पृष्ठांकित करने को जो 30.00 करोड़ रुपए से कम न हो। तदनुसार, कम्पनी ने राशि जमा की। 60.00 करोड़ रुपए की राशि को कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय में जमा किया गया (30.00 करोड़ रुपए) और सर्वोच्च न्यायालय (30.00 करोड़ रुपए) को 31 मार्च, 2018 को तुलनपत्र के विवरण में उप-शीर्षक ''प्रतिभूति एवं अन्य जमा'' के तहत शीर्षक ''दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम'' के तहत दर्शाया गया है। बैंक को ब्याज के साथ 30.00 करोड़ रुपए निकालने की छूट दी गई थी, जो कलकत्ता, उच्च न्यायालय में जमा राशि के रूप में पड़े थे, जो एसएलपी के आंतिम निर्णय के अधीन है। तदनुसार, 38.04 करोड़ रुपए की राशि को बैंक को जारी किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 12 अक्तूबर, 2015 के आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को सर्वोच्च न्यायालय में जमा किए गए राशि से उस पर उद्भूत ब्याज के साथ 5.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि निकालने का आदेश दिया। तदनुसार, 15.45 करोड़ रुपए की राशि बैंक को दे दी गई। स्पेशल लीव पिटिशन को 8 फरवरी, 2017 को सिविल अपील में बदल दिया गया और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन है। इसमें मामले की निरंतर सुनवाई हो रही है और पिछली सुनवाई फरवरी 2020 में हुई थी।

मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका से सिविल अपील में परिवर्तित किया गया था। बैंक को जारी राशि मामले में अंतिम निर्णय के अध्यधीन है। विवाद की प्रकृति को देखते हुए; आकस्मिक देयता की राशि का पता नहीं लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर अंतिम न्याय-निर्णय होने तक और एसएचसीआईएल द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए भी एसएचसीआईएल के प्रबंधन की राय में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

43 स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) के मामले में 31 मार्च, 2019 के अनुसार ट्रेड से प्राप्य राशियों के अधीन समूहित 3.50 करोड़ रुपए की राशि वाली मिलान न की गई मदो के अधीन है। आगे जांच करने पर यह पता चला है कि कम्पनी के किसी कर्मचारी ने ग्राहक बैंक खाते से 2.94 करोड़ रुपए (वसूली के बाद निवल) की राशि अदायगी धोखाधड़ी करके किसी अन्य व्यक्ति को कर दी है। कम्पनी ने रिबेल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी है। और कम्पनी ने न्यू इंडिया एशोरेन्स कम्पनी लि. में बीमा दावा प्रस्तुत कर दिया है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार, कम्पनी पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में निधि के गबन की राशि का निर्धारण कर सकती है, लेकिन यह भारतीय लेखांकन 8 के अधीन यथापेक्षित अवधि विशिष्ट हानि की राशि का निर्धारण नहीं कर सकती, क्योंकि राशियां कर्मचारी से वसूल की जानी हैं और कि बीमा दावे से इसका 31 मार्च, 2020 को पूर्णत: निर्धारण नहीं किया जाता। अत: यह भारतीय लेखांकन मानक 8 में अपवाद के अधीन आता है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि हानि की राशि चालू अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती तो लेखांकन प्रभाव को प्रत्याशित रूप से लिया जा सकता है। कम्पनी ने संरक्षित निर्धारण पर पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ हानि विवरण में पूर्णत: वसूलनीय राशि के अधीन 2.94 करोड़ रुपए की क्षति हानि का प्रावधान किया है। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक उक्त बैंक खाते का बैंक मिलान तैयार करने के लिए एक बाहरी एजेंसी की नियुक्ति की है। संशोधित प्रविष्टियां पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित बैंक मिलान विवरण के प्राप्त होने पर पारित की दी जाएंगी।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा कम्पनी ने 2.94 करोड़ रुपए के दावे के मद्दे 2.75 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। दी गई दावा राशि में से 2.21 करोड़ रुपए बीमा कम्पनी से प्राप्त हुए हैं और शेष 53.79 लाख रुपए उक्त कर्मचारी की परिसम्पत्तियों को बेचकर या किसी कमी के मामले में बीमा कम्पनी से प्राप्त किए गए हैं। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 2.75 करोड़ रुपए की क्षति हानि को रिवर्स कर दिया गया है।

कम्पनी ने निधि के गबन का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए एक फोरेंसिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति की है। फोरेसिंक लेखा-परीक्षक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्धन यह विश्वास करता है कि इसका वित्तीय विवरणों पर और कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

44 कम्पनी के माहपे परिसर में 11 दिसम्बर, 2017 को आग लग गई थी। बीमा कम्पनी ने सर्वेक्षक की नियुक्ति की है। सर्वेक्षक कम्पनी की सम्पत्ति को हुई हानि का निर्धारण कर रहे हैं। कम्पनी ने आन्तरिक कार्यो और बेसमेंट में मरम्मत का कार्य करने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति की है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महापे परिसर में आन्तरिक साज-सज्जा के लिए मरम्मत व रखरखाव खाते में 36.02 लाख रुपए की व्यय राशि और बेसमेंट क्षेत्र के लिए शून्य राशि को अन्तरित किया है (पिछले वर्ष आन्तरिक साज-सज्जा के लिए 423.76 लाख रुपए और बेसमेंट के लिए 36.83 लाख रुपए)। कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाऊन के कारण मरम्मत और नवीकरण के कार्य में विलम्ब हो गया है। अगस्त, 2020 के अन्त में कार्य पुन: आरम्भ हो गया। आशा है यह कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

44.1 स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

(क) कम्पनी के महापे परिसर में 11 दिसम्बर, 2017 को आग लग गई थी। बीमा कम्पनी ने दावे का अभी तक निपटान नहीं किया है।

(ख) कम्पनी अपने ग्राहकों से दस्तावेज खोने के दावे प्राप्त कर रही है। अधिकांश दावों की लेखा-परीक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि कई अन्य प्रलेख अन्तिम दावों हेतु उनके प्रलेखों की क्षति का निर्धारण करने के लिए उनके लेखा-परीक्षकों की मार्फत लेखा-परीक्षा की जा रही है। वास्तविक दावे का अभिनिर्धारण होने तक कम्पनी ने 31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार लेखाबाहियों में ऐसे दावे/आकस्मिक देयताओं और प्राप्य तदनुरूपी बीमा दावों के लिए कोई प्रावधान/प्रकटन नहीं किया है।

45. एसएचसीआईएल सर्विसिज लि. के मामले में कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81, 193 और 285 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चौथा न्यायालय, गिरगांव, मुम्बई से दिनांक 6 मार्च, 2018 को एक समन प्राप्त हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 से पहले हुआ था। एसएचसीआईएल सर्विसिज लि. ने क्षेत्रीय निदेशक, मुम्बई के पास एक कम्पाउंडिंग एप्लीकेशन प्रस्तुत की थी। तथापि अनुवर्तन करने पर यह पता लगा कि कम्पाउंडिंग एप्लीकेशन का पता नहीं लग रहा। कानूनी सलाहकारों की सलाह पर अब हमने आरओसी के पास 11 सितम्बर, 2018 को एक नई कम्पाउंडिंग एप्लीकेशन प्रस्तुत की है। कम्पाउंडिंग शुल्क न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तथापि पिछले कम्पाउंडिंग आदेशों के आधार पर दांडिक प्रावधान और वकीलों से विचार-विमर्श के अनुसार कम्पाउंडिंग एप्लीकेशन के कारण देयता की राशि बहुत अधिक नहीं होगी और इसका इस समय निर्धारण नहीं किया जा सकता।

46. स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसएचसीआईएल) के मामले में कम्पनी ने वर्ष 1992-93 में स्टाफ क्वार्टर के रूप में प्रयोग हेतु तत्काल बिक्री आधार पर तिलक नगर, चैम्बूर में अपने स्वामित्व एवं आबंटन पत्र के तहत 18 आवासीय फ्लैट खरीदे, जो महादा से लगभग 9216 वर्ग फीट के क्षेत्र में थे। कम्पनी के पक्ष में फ्लैटों की पंजीकरण होने तक इन परिसम्पत्तियों को अचल परिसम्पति भवन के तहत दर्शाया जाता है। कम्पनी सम्पत्ति का पूर्ण हक प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने हेतु संबंधित प्राधिकरणों का कठोरता से पालन कर रही है।

47. आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि. (आईआईडीएल) के मामले में :

(क) सम्पत्ति सूची में एक सम्पत्ति शामिल है जिसके संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II ने पूर्ववर्ती कम्पनी अर्थात हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड (एचएसजीएल) द्वारा चूक की राशि की वसूली के लिए आदेश दिया है। कम्पनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में एक लिखित याचिका दायर की गई है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय थी कि देयता के मूल्यांकन में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। तदनुसार, प्रतिवाद आदेश को रद्द कर दिया गया और सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद पीएफ विभाग को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कहा गया।

(ख) कम्पनी को 1.50 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की कम अदायगी करने के कारण एआईजी स्टाम्प, गाजियाबाद से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है और यह मामला अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है। ग) मध्यस्थता अधिकरण द्वारा मैसर्स सुबीर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. बनाम आईआईडीएल के बीच मध्यस्थता कार्यवाहियों में दिनांक 25.01.2018 को एक अधिनिर्णय पारित किया गया था जिसमें आईआईडीएल को दिनांक 27.10.2016 से 6% की दर पर ब्याज के साथ 768.00 लाख रुपए दावेकर्त्ता को प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जो दावाकर्त्ता द्वारा दावेकित 21.18 करोड़ रुपए के कुल दावे के संबंध में था। (अधिनिर्णय में 309.00 लाख रुपए की वैट राशि और 272.00 लाख रुपए की प्रतिभूति निक्षेप राशि शामिल है)। आईआईडीएल ने मध्यस्थता एवं लेखा समाधान अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका इस अधिनिर्णय के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार न्यायालय में 4.00 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई।

कम्पनी के 105.02 लाख रुपए के स्टॉम्प शुल्क की कम अदायगी करने के लिए एआईजी स्टाम्प, गाजियाबाद से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है और यह मामला अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित है।

(ग) मध्यस्थता अधिकरण द्वारा मैसर्स सुबीर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. बनाम आईआईडीएल के बीच मध्यस्थता कार्यवाहियों में दिनांक 25.01.2018 को एक अधिनिर्णय पारित किया गया था जिसमें आईआईडीएल को दिनांक 27.10.2016 से 6% की दर पर ब्याज के साथ 768.00 लाख रुपए दावेकर्त्ता को प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जो दावाकर्त्ता द्वारा दावेकित 2118 लाख रुपए रुपए के कुल दावे के संबंध में था। (अधिनिर्णय में 309.00 लाख रुपए की वैट राशि और 272.00 लाख रुपए की प्रतिभूति निक्षेप राशि शामिल है)। आईआईडीएल ने मध्यस्थता एवं लेखा समाधान अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका इस अधिनिर्णय के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की है। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुसार न्यायालय में 400.00 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई।

(घ) कम्पनी 21 माइल स्टोन रेजिडेंसी, गाजियाबाद की अपनी परियोजना के सम्बन्ध में भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण/भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में कई मामलों का विरोध कर रही है। 2 मामलों अर्थात् विनय कुमार बाल्याण और राजेश कुमार सिहं के मामले में रेरा प्राधिकरण द्वारा एक कुर्की आदेश जारी किया गया। जिसके विरुद्ध कम्पनी ने आरईएटी के समक्ष एक अपील दायर की है, जिसमें अधिकरण के निदेश के अनुसार कम्पनी द्वारा 88.04 लाख रुपए की राशि जमा करानी अपेक्षित थी और इस राशि को जमा करा दिया गया।

48. आईआईडीएल ने जंगीपुर, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल में एमडीआई, गुडगांव के लिए एक कैम्पस का निर्माण किया है। संविदा से संबंधित वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं :

संविदा	राशि
वर्ष के दौरान मान्य संविदा राजस्व	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य संविदा व्यय	शून्य
मान्य लाभ	शून्य
अनुमानित संविदा लागतं	शून्य
एमडीआई से वसूलनीय राशि	0.75

- अवधि में मान्य संविदा राजस्व को निर्धारित करने के लिए लागत जमा संविदा विधि का उपयोग किया गया है।
- इंजीनियर/आर्किटेक्ट से कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पूर्णता की स्थिति का निर्धारण किया जाएगा।

49. कर्मचारी लाभ

समूह निम्नलिखित नियोजन पश्चात् योजनाओं को परिचालित करता है -

i. परिभाषित अंशदान योजना

समूह पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करता है जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। समूह के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे उत्पन्न होते हैं, उन्हें लाभ और हानि विवरण में प्रभारित कर दिया जाता है। ऐसे अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पेंशन निधि में अंशदान	**0.01**	0.01
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	**7.12**	7.07
कर्मचारी अधिवर्षिता निधि में अंशदान	**3.90**	3.90

ii. परिभाषित लाभ योजना

क. उपदान

समूह की भारत में एक पारिभाषित लाभ उपदान योजना है, जो उपदान के भुगतान अधिनियम, 1972 के द्वारा अधिशासित है। यह योजना उस कर्मचारी, जिसने कम से कम पांच वर्ष को निरन्तर सेवा पूरी की है, को की गई प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए पन्द्रह दिन अथवा छह माह से अधिक उसके भाग के लिए उपदान (अधिकतम सीमा-20,00,000/- लाख) प्राप्त करने के लिए अधिकृत करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन पर आधारित है। यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना समूह के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लॉगइविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज पर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाता है।

योजना परिसम्पतियों का नवीनतम बीमांकक मूल्यांकन और उपदान हेतु पारिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार किया गया था। पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित सारणी उपदान योजना की स्थिति और तुलन-पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	**4.80**	9.65

(क) निधियन

यह योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधियन अपेक्षाएं योजना की निधियन नीतियों में निर्दिष्ट उपदान निधि के बीमांकक मूल्यांकन ढांचे पर आधारित है। योजना की निधि व्यवस्था निधियन प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग ङ में पारिभाषित पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु उपदान योजना में अनुमानित अंशदान 1.62 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में आरम्भ शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य**	**निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/ देयता**	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**80.18**	**70.54**	**9.65**	69.61	64.88	4.73
वर्तमान सेवा लागत	**4.96**	**–**	**4.96**	4.74	–	4.74
कटौती सहित पिछली सेवा लागत लाभ/हानियां	**–**	**–**	**–**	–	–	–
ब्याज लागत (आय)	**5.46**	**(4.84)**	**0.62**	5.31	(4.98)	0.33
	10.43	**(4.84)**	**5.59**	10.05	(4.98)	5.07
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्न से उत्पन्न बीमांकक हानि (लाभ):						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	**0.00**	**–**	**0.00**	(0.03)	–	(0.03)
– वित्तीय अनुमान	**0.00**	**(0.66)**	**0.66**	3.23	–	3.23
– अनुभव समायोजन	**(2.93)**	**0.07**	**(3.00)**	2.36	–	2.36
– योजना परिसम्पतियों पर	**–**	**(0.11)**	**(0.11)**	–	0.65	0.65
	(2.93)	**(0.70)**	**(2.45)**	5.56	0.65	6.21
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	**-**	**7.98**	**(7.98)**	-	6.31	(6.31)
प्रदत्त लाभ	**(6.50)**	**(6.50)**	**-**	(5.04)	(4.99)	(0.05)
	(6.50)	**1.49**	**(7.98)**	(5.04)	1.32	(6.36)
वर्ष के अन्त में शेष	**81.18**	**77.56**	**4.80**	80.18	70.54	9.65

(ग) योजना परिसम्पतियां

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
जीवन बीमा निगम में निवेश	**100%**	100%

समूह द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसम्पति देयता अनुरूपण अध्ययन किया जाता है, जिसमें समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमांकक) को बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	**31 मार्च, 2020 को**
छूट दर	**6.69%**	6.69%
आगामी वेतन वृद्धि	**6.00%**	6.00%
निकासी दर :		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान, जो दूसरे पूर्वानुमानों को निरन्तर धारित करते है, के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना तारीख में पर्याप्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होगी।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(1.19)**	**1.33**	(1.23)	1.31
आगामी वेतन वृद्धि (0.50% घट-बढ़)	**1.33**	**(1.20)**	1.32	(1.26)

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु संख्या दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
0 से 1 वर्ष	**3.75**	4.26
2 से 6 वर्ष	**10.84**	14.95
6 वर्ष से आगे	**17.92**	11.40
जोड़	**45.51**	43.61

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार, पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.94 वर्ष (31 मार्च, 2020: 12.88 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है :

वेतन वृद्धियां : वास्तविक वेतन वृद्धियों से योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में मान्य निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, कर्मचारी जो स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य हैं, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। योजना के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों को चिकित्सा लाभ एवं प्रतिपूर्ति की जाती है, यद्यपि इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और यह उस ग्रेड, जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, पर आधारित है और इस शर्त के अधीन हैं कि संबंधित कर्मचारी का पति/पत्नी अपने नियोक्ता, यदि कोई हो, से कोई चिकित्सा लाभ नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आईएफसीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर परिचालित दरों के अनुसार केन्द्र, जिससे कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, में कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है:

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता	**29.92**	27.28

(क) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/देयता का लेखा मिलान :

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में आरम्भ शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है :

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	**27.28**	9.73
वर्तमान सेवा लागत	**0.14**	0.18
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	**1.83**	16.38
	1.96	16.56

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
- निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):		
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**-**	-
- वित्तीय अनुमान	**-**	1.22
- अनुभव समायोजन	**0.97**	0.28
	0.97	1.50
प्रदत्त लाभ	**(0.30)**	(0.50)
	(0.30)	(0.50)
वर्ष के अन्त में शेष	**29.92**	27.28

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु योजना में प्रत्याशित अंशदान 0.36 करोड़ रुपए हैं।

(ख) योजना परिसम्पतियां

सेवानिवृत्ति के बाद उक्त चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में समूह के पास कोई योजना परिसम्पतियां नहीं थीं।

वार्षिक आधार पर परिसम्पति देयता अनुरूपण अध्ययन समूह द्वारा किया जाता है, जिससे समूह देयता जोखिम को व्यवस्थित करने के लिए एक सीमित निधि में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है।

(ग) बीमांकन पूर्वानुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर	**6.69%**	6.69%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	**3.00%**	3.00%
निकासी दर :		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	**60**	60
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2006-08)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान, जो दूसरे पूर्वानुमानों को निरन्तर धारित करते है, के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख में पर्याप्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होगी।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.5 % घट-बढ़)	**(0.90)**	**0.90**	(0.89)	0.88

यद्यपि, विश्लेषण योजना के अधीन प्रत्याशित नकद प्रवाह के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लेता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान देता है।

मुद्रास्फिति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता अनुप्रयोज्य नहीं है।

(ङ) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
0 से 1 वर्ष	**2.41**	0.22
1 से 2 वर्ष	**1.86**	0.17
2 से 3 वर्ष	**1.86**	0.17
3 से 4 वर्ष	**1.65**	0.15
4 से 5 वर्ष	**1.76**	0.16
5 से 6 वर्ष	**1.37**	0.13
6 वर्ष से आगे	**19.01**	1.73
जोड़	**29.92**	2.73

31 मार्च, 2021 को परिभाषित लाभ देयता के दौरान भारित औसत अवधि 7.77 वर्ष (31 मार्च, 2020: 7.62 वर्ष)

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाता है :

चिकित्सा लागत वृद्धि : वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगा। प्रति सेवानिवृत्त व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि चिकित्सा लागत में वृद्धि करेगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में मान्य निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ग भविष्य निधि

कम्पनी की पारिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रही है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति की चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के संबंध में स्वीकृत विशिष्ट निर्दिष्ट निवेश हैं। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश पद्धति को अधिसूचित करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलन-पत्र की तारीख में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल पारिभाषित लाभ देयता/(परिसम्पति)	**(11.15)**	(12.76)

(क) निधिकरण

चालू वर्ष 2018-19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य में निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचुअल फण्ड में चिन्हित किया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 1.49 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
	पारिभाषित लाभ देयता	**योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य**	**निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/ देयता**	पारिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	निवल पारिभाषित लाभ (परिसम्पति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	**81.76**	**94.51**	**(12.76)**	75.96	77.79	(1.83)
वर्तमान सेवा लागत	**1.25**	**–**	**1.25**	6.33	6.33	–
कटौती सहित पिछली सेवा लागत लाभ/हानियां				1.27	–	1.27
ब्याज लागत (आय)	**5.85**	**–**	**5.85**	–	–	–
	7.10	**–**	**7.10**	7.60	6.33	1.27
अन्य समग्र आय में सम्मिलित						
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
- निम्न से उत्पन्न बीमांकक हानि (लाभ)						
- जनसांख्यिकीय अनुमान	**–**	**–**	**–**	–	–	–
- वित्तीय अनुमान	**–**	**–**	**–**	–	–	–
- अनुभव समायोजन	**1.13**		**1.13**	0.07	–	0.07
- योजना परिसम्पतियों पर		**12.19**	**(12.19)**	0.11	1.78	(1.67)
	1.13	**12.19**	**(11.06)**	0.19	1.78	(1.60)
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	**6.37**	**6.37**	**–**	5.41	5.41	–
प्रदत्त लाभ	**(13.48)**	**(13.48)**	**–**	(7.40)	(7.40)	–
नियोक्ता का अंशदान	**–**	**1.25**	**(1.25)**	–	1.27	(1.27)
निपटान/अन्तरण	**–**	**(6.81)**	**6.81**	–	9.33	(9.33)
	(7.11)	**(12.68)**	**5.57**	(1.99)	8.61	(10.60)
वर्ष के अंत में शेष	**82.87**	**94.02**	**(11.15)**	81.76	94.51	(12.76)

(ग) योजना परिसम्पतियां

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**100%**	100%

वार्षिक आधार पर, परिसम्पत्ति देयता अनुरूपण अध्ययन समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें समूह पूल में बीमांकन देयता में निवल वृद्धि में अंशदान करता है जो बाद में, जोखिम देयता को व्यवस्थित करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक पूर्वानुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
छूट दर	**6.69%**	6.69%
खाता बही शेष पर प्रत्याशित सांविधिक ब्याज दर	**8.50%**	8.50%
निधि पर ब्याज आय में प्रत्याशित वर्ष/वर्तमान कमी	**0.30%**	0.30%
मृत्यु दर	**आईएएलएम (2012-14)**	आईएएलएम (2012-14)
अशक्तता	**कोई नहीं**	कोई नहीं
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	**1.00%**	1.00%
44 वर्ष से अधिक	**1.00%**	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जो दूसरे पूर्वानुमानों द्वारा धारित है, यह निरन्तर दर्शाती है कि पारिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% घट-बढ़)	**(0.06)**	**0.06**	(0.04)	0.04

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(च) आगामी वर्षों में पारिभाषित लाभ योजना का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1 वर्ष	**13.01**	11.01
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	**23.92**	28.79
6 से 10 वर्ष के बीच	**17.62**	14.93
10 वर्ष से अधिक	**28.32**	27.02
जोड़	**82.87**	81.75

31 मार्च, 2021 को पारिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.94 वर्ष (31 मार्च, 2020: 12.88 वर्ष) था।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कम्पनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करती है –

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं बेमेल होती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम होती है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां: वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में मान्य निकासियों और निकासी दर में परिवर्तन की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होते है, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. **अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ**

समूह अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करता है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है –

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	**1.90**	5.15
अवकाश किराया रियायत	**0.33**	7.13
चिकित्सा लाभ	**2.49**	3.37

50 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

(i) सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप :

सबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
सहयोगी कम्पनियां*	
	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन
	मैनेजमेंट डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट
	इन्सटीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट
	बिक्री के लिए रखी गई सहयोगी कम्पनियां
	- अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.
	- गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमी पावर प्रा. लि.
	- किटको लि.
	- नगई पावर प्रा. लि.
	- शिगा एनर्जी प्राइवेट लि.
	- वदराज सीमेण्ट्स लि.
	- वदराज एनर्जी (गुजरात लि.)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों को समेकित नहीं किया गया है। तथापि इंड एएस अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नामों को सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाया गया है।

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सिकामोर कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. (स्वैच्छिक परिसमापनाधीन)
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	श्री मनोज मित्तल- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (12 जून, 2021 से)
	डा. ई एस राव- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (17 जून, 2020 तक)
	श्री सुनील कुमार बंसल, उप प्रबन्ध निदेशक (4 जून, 2020 से)
	सुश्री झुम्मी मंत्री - मुख्य वित्तीय अधिकारी (24 मई 2018 से)
	सुश्री रूपा सरकार - कम्पनी सचिव (3 मार्च, 2008 से)
	डा. भूषण कुमार सिन्हा, (21 मई, 2018 से)
	प्रो. एन. बालाकृष्णन (30 अक्तूबर, 2017 से)
	प्रो. अरविन्द सहाय (30 अक्तूबर, 2017 से)
	श्री आनन्द मधुकर (15 दिसम्बर, 2020 तक)
	श्री एमएमएल वर्मा (31 जुलाई, 2020 से)
	सुश्री आनन्दिता सिन्हारे (5 जनवरी, 2021 से)
एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां	समूह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, तब रिपोर्टिंग कम्पनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में माना जाएगा। समूह ने सरकार से सम्बद्ध कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

(ii) तुलनपत्र की तारीख को वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्य और उन्हें देय शेष लेन-देन :

	सम्बद्ध पक्षकार का नाम		लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
क.	**सहयोगी कम्पनियां**				
	किटको	(i)	प्राप्त लाभांश	**–**	–
	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i)	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	**0.15**	0.05

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सम्बद्ध पक्षकार का नाम		लेन-देन का स्वरूप	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
		(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वेतन/अन्य स्थापना व्यय, वसूले गए/ वसूलनीय	**–**	–
ख.	**एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां**				
	सीईजीएसएससी, भारत सरकार	(i)	एजेंसी कमीशन –एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारण्टी फण्ड	**0.17**	0.13
	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	(i)	कमीशन – एम-सिप्स	**3.67**	3.53
		(ii)	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई	**5.00**	–
		(iii)	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	**3.15**	–
	रसायन व उवर्रक मंत्रालय, फार्मास्युटिकल विभाग, भारत सरकार	(i)	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – थोक दवाएं	**1.50**	–
		(ii)	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – चिकित्सा उपकरण	**2.50**	–
		(iii)	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स पार्क	**1.43**	–
		(iv)	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई– चिकित्सा उपकरण डिवाइसिस पार्कस	**0.95**	–
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	(i)	अनुवर्तन एजेंसी शुल्क	**0.50**	–
	एसडीएफ, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	(i)	एजेंसी कमीशन – शुगर डेवलपमेंट फण्ड	**9.90**	9.90
	स्टील अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया लि.	(i)	प्राप्त सलाहकारी एवं मूल्यांकन शुल्क	**0.04**	0.05
	केन्द्र सरकार	(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय	**47.11**	46.62
	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	(i)	किराया आय	**0.02**	0.02
	कम्पनी रजिस्ट्रार	(i)	किराया आय	**2.60**	2.58
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कम्पनी लि.	(i)	किराया आय	**2.61**	2.60
	पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लि.	(i)	किराया आय	**7.13**	7.65
	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	(i)	किराया आय	**0.15**	–
	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	(i)	किराया आय	**0.25**	0.22
	केनरा बैंक	(i)	किराया आय	**0.36**	0.36
ग.	**मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति**				
	अल्पावधि कर्मचारी लाभ			3.19	2.60
	नियोजन के बाद पारिभाषित लाभ			0.28	0.27
	क्षतिपूरित अनुपस्थिति			0.31	0.20
	बैठक में भाग लेने का शुल्क			0.08	0.13
	सेवा समाप्ति लाभ			0.03	–

निबन्धन व शर्तें

इन सम्बद्ध पक्षकारों से सभी संव्यवहारों के मूल्य आर्म्स लेंग्थ आधार पर हैं

51 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुन: बातचीत की जाती है।

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i)	**आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान** वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
	(क) एक वर्ष के बाद नहीं	**0.29**	0.29
	(ख) एक वर्ष के बाद, परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	–	–
	(ग) पांच वर्ष के बाद	–	–
(ii)	**लाभ अथवा हानि में प्रभारित राशि**	**4.07**	6.03

(ख) पट्टादाता के रूप में पट्टे

कम्पनी ने अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर दिया है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुन: बातचीत की जाती है।

	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i) आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान		
वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
(क) एक वर्ष के बाद नहीं	**47.57**	47.57
(ख) एक वर्ष के बाद परन्तु पांच वर्ष के बाद नहीं	**28.71**	28.71
(ग) पांच वर्ष के बाद	**19.46**	19.46
(ii) लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां	**38.60**	36.19

52 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

	यूनिट	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
(i) (क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(1,941.51)**	(230.44)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(1,941.51)**	(230.44)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	संख्या	**1,895,993,092**	1,695,993,092
(ii) (क) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ का संगणन (संभावित शेयरधारकों सहित)			
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	**(1,941.51)**	(230.44)
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	करोड़ रुपए में	**(1,941.51)**	(230.44)
(ख) बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या*	संख्या	**1,895,993,092**	1,695,993,092
प्रति शेयर अर्जन (भारित औसत)			
बेसिक	**रुपए**	**(10.24)**	(1.36)
डायल्यूटिड	**रुपए**	**(10.24)**	(1.36)

53. परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में पारिभाषित है। समूह के परिचालन खण्ड समूह के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि इनका मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। समूह मुख्यतया वित्तपोषण का कार्य करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार कोई अलग उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना :

समूह केवल एक उत्पाद में कार्य करता है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। अत: पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :

समूह की सम्पूर्ण बिक्री ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। समूह की परिसम्पत्तियां भी भारत में स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से) :

समूह को ग्राहकों से राजस्व प्राप्त नहीं होता, जो कि समूह के 10% अथवा अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

54. वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कार्य प्रक्रिया में, समूह लेन देन करता है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में पारिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

समूह उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करता है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जिन्हें मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो अपनी परिपूर्णता में मान्य नहीं है

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन हैं, जिनमें समूह ऋण एवं अग्रिमों को असमेकित विशेष वाहन को बेचती है और साथ ही साथ उक्त वाहन द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां वाहन द्वारा खरीदी गई ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

समूह अपनी सम्पूर्णता में ऋणों के उस भाग को निरन्तर मान्यता देता है, जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों का समूह द्वारा अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में बनाए रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, को अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी उन सभी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को पारिभाषित करती है, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता और उससे जुड़ी देयताओं में अमान्य नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पतियां-ऋण	देयताएं-उधार	परिसम्पतियां-ऋण	देयताएं-उधार	निवल-स्थिति
परिसम्पति पुनर्सरचना कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री -					
31 मार्च, 2021 को	**74.95**	–	178.18	–	178.18
31 मार्च, 2020 को	**90.77**	–	178.18	–	178.18

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी सम्पूर्णता में मान्य नहीं किया जाता।

परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री

समूह ने अमान्य करने की छूट ली है और उनकी सम्पूर्णता में ऋणों को अमान्य किया है जिसके संबंध में प्रतिभूति प्राप्तियों को समूह द्वारा अभिदत्त किया गया है। समूह ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है।

वर्ष के दौरान समूह ने 193.26 करोड़ रुपए (वर्ष 2019-20 में 275.50 करोड़ रुपए) के उचित मूल्य को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2021 को प्रतिभूति प्राप्तियों पर संचयी उचित मूल्य लाभ/(हानि) -7.01 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2020 को -34.34 करोड़ रुपए) हैं।

निम्नलिखित सारणी, उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाती है, जो समूह की अन्तरित परिसम्पत्तियों, जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य हैं में निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता को दर्शाती है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पतियां - प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पतियां - प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पति पुनर्सरचना कम्पनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2021 को	**414.55**	414.55	–
31 मार्च, 2020 को	**447.06**	447.06	–

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में इसकी निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता से हानि के कारण कम्पनी के अधिकतम जोखिम को दर्शाने वाली राशि उनकी रखरखाव राशि है।

55. वित्तीय प्रलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाती है।

विवरण	**31 मार्च, 2021 को**		
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पतियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,179.73
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	1,340.71
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख		-	-
प्राप्य राशियां	-	-	193.63
ऋण	-	-	6,840.83
निवेश	2,342.67	3,102.88	58.55
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	1,538.06
	2,342.67	3,102.88	11,151.51
वित्तीय देयताएं :			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	15.91
ट्रेड देयताएं	-	-	410.32
अन्य देयताएं	-	-	211.10
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	7,370.99
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	2,356.95
अधीनस्थ देयताएं	-	-	1,313.30
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,496.10
	-	-	15,174.67

	31 मार्च, 2020 को		
विवरण	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पतियां :			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,527.72
उपरोक्त से भिन्न बैंक शेष	-	-	1,052.86
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	50.04	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	192.67
ऋण	-	-	10,767.31
निवेश	1,119.00	2,771.17	72.38
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	1,039.15
विवरण:	1,169.04	2,771.17	14,652.09

वित्तीय देयताएं			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	247.61
अन्य देयताएं	-	-	192.50
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	7,973.93
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	3,279.11
अधीनस्थ देयताएं	-	-	1,313.30
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	2,871.52
	-	-	15,877.96

ख. मूल्यांकन ढांचा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन संबंधी विशिष्ट नियंत्रणों में उल्लेखनीय मूल्यनिर्धारण का सत्यापन, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इनपुटों की पुनरीक्षा और मूल्यांकन समायोज शामिल है।

समूह निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करता है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

स्टेज 1: इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।

स्टेज 2: वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्टेज-1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्टेज-2 में शामिल किया जाता है।

स्टेज 3: यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होता है, तो प्रलेखों को स्टेज-3 में शामिल किया जाता है। अर्थात स्टेज-3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्टेज-3 इनपुट तैयार करता है।

मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य उस उचित मूल्य मूल्यांकन को प्राप्त करना है, जो ऐसे मूल्य को दर्शाता है, जो परिसम्पत्ति के बेचने पर प्राप्त होगा, अथवा मूल्यांकन की तारीख को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित लेन-देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ-साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए स्टेज-2 और स्टेज-3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीको को दर्शाया जाता है।

उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं :

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय प्रलेखों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय प्रलेखों को लेखांकन मानक के अधीन पारिभाषित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है:

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं-आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2021 को	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पतियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख				
निवेश	1,404.29	961.87	3,137.94	5,504.10
	1,404.29	961.87	3,137.94	5,504.10
वित्तीय देयताएं :				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	–	–
	–	–	–	–

परिसम्पतियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2021 को	**परिशोधित लागत**	**स्टेज-1**	**स्टेज-2**	**स्टेज-3**	**जोड़**
वित्तीय परिसम्पतियां:					
ऋण	6,840.83			6,840.83	6,840.83
	6,840.83	-	-	6,840.83	6,840.83
वित्तीय देयताएं :					
ऋण प्रतिभूतियां :	7,370.99			7,370.99	7,370.99
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	2,356.95		2,356.95		2,356.95
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30			1,313.30	1,313.30
	11,041.24	-	2,356.95	8,684.29	11,041.24

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पतियां एवं देयताएं - आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2020 को	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पतियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख		50.04		50.04
निवेश	475.77	1,011.55	2,475.23	3,962.55
	475.77	1,061.59	2,475.23	4,012.59
वित्तीय देयताएं :				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	–	–	–	–
	–	–	–	–

परिसम्पतियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2020 को	परिशोधित लागत	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
वित्तीय परिसम्पतियां					
ऋण	10,767.31			10,767.31	10,767.31
	10,767.31	-	-	10,767.31	10,767.31
वित्तीय देयताएं :					
ऋण प्रतिभूतियां	7,973.93			7,973.93	7,973.93
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	3,279.11		3,279.11		3,279.11
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30			1,313.30	1,313.30
	12,566.34	-	3,279.11	9,287.23	12,566.34

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखो का रखरखाव मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होते हैं। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख और परिशोधित लागत पर निष्पन्न वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य

प्रकार	मूल्यांकन तकनीक	उल्लेख न किए गए महत्वपूर्ण इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पति मूल्य/कम्पनी तुलनीय पद्धति/छूट प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/छूट दर
ऋण	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
ऋण प्रतिभूतियां	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें
अधीनस्थ देयताएं	छूट प्राप्त नकद प्रवाह	आगामी नकद प्रवाह, छूट दरें

ii) स्तर-3 उचित मूल्य

स्तर-3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी, स्तर-3 उचित मूल्यों के संबंध में आरम्भ शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है :

	अधिमान शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनुद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
31 मार्च, 2020 को शेष	27.46	–	2,447.77
कुल लाभ अथवा हानियां:	–	–	–
- लाभ अथवा हानि में	48.37	–	743.20
- ओसीआई में	–	–	–
खरीद	–	–	–
निपटान	(70.96)	–	(57.91)
स्तर-3 में अन्तरित	–	–	–
31 मार्च, 2021 को शेष	4.87	–	3,133.07

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया जाता है :

	अधिमान शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनद्धृत इक्विटी शेयरों में निवेश
लाभ अथवा हानि में स्वीकृत कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	48.37	–	743.20
– अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य रिजर्व निधि (इक्विटी प्रलेख) – उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	–	–	–
लाभ अथवा हानि-वर्ष के अंत में धारित परिसम्पतियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन पर देयताएं:			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	119.33	-	801.11

विवरण	अधिमान शेयरों में निवेश	अनुद्धृत प्रलेख में निवेश
31 मार्च, 2019 को शेष	32.46	3,540.79
कुल लाभ अथवा हानियां :		-
– लाभ अथवा हानि में	(18.24)	(1,950.70)
– ओसीआई में		
खरीद	-	857.68
निपटान	13.24	
31 मार्च, 2020 को शेष	27.46	2,447.77

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	अधिमान शेयरों से निवेश	अनुद्धृत इक्विटी प्रलेख में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	(18.24)	(1,950.70)
अन्य राजस्व		
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां:		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	(31.48)	(17.02)

56. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है, समूह यह भी सुनिश्चित करता है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन हो, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करता है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करता है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में समूह ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। समूह ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

क. जोखिम प्रबंधन ढांचा

जोखिम प्रबंधन ढांचे की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी समूह के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो समूह की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, ऋणों एवं अग्रिमों, नकदी एवं नकदी समकक्षों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पतियों से उत्पन्न होते हैं।

क्रेडिट जोखिम, समूह को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और मुख्यतया ग्राहकों को समूह के ऋणों एवं अग्रिमों से, ग्राहकों से व्यापार प्राप्यों से, ऋण प्रतिभूतियों में ऋणों एवं निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

समूह की क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

वित्तीय परिसम्पति को ''क्रेडिट क्षति'' समझा जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम, जिनका वित्तीय परिसम्पति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर निर्धारणीय प्रभाव हो, घटित होता है। साक्ष्य, जिसकी वित्तीय परिसम्पति निम्नलिखित उल्लेखनीय डाटा सहित क्रेटिड क्षतिपूर्ण हो :

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- निर्गमकर्ता अन्यथा ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई।
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक।
- ऋणी को कर्ज देने वाला, ऋणी की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए जिसमें ऋणी को रियायत दी गई हो कि कर्ज देने वाला अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होगा या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा।
- सक्रिय बाजार का वित्तीय कठिनाईयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पति के जरिए विलुप्त होना।
- भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पति की खरीद अथवा तैयार करना जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक नये ग्राहक की समूह के मानक भुगतान से पहले और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव से पहले क्रेडिट साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है। समूह की पुनरीक्षा में न्यूनतम अनंतिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, शामिल है, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते हैं। पारिभाषित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) उस संभावना को दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 में ऋणी के स्टेज आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का प्रयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)।

संस्थान की चूक की ऐतिहासिक संभावना तक पहुँचने के लिए आईएफसीआई द्वारा आन्तरिक ऋणी की रेटिंग का उपयोग करते हुए पारगमन मैट्रिक एपरोच का उपयोग किया गया है।

(ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था ऐसी त्रुटिपूर्ण परिभाषा का प्रयोग करेगी जो उसकी आन्तरिक क्रडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्टेज-3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा:

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर-9 अथवा सीआर-10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।
- ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर।

(घ) चूक पर प्रकटन (ईएडी)

चूक पर प्रकटन (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई क्षति (एलजीडी)

चूक से हुई क्षति के लेन-देन से उत्पन्न क्षति का अनुमान है। चूक से हुई क्षति का एलजीडी संघटक परिसम्पत्ति गुणवत्ता के मुक्त विरूपण है और इस प्रकार विभिन्न स्टेजों के संबंध में यह एक समान रूप में लागू होता है। ऋण पोर्टफोलियों के संबंध में एनपीए खातों को, जो पिछले 7 वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, और जिन्हें 5 वर्ष से अधिक अवधि वाले एनपीए खातों के साथ बंद कर दिया गया है, (बन्द रूप में स्वीकृत), को चूक से हुई क्षति के परिकलन के लिए ध्यान में रखा गया है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एसआईसीआर)

प्रत्येक सूचना तारीख को कम्पनी यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक माान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय कम्पनी प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का प्रयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए कम्पनी सूचना तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक माान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध हैं, जो आरंभिक माान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को सूचना की तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अत: कम्पनी यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक माान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है :

- 3 रेटिंग ग्रेडों तक ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- निवेश ग्रेड से उप-निवेश ग्रेड में ऋणियोंइ की रेटिंग का कम हो जाना;
- ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।
- 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी स्तर-1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

	31 मार्च, 2021 को				
	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	**658.11**	**414.96**	**-**	**-**	**1,073.06**
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	**-**	**738.73**	**-**	**-**	**738.73**
ग्रेड 9-10 : हानि	**-**	**-**	**7,912.97**	**-**	**7,912.97**
अन्य	**188.63**	**50.17**	**555.51**	**-**	**794.31**
	846.74	**1,203.86**	**8,468.48**	**-**	**10,519.07**
हानि भत्ता	**(12.13)**	**(217.51)**	**(5,154.98)**	**-**	**(5,384.62)**
रखरखाव मूल्य	**834.60**	**986.36**	**3,313.50**	**-**	**5,134.45**

	31 मार्च, 2021 को				
	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग 1 से 6	**233.72**	**–**	**–**	**–**	**233.72**
रेटिंग 7 से 8	**554.70**	**–**	**–**	**–**	**554.70**
रेटिंग 9 से 10	**–**	**–**	**2,190.09**	**–**	**2,190.09**
	788.42	**–**	**2,190.09**	**–**	**2,978.51**
हानि भत्ता	**(10.86)**	**–**	**(1,261.27)**	**–**	**(1,272.13)**
रखरखाव मूल्य	**777.56**	**–**	**928.82**	**–**	**1,706.38**

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य	**जीवनकालिक**	**क्रेडिट क्षतिग्रस्त**	**जोड़**
6 माह से कम	54.10	–	54.10
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.87	0.04	0.91
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	1.31	0.06	1.37
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.03	0.05	1.08
3 वर्ष से अधिक	–	1.26	1.26
अन्य	136.31	43.35	179.67
	193.62	44.76	238.39
	–	-44.76	-44.76
हानि भत्ता	193.62	(0.00)	193.62
रखरखाव मूल्य			

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	**जीवनकालिक**	**क्रेडिट क्षतिग्रस्त**	**जोड़**
6 माह से कम	139.11	–	139.11
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.00	–	0.00
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.39	–	0.39
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	0.00	–	0.00
3 वर्ष से अधिक	–	79.55	79.55
अन्य	896.51	502.05	1,398.56
	1,036.01	581.60	1,617.61
हानि भत्ता	–	(79.55)	(79.55)
रखरखाव मूल्य	1,036.01	502.05	1,538.07

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	**स्तर-1**	**स्तर-2**	**स्तर-3**	**जोड़**
बीबीबी- से एएए	568.93	–	–	568.93
बीबी- से बीबी+	–	–	–	–
बी- से बी+	–	–	–	–
सी से सीसीसी+	–	–	–	–
डी	–	–	98.72	98.72
	568.93	–	98.72	667.65
हानि भत्ता	(0.09)	–	(50.02)	(50.12)
परिशोधित लागत	568.84	–	48.70	617.53
उचित मूल्य	581.04	–	39.60	620.64

	31 मार्च, 2020 को				
	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदाएं - ग्रीनफील्ड					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	10.52	-	-	-	10.52
ग्रेड 9-10 : हानि	8.91	-	-	-	8.91
	25.14	-	-	-	25.14
हानि भत्ता	(5.35)	-	-	-	(5.35)
रखरखाव मूल्य	19.78	-	-	-	19.78
ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	51.14	-	-	-	51.14
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	64.91	-	-	-	64.91
ग्रेड 9-10 : हानि	45.81	-	-	-	45.81
	161.86	-	-	-	161.86
हानि भत्ता	(27.92)				(27.92)
रखरखाव मूल्य	133.95	-	-	-	133.95

	31 मार्च, 2020 को				
	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	पीओसीआई	जोड़
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	2,406.09	139.86	-	-	2,545.95
ग्रेड 7-8 : उच्चतर जोखिम	-	910.79	-	-	910.79
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	9,798.04	-	9,798.04
अन्य	131.67	74.86	689.26	-	895.79
	2,537.76	1,125.51	10,487.29	-	14,150.57
हानि भत्ता	(191.04)	(218.38)	(5,147.41)	-	(5,556.83)
रखरखाव मूल्य	2,346.72	907.13	5,339.88	-	8,593.74

	31 मार्च, 2020 को				
	स्तर-1	स्तर-2	स्तर-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग 1-6	331.14	-	-	-	331.14
रेटिंग 7-8	526.06	444.11	-	-	970.17
रेटिंग 9-10	-	-	2,087.83	-	2,087.83
	857.20	444.11	2,087.83	-	3,389.13
हानि भत्ता	(64.77)	(126.71)	(1,024.08)	-	(1,215.55)
रखरखाव मूल्य	792.43	317.40	1,063.75	-	2,173.58

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	73.91	-	73.91
6 माह से अधिक 1 वर्ष से कम	1.73	-	1.73
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	1.81	-	1.81
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.18	-	1.18
3 वर्ष से अधिक	-	0.08	0.08
अन्य	115.36	37.33	152.69
	193.99	37.41	231.40
हानि भत्ता	(1.32)	(37.41)	(38.73)
रखरखाव मूल्य	192.67	-	192.67

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	जोड़
6 माह से कम	143.76	-	143.76
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.01	-	0.01
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.00	-	0.00
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.07	-	1.07
3 वर्ष से अधिक	-	52.02	52.02
अन्य	673.79	241.98	915.77
	818.63	294.00	1,112.63
हानि भत्ता	(12.16)	(61.32)	(73.48)
रखरखाव मूल्य	806.47	232.68	1,039.15

	31 मार्च, 2020 को			
एफबीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियां में निवेश	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	जोड़
बीबीबी- से एएए	780.13	-	-	780.13
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	98.72	98.72
	780.13	-	98.72	878.85
हानि भत्ता	(0.19)	-	(46.97)	(47.16)
परिशोधित लागत	779.94	-	51.75	831.68
उचित मूल्य	814.18	-	21.41	835.59

	31 मार्च, 2020 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	जोड़
ऋण प्रतिबद्धताएं - ग्रीनफील्ड					
रेटिंग 1 से 6 : कम उचित जोखिम	46.69	-	-	-	46.69
रेटिंग 7 से 8 : उच्चतर जोखिम	52.33	-	-	-	52.33
रेटिंग 9 से 10 : हानि	-	-	-	-	-
	99.01	-	-	-	99.01
हानि भत्ता	(8.28)				(8.28)
रखरखाव मूल्य	90.73	-	-	-	90.73
ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदाएं - अन्य					
रेटिंग 1 से 6 : कम उचित जोखिम	222.68	-	-	-	222.68
रेटिंग 7 से 8 : उच्चतर जोखिम	142.16	-	-	-	142.16
रेटिंग 9 से 10 : हानि	83.90	-	-	-	83.90
	448.74	-	-	-	448.74
हानि भत्ता	(64.37)	-	-		(64.37)
रखरखाव मूल्य	384.37	-	-	-	384.37

(ज) ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में क्षति संबंधी भत्ते में घट-बढ़ निम्नानुसार है:

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
हानि भत्ता का लेखामिलान		वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं है	वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त है	
01 अप्रैल, 2019 को हानि भत्ता	369.49	158.99	6,773.84	7,302.31
स्तर-1 में अन्तरण	6.60	(6.60)	-	-
स्तर-2 में अन्तरण	(19.44)	19.44	-	-
स्त्र-3 में अन्तरण	(13.10)	(42.06)	55.16	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(37.62)	121.30	(3,761.35)	(3,677.67)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	17.66	17.11	10.16	44.93
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(68.53)	(29.84)	(167.42)	(265.78)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	2,217.40	2,217.40
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को हानि भत्ता	255.07	238.34	5,127.79	5,621.19
स्तर-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्तर-2 में अन्तरण	(41.89)	41.89	-	-
स्तर-3 में अन्तरण	(6.17)	(69.48)	75.65	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(151.46)	22.25	(1,448.00)	(1,577.21)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(15.49)	(15.49)	(24.53)	(55.51)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	1,424.07	1,424.07
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2019 को हानि भत्ता	40.05	217.51	5,154.98	5,412.54

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम - ग्रीनफील्ड

हानि भत्ता का लेखामिलान	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं है	वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त है	
01 अप्रैल, 2019 को हानि भत्ता	68.63	83.21	1,311.16	1,463.00
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	(6.52)	52.35	(45.83)	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	(59.41)	59.41	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	29.92	53.93	(199.99)	(116.14)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(18.97)	(3.38)	(100.67)	(123.02)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को हानि भत्ता	73.05	126.71	1,024.08	1,223.84
स्टेज-1 में अन्तरण	0.87	(0.87)	-	-
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	(37.87)	37.87	-
हानि भत्तें का निवल पुनर्मूल्यांकन	(44.11)	-17.99	199.32	137.22
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(13.60)	(69.98)	-	(83.58)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को हानि भत्ता	16.21	0.00	1,261.27	1,277.48

एफवीटीओसीआई पर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		जोड़
		वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं है	वित्तीय परिसम्पतियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई है और क्रेडिट क्षतिग्रस्त है	
01 अप्रैल, 2019 को हानि भत्ता	0.08	–	–	0.08
स्टेज-1 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	–	–	–	–
स्टेज-3 में अन्तरण	(0.01)	–	–	(0.014)
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	–	–	–	-
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	0.18	–	46.97	47.15
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	(0.06)	–	–	(0.06)
बट्टे खाते डाले गए	–	–	–	–
छूट को बढ़ाना	–	–	–	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	–	–	–	-
31 मार्च, 2020 को हानि भत्ता	0.19	–	46.97	47.16
स्टेज-1 में अन्तरण	-	-	–	–
स्टेज-2 में अन्तरण	-	-	–	-
स्टेज-3 में अन्तरण	-	-	–	-
हानि भत्ते का निवल पुनर्मूल्यांकन	(0.10)	–	3.05	2.95
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पतियां	0.01	-	-	0.01
वित्तीय परिसम्पतियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट को बढ़ाना	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को हानि भत्ता	0.09	–	50.02	50.12

(झ) समानान्तर धारित एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपार्श्विक सुरक्षित प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कम्पनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक के अतिरिक्त, कम्पनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे की द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते। कम्पनी में विनिर्दिष्ट के श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतिया हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नअनुसार है।

1. अचल परिसम्पितित्तयों का बंधक
2. चल परिसम्पितित्तयों का आडमान
3. बैंक और सरकारी गारंटियां
4. प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5. प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6. प्रवर्तको की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

(ञ) आशोधित/पुनर्संरचित ऋण

जब समूह गैर-महत्वपूर्ण समय अवधि से भिन्न अवधि के लिए ऋणी की वित्तीय मुश्किलों से संबंधित आर्थिक एवं कानूनी कारणों से छूट प्रदान करता है, तो संबंधित ऋण को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छूटों में ब्याज दर में कटौती जो चालू बाजार दर से कम हो, भुगतान अवधि को बढ़ाना, मूलधन माफ करना, अधिकतम वसूली हेतु अभिप्रेत परिहार अथवा अन्य कार्रवाई शामिल हो सकती है। ऋण, जिसके लिए अवधा में आशोधन किया गया है, और जिसके लिए ऋणी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है, को कठिनाईग्रस्त पुनर्संरचित ऋण माना जाता है।

जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से, परिसम्पति के एक बार रोक लेने अथवा आशोधित करने पर समूह की दबावग्रस्त परिसम्पतियों संबंधी विशेष विभाग इसके जोखिम का निरन्तर अनुवर्तन करता है जब तक कि यह पूरी तरह से और अंतिम रूप से अमान्य नहीं हो जाता है।

ऋण, जिस पर पुन: बातचीत की गई हो, को अमान्य किया जाता है, यदि मौजूदा करार को रद्द किया जाता है और नया करार पूरी तरह से भिन्न शर्तों के साथ किया जाता है या यदि मौजूदा करार की शर्तों को इस तरह आशोधित किया जाता है कि पुन: परक्रमित ऋण पूरी तरह से एक अलग प्रलेख बन जाता है।

जहां पुन: बातचीत करने पर ऐसे ऋण अमान्य नहीं होते तो वहां क्षति को प्रारंभिक मूल क्रेडिट जोखिम दर की तुलना में जोखिम दर में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए निरन्तर निर्धारित किया जाता है।

इसमें आशेधित परिसम्पत्तियां नहीं थी, जिन्हें उस अवधि में छोड़ दिया गया था, और तदनुसार समूह को कोई हानि नहीं हुई थी।

(ट) शासन ढांचा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019-20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा भारिबैंक मानदण्डो के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथा परिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारिबैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधान से कम होता है तो इसकी अन्तराल राशि कर-पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। समूह के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि सुखद परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों की संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा पारिभाषित एएलएम प्रपत्र को अलग-अलग समय बैण्ड में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग-अलग समय अवधियो में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के प्रयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में पारिभाषित किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का प्रयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

समूह ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले नकदी निवेशों की पहचान करने और नकदी विस्तार अनुपात को परिकलित करने का कार्य शुरू किया है।

इसके अलावा, कम्पनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है :

- 194.00 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट सुविधा, जो प्रतिभूत है। ब्याज, 7.75% और 8.21% के बीच देय होगा।
- 130 करोड़ रुपए की सुविधा, जो अप्रतिभूत है और जिसे अल्प अवधि वित्तीय जरूरतों को पूरा करने हेतु लिया जा सकता है। ब्याज : 9.57% (भारित औसत दर) की दर पर देय होगा

नकदी जोखिम हेतु प्रकटन

सूचना की तारीख को वित्तीय देयताओं की शेष संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं। राशियां सकल एवं छूट प्राप्त नहीं हैं तथा इनमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल है और नेटिंग करारों का प्रभाव शामिल नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2021 को	रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बर्हिप्रवाह)	संविदात्मक नकद प्रवाह 6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं							
उधार	2,356.95	2,111.64	716.22	519.12	876.30	–	–
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां	7,370.99	7,356.54	571.60	2,402.74	(158.22)	1,850.69	2,689.73
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30	1,313.30	–	–	662.27	–	651.04
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक	(15.91)	(15.91)	(15.91)	–	–	–	–
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
ऋण एवं अग्रिम	6,840.83	10,943.69	488.51	405.48	985.64	361.67	8,702.39
निवेश प्रतिभूतियां	5,504.10	5,844.49	1,559.03	407.37	89.16	31.19	3,757.74

31 मार्च, 2020 को	रखरखाव राशि	सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	संविदात्मक नकद प्रवाह 6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय देयताएं							
उधार	3,279.11	3,129.91	624.50	1,007.68	1,294.11	203.62	–
जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां	7,973.93	7,874.04	337.39	476.39	2,545.76	1,623.59	2,890.91
अधीनस्थ देयताएं	1,313.30	1,313.30	–	–	662.27	–	651.04
डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
अग्रवर्ती एवं तात्कालिक	50.04	50.04	50.04	–	–	–	–
गैर-डेरिवेटिव वित्तीय परिसम्पतियां							
ऋण एवं अग्रिम	10,767.31	13,495.55	1,156.36	644.07	1,611.43	619.37	9,464.33
निवेश प्रतिभूतियां	3,962.55	5,161.95	325.51	18.28	677.28	157.07	3,983.80

संविदात्मक नकद प्रवाह	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां		
- 12 माह के भीतर	1,280.21	744.23
- 12 माह के बाद	599.54	431.02
सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	1,879.75	1,175.25
अन्य वित्तीय देयताएं		
- 12 माह के भीतर	1,955.81	1,357.36
- 12 माह के बाद	1,175.58	1,257.94
सकल नामिक अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह)	(3,131.39)	(2,615.29)

उपरोक्त सारणी में व्यक्त अन्तर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों हेतु धारित डेरिवेटिव वित्तीय देयताओं से संबंधित संविदात्मक अछूटप्राप्त नकदी उपलब्धता को दर्शाता है और जिन्हें सामन्य तौर पर संविदा की अवधि पूरी होने से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। प्रकटन उन डेरिवेटिव्स की निवल नकद प्रवाह राशियो को दर्शाता है जिनके लिए निवल नकद निपटान हो चुका है और उन डेरिवेटिव को दर्शाता है जिनका समानान्तर सकल निपटान हो चुका है, के सकल नकद अन्तर्प्रवाह एवं बहिर्प्रवाह की राशियों को भी दर्शाता हैं।

उपरोक्त सारणी में परिवर्तनीय ब्याज दर ऋणों पर ब्याज भुगतान को सूचना की तारीख को बाजार अग्रगामी ब्याज दरों को दर्शाया गया है और इन राशियों को बाजार ब्याज दर परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आकस्मिक प्रतिफल एवं डेरिवेटिव प्रलेखों पर आगामी नकदी प्रवाह उपरोक्त सारणी में ब्याज दरों और विनियम दरों अथवा आकस्मिक परिवर्तन से अन्तरनिहित उपयुक्त स्थितियों से भिन्न हो सकती है। इन वित्तीय देयताओं के अलावा, यह अपेक्षित नहीं है कि परिपक्वता विश्लेषण में शामिल नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से पहले उत्पन्न हो सकता है, अथवा एकदम भिन्न राशियों में व्यक्त हो सकता है।

निम्न सारणी ग्रुप की आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धता की परिपक्वताओं के द्वारा संविदात्मक समापन को दर्शाती है। प्रत्येक अनाहरित ऋण प्रतिबद्धता को प्रारंभिक तारीख वाले समय अवधि में शामिल किया गया है, इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है।

	मांग पर	6 माह अथवा कम	6-12 माह	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	जोड़
31 मार्च, 2021 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	204.83	–	–	–	–	–	204.83
31 मार्च, 2020 को							
उधार देने हेतु अन्य अनाहरित प्रतिबद्धताएं	838.73	–	–	–	–	–	838.73

घ. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम-ज्यादा होगा। समूह या तो ट्रेडिंग या गैर-ट्रेडिंग पोर्टफोलियों में बाजार जोखिम का प्रकटन करता है और प्रत्येक पोर्टफोलियों के लिए अगल-अलग व्यवस्था करता है। ऐसे जोखिम, ट्रेडिंग पोर्टफोलियों के लिए बाजार जोखिम के रूप में व्यवस्थित किए जाते है और वीएआर कार्यप्रणाली, जो जोखिम परिवर्तनों के बीच अन्तर निर्भरता को दशाती है, के आधार पर इनका अनुवर्तन किया जाता है। गैर-ट्रेडिंग स्सिथतियों का व्यवस्थापन और अनुवर्तन अन्य संवेदी विश्लेषण का उपयोग कर के किया जाता है। ऐसे सभी लेन देन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अर्न्तगत किए जाते है।

क. बाजार जोखिम-ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

वीएआर कार्यप्रणाली के उद्देश्य एवं सीमाएं

समूह पिछले पांच वर्षों से मूल डेटा के आधार पर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में संभावित परिवर्तनों को परिभाषित करने के लिए समरूप मॉडलों का प्रयोग करता है। वीएआर मॉडलों को सामान्य बाजार परिवेश में बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया जाता है। मॉडलों में माना जाता है कि सामान्य बाजार परिवेश को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों में उत्पन्न कोई परिवर्तन एक सामान्य वितरण का पालन करेंगे। संवितरण को घातांकीय रूप से भारित मूल डाटा का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है। इस तथ्य के कारण कि वीएआर जानकारी प्रदान करने के लिए मूल आंकड़ों पर अधिक निर्भर करता है और यह जोखिम कारकों के भावी परिवर्तनों एवं आशोधनों का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान नहीं लगाता। बड़े बाजारों की संभाव्यता कम महत्व की हो सकती है, यदि जोखिम कारक में परिवर्तन सामान्य वितरण अनुमान के सदृश नहीं होते हैं।

वीएआर जोखिम कारकों पर लगाए गए पूर्वानुमानों एवं विशिष्ट प्रलेखों हेतु ऐसे कारकों के बीच संबंध के कारण कम अथवा अधिक अनुमान भी लगा सकते हैं। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति बदल सकती है, वीएआर प्रत्येक कार्य दिवस के समापन पर पोर्टफोलियो के जोखिम को दर्शाता है और किसी हानि को हिसाब में नहीं लेता, जो 99% विश्वसनीय स्तर से परे हो सकता है।

व्यवहार्यत:, वास्तविक ट्रेडिंग परिणाम वीएआरए परिकलन से भिन्न होंगे। विशेषत: परिकलन दबावग्रस्त बाजार स्थितियां में लाभ एवं हानियों के सार्थक संकेतन प्रदान नहीं करते। वीएआर मॉडलों की विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए वास्तविक परिणामों को वीएआर परिकलन में प्रयुक्त पूर्वानुमानों एवं पैरामीटरों की वैधता की जांच के लिए नियमित रूप में मॉनीटर किया जाता है।

वीएआर पूर्वानुमान

वीएआर, जिसमें समूह का मूल्यांकन 99% विश्वसनीय स्तर का प्रयोग करते हुए संभावित होने का एक अनुमान है, जिसे अधिक होने की आशा नहीं होती, यदि वर्तमान बाजार जोखिम स्थितियों को एक दिन के लिए अपरिवर्तित रखा जाना हो। 99% विश्वसनीय स्तर के प्रयोग का तात्पर्य है कि एक दिन के समस्तर के भीतर, इससे अधिक की हानियों के लिए वीएआर आंकड़े को सामान्य बाजार स्थितियों के औसत पर दिखाना चाहिए, जो एक बार में प्रत्येक सौ दिन से अधिक न हो।

चूंकि, वीएआर समूह के बाजार जोखिम प्रबंधन का अभिन्न अंग है, वीएआर सीमा को सभी ट्रेडिंग परिचालनों के लिए स्थापित किया गया है और प्रबन्धन द्वारा प्रकटनों की सीमा के प्रति हर रोज पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

ख. बाजार जोखिम - गैर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

समूह को काफी हद तक मुद्रा जोखिम की संभावना है कि मुद्राओं, जिसमें उधार मुख्यतया मूल्यवर्गित होते हैं और समूह की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच असमानता है। समूह की मुख्य कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। मुद्रा, जिसमें ये लेनदेन मुख्य रूप से मुल्यवर्गित होते हैं, यूरो है।

मुद्रा जोखिम, जो समूह के यूरो बैंक ऋण की मूल राशि से संबंधित हैं, को प्रगामी संविदाओं का उपयोग करते हुए पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया गया है; जो उसी तारीख में परिपक्व होते हैं, जिस तारीख को वे ऋण चुकौती के लिए देय होते हैं।

सामान्य तौर पर, उधार मुद्राओं में मूल्यवर्गित होते हैं, जो समूह के अन्तर्निहित परिचालनों - मुख्यतया रुपए द्वारा सृजित नकदी उपलब्धता से मेल खाते हैं । इसके अलावा, उधारों पर ब्याज उधार की मुद्राओं में मूल्यवर्गित होता है। यह डेरिवेटिवों को निष्पादित किए बगैर आर्थिक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है और इसलिए, इन परिस्थितियों में प्रतिरक्षी लेखांकन का प्रयोग नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित अन्य मौद्रिक परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संबंध में समूह की नीति यह सुनिश्चित करती है कि इसके निवल जोखिमों को अल्पकालिक असंतुलनों को दूर करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं को खरीद अथवा बेच कर स्वीकार्य स्तर पर रखा जाए।

मुद्रा जोखिम हेतु प्रकटन

मुद्रा जोखिम हेतु समूह का प्रकटन, जैसा कि प्रबंधन को उल्लेख किया गया है, के संक्षिप्त मात्रात्मक आंकड़े निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	भारतीय रुपए	**यूरो**	भारतीय रुपए	यूरो
उधार	409.83	4.78	424.84	5.13
मान्य परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में निवल प्रकटन	409.83	4.78	424.84	5.13

संवेदी विश्लेषण

31 मार्च को सभी मुद्राओं के मद्दे रुपए एवं यूरो का उचित रूप से संभावित सुदृढ़ीकरण (दुर्बलीकरण) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन को प्रभावित करेगा और नीचे दर्शाई गई राशियों के तहत इक्विटी एवं लाभ अथवा हानि को प्रभावित करेगा। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तनों, विशेषत ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और पूर्वानुमान बिक्री एवं खरीद के किसी प्रभाव को अनदेखा करता है।

	लाभ अथवा हानि		**कर घटाकर इक्विटी**	
	सुदृढ़ीकरण	**दुर्बलीकरण**	**सुदृढ़ीकरण**	**दुर्बलीकरण**
31 मार्च, 2021 यूरो (10% घटबढ़)	40.98	(40.98)	26.66	(26.66)
31 मार्च, 2020 यूरो (10% घटबढ़)	42.48	(42.48)	27.64	(27.64)

(ii) ब्याज दर जोखिम

समूह बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए प्लवमान दर देयताओं एवं प्लवमान दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करता है। इसे अस्थायी दर पर उधारों के रूप में प्राप्त किया जाता है और समूह की प्रमूख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार दिया जाता है, जिसे बाद में अन्यों के बीच इसकी उधारो की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, ब्याज की बाजार दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण समूह की निवल ब्याज आय तथा समूह की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव को समझने के लिए आवधिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दर संवेदी विवरण को मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधि समूहों में अन्तराल को समझने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

समूह की ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों कीं ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार है :

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
स्थिर दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पतियां	**361.12**	538.60
वित्तीय देयताएं	**8,704.39**	9,285.14
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पतियां	**6,479.71**	10,767.31
वित्तीय देयताएं	**2,336.84**	3,281.20

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषत: विदेशी मुद्रा विनियम दरें स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		कर घटाकर इक्विटी	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च, 2021				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख नकद प्रवाह संवेदी (निवल)	23.37	(23.37)	15.20	(15.20)
31 मार्च, 2020				
परिवर्तनीय दर वाले प्रलेख नकद प्रवाह संवेदी (निवल)	32.81	(32.81)	21.35	(21.35)

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर-ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कम्पनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अत: समूह में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

57. अन्य कम्पनियां में हित

(क) सहायक कम्पनियों में हित

(i) 31 मार्च, 2021 को समूह की सहायक कम्पनियों का विवरण नीचे दिया गया है। जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, उनके पास केवल इक्विटी शेयरों की शेयर पूंजी है जिसे प्रत्यक्ष रूप में समूह द्वारा रखा जाता है और स्वामित्व हित के अनुपालन को समूह द्वारा धारित मताधिकार के बराबर रखा जाता है। निगमन अथवा पंजीकरण देश भी उनके मूल कारोबार स्थान में होता है।

संस्था का नाम	निगमन देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	
प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि. (आईवीसीएफ)	भारत	**98.59%**	98.59%	**1.41%**	1.41%	संस्थागत सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना
आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल)	भारत	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	0.00%	इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रीयल इस्टेट क्षेत्र
आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल)	भारत	**99.90%**	99.90%	**0.10%**	0.10%	फैक्टरिंग सेवाएं, संबद्ध उत्पाद, सामान्य प्रयोज्य ऋण
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (आईफिन)	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय
स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एसएचसीआईएल)	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	कस्टोडियन एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट
एमपीकॉन लि.	भारत	**79.72%**	79.72%	**20.28%**	20.28%	परामर्शी सेवाएं
स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
आइफिन की सहायक कम्पनियां आइफिन कमोडिटीज लिमिटेड						
- आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	विनिमय आधारित कमोडिटी ट्रेडिंग
आईफिन क्रेडिट लि. - आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं
आइफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड -आइफिन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**94.78%**	94.78%	**5.22%**	5.22%	निधियों का विलयन, शेयरों तथा सम्पत्ति के प्रति ऋण एवं प्रोमोटर निधियन

संस्था का नाम	निगमन देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य क्रियाकलाप
		31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	
आईआईडीएल की सहायक कम्पनी						
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि. –आईआईडीएल की पूर्ण स्वमित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	0.00%	रीयल स्टेट
एसएचसीआईएल की सहायक कम्पनी						
एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड – एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	दलाली सलाहकारी सेवाएं
स्टॉकहोल्डिंग डोक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि. – एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	वास्तविक अभिरक्षा सेवाएं, डिजीटाइजेशन और साफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री
स्टॉकहोल्डिंग सिक्युरिटी आईएफएससी लि. – एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	भारत	**52.86%**	52.86%	**47.14%**	47.14%	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निवेशकों को सेवा समाधान

(ii) नीचे प्रत्येक सहायक कम्पनी के बारे में वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दिया गया है, जिनके गैर-नियंत्रक हित हैं, जो समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक सहायक कम्पनी के लिए व्यक्त राशियां अन्तर कम्पनी विलोपन से पहले की हैं।

संक्षिप्त तुलन पत्र

	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2021 को**	31 मार्च, 2020 को
चालू परिसम्पतियां	**2,126.12)**	1,342.42	**7.57**	11.28
चालू देयताएं	**2,138.13**	1,325.20	**11.12**	16.09
निवल चालू परिसम्पतियां	**(12.01)**	(17.22)	**(3.55)**	(4.81)
गैर चालू परिसम्पतियां	**3,365.77**	2,766.73	**10.92**	11.43
गैर-चालू देयताएं	**640.10**	512.94	**0.01**	0.04
निवल गैर-चालू परिसम्पतियां	**2,725.67**	2,253.79	**10.91**	11.39
निवल परिसम्पतियां	**2,713.65**	2,271.01	**7.36**	6.58

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

	स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (समेकित)		एमपीकॉन लि.	
विवरण	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व	**452.38**	376.45	**70.94**	55.68
वर्ष हेतु लाभ	**63.20**	15.44	**0.98**	0.31
अन्य समग्र आय	**393.92**	(75.92)	**(0.03)**	(0.01)
कुल समग्र आय	**457.12**	(60.48)	**0.95**	0.30
गैर नियंत्रक ब्याज पर देय कुल समग्र आय	**215.49**	(28.51)	**0.19**	0.06

(ख) सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हित

i. नीचे 31 मार्च, 2021 को समूह की सहयोगी कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे दिए गए हैं, निदेशकों की राय में वे समूह के लिए महत्वपूर्ण है।

संस्था का नाम	कारोबार का स्थान	स्वामित्व का %	संबंध	मूल क्रियाकलाप	लेखांकन	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
						रखरखाव मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)	रखरखाव मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत हो)
प्रबंध विकास संस्थान	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	प्रबंधकीय विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं	इक्विटी लेखांकन	शून्य	**अनुद्धृत**	शून्य	**अनुद्धृत**
इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी)	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	कौशल विकास प्रदान करना	इक्विटी लेखांकन	शून्य	**अनुद्धृत**	शून्य	**अनुद्धृत**
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	भारत	शून्य	सहयोगी कम्पनी	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु आयकर अधिनियम के तहत न्यास	इक्विटी लेखांकन	शून्य	**अनुद्धृत**	शून्य	**अनुद्धृत**

नीचे दी गई सारणी समूह की सहयोगी कम्पनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करती है। प्रकट की गई जानकारी उपयुक्त सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों को और इन राशियों में समूह के हिस्से को दर्शाती है।

निम्न सहयोगी कम्पनियों के संबंध में संक्षिप्त वित्तीय जानकारी वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध नहीं थी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जानकारी प्रबंधन के पास उपलब्ध है और नीचे पुन: दी गई है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	प्रबंध विकास संस्थान		इंस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट		आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
देयताएं						
निगमित निकाय निधि	16.74	16.54	1.25	1.25	0.11	0.11
अधिशेष निधि	112.45	103.82	(5.92)	(5.30)	–	–
निर्दिष्ट निधि	287.60	256.60	–	–	–	–
सामान्य निधि	–	–	–	–	2.92	3.27
आयकर की धारा 11(2) के तहत विशेष निधि	–	–	–	–	0.20	1.80
कैम्पस और चल परिसम्पतियां निधि	3.10	3.25	12.12	12.41	–	–
उपदान रिजर्व निधि	11.77	9.96	–	–	–	–
संचयी अवकाश निधि	16.38	13.82	–	–	–	–
अन्य निधियां	4.95	4.44	–	–	–	–
चालू देयता एवं प्रावधान	54.90	28.35	0.94	1.00	0.02	0.01
	507.89	436.78	8.39	9.36	3.25	5.19
परिसम्पत्तियां						
आईएफसीआई एवं अन्य एजेंसियों से अनुदान द्वारा	3.08	3.23	–	–	–	–
अनुदान से निधिकृत परिसम्पतियों से भिन्न परिसम्पतियां	181.97	159.07	–	–	–	–
निवेश	254.65	234.69	3.54	4.19	3.14	4.45
गैर-चालू परिसम्पतियां	–	–	3.38	3.09	-	–
चालू परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम	68.19	39.79	1.47	2.08	0.11	0.74
एमडीआई-मुर्शिदाबाद	–	–	–	–	–	–
	507.89	436.78	8.39	9.36	3.25	5.19

लाभ एवं हानि विवरण

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
राजस्व	160.00	157.89	1.93	3.75	1.80	5.60
कर-पश्चात् लाभ	39.62	56.09	(0.63)	(0.01)	(0.35)	0.15
अन्य समग्र आय	–	–	–	–	–	–
कुल समग्र आय	39.62	56.09	(0.63)	(0.01)	(0.35)	0.15
प्राप्त लाभांश	–	–	–	–	–	–

(ग) सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यम की सूची जो समेकित नहीं है

कम्पनी	समेकन न होने के कारण
सहयोगी कम्पनी	
अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमी पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
किटको लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
नागई पावर प्रा. लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
शिगा इनर्जी प्राइवेट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
वडराज सीमेंट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
एबीजी एनर्जी (गुजरात) लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
संयुक्त उद्यम	
आईएफसीआई सिकामोर कैपीटल एडवाइजर प्रा. लि.	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अधीन अतिरिक्त प्रकटन

विवरण	निवल परिसम्पति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पति का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)
मूल कम्पनी								
आईएफसीआई लि.								
31 मार्च 2021	47.21%	2372.10	102.42%	(1,957.81)	5.32%	22.13	129.44%	(1,935.68)
31 मार्च 2020	64.92%	4,107.77	124.49%	(277.88)	34.18%	(39.65)	93.61%	(317.53)
सहायक कम्पनी (भारतीय)								
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.								
31 मार्च 2021	3.37%	169.57	-0.13%	2.47	0.03%	0.11	-0.17%	2.58
31 मार्च 2020	2.64%	166.99	-0.27%	0.60	0.11%	(0.12)	-0.14%	0.48
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.								
31 मार्च 2021	2.31	116.22	0.51%	(9.80)	-0.04%	(0.17)	0.67%	(9.98)
31 मार्च 2020	1.99%	126.20	2.41%	(5.38)	0.30%	(0.35)	1.69%	(5.73)

विवरण	निवल परिसम्पति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसम्पति का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का %	राशि (करोड़ रुपए)
एमपीकॉन लि.								
31 मार्च 2021	0.15%	7.36	-0.05%	0.98	-0.01%	(0.03)	-0.06%	0.95
31 मार्च 2020	0.10%	6.58	-0.14%	0.31	0.01%	(0.01)	-0.09%	0.30
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 2021	10.05%	505.01	-0.27%	5.12	0.03%	0.11	-0.35%	5.23
31 मार्च 2020	8.14%	514.74	-1.53%	3.41	-0.04%	0.04	-1.02%	3.46
स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 2021	54.01%	2,713.64	-3.31%	63.20	94.64%	393.92	-30.57%	457.12
31 मार्च 2020	35.89%	2,270.99	-6.92%	15.44	65.45%	(75.92)	17.83%	(60.49)
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (स्टेप-डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 2021	1.32%	66.08	0.09%	(1.68)	0.03%	0.14	0.10%	(1.54)
31 मार्च 2020	1.07%	67.61	0.96%	(2.14)	0.00%	-	0.63%	(2.14)
गैर-नियंत्रण हित								
31 मार्च 2021	25.61%	1,286.53	-1.57%	29.93	44.62%	185.70	-14.42%	215.63
31 मार्च 2020	17.04%	1,078.02	-3.24%	7.23	30.85%	(35.79)	8.42%	(28.56)
समेकन समायोजन								
31 मार्च 2021	-44.02%	2,212.02	2.30%	(43.99)	-44.62%	185.70	15.36%	(229.69)
31 मार्च 2020	-31.80%	(2,011.85)	-15.77%	35.20	-30.85%	35.79	-20.93%	71.00
जोड़								
31 मार्च 2021	100.00%	5,024.49	100.00%	(1,911.58)	100.00%	416.21	100.00%	(1,495.37)
31 मार्च 2020	100.00%	6,327.05	100.00%	(223.21)	100.00%	(116.01)	100.00%	(339.22)

57.1 पिछली अवधि के ऑकड़ों को चालू अवधि के ऑकड़ों के अनुरूप, जहां कही आवश्यक समझा गया, पुर्नसमूहित/पुर्नव्यवस्थित किया गया।

58. पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता ढांचे का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई है, जिसे जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के अधिकतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता ढांचा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करता है।

i. समूह सभी संस्थाओं, जो समूह का भाग है, के लिए जोखिम संम्पत्ति अनुपात के प्रति न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करता है आर तदनुसार समूह में सभी संस्थाओं के बीच पूंजी अपेक्षाओं की व्यवस्था करता है।

ii. **पूंजी आबंटन**
प्रत्येक परिचालन या क्रियाकलाप को आबंटित पूंजी की राशि जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल के न्यूनीकरण के उद्देश्य से किया जाता है। विभिन्न करोबारों के लिए वर्ष के आरम्भ में ही वार्षिक कारोबार योजना के अधार पर पूंजी आबंटन किया जाता है। पूंजी आबंटन के लिए विभिन्न विचारनीय विषयों में मौजूदा परिचालानों और क्रियाकलापों में तालमेल, प्रबंधन और अन्य स्रोतों की उपलब्धता तथा कम्पनी के दीर्घ अवधि नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 01411एन

मनोज मित्तल
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 01400076

सुनील कुमार बंसल
उप प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06922373

प्रो. अरविन्द सहाय
निदेशक
डीआईएन 03218334

सीए अतुल अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 099374

झुम्मी मंत्री
महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

रूपा देब
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 जून, 2021

आईएफसीआई के कार्यालय

31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार

पंजीकृत कार्यालय

आईएफसीआई लिमिटेड

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
टेलीफोन: +91-11-4179 2800, 4173 2000
फैक्स: +91-11-2648 8471, 2623 0201
वेबसाइट: www.ifciltd.com
सीआईएन: एल74899डीएल1993जीओआई053677

क्षेत्रीय कार्यालय

चेन्नई
कान्टीनेंटल चैम्बर्स (द्वितीय तल)
142 एम जी रोड, नुंगमबक्कम
पिन-600 034
फोन: +91-44-2833 4110-11
फैक्स: +91-44-2833 4109

कोलकाता
चटर्जी इन्टरनेशनल सेन्टर
(तृतीय तल) 33-ए, जवाहर लाल नेहरु मार्ग
पिन-700 071
फोन: +91-33-2226 2672, 2265 3344
फैक्स: +91-33-2217 1618

हैदराबाद
तारामंडल काम्प्लेक्स
(8वां तल), 5-9-13 सैफाबाद
पिन-500 004
फोन: +91-40-2324 3505/06/07
फैक्स: +91-40-2324 1138

मुम्बई
अर्नेस्ट हाऊस, (9वां तल)
एनसीपीए मार्ग,
नरीमन प्वाइंट
पिन-400 021
फोन: +91-22-6129 3400

रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स

इक्विटी शेयरों व फैमिली बांडों के लिए:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ-65, पहली मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल
एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com
ई-मेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com;
admin@mcsregistrars.com
फोन: +91-11-4140 6149/50/51/52
फैक्स: +91-11-4170 9881

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों (सीरीज I व II) के लिए:
बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसिज प्रा. लि.
बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर
लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे
दादा हरसुख दास मंदिर के पास
नई दिल्ली-110 062
फोन: +91-11-2996 1281-83
फैक्स: +91-11-2996 1284
ई-मेल: ifci@beetalfinancial.com

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों (सीरीज III, IV व V) व आईएफसीआई एनसीडी (ट्रेंच I व II) के लिए
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
निगमित व पंजीकृत कार्यालय :
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.
सिलेनियम टावर बी, प्लाट नं. 31 व 32,
गोचीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुड्डा, श्रीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद-500 032
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
फोन : 040-6716 1589 / 1672/ 1678
फैक्स: +91-040- 2300-1153
टोल फ्री नं. 1800-309-4001
सीआईएन नं.यू67200टीजी2017पीटीसी117649

सबऑर्डिनेट बांडों (सीरीज I व III) के लिए:
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क
एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम
मुम्बई-400 083
फोन: +91-22-4918 6270
फैक्स: +91-22-4918 6060
ई-मेल: bonds.helpdesk@linkintime.co.in

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों सीरीज I व II, सबऑर्डिनेट बांडों, कर-मुक्त बांडों, अन्य नियमित प्रतिफल वाले बांडों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

पंजीकृत कार्यालय:
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसिज लि.
एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड
पांडूरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,
मुम्बई-400 025

पत्राचार के लिए पता:
ध्यानाकर्षण: मुख्य परिचालन अधिकारी
पता:
भूतल, एक्सिस हाउस,
वाडिया इंटरनेश्नल सेंटर
पांडूरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुम्बई-400 025
फोन: 022-6226-0050/54
फैक्स: 022-49186060
टोल फ्री नं. 1800-1020-878
ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in

डेस्क कार्यालय:
द्वितीय तल, 25 पूसा रोड,
करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110005

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों सीरीज III, IV व V
के लिए डिबेंचर ट्रस्टी
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय: एशियन बिल्डिंग, भूतल
17, आर कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट
मुम्बई-400 001
फोन: +91-22-4080 7000-01
फैक्स: +91-22-6631 1776
वेबसाइट: www.idbitrustee.in
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

नियमित बांडों सीरीज 47, 50 व 51
के लिए डिबेंचर ट्रस्टी
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसिज़ लि.
पंजीकृत कार्यालय: तृतीय तल, (ईस्ट विंग)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
एमएमओ बिल्डिंग, 55 एम जी रोड
मुम्बई-400 001
फोन: +91-22-2261 6217
फैक्स: +91-22-2261 6208
वेबसाइट: www.cfsl.in
ई-मेल: info@cfsl.in

सुपुर्दगी न होने पर कृपया निम्नलिखित को लौटाएं:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया,
फेज-I, नई दिल्ली-110 020